



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272379
CG-DL-E-09052026-272379

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]
No. 311]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. 345(अ).—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 133 और 134 की अपेक्षानुसार नियमों का प्रारूप शासकीय राजपत्र में सा.का.नि. संख्यांक 934 (अ), दिनांक 30 दिसंबर 2025 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस दिनांक जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को दिनांक 30 दिसंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 133 और 134 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

- (1) डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) नियम, 1990;
- (2) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन), (केन्द्रीय) नियम, 1998;
- (3) खान नियम, 1955;
- (4) खान बचाव नियम, 1985;
- (5) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966;
- (6) खदान स्थल स्नान नियम, 1959;
- (7) खान शिशुगृह नियम, 1966;
- (8) ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971;
- (9) अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1979
- (10) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्त) और प्रकीर्ण प्रावधान नियम, 1957;
- (11) सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1984;
- (12) विक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) नियम, 1976
- (13) उस सीमा तक विभिन्न श्रम विधि नियम, 2017 के अधीन रजिस्टर बनाए रखने की कार्य सुगमता; जहां तक ये नियम भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62; ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35; अंतराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 35; खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 के साथ पठित धारा 58; विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) की धारा 12; श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्त) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं और तदनुसार लागू हैं;
- (14) श्रमजीवी पत्रकार मजदूरी दर नियतन नियम, 1958
- (15) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी अधिकरण नियम, 1979

को उन संबंधित बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) ये नियम, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो —

(क) “संहिता” से उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) अभिप्रेत है।

(ख) “प्ररूप” से इन नियमों के उपाबंध VII में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं।

(ग) “प्रभारी अधिकारी कैटीन” से इस संहिता के अधीन कैटीन के संबंध में प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त व्यक्ति (प्रबंधक के अलावा) अभिप्रेत है।

(घ) "उपाबंध" से इन नियमों के साथ संलग्न सूची अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके संहिता में हैं।

अध्याय II

पंजीकरण

3. पंजीकरण के लिए आवेदन.— (1) किसी स्थापन के लिए पंजीकरण चाहने वाले नियोक्ता को स्थापन के बारे में विवरण देते हुए श्रम सुविधा पोर्टल या केंद्र सरकार द्वारा नामित पोर्टल पर स्थापन के पंजीकरण, पहचान और पते के प्रमाण से संबंधित दस्तावेजों के साथ स्थापन के विवरण वाले **प्ररूप-I** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करना होगा।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो पंजीकरण का प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप-III** में जारी किया जाएगा, लेकिन किसी भी मामले में पूर्ण आवेदन जमा करने की तारीख से सात दिनों के भीतर:

परंतु कि यदि पंजीकरण का प्रमाण पत्र विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो स्थापन को पंजीकृत माना जाएगा और पंजीकरण का प्रमाण पत्र **प्ररूप-III** में स्वतः सृजित हो जाएगा।

(3) साठ दिनों की समाप्ति के बाद पंजीकरण के लिए विलंब शुल्क केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) पंजीकरण का प्रमाण पत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा और स्थापन के परिसर के भीतर विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(5) जहां कोई नियोक्ता उपनियम (1) की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है, संहिता के अधीन पंजीकरण अधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसे नियोक्ता को ऐसे आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी अपेक्षाओं का पालन करने का निदेश दे सकता है।

(6) किसी स्थापन का नियोक्ता, जो तत्समय लागू किसी अन्य केन्द्रीय श्रम कानून के अधीन पहले से पंजीकृत है, नियमों के लागू होने की तारीख से छह माह के भीतर, **प्ररूप-I** में पंजीकरण संबंधी विवरणों को अद्यतित करेगा।

परंतु कि ऐसा कोई निरस्तीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि स्थापन को तीस दिनों की अवधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा यह कारण बताने का अवसर नहीं दिया गया हो, कि पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(7) नियोक्ता द्वारा नियमों या इनके अधीन तैयार स्कीमों, के संबंध में नियोक्ता द्वारा तैयार अथवा पूर्ण किए गए सभी दस्तावेजों पर और संबंधित कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

(8) **प्ररूप-I** में प्रस्तुत किसी ब्यौरे में परिवर्तन को नियोक्ता द्वारा इस तरह के परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर पोर्टल पर अद्यतित किया जाएगा, यदि संशोधन के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है तो पंजीकरण का संशोधित प्रमाण पत्र पूर्ण आवेदन जमा करने की तारीख से सात दिनों के भीतर **प्ररूप-III** में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाएगा, ऐसा न करने पर पंजीकरण का संशोधित प्रमाण पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा।

(9) पंजीकरण अधिकारी उन स्थापनों, जिनके संबंध में पंजीकरण के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, का विवरण दर्शाते हुए **प्ररूप-V** का रखरखाव करेगा।

(10) नियोक्ता, खानों के अलावा अन्य स्थापनों के बंद होने के तीस दिनों के भीतर, पंजीकरण अधिकारी और साथ ही उस क्षेत्र में जहां स्थापन अवस्थित है, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकारक को **प्ररूप-II** में ऐसे स्थापनों में नियोजित कामगारों को सभी बकाया और वैधानिक प्रतिफल के भुगतान के प्रमाणपत्र के साथ स्थापन के बंद होने की वास्तविक तारीख की सूचना देगा और ऐसी सूचना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम को स्वतःसाक्षात् हो जाएगी।

(11) सभी प्रकार से पूर्ण प्ररूप-II प्राप्त होने पर, पंजीकरण अधिकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करेगा और प्ररूप-II की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर प्ररूप-IV में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण जारी करेगा। यदि पंजीकरण अधिकारी साठ दिनों के भीतर स्थापन के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करने में विफल रहता है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण प्ररूप-IV में स्वतः सृजित हो जाएगा।

4. कार्य आरंभ और समाप्त करने की सूचना- (1) ठेका श्रम या भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों से संबंधित स्थापन का नियोक्ता, स्थापन के संचालन का कार्य शुरू होने या समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर, पंजीकरण अधिकारी एवं जहां स्थापन स्थित है उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भी प्ररूप-VI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस प्रस्तुत करेगा

(2) उप-नियम (1) के अधीन संचालन की समाप्ति के नोटिस के साथ एक प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाएगा जिसमें कहा गया होगा कि स्थापन में नियोजित कामगारों के सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भण्डारण से मुक्त कर दिया गया है।

परन्तु कि, खानों के मामले में, प्रत्येक खान का नियोक्ता प्ररूप-VII में प्रचालनों को शुरू करने, फिर से खोलने, बंद करने, बंद करने या परित्याग करने की कम से कम तीस दिनों का पूर्व नोटिस देगा।

अध्याय III

नियोक्ता और कर्मचारी के दायित्व

5. कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच: (1) डॉक कार्य, खान, निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के लिए निशुल्क चिकित्सा जांच आयोजित करने की व्यवस्था करेगा, जिसने 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(2) चिकित्सा जांच, एक योग्य चिकित्सक द्वारा आयोजित की जाएगी और प्ररूप-VIII संबंधित नियोक्ता और कर्मचारी को एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा:

परन्तु नियोक्ता कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से कर्मचारी की चिकित्सा जांच की सुविधा का लाभ उठा सकता है:

परन्तु यह और कि खानों के मामले में कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांचों के अतिरिक्त जांच नियम 109 के अधीन अभिशासित होंगी।

6. कर्मचारी को नियुक्ति पत्र- किसी भी कर्मचारी को किसी भी स्थापना में तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे नीचे दिए गए प्रारूप में नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया हो:

रूपविधान

- (i) कर्मचारी का नाम:
- (ii) जन्म तिथि:
- (iii) पिता/माता का नाम:
- (iv) आधार संख्या (सहमति प्राप्त करने के पश्चात):
- (v) स्थापन की श्रमिक पहचान संख्या:
- (vi) यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या बीमा संख्या (यदि उपलब्ध हो):
- (vii) पदनाम:
- (viii) नियोजन का प्रकार (नियमित/नियत-कालिक-रोजगार/संविदात्मक):
- (ix) कौशल की श्रेणी:
- (x) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि:
- (xi) वेतन/मूल वेतन और महंगाई भत्ता:
- (xii) आवास सहित अन्य भत्ते, जो भी लागू हो:
- (xiii) सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम लाभों की प्रयोज्यता:
- (xiv) निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की व्यापक प्रकृति:

- (xv) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अध्याय VI (मातृत्व लाभ) के तहत उपलब्ध लाभ (महिला कर्मचारी के मामले में):
- (xvi) कोई अन्य सूचना:

नियोक्ता के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

7. दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का नोटिस – (1) जहां किसी स्थापन में किसी स्थान पर कोई दुर्घटना होती है जिसके कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थापन का नियोक्ता इसकी सूचना **प्ररूप-XI** में अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी और पीड़ित के परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को देगा।

(2) जहां किसी स्थापन में किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के घटित होने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है जिसके कारण दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति अड़तालीस घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने से रोक दिया जाता है तो स्थापन का नियोक्ता अड़तालीस घंटे की अवधि पूर्ण होने के बारह घंटों के भीतर **प्ररूप XI** में सूचना देगा।

(3) जहां किसी स्थापन में उपनियम (4) में यथानिर्दिष्ट किसी खतरनाक घटना जिसके कारण कोई शारीरिक चोट अथवा अपंगता आती है या नहीं, नियोक्ता बारह घंटे के भीतर इसकी सूचना निम्नलिखित को भेजेगा:

(i) निरीक्षक-सह-सुकारक और;

(ii) जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप मंडल अधिकारी:

परंतु यदि ऐसी दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के मामले में, उक्त उप नियमों के अंतर्गत सूचनाएं और रिपोर्ट भेजने के बाद ऐसी दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना में घायल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो स्थापन का नियोक्ता अथवा अधिभोगी अथवा प्रबंधक उप नियम (1) और (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों और व्यक्तियों को इसकी सूचना दूरभाष से और इलैक्ट्रॉनिक रूप से देगा और मृत्यु के बारह घंटे के भीतर लिखित में इस सूचना की पुष्टि भी करेगा।

परन्तु यह और कि यदि उप नियम (2) में उल्लिखित अड़तालीस घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने की अयोग्यता की अवधि दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के तुरंत बाद नहीं आती है किन्तु बाद में आती है अथवा एक से अधिक बार आती है तो संदर्भित रिपोर्ट निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता और जिला मजिस्ट्रेट या उप-खंड अधिकारी **प्ररूप-XI** में दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप कार्य करने में अशक्तता की वास्तविक कुल अवधि अड़तालीस घंटे पूर्ण होने के चौबीस घंटे के भीतर भेजी जाएगी।

(4) निम्नलिखित खतरनाक घटनाओं के वर्ग, चाहे उनसे चोट लगे या अशक्तता हो या न हो, :-

- (i) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में किसी भी संयंत्र या पाइपलाइन या पेट्रोलियम, भाप, संपीड़ित हवा या अन्य पदार्थ युक्त उपकरणों का विस्फोट;
- (ii) एक क्रेन, डेरिक, विंच, उत्तोलक या अन्य उपकरणों या उनके किसी भाग का खराब होना या बंद होना जिसे व्यक्तियों या सामानों को ऊपर चढ़ाने या नीचे उतारने के लिए उपयोग में लाया जाता है या क्रेन का पलटना;
- (iii) विस्फोट, आग, रिसाव या हानिकारक जहरीली गैसों का निकलना, किसी भी पिघली हुई धातु का रिसाव या बाहर निकलना, या गर्म तरल या गैस जिससे किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है या किसी भी कमरे या स्थान को नुकसान होता है जिसमें व्यक्ति कार्यरत हैं;
- (iv) किसी गैस या गैसों (वायु सहित) या किसी भी तरल या ठोस के गैस के संपीड़न से उत्पन्न वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसीवर या कंटेनर का विस्फोट;
- (v) भवन या निर्माण सामग्री के संचालन से संबंधित उत्तोलक उपकरणों या उत्तोलक या कन्वेयर्स के खराब या बंद होना अथवा रज्जु, चेन या लूज गियरों का टूटना या खराब होना; भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले क्रेन का पलटना;
- (vi) निरंतर ताप या आग लगना अथवा धुआं दिखाई देना या भूमिगत खानों में ताप अथवा आग लगने का अन्य कोई संकेत; अथवा किसी भी दीवार, फर्श, गैलरी, रूफ ब्रिज, सुरंग, चिमनी, दीवार, भवन का गिरना;

- (vii) मिट्टी के ढेर या किसी अन्य संरचना, प्लेटफार्म, स्टेजिंग, मचान या ढांचे सहित पहुंच के किसी साधन का गिरना; संपर्क कार्य, उत्खनन और संचरण में खराबी आना;
- (viii) खतरनाक पदार्थों का रिसाव या बहाव और उनके कंटेनर को नुकसान;
- (ix) खानों में रुकावट या पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ का बहाव;
- (x) स्थापन के भीतर परिवहन उपकरणों का खराब होना, गिरना, ढहना या टकराना;
- (xi) किसी उत्खनन, लोडिंग या परिवहन मशीनरी की ऊंचाई से गिरना; ऊंचाई से किसी चीज से गिरना;
- (xii) जमीन के नीचे काम करते समय कोयले के किसी पिलर, पिलर या कई पिलरों के किसी भाग का अचानक खराब होना;
- (xiii) जमीन के नीचे कार्य करते समय चट्टान विस्फोट; प्रचालन के किसी भाग का असमय गिरना;
- (xiv) किसी भी मशीनरी या उपकरण के एक हिस्से का टूटना, फ्रैक्चर या विफलता, जिसमें कोई भी डेरिक, ड्रॉ-वर्क्स, केसिंग लाइन या आपातकालीन ब्रेक की विफलता शामिल है, जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;
- (xv) स्लाइड जिसके कारण किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, किसी मशीनरी को क्षति हो सकती है या सामान्य खनन कार्यों में रुकावट हो सकती है;
- (xvi) ओपन कास्ट वर्किंग में डंप या साइड का खराब होना; एक दरार;
- (xvii) किसी संरचना या संस्थापना का खराब होना, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;
- (xviii) अनियंत्रित रासायनिक रिसाव
- (xix) तेल खानों के मामले में एक झटका;
- (xx) बिजली के फ्लैश-ओवर के कारण उत्पन्न चिंगारी जो किसी भी व्यक्ति को जलने की चोट का कारण बनती है;
- (xxi) खानों में विस्फोट या प्रज्वलन;
- (xxii) जमीन के नीचे या तेल खदानों में ज्वलनशील या हानिकारक गैसों की आमद;
- (xxiii) खानों में विस्फोटकों के कारण कोई दुर्घटना;
- (xxiv) रस्सी, चेन, हेडगियर, चरखी या धुरी या उसके असर, या अन्य गियर का टूटना या फ्रैक्चर जिसके द्वारा व्यक्तियों या सामग्रियों को नीचे की खदान में उतारा या उठाया जाता है;
- (xxv) पिंजरों या परिवहन के अन्य साधनों की एक अधिक घुमावदार या हार्ड लैंडिंग जबकि व्यक्तियों या सामग्रियों को नीचे की खदान में उतारा या उठाया जा रहा है;
- (xxvi) घुमावदार इंजन, क्रैंकशाफ्ट, युग्मन, असर, गियरिंग, क्लच, ड्रम या ड्रम शाफ्ट के किसी भी हिस्से का टूटना या फ्रैक्चर, या नीचे की खदान में आपातकालीन ब्रेक की विफलता; या
- (xxvii) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य घटना

8. रोग की सूचना- (1) जहां किसी स्थापन में, कोई कामगार संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी रोग के संपर्क में आता है, तो स्थापन के नियोक्ता द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में निरीक्षक-सह-सुकारक या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को तत्काल इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा एक नोटिस भेजेगा: -

रोग की सूचना

- (1) नियोक्ता का नाम और पता
- (2) स्थापन का नाम और पता:
- (3) स्थापन की प्रकृति:
- (4) खान के मामले में खनिज का नाम:
- (5) रोगी का विवरण:
 - (क) रोगी का नाम:
 - (ख) रोगी की कामगार संख्या:
 - (ग) रोगी का पता:
 - (घ) रोगी का सटीक व्यवसाय:

- (6) रोगी किस रोग से पीड़ित है:
 (7) रोग का पता लगने की तिथि:
 (8) अर्हता प्राप्त चिकित्सक का विवरण:
 (9) क्या मामले की सूचना चिकित्सा अधिकारी को दी गई है:
 तारीख:

नियोक्ता के हस्ताक्षर

(2) जहां अर्हताप्राप्त चिकित्सक किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करता है जो किसी स्थापन में नियोजित है या रहा है और जो अर्हताप्राप्त चिकित्सक द्वारा संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित माना जाता है, तो अर्हताप्राप्त चिकित्सक मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के कार्यालय को लिखित में रिपोर्ट भेजेगा जिसमें यह कहा जाएगा कि-

- (क) रोगी का नाम और पूरा डाक पता,
 (ख) वह रोग जिससे योग्य चिकित्सक रोगी को रोग से पीड़ित मानता है, और
 (ग) उस स्थापन का नाम और पता जिसमें रोगी कार्यरत है या अंतिम बार नियोजित था।

9. कर्मचारी के दायित्व— (1) जहां किसी भी कर्मचारी को स्थापन में असुरक्षित या अस्वास्थ्यकर स्थिति के बारे में पता चलता है, ऐसे कर्मचारी को यथाशीघ्र नियोक्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि या सुरक्षा अधिकारी या उनके कार्यस्थल से संबंधित अधिकारी या एजेंट या प्रबंधक को मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।

(2) प्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी, अधिकारी, एजेंट या प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, इसके बाद नियोक्ता को तुरंत मामले की रिपोर्ट करेगा।

10. कर्मचारी के अधिकार— स्थापन में कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे के बारे में किसी भी कर्मचारी से सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा और चाहे वह उपचारात्मक उपायों से संतुष्ट हो या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा निरीक्षक-सह-सुकारक को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजेगा।

अध्याय IV

उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य

11. राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड से संबंधित उपबंध.—

- (1) धारा 16 की उपधारा (2) (छ), (ज), (ट), (ठ) और (ड) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से की जाएगी।
 (2) धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक, कार्यों के निष्पादन के लिए, जब कभी आवश्यक हो, की जा सकती है।
 (3) राष्ट्रीय बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा लिखित में अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।
 (4) ऐसे सदस्य का पद, जिस तिथि को उसका त्याग पत्र केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है अथवा केन्द्र सरकार द्वारा त्याग पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, रिक्त माना जाएगा।
 (5) यदि राष्ट्रीय बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में ऐसे राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष से अनुपस्थिति की छुट्टी (छुट्टियाँ) स्वीकृत कराए बिना भाग न लेने पर राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

परन्तु केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा सदस्य लगातार तीन बैठकों में किसी उपयुक्त कारण के फलस्वरूप उपस्थित नहीं हो सका तो यह निदेश दे सकती है कि इस प्रकार की सदस्यता समाप्ति न की जाए और ऐसा निदेश दिए जाने पर वह सदस्य राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य बना रहेगा।

(6) कोई व्यक्ति राष्ट्रीय बोर्ड का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होगा यदि —

- (क) यदि व्यक्ति उसकी विक्षिप्त मनोदशा हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

(ख) यदि व्यक्ति वह दायित्वयुक्त दिवालिया हो; अथवा

(ग) यदि व्यक्ति उसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो तीन महीने अथवा उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हो;

(7) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बोर्ड के किसी सदस्य को हटा सकती है यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य राष्ट्रीय बोर्ड में जिस प्रयोजन हेतु प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया था, उस कार्य को नहीं कर रहा है:

परन्तु ऐसा कोई सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि ऐसे सदस्य को इस नियम के अंतर्गत प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का औचित्यपूर्ण अवसर नहीं दिया जाता है।

(8) किसी सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता उसके द्वारा सरकारी कार्यों के लिए की गई यात्रा के लिए ऐसे सदस्य पर लागू नियमों द्वारा संचालित होगा और ऐसे सदस्य के वेतन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी द्वारा यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(9) राष्ट्रीय बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को ऐसे स्थानों पर राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

12. तकनीकी समितियां या सलाहकार समितियां -

(1) केन्द्र सरकार, संहिता की धारा 16 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता के उद्देश्य से एक या एक से अधिक तकनीकी समितियों या सलाहकार समितियों का गठन, तकनीकी समितियों या सलाहकार समितियों के गठन के क्रम में ऐसी अवधि के लिए, कर सकती है।

(2) तकनीकी समितियाँ या सलाहकार समितियां बहु-सदस्यीय समिति हो सकती हैं और इनमें सरकारी, सार्वजनिक, स्वायत्त या निजी संस्थानों/उद्योगों, अनुसंधान, अकादमिक संस्थाओं या उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य के सदस्य शामिल हो सकते हैं।

(3) समिति के सदस्यों जिनके पास विनियामक निकाय, उद्योग, अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थान या उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा या भौतिकी या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या एमबीबीएस के साथ औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फेलो (एएफआईएच) की डिग्री होगी, साथ ही संबंधित क्षेत्र/उद्योग में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होगा, उन्हें तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के लिए नामांकित किया जा सकता है।

(4) खानों के मामले में, एक सदस्य के पास खनन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ कोयला या धातु खान के प्रबंधन के लिए प्रथम श्रेणी प्रबंधक का योग्यता प्रमाणपत्र या खनन या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एम.ई या एम.टेक या पीएच.डी. या एम.बी.बी.एस., और विनियामक निकाय या उद्योग या अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों या व्यावसायिक स्वास्थ्य में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को तकनीकी समिति या सलाहकार समिति में नामित किया जा सकता है।

(5) तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(6) तकनीकी समिति विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उप-समितियों का गठन कर सकती है।

(7) तकनीकी समिति या सलाहकार समिति अपने कार्य संचालन सहित ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो समय-समय पर केन्द्र सरकार या राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा आदेश जारी किए जाए।

(8) तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा।

(9) तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, तकनीकी समिति या सलाहकार समितियों के अध्यक्ष के माध्यम से केन्द्र सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(10) तकनीकी समिति या सलाहकार समितियों का अध्यक्ष, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(11) ऐसे सदस्य या अध्यक्ष का पद, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से रिक्त हो जाएगा जिस दिन केन्द्र सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, या केन्द्र सरकार द्वारा त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।

(12) यदि तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, ऐसी अनुपस्थिति के लिए समिति के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किए बिना, ऐसी समिति की लगातार दो बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो ऐसा सदस्य ऐसी समिति का सदस्य नहीं रहेगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सदस्य को लगातार दो बैठकों में उपस्थित होने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह निदेश दे सकेगी कि ऐसी सदस्यता समाप्ति नहीं होगी और ऐसा निदेश दिए जाने पर, ऐसा सदस्य ऐसी समिति का सदस्य बना रहेगा।

(13) (i) कोई व्यक्ति तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का सदस्य होने के लिए निर्णय होगा-

(क) यदि व्यक्ति विकृतचित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(ख) यदि व्यक्ति अनुमोचित दिवालिया है; या

(ग) यदि व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जो, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता से संबंधित है।

(ii) जहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या खंड (i) के अधीन निर्णय हुआ है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रश्न का निर्णय करेगी, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए।

(14) केन्द्रीय सरकार तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के किसी सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर चुका है जिसका वह ऐसी समिति में प्रतिनिधित्व करने का अभिप्राय रखता है:

परन्तु ऐसे किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक ऐसे सदस्य को इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्यवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दे दिया जाए।

13. अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए सांख्यिकी का संग्रहण और पोर्टल.- नियोक्ता, केन्द्रीय सरकार को अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों और उनकी उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के विस्तृत आंकड़े केन्द्रीय सरकार या द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रस्तुत करेगा, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

14. सुरक्षा समिति.- (1) पांच सौ या उससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक स्थापन द्वारा एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें नियोक्ताओं और कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से समय-समय पर स्थापनों की विभिन्न श्रेणी के लिए कामगारों की विभिन्न सीमा निर्धारित कर सकती है।

(3) सुरक्षा समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा और यह प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी। परन्तु खानों के मामले में सुरक्षा समिति की बैठक कम से कम एक महीने में एक बार आयोजित की जाएगी।

(4) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त रूप से सूचित किया जाएगा -

(क) कार्यस्थल पर कामगारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम; तथा

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित किए गए कर्मचारियों के कार्य वातावरण और स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण से प्राप्त व्यौरे।

(5) नियोक्ता द्वारा सुरक्षा समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर इन्हें कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाई की जाएगी।

15. सुरक्षा समिति का संघटन.- (1) खान के अलावा, सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) कोई वरिष्ठ अधिकारी जो संगठन में अपने पद से समिति के कार्यकरण में प्रभावपूर्ण योगदान कर सकता है, अध्यक्ष होगा।

(ii) एक सुरक्षा अधिकारी और अहर्ता प्राप्त चिकित्सक जहाँ उपलब्ध हो, तथा सुरक्षा अधिकारी, समिति का सचिव होगा; और

(iii) उत्पादन, अनुरक्षण और खरीद विभागों से एक-एक प्रतिनिधि।

(2) सुरक्षा समिति में नियोक्ता और कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या समान होगी, जो बीस से अधिक नहीं होगी।

(3) सुरक्षा समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा, और यथा संभव वे अधिकारी, अधिमानतः स्थापन के प्रमुख विभागों के प्रमुख होंगे, जो स्थापन के कार्यक्रम से सीधे सम्पर्क में हैं या जुड़े हैं।

(4) सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, नामतः:-

(क) जहां पर एकल वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद है, वहां वार्ताकारी यूनियन, सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगी और वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस रूप में होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन सुरक्षा समिति में औद्योगिक स्थापन के कामगारों की संख्या के अनुपात में, जो ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, प्रतिनिधित्व करेगी;

(ख) जहां पर खंड (क) में उल्लिखित कोई भी एकल वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां पर स्थापन के कामगार अपने बीच में से कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे:

परन्तु नियोक्ता, कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है:

परन्तु और यह कि महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और यह प्रतिनिधित्व स्थापन में नियोजित कामगारों की कुल संख्या में महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि जहां पर कोई भी मान्यताप्राप्त वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद दोनों नहीं है और जहां पर सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, वहां पर मामले को संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) के पास भेजा जाएगा, जो पक्षों को सुनकर मामले का विनिश्चय करेगा और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) परन्तु और यह कि सुरक्षा समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(5) सुरक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड किया जाएगा।

(6) सुरक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (i) 'सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति' में उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करना और सहयोग प्रदान करना;
- (ii) स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवेश से संबंधित सभी मामलों का निपटान करना और आने वाली समस्याओं का व्यवहार्य समाधान निकालना;
- (iii) सभी कामगारों के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूकता का सृजन करना;
- (iv) शैक्षिक, प्रशिक्षण और पदोन्नति संबंधी कार्यकलापों का संचालन;
- (v) सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों, सुरक्षा अंकेक्षणों, जोखिम आकलन, आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं से संबंधित रिपोर्टों पर चर्चा करना और रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन;
- (vi) उन मामलों की देख-रेख करना जो कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और सुधारात्मक उपाय सुझाना; और
- (vii) इसके द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

16. खानों के मामले में सुरक्षा समिति की संरचना.- (1) खानों के मामले में सुरक्षा समिति में नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी, जो बीस से अधिक नहीं होगी।

(2) सुरक्षा समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा, और यथा संभव वे अधिकारी, अधिमानतः खान के प्रमुख विभागों के प्रमुख होंगे, जो खान के कार्यक्रम से सीधे सम्पर्क में हैं या जुड़े हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे;

(क) संहिता की धारा 67 में उल्लिखित प्रबंधक, अध्यक्ष होगा;

(ख) अध्यक्ष द्वारा नामित खान के पांच कर्मचारी या सक्षम व्यक्ति;

(ग) सुरक्षा अधिकारी अथवा जहां सुरक्षा अधिकारी न हो वहां प्रबंधक के बाद सबसे वरिष्ठ खान अधिकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा;

(3) सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, अर्थात:-

(क) जहां पर एकल वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद या वार्ताकारी यूनियन है, सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगी और वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस रूप में होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन सुरक्षा समिति में औद्योगिक स्थापन के कामगारों की संख्या के अनुपात में, जो ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, प्रतिनिधित्व करेगी;

(ख) जहां पर खंड (i) में उल्लिखित कोई भी एकल वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां पर स्थापन के कामगार अपने बीच में से कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करेगी:

परन्तु नियोजित कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है:

परन्तु यह और कि सुरक्षा समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और यह प्रतिनिधित्व नियोजित कामगारों की कुल संख्या में महिला कामगारों के समानुपात से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां पर कोई भी मान्यताप्राप्त वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद दोनों नहीं है और जहां पर सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधि की पसंद के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, वहां पर मामले को संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) के पास भेजा जाएगा, जो पक्षों को सुनकर मामले का विनिश्चय करेगा और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का निर्णय अंतिम होगा।

परन्तु यह और कि कामगारों के प्रतिनिधियों में खनन, इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल संकाय प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि को, जैसा भी मामला हो, नामित/चयनित किया जाएगा।

(ग) सुरक्षा समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

17. सुरक्षा समिति के कार्य- सुरक्षा समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे:-

- (क) समिति की जानकारी में प्रतिनिधि द्वारा लाई गई रिपोर्टों के उल्लेखानुसार खान में असुरक्षित स्थितियों और प्रक्रियाओं के विरुद्ध उपचारात्मक उपायों पर चर्चा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना;
- (ख) खान के किसी नये क्षेत्र में प्रचालनों के आरंभ करने अथवा तेल की खान के संस्थापनों अथवा नये विद्युत अथवा यंत्रिक संस्थापना की कमीशनिंग अथवा नई खनन तकनीक लागू करने से पहले संबंधित प्रक्रिया संहिता सहित प्रस्तावित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों पर विचार करना और उपयुक्त सिफारिशें करना;
- (ग) दुर्घटना, खतरनाक घटनाओं आदि की जांच रिपोर्ट पर चर्चा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना;
- (घ) दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर समुचित सुरक्षा अभियान तैयार और कार्यान्वित करना;
- (ङ) सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर संपर्क के एक मंच के रूप में कार्य करना; और
- (च) खान में विभिन्न संयंत्रों, उपकरणों, संस्थापनाओं और प्रणालियों के लिए तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रियाओं पर चर्चा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना।
- (छ) सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा करना।

18. डॉक कार्यों के लिए सुरक्षा अधिकारी.- डॉक कार्य के प्रत्येक स्थापन में जहां पर पांच सौ या अधिक कामगार हैं, और भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य में जहां दो सौ पचास या अधिक कामगार सामान्य रूप से नियोजित किए जाते हैं वहां पर नियोजित निम्नलिखित मानक के अनुसार सुरक्षा अधिकारी नियोजित करेगा:-

(क) डॉक कार्य के लिए-

- (i) 1000 तक कामगारों के लिए – एक सुरक्षा अधिकारी,
- (ii) 2000 तक कामगारों के लिए – दो सुरक्षा अधिकारी,
- (iii) 5000 तक कामगारों के लिए – तीन सुरक्षा अधिकारी,
- (iv) 10,000 तक कामगारों के लिए – चार सुरक्षा अधिकारी,
- (v) प्रत्येक अतिरिक्त 5000 कामगारों या उसके भाग के लिए – एक सुरक्षा अधिकारी,

(ख) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों के लिए-

- (i) 500 तक कामगारों के लिए – एक सुरक्षा अधिकारी,

- (ii) 1000 तक कामगारों के लिए – दो सुरक्षा अधिकारी,
 - (iii) 2000 तक कामगारों के लिए – तीन सुरक्षा अधिकारी,
 - (iv) 5000 तक कामगारों के लिए – चार सुरक्षा अधिकारी,
 - (v) प्रत्येक अतिरिक्त 2000 कामगारों या उसके भाग के लिए – एक सुरक्षा अधिकारी।
- (2) कोई भी व्यक्ति डॉक कार्य अथवा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह निम्नलिखित धारित न करता हो –
- (क) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त उपाधि और न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए पर्यवेक्षक के रूप में व्यावहारिक अनुभव; अथवा
 - (ख) भौतिकी अथवा रसायन विज्ञान में मान्यता प्राप्त उपाधि और न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए पर्यवेक्षक के रूप में व्यावहारिक अनुभव; अथवा
 - (ग) इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा और पर्यवेक्ष्य हैसियत के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; अथवा
 - (घ) इस संबंध में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा या केंद्रीय श्रम संस्थान या क्षेत्रीय श्रम संस्थानों, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय से औद्योगिक सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- (3) उप-नियम (1) और (2) में निहित बातों के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो –
- (क) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता है और उसके पास केन्द्र या राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग में न्यूनतम पांच वर्षों तक कार्य करने का अनुभव है जो कारखानों, भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों तथा डॉक कार्य का संचालन करता है; अथवा
 - (ख) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता है और उसके पास उद्योग या किसी अन्य संस्थान में दुर्घटना से बचाव के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण, परामर्शी अथवा अनुसंधान में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव है; भी सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

19. डॉक कार्य तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के मामलों में सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व— सुरक्षा अधिकारी का कार्य चोट लगने की व्यक्तिगत घटनाओं को रोकने से संबंधित अपने सांविधिक दायित्वों को पूरा करने और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने हेतु परामर्श और सहायता देनी होगी और ऐसे कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे अर्थात् –

- (क) चोट लगने की वैयक्तिक घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों की आयोजना और ऐसे आयोजन में संबंधित विभागों को परामर्श देना;
- (ख) सभी रोजगार अध्ययनों में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चयनित रोजगारों में विस्तृत रोजगार सुरक्षा अध्ययनों का संचालन करना;
- (ग) चोट लगने की वैयक्तिक घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई की प्रभावकारिता की जांच और मूल्यांकन करना;
- (घ) सुरक्षा संबंधी निरीक्षण कार्यों के संचालन से संबंधित मामलों पर सलाह देना;
- (ङ) कार्य की वास्तविक स्थितियों तथा कामगारों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करने हेतु संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित वास्तविक स्थितियों को समाप्त करने और कामगारों द्वारा किए जाने वाले असुरक्षित कार्यों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में सलाह देना;
- (च) दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं एवं बीमारियों की रिपोर्टिंग और जांच से संबंधित मामलों पर सलाह देना;
- (छ) चयनित दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच करना;
- (ज) संहिता की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध अधिसूचित किए जाने योग्य बीमारियों के मामलों की जांच करना;
- (झ) संबंधित विभागों के साथ मिलकर अभियानों, प्रतिस्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों, जो कार्य की सुरक्षित दशाओं और प्रक्रियाओं की स्थापना करने और बनाए रखने में कामगारों के हित का संवर्धन और अनुरक्षण करेंगे, का आयोजन करना;
- (य) प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति को लगने वाली चोट से बचाव के लिए समुचित प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम तैयार और संचालित करना; और
- (ट) सुरक्षा अधिकारी एक सीमित पृष्ठीय पुस्तक में या पुनर्प्राप्ति योग्य और गैर-संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षा अधिकारी द्वारा किए गए कार्य का एक विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

20. खानों के मामलों में सुरक्षा अधिकारी.— (1) प्रत्येक खान, जिसमें एक सौ या उससे अधिक कामगार सामान्य रूप से नियोजित हैं, में पांच सौ कामगारों की कुल संख्या तक एक सुरक्षा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त पांच सौ कामगारों की संख्या या उसके भाग के लिए एक नियोजित सुरक्षा अधिकारी(यों) करेगा।

(2) सुरक्षा अधिकारी निम्नलिखित योग्यताएं रखेगा अर्थात्-

(क) कोयला खान के मामले में-

- (i) भूमिगत खदानों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) धारित करने वाला व्यक्ति;
- (ii) ओपन कास्ट खदानों के लिए ऐसा व्यक्ति, जो खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) अथवा केवल ओपन कास्ट खदानों तक प्रतिबंधित प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (कोयला) धारित करता हो;

(ख) लौह धातु खानों के मामले में -

- (i) भूमिगत खानों के लिए ऐसा व्यक्ति, जिसके पास खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु) हो,
- (ii) ओपन कास्ट खानों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु) अथवा केवल ओपन कास्ट खानों के लिए सीमित प्रबंधक की सक्षमता का प्रमाण-पत्र (धातु)।

(ग) कोयला और धातु की खानों में, जहां उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री से एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, यदि आवश्यक हो, जो खनन इंजीनियरिंग से सुरक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(घ) तेल की खानों के मामले में सुरक्षा अधिकारी, केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्थान से अभियांत्रिकी अथवा औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री अथवा केन्द्रीय श्रम संस्थान अथवा क्षेत्रीय श्रम संस्थानों, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय से औद्योगिक सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए तेल की खानों में कार्यों के प्रबंधन अथवा पर्यवेक्षण का अनुभव।

21. खानों के मामले में सुरक्षा अधिकारी के दायित्व.— (1) खान में सुरक्षा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह खान में सुरक्षा से संबंधित किसी अन्य मामले में प्रबंधक की सहायता करे; और

(2) सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि एक उपयुक्त आपातकालीन योजना बनाई गई है और उसकी आवश्यकताओं को लागू किया गया है।

(3) आपात स्थिति को छोड़कर, उपनियम (1) और उपनियम (5) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा कोई अन्य कर्तव्य सुरक्षा अधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा।

(4) सुरक्षा अधिकारी एक बाध्य पृष्ठ वाली पुस्तक में या पुनर्प्राप्ति योग्य और गैर-संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखेगा।

(5) इसके अलावा, सुरक्षा अधिकारी के दायित्व निम्नलिखित होंगे -

- (क) कर्मचारियों से यथास्थल पर मिलने और उनसे सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा करने और इस संबंध में उनके सुझाव मांगने के उद्देश्य से खान की सतह, जमीन से ऊपर, भूमिगत भागों, तेल की खान में लगे हुए तेल खानों का दौरा करना;
- (ख) नये भर्ती किए गए कर्मचारियों का प्रभार लेना और उन्हें खान के आस-पास की जगह दिखाना तथा उनके द्वारा खान में कार्य किए जाने के दौरान सुरक्षित और असुरक्षित कार्यों की जानकारी देना;
- (ग) छोटी दुर्घटनाओं सहित खान में सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं, आकस्मिक घटनाओं की जांच करना और उनका विश्लेषण करना ताकि खान में दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं की प्रकृति एवं सामान्य कारणों का पता लगाया जा सके;
- (घ) खान दुर्घटनाओं से संबंधित विस्तृत ब्यौरे रखना और खान में दुर्घटनाओं की प्रकृति एवं सामान्य कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से उनका विश्लेषण करना;

- (ड.) खतरे के सभी संभावित स्रोतों जैसे, आप्लावन, आग, कोयले की राख, तेल की खानों में विस्फोट तथा अन्य कारणों का अध्ययन करना और संहिता की धारा 67 में संदर्भित प्रबंधक को अवगत कराना;
- (च) पर्यवेक्षण कार्य से जुड़े कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी कक्षाओं का आयोजन करना और उन्हें सुरक्षा संबंधी बातें बताना और व्याख्यान देना;
- (छ) खान में सुरक्षा सप्ताहों एवं अन्य सुरक्षा संबंधी शिक्षण एवं प्रचार कार्यक्रम आयोजित करना;
- (ज) इस बात का ध्यान रखना कि सभी संबंधित खान कर्मचारी विभिन्न स्थायी आदेशों, प्रक्रिया संबंधी संहिताओं, सहयोग योजना और इसी प्रकार के अन्य मामलों से पूर्णतः अवगत हैं;
- (झ) व्यावसायिक प्रशिक्षण, गैस परीक्षण में प्रशिक्षण, अग्निशमन तथा प्राथमिक उपचार आदि सहित खान स्तर पर प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करने में सहायता प्रदान करना;
- (ञ) उसके द्वारा खान के विभिन्न भागों का दौरा करने के पश्चात संहिता की धारा 67 में संदर्भित प्रबंधक को यह रिपोर्ट देना कि खान में संहिता के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन हो रहा है या नहीं;
- (ट) आमतौर पर सुरक्षित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और खान में सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सभी उपायों को सक्रिय सहयोग देना और अनुपालन हेतु इन उपायों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

अध्याय V

स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यदशाएं

क. कारखाना

22. सफाई और स्वच्छता:- प्रत्येक कारखाने का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) सभी कार्यस्थलों, कार्य कक्षों, गलियारों, सीढ़ियों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को साफ-सफाई और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाए।
- (ii) दीवारों और छतों की सतहें, जिनमें खिड़कियाँ और रोशनदान शामिल हैं, हमेशा साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर दशा में रखी जाएं।
- (iii) प्रत्येक कार्य कक्ष का फर्श साफ-सुथरा रखा जाए तथा जहाँ तक संभव हो, इसे सूखा और फिसलन रहित रखा जाए।
- (iv) जहाँ गीली कार्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं—

- (क) प्रभावी जल निकासी बनाई रखी जाए;
- (ख) फॉल्स फर्श, प्लेटफार्म, चटाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्थान उपलब्ध कराए जाएं; और
- (ग) ऐसे स्थानों पर काम करते समय उपयोग के लिए कर्मचारों को बिना किसी व्यय के फिसलन रहित फुटवियर और अन्य उपयुक्त सुरक्षा और संरक्षात्मक गियर उपलब्ध कराए जाएं।

(v) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी बार कार्य कक्षों की सफाई की जाए।

(vi) जहाँ तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—

- (क) काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और
- (ख) यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

(vii) जहाँ तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहाँ धूल या अन्य हानिकारक पदार्थों से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।

(viii) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत हर प्रकार के अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

23. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता: प्रत्येक कारखाने का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) कार्यस्थलों में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उपयुक्त वातावरणीय दशाएं बनाए रखी जाएं, ताकि अपर्याप्त वायु आपूर्ति, स्थिर या दूषित वायु, हानिकारक हवाएं, अत्यधिक गर्मी या ठंड, तापमान में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके, तथा जहां व्यावहारिक हो, वहां की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक आर्द्रता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा जा सके।
- (ii) कारखाने के सभी कार्यस्थलों पर धुआं और धूम, भाप और धूल को दूर करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध कराने तथा ज्वलनशील या हानिकारक गैसों को पतला करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे हानिरहित बन सकें।
- (iii) कर्मचारियों को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि कार्य के घंटों में उचित परिवर्तन करना, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुक्त प्रावधान निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- (iv) जहां प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा प्राप्त नहीं की जा सके, या जहां प्रवेश द्वारों के पास असुविधाजनक हवा का प्रवाह बनाए बिना कार्य कक्ष में वांछित मात्रा में हवा पहुंचाना कठिन होता है, वहां यांत्रिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए।
- (v) जहां कार्य की प्रकृति के कारण स्थानीय तापन उपकरण कार्य कक्षों में स्थापित कराना आवश्यक हो, वहां कमरे में उपकरण का लेआउट ऐसा होगा कि ज्वलनशील गैसों को कमरे के वातावरण में प्रवेश करने से रोका जा सके।
- (vi) कार्य कक्षों में किए जाने वाले कार्य के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखा जाए तथा कर्मचारियों के आराम के लिए आर्द्रता की मात्रा बनाए रखी जाए।
- (vii) जहां कार्य की प्रकृति के कारण अत्यधिक उच्च तापमान उत्पन्न किया जाता है, वहां सभी कर्मचारियों को उपकरण के तापरोधी इन्सुलेशन द्वारा या अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा ताप विकिरण और भाप या गर्म पानी के पाइप या अन्य गर्म सतहों के कारण उत्पन्न अत्यधिक तापमान से सुरक्षित किया जाएगा।

24. धूल, हानिकारक गैस, धुआं और अन्य अशुद्धियों से बचाव के लिए सावधानी - प्रत्येक कारखाने का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) जहां कहीं भी ज्वलनशील धुएं, गैसों, धुंध, वाष्प या अवशेषों को हटाने के लिए निकास प्रणालियां स्थापित करने की आवश्यकता हो, उन्हें किसी अन्य वेंटिलेशन प्रणाली से नहीं जोड़ा जाए या ज्वलनशील गैसों को ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली चिमनी या फ्लू में नहीं छोड़ा जाए।
- (ii) जब निकास प्रणालियों से निकलने वाले धुएं, गैसों, धुंध, वाष्प, धूल और अन्य स्राव से कर्मचारियों या पड़ोस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या वे हानिकारक हों, तो निकास को एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा जो विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय कर दे, संक्रामक पदार्थों को जीवाणुरहित कर दे और धुएं, गैसों, धुंध या वाष्प को दुर्गन्धमुक्त कर दे।
- (iii) किसी भी कर्मकार से किसी कार्यस्थल या परिरूद्ध स्थान में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं होगी अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वहां उपस्थित हानिकारक गैस, धुएं, वाष्प या धूल के स्तर को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाते हैं।

25. कृत्रिम आर्द्रिकरण- प्रत्येक कारखाने का नियोक्ता, जिसमें वायु की आर्द्रता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती, यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) यदि कर्मचारियों को अपने सभी या कुछ कार्यों में अत्यधिक गर्मी और उच्च आर्द्रता का सामना करना पड़ता है, और खतरे को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिमों का आकलन किया जाएगा और खतरे या जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक नियंत्रण लागू किए जाएंगे।
- (ii) उपर्युक्त जोखिम मूल्यांकन में खतरनाक पदार्थों के विरुद्ध उपयुक्त सुरक्षात्मक वस्त्रों के उपयोग को ध्यान में रखा गया है, जो तापीय दबाव के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, तथा यह भी कि श्वसन रक्षक असुविधाजनक होते हैं तथा अत्यधिक गर्म कार्य वातावरण में इनके उपयोग की संभावना कम होती है।
- (iii) जहां जोखिम का एक हिस्सा काम के दौरान उत्पन्न मेटाबोलिक गर्मी या धूप और उच्च बाहरी वायु तापमान के सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है, और जब ऐसे जोखिम को समाप्त करने के अन्य तरीके अव्यावहारिक हैं, तो कर्मकार को ठीक होने का अवसर देने के लिए, संपर्क में आए कर्मचारियों के लिए एक कार्य-आराम चक्र, अधिमानतः एक छायादार, वातानुकूलित या ठंडे विश्राम स्थान में प्रदान किया जाएगा।

- (iv) हाईड्रेशन बनाए रखने के लिए, जहां उपयुक्त हो, उचित इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ पर्याप्त मात्रा में पेयजल आसानी से सुलभ स्थानों पर उपलब्ध कराया जाए।
- (v) जहां व्यावहारिक नियंत्रण उपाय करने के बाद भी तापीय दबाव का जोखिम बना रहे, वहाँ कर्मचारों की पर्याप्त निगरानी की जानी चाहिए ताकि लक्षण दिखाई देने पर उन्हें गर्म और आर्द्र दशाओं से दूर रखा जा सके। साथ ही, प्राथमिक उपचार सुविधाएँ उपलब्ध हों और कर्मचारों को ऐसी सुविधाओं के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया हो।
- (vi) अत्यधिक गर्म और आर्द्र दशाओं में काम करने वाले कर्मचारों को निम्नलिखित निर्देश और प्रशिक्षण दिया जाए:
 - (क) उन लक्षणों को पहचानना जो स्वयं में या दूसरों में तापीय दबाव का कारण बन सकते हैं, तथा आरंभिक और/या आपात स्थितियों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम; और
 - (ख) उच्च तापमान या आर्द्रता के कारण दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई।
- (vii) वायु की सापेक्षिक आर्द्रता निर्धारित करने के लिए जांच की जाए और उन्हें रिकार्ड किया जाए और यदि वायु का आर्द्रता स्तर कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया जाता है, तो इसे कृत्रिम रूप से इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि आर्द्रता और तापमान से कर्मचारियों को असुविधा न हो और इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी सार्वजनिक आपूर्ति या पेयजल के अन्य स्रोत से लिया जाए या उपयोग करने से पहले उसे परिशुद्ध किया जाए।
- (viii) आर्द्रता और तापमान के मापन और रिकॉर्डिंग के लिए उचित स्थान पर उपकरण उपलब्ध कराए जाए और उनका रखरखाव किया जाए।

ख. खान

26. सफाई और स्वच्छता: प्रत्येक खान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) सभी कार्यस्थलों, कार्य कक्षों, गलियारों, सीढ़ियों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाए।
- (ii) दीवारों और छतों की सतहें, जिनमें खिड़कियाँ और रोशनदान शामिल हैं, हमेशा साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर दशा में रखी जाएं।
- (iii) प्रत्येक कार्य कक्ष का फर्श साफ-सुथरा रखा जाए तथा जहां तक संभव हो, इसे सूखा और फिसलन रहित रखा जाए।
- (iv) जहाँ गीली कार्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं—
 - (क) प्रभावी जल निकासी बनाई रखी जाए;
 - (ख) फॉल्स फर्श, प्लेटफार्म, चटाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्थान उपलब्ध कराए जाएं; और
 - (ग) ऐसे स्थानों पर काम करते समय उपयोग के लिए कर्मचारियों को बिना किसी व्यय के फिसलन रोधी जूते और अन्य उपयुक्त सुरक्षा और संरक्षात्मक गियर उपलब्ध कराए जाएं।
- (v) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी बार कार्य स्थलों की सफाई की जाए।
- (vi) जहां तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—
 - (क) काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और
 - (ख) यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।
- (vii) जहां तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहां धूल या अन्य हानिकारक पदार्थों से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।
- (viii) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत हर प्रकार के अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

27. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता:- प्रत्येक भूमिगत खान का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) कार्यस्थलों में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उपयुक्त वातावरणीय दशाएं बनाए रखी जाएं, ताकि अपर्याप्त वायु आपूर्ति, स्थिर या दूषित वायु, हानिकारक हवाएं, अत्यधिक गर्मी या ठंड, तापमान में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके, तथा जहां व्यावहारिक हो, वहां की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक आर्द्रता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा जा सके।
- (ii) खान के सभी कार्यस्थलों पर धुआं, धूम, भाप और धूल को दूर करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध कराने तथा ज्वलनशील या हानिकारक गैसों को पतला करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे हानिरहित बन सकें।
- (iii) कर्मचारियों को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि कार्य के घंटों में उचित परिवर्तन करना, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुक्त प्रावधान उपलब्ध कराना।
- (iv) जहां प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा प्राप्त नहीं की जा सके, या जहां प्रवेश द्वारों के पास असुविधाजनक हवा का प्रवाह बनाए बिना कार्य कक्षों में वांछित मात्रा में हवा पहुंचाना कठिन होता है, वहां यांत्रिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए।
- (v) खानों की सतह पर स्थित प्रत्येक कार्यस्थल पर, किए जाने वाले कार्य के प्रकार के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखा जाए तथा कार्य के प्रकार और बाहरी तापमान और आर्द्रता के अनुसार आर्द्रता की मात्रा बदलती रहे।
- (vi) वायु की मात्रा, तापमान और आर्द्रता का मापन नियमित रूप से लिया जाए और प्रत्येक वायु मापन स्टेशन पर प्रविष्टियों को अद्यतन किया जाए।

28. धूल, हानिकारक गैस, धुआं और अन्य अशुद्धियों से बचाव के लिए सावधानी: प्रत्येक भूमिगत खानों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (i) किसी भी कार्यस्थल पर हवा में प्रवेश करने वाली किसी भी गैस, धुएं, वाष्प या धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों का श्वसन योग्य धूल, गैस, धुएं या वाष्प के संपर्क में आना एक सीमा तक सीमित है जो उचित रूप से व्यावहारिक है, लेकिन किसी भी मामले में, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सीमाओं से अधिक नहीं है।
- (ii) किसी भी कर्मचारी को किसी कार्यस्थल या सीमित स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए, जब तक कि वहां उपस्थित किसी भी हानिकारक गैस, धुएं, वाष्प या धूल को हटाने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय नहीं कर लिए जाएं, ताकि उनका स्तर अनुमेय सीमा के भीतर लाया जा सके।

29. कृत्रिम आर्द्रीकरण: प्रत्येक भूमिगत खान का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) किसी भूमिगत खान या उसके किसी भाग के संबंध में, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता निर्धारित करने के लिए परीक्षण किए जाएं और उन्हें रिकार्ड किया जाए और यदि वायु का आर्द्रता स्तर कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया जाता है, तो उसे कृत्रिम रूप से इस प्रकार विनियमित किया जाए कि आर्द्रीकरण और तापमान से कर्मचारियों को कोई असुविधा न हो;
- (ii) इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जल सार्वजनिक आपूर्ति या पेयजल के अन्य स्रोत से लिया जाता है या उपयोग करने से पहले शुद्ध किया जाए।
- (iii) उपयुक्त स्थानों पर आर्द्रता और तापमान के मापन और रिकॉर्डिंग के लिए उपकरण मालिक द्वारा उपलब्ध कराए जाएं और उनका रखरखाव किया जाए।
- (iv) कर्मचारियों को उन लक्षणों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाए जो गर्मी के तनाव का कारण बन सकते हैं।

ग. भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य

30. सफाई और स्वच्छता:- प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मचारियों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) प्रत्येक भवन या अन्य निर्माण कार्य स्थल को उसके परिसर और परिवेश सहित स्वच्छ रखा जाए और स्वच्छ और स्वास्थ्य परक स्थिति में बनाए रखा जाए।

- (ii) सामग्री और उपकरणों के उचित भंडारण के लिए जगह प्रदान की जाए।
- (iii) स्क्रेप, अपशिष्ट और मलबे को उचित अंतराल पर हटा दिया जाए।
- (iv) खुली सामग्री जो उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है, उसे साइट पर नहीं रखा जाए या जमा होने की अनुमति नहीं दिया जाए ताकि कार्यस्थलों और मार्गों तक पहुंच और निकास के साधनों में बाधा उत्पन्न न हो।
- (v) फिसलन वाले कार्यस्थलों और मार्गों को साफ किया जाए या रेत, बुरादा, राख या इसी तरह की सामग्री डाली जाए।
- (vi) जहां भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों के दौरान फर्श गीला हो जाता है, वहां प्रभावी जल निकासी बनाए रखी जाए, सूखी और फिसलन रहित स्थिति में रखी जाए और कर्मचारियों को उपयुक्त एंटी-स्किड जूते निशुल्क प्रदान किए जाए।
- (vii) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत हर प्रकार के कचरे के दैनिक संग्रह, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

31. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता: प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) जहां किसी कर्मचारी को किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक खतरे के संपर्क में आने की संभावना होती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो वहां इस तरह के जोखिम के खिलाफ उचित निवारक उपाय किए जाए।
- (ii) ऊपर पैराग्राफ 1 में उल्लिखित निवारक उपायों में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा:
 - (क) जहां भी संभव हो, हानिरहित या कम खतरनाक पदार्थों द्वारा खतरनाक पदार्थों का प्रतिस्थापन; अथवा
 - (ख) संयंत्र, मशीनरी, उपकरण या प्रक्रिया पर लागू तकनीकी उपाय; अथवा

जहां ऊपर दिए गए उप नियम (ii) का अनुपालन करना संभव नहीं है, वहां व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़ों के उपयोग सहित अन्य प्रभावी उपाय निःशुल्क प्रदान किए जाएं।
- (iii) जहां कर्मचारियों को किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की अपेक्षित हो जिसमें एक जहरीला या हानिकारक पदार्थ मौजूद हो या जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या एक ज्वलनशील वातावरण हो वहां खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं।
- (iv) जब भी गर्मी का दबाव, ठंड या गीली स्थिति ऐसी हो कि वे स्वास्थ्य की हानि या अत्यधिक असुविधा का कारण बन सकती हो, तो वहां निवारक उपाय किए जाएं, जैसे:
 - (क) केबिन और कमांड या ड्राइविंग ऑपरेशन के कर्मचारियों के विशेष संबंध में कार्यभार और वर्कस्टेशन का उचित डिजाइन;
 - (ख) विकारों के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण;;
 - (ग) उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों तथा कपड़ों की आपूर्ति;
 - (घ) नियमित चिकित्सा निगरानी;
 - (ङ) पेयजल और इलैक्ट्रोलाइट
- (v) भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल के सभी कार्य स्थलों पर धुएं और धूम, भाप और धूल को दूर करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन, ज्वलनशील या हानिकारक गैसों को पतला करने के लिए ताकि उन्हें हानिरहित बनाया जा सके, पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त हवा प्रदान करने और तापमान या आर्द्रता की ऐसी अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए जो उसमें कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं;

- (vi) जहाँ भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल में किए गए कार्य की प्रकृति अत्यधिक उच्च तापमान का होना शामिल है या होने की संभावना है, वहाँ कर्मचारियों की रक्षा के लिए व्यवहारिक पर्याप्त उपाय किए जाएं, इसके लिए कार्यस्थल से उस प्रक्रिया को अलग किया जाए जो इस तरह के तापमान पैदा करती हो, गर्म भागों को इन्सुलेट करा जाए या अन्य प्रभावी तरीकों को अपनाया जाए।
- (vii) जहाँ जोखिम का कुछ हिस्सा काम के दौरान पैदा हुई शारीरिक गर्मी से, या सीधे धूप और बाहर के उच्च तापमान के कारण होता है, और जहाँ जोखिम को खत्म करने के अन्य तरीके व्यावहारिक नहीं हैं, वहाँ प्रभावित कामगारों के लिए काम और आराम का एक चक्र निर्धारित किया जाएगा। यह आराम अधिमानतः किसी छायादार और ठंडी जगह पर होना चाहिए ताकि कामगार थकान से उबर सके।
- (viii) हवा की मात्रा, तापमान और आर्द्रता का मापन नियमित रूप से लिया जाए और प्रत्येक वायु माप स्टेशन पर प्रविष्टियों को अद्यतित किया जाए।
- (ix) सुरंग में वेंटिलेशन की निम्न व्यवस्था हो: -
 - (क) प्रदूषकों को हटाना (वाहनों की निकास गैसों, धुआं नष्ट करना, धूल) और भूमिगत भवन या अन्य निर्माण कार्य स्थलों में कार्य बल की आवश्यक भौतिक गतिविधियों के अनुसार जलवायु स्थिति (तापमान, आर्द्रता) की स्थापना और रखरखाव।
 - (ख) परियोजना की जटिलता के आधार पर एक विशिष्ट साइट के लिए वेंटिलेशन सिस्टम का विकल्प (सुरंग की लंबाई और व्यास, सिंगल या डबल बोर, शीतलन आवश्यकताएं, मध्यवर्ती मल्टीफ़ंक्शन स्टेशन, आदि)
 - (ग) प्राकृतिक या कृत्रिम वेंटिलेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि काम की प्रकृति और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रति व्यक्ति और प्रति घंटे पर्याप्त मात्रा में ताजी या शुद्ध हवा को एक क्षेत्र में प्रदान किया जा सके।
 - (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं कि संलग्न परिसरों में हवा में उपयुक्त हाइग्रोमेट्रिक स्तर बनाए रखा जाए।
 - (ङ) सुरंग स्थल पर निम्नलिखित उपकरण होना: -
 - (I) ऑक्सीजन स्तर मापने वाले उपकरण,
 - (II) ज्वलनशील गैसों को मापने वाले उपकरण लगा होना,
 - (III) तापमान मापने का उपकरण,
 - (IV) धूल सांद्रता मापने वाले उपकरण और
 - (V) जहरीली गैस मापने का उपकरण।
- (च) उन स्थानों पर स्थित सभी एयर कंप्रेसर्स के लिए वायु आपूर्ति इंटेक पॉइंट जहाँ इस तरह का इंटेक हवा धूल, धुएं, वाष्प और निकास गैसों या अन्य दूषित पदार्थों से दूषित नहीं होती है।

32. धूल, हानिकारक गैस, धुएं और अन्य अशुद्धियों के लिए सावधानियां:- प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) किसी भी गैस, धुएं, वाष्प या धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक कदम जो किसी भी कार्यस्थल पर हवा में प्रवेश कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों का श्वसन धूल, गैस, धुएं या वाष्प के संपर्क में एक सीमा तक सीमित हो जो यथोचित रूप से व्यावहारिक है, लेकिन किसी भी मामले में, उन सीमाओं से अधिक नहीं है जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।

- (ii) किसी भी कर्मकार से किसी कार्यस्थल या परिरूद्ध स्थान में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं होगी अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वहां उपस्थित हानिकारक गैस, धुएं, वाष्प या धूल के स्तर को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाते हैं।

घ. बीड़ी और सिगार कार्य

33. सफाई और स्वच्छता:- बीड़ी और सिगार विनिर्माण के लिए प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) प्रत्येक उद्योग इसके परिसर और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ और साफ स्थिति में रखा गया है।
- (ii) दीवारों और छतों की सतहें, जिनमें खिड़कियाँ और रोशनदान शामिल हैं, हमेशा साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर दशा में रखी जाएं।
- (iii) प्रत्येक कार्य कक्ष का फर्श साफ-सुथरा रखा जाए तथा जहां तक संभव हो, इसे सूखा और फिसलन रहित रखा जाए।
- (iv) जहाँ गीली कार्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं—
 - क. प्रभावी जल निकासी बनाई रखी जाए;
 - ख. फॉल्स फर्श, प्लेटफार्म, चटाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्थान उपलब्ध कराए जाएं; और
 - ग. ऐसे स्थानों पर काम करते समय उपयोग के लिए उपयुक्त फिसलनरोधी जूते कर्मकारों को बिना किसी व्यय के उपलब्ध कराए जाएं।
- (v) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी बार कार्य कक्षों की सफाई की जाए।
- (vi) जहां तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—

क. काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और

ख. यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

- (vii) प्रभावी पर्यवेक्षण के अधीन हर प्रकार के अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

34. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता: प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) कार्यस्थलों में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उपयुक्त वातावरणीय दशाएं बनाए रखी जाएं, ताकि अपर्याप्त वायु आपूर्ति, स्थिर या दूषित वायु, हानिकारक हवाएं, अत्यधिक गर्मी या ठंड, तापमान में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके, तथा जहां व्यावहारिक हो, वहां की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक आर्द्रता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा जा सके।
- (ii) कर्मचारियों को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि कार्य के घंटों में उचित परिवर्तन करना, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुक्त प्रावधान निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- (iii) जहां प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा प्राप्त नहीं की जा सके, या जहां प्रवेश द्वारों के पास असुविधाजनक हवा का प्रवाह बनाए बिना कार्य कक्ष में वांछित मात्रा में हवा पहुंचाना कठिन होता है, वहां यांत्रिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए।

35. धूल से बचाव के लिए सावधानी - प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मकार से किसी कार्यस्थल या परिरूद्ध स्थान में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं होगी अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वहां उपस्थित धूल के कणों के स्तर को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाते हैं।

ड. मोटर परिवहन कार्य

36. सफाई और स्वच्छता:- प्रत्येक मोटर परिवहन कंपनी के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

- (i) सभी कार्यस्थलों, कार्य कक्षों, गलियारों, सीढ़ियों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाए।

- (ii) दीवारों और छतों की सतहें, जिनमें खिड़कियाँ और रोशनदान शामिल हैं, हमेशा साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर दशा में रखी जाएं।
- (iii) प्रत्येक कार्य कक्ष का फर्श, जहाँ तक संभव हो, साफ-सुथरा रखा जाए तथा इसे सूखा और फिसलन रहित रखा जाए।
- (iv) जहाँ गीली कार्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं—

- (क) प्रभावी जल निकासी बनाई रखी जाए;
- (ख) फॉल्स फर्श, प्लेटफार्म, चटाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्थान उपलब्ध कराए जाएं; और
- (ग) काम करते समय इस्तेमाल के लिए उपयुक्त फिसलनरोधी जूते तथा अन्य उपयुक्त सुरक्षात्मक तथा उपयोगात्मक सुरक्षात्मक गियर जहाँ भी इनकी आवश्यकता हो, कर्मकारों को बिना किसी व्यय के उपलब्ध कराए जाएं।

(v) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी बार कार्य कक्षों की सफाई की जाए।

(vi) जहाँ तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—

- (क) काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और
- (ख) यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

(vii) जहाँ तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहाँ धूल या अन्य हानिकारक पदार्थों से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।

(viii) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

37. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता.- प्रत्येक मोटर परिवहन कंपनी का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) कार्यस्थलों में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उपयुक्त वातावरणीय दशाएं बनाए रखी जाएं, ताकि अपर्याप्त वायु आपूर्ति, स्थिर या दूषित वायु, हानिकारक हवाएं, अत्यधिक गर्मी या ठंड, तापमान में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके, तथा जहाँ व्यावहारिक हो, वहाँ की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक आर्द्रता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा जाए सके।
- (ii) मोटर परिवहन कंपनी के सभी कार्यस्थलों पर धुआँ और धूम, भाप और धूल को दूर करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध कराने तथा ज्वलनशील या हानिकारक गैसों को पतला करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे हानिरहित बन सकें।
- (iii) कर्मचारियों को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि कार्य के घंटों में उचित परिवर्तन करना, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुक्त प्रावधान निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- (iv) जहाँ प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा प्राप्त नहीं की जा सके, या जहाँ प्रवेश द्वारों के पास असुविधाजनक हवा का प्रवाह बनाए बिना कार्य कक्ष में बांछित मात्रा में हवा पहुंचाना कठिन होता है, वहाँ यांत्रिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए।

38. धूल, हानिकारक गैस, धुआँ और अन्य अशुद्धियों से बचाव के लिए सावधानी - प्रत्येक मोटर परिवहन कंपनी का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) ज्वलनशील धुआँ, गैसों, कोहरे, वाष्प या अवशेषों को हटाने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम को किसी अन्य वेंटिलेशन सिस्टम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए या इसे दहन गैसों को ले जाने वाले चिमनी या फ्ल्यू में नहीं निकाला जाए।
- (ii) जब निकास प्रणालियों से निकलने वाले धुआँ, गैसों, धुंध, वाष्प, धूल और अन्य स्राव से कर्मचारियों या पड़ोस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या वे हानिकारक हों, तो निकास को एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से किया जाए जो विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय कर दे, संक्रामक पदार्थों को जीवाणुरहित कर दे और धुआँ, गैसों, धुंध या वाष्प को दुर्गन्धमुक्त कर दे।
- (iii) किसी भी कर्मकार से किसी कार्यस्थल या परिरुद्ध स्थान में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं लकी जाए अथवा अनुमति नहीं दी जाए,

जब तक कि वहां उपस्थित हानिकारक गैस, धुएं, वाष्प या धूल के स्तर को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाएं।

च. डॉक कार्य

39. सफाई और स्वच्छता :- प्रत्येक डॉक का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) जहाज अथवा डॉक में वे सभी स्थान जहाँ डॉक कार्य किए जाते हैं और जहाँ डॉक कामगारों को नियोजित किया जाता है, उन्हें साफ रखा जाए और स्वच्छ अवस्था में बनाए रखा जाए।
- (ii) सभी मार्गों और कार्यस्थलों को उन वस्तुओं और सामग्रियों से मुक्त रखा जाए जो किसी व्यक्ति के ठोकर खाने या फिसलने का कारण बन सकती हैं।
- (iii) लूज गीयर/सामान, औज़ार और इसी प्रकार के उपकरण प्रयोग में न होने पर सुरक्षित रूप से रखे जाएं अथवा कार्यस्थल से हटा दिए जाएं।
- (iv) तेल या अन्य किसी सामग्री का फैलाव, जो खतरा उत्पन्न कर सकता है, प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में यथाशीघ्र साफ किया जाए।"
- (v) जहाँ भी आवश्यक हो, कार्य के दौरान प्रयोग हेतु उपयुक्त फिसलन-रोधी जूते कामगारों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं।"
- (vi) जहाँ फर्श के गीले होने की संभावना हो, वहाँ प्रभावी जल-निकासी की व्यवस्था रखी जाए, फर्श को सूखा और फिसलन-रहित अवस्था में बनाए रखा जाए तथा कामगारों को उपयुक्त जूते निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं।"
- (vii) सभी संयंत्र और उपकरण प्रयोग में न होने पर निर्धारित स्थानों पर ही खड़े किए जाएं।"
- (viii) जहां तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहां धूल या अन्य हानिकारक पदार्थों से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।
- (ix) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत कचरे के दैनिक संग्रह, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

40. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता: प्रत्येक डॉक कार्य का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि हर डॉक की प्रत्येक इमारत, घेरे, रीफर होल्ड, चैम्बर या रीफर कंटेनर में, जहाँ डॉक कामगार कार्यरत हैं, प्रभावी और उपयुक्त प्रावधान किए जाएं। इसके तहत पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाएगा और तापमान व वायु संचार को इस प्रकार बनाए रखा जाएगा जिससे आराम की उचित स्थिति प्राप्त हो सके और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके।

41. धूल, हानिकारक गैस, धुएं और अन्य अशुद्धियों के विरुद्ध एहतियात:- प्रत्येक डॉक का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (i) जब भी किसी डॉक कामगार को किसी होल्ड, इंटरमीडिएट डेक, सीमित स्थान या किसी अन्य कार्यस्थल में प्रवेश करने की आवश्यकता हो, जहाँ न तो प्राकृतिक वेंटिलेशन और न ही यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली किसी गैस, धुएं, वाष्प या धूल की मात्रा को अनुमेय सीमा से नीचे रखने के लिए पर्याप्त है, तो स्वास्थ्य खतरों से बचने के लिए उचित आकार का मैनहोल या निकास के अन्य प्रभावी साधन प्रदान किए जाएंगे।
- (ii) किसी भी डॉक कामगार को जहाज के किसी ऐसे होल्ड या टैंक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें धूल, धुआं या अन्य अशुद्धियाँ ऐसी प्रकृति या मात्रा में हों जिससे कामगारों को चोट पहुँचने या परेशानी होने की संभावना हो; अथवा जिसमें विस्फोटक, जहरीले, हानिकारक या गैसीय माल ले जाया या संग्रहित किया गया हो; अथवा जिसमें शुष्क बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेट के रूप में किया गया हो; अथवा जिसे धूमीकृत किया गया हो; या जहाँ ऑक्सीजन की कमी की संभावना हो। जब तक कि धूल, धुएं या अन्य अशुद्धियों और खतरों को दूर करने तथा उनके पुनः प्रवेश को रोकने के लिए सभी व्यावहारिक कदम न उठा लिए गए हों, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे होल्ड या टैंक को डॉक कामगारों के प्रवेश के लिए सुरक्षित और उपयुक्त प्रमाणित न कर दिया गया हो, तब तक प्रवेश वर्जित होगा।
- (iii) जब डॉक कामगारों को अनाज, उर्वरक, सीमेंट और इसी तरह के थोक माल को संभालने के दौरान भारी मात्रा में धूल का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।

छ. बागान**42. सफाई और स्वच्छता.-** प्रत्येक बागान का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) सभी कार्यस्थलों, गलियारों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाए।
- (ii) प्रत्येक कार्य कक्ष की फर्श और दीवारें साफ और जहाँ तक हो सके, सूखी और फिसलन रहित स्थिति में रखी जाएँ।
- (iii) सेवा कक्षों की सफाई कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी बार आवश्यक हो, उतनी बार की जाए।
- (iv) जहाँ तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—

(क) काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और

(ख) यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

(v) जहाँ तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहाँ कीटनाशक, कीटानुनामक, रसायन और जहरीले पदार्थ से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।

(vi) प्रभावी पर्यवेक्षण के अधीन प्रत्येक प्रकार के अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

43. धूल, हानिकारक गैस, धुआँ और अन्य अशुद्धियों से सावधानी.- प्रत्येक बागान नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (i) बागान में मौजूद धूल को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएँ, क्योंकि यह कर्मकारों के लिए हानिकारक हो सकती है।
- (ii) कीटनाशक, कीटानुनाशक, रसायन और जहरीले पदार्थों को संभालने, मिलाने, घोलने, छिड़काव या इस्तेमाल करने में लगे प्रत्येक कर्मगार को सुरक्षात्मक कपड़े और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) निःशुल्क दिए जाएँ।
- (iii) उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े ऐसे मटेरियल से बने हों जो किसी भी तरह के कीटनाशक, कीटानुनाशक, रसायन और जहरीले पदार्थ को अंदर न जाने दें। ये कपड़े धोने योग्य हों ताकि प्रत्येक इस्तेमाल के बाद हानिकारक तत्व निकल जाएँ; उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़ों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) हैट के साथ सुरक्षात्मक बाहरी कपड़ा;

(ख) रबर के दस्ताने या ऐसे अन्य सुरक्षात्मक दस्ताने जो कलाई तक हों और जो तरल पदार्थ को अंदर न जाने दें;

(ग) धूल से बचाव वाले चश्मे;

(घ) रबर के जूते;

(ङ.) दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कपड़े के मास्क।

(iv) जब तक कीटनाशक, कीटानुनाशक, रसायन और जहरीले पदार्थों की बदबू पूरी तरह खत्म न हो जाए और उनका स्तर अनुमत सीमा के अंदर न आ जाए, तब तक किसी भी कर्मकार को किसी काम की जगह या बंद जगह में जाने की अनुमति नहीं होगी।

ज. स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यदशा हेतु सामान्य नियम

44. पेयजल:- प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य, बागान के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि: -

- (i) कार्यस्थल में सभी कर्मचारियों के लिए स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए तथा यह सुलभता से उपलब्ध हो।

(ii) पाइप द्वारा आपूर्ति के अतिरिक्त पेयजल की किसी भी आपूर्ति को उपयुक्त पात्रों में रखा जाए, जिन पर हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में स्पष्ट रूप से चिह्न अंकित या प्रदर्शित किया जाए, ताकि यह दर्शाया जा सके कि जल पीने के लिए सुरक्षित है और ऐसी आपूर्ति को प्रतिदिन भरा जाए तथा जल और पात्रों को संदूषण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं;

(iii) जहां पानी राईजिंग जेट द्वारा दिया जाता है, वहां को छोड़कर, सामान्य पीने के गिलास या कप का उपयोग निषिद्ध है।

(iv) जहां जल पीने के लिए असुरक्षित है, वहां इसका उल्लेख हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में किया जाना चाहिए, जिसे अधिकांश कर्मकार समझते हों।

परंतु भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों के मामले में, प्रत्येक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(क) सामान्य उपयोग के लिए पीने का पानी केवल बंद पात्रों में संग्रहित किया जाए, जिनसे नलों के माध्यम से पानी निकाला जाता हो।

(ख) यदि पीने का पानी कार्यस्थल तक पहुँचाना हो, तो परिवहन टैंक, भंडारण टैंक और पानी निकालने वाले पात्र को नियमित अंतराल पर साफ और कीटाणुरहित किया जाए।

(ग) पीने के पानी की आपूर्ति को कभी भी ऐसे पानी की आपूर्ति से नहीं जोड़ा जाएगा जो पीने के लिए अनुपयुक्त हो।

45. अतिभीड़ - प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

(i) किसी भी भवन में फर्श (या गोदी के काम के मामले में कोई भी गोदी क्षेत्र, घाट, जेटी) पर मशीनरी इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह कर्मकारों के लिए खतरनाक हो, या सामग्री या उत्पादों से इतनी अधिक भरी हुई न हो कि वह उनके लिए खतरा बन जाए।

(ii) सामान्य परिचालन, समायोजन, साधारण मरम्मत, आपूर्ति की गई, प्रक्रियाधीन या पूर्ण हो चुकी सामग्रियों के लिए व्यक्तिगत मशीनों या प्रक्रिया इकाइयों के चारों ओर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाए।

(iii) परिसर में किसी भी स्थान पर, जहां कर्मकारों को काम करना हो या किसी भी कारण से एकत्र होना हो, वहां अतिभीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त उपबंध किए जाएं, जिनमें शामिल हैं:

(क) सभी कार्य क्षेत्रों में अतिभीड़ से संबंधित खतरों को दर्शाने वाले संकेतों या प्रतीकों का डिजाइन और उपयोग (अंग्रेजी या हिंदी या स्थानीय भाषा में), जिसमें किसी भी समय ऐसे स्थानों पर काम करने के लिए अनुमत कर्मकारों की संख्या अधिसूचित की गई हो;

(ख) यानों और पैदल यात्रियों के रास्तों को अलग-अलग रंगों से चिह्नित अवरोधों का उपयोग करके अलग रखा जाए।

(ग) यानों की तैनाती को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए और अतिभीड़ से बचा जाए।

परंतु खंड (i) और (ii) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी एवं सिगार कर्मकारों के मामले में लागू नहीं होंगे तथा उप-नियम (2) मोटर परिवहन उपक्रम पर लागू नहीं होगा।

46. प्रकाश (प्रदीप्त) - प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य, बागान के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

(i) स्थापन में सभी स्थानों, जिनमें उपयोगिता सेवाओं से संबंधित सभी सुविधाएँ शामिल हैं, जहाँ कर्मचारी काम करते हैं या गुजरते हैं, या जिन्हें आपात स्थिति में काम करना या गुजरना पड़ सकता है, में उपयोग के समय पर्याप्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, या दोनों उपलब्ध हैं, जो संचालन और किए जा रहे विशेष प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त हैं। जहाँ भी संभव हो, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था की जाए।

(ii) कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था तब प्रदान की जाए या व्यवस्थित की जाए जब दिन का प्रकाश कम हो या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ दिन का प्रकाश अपर्याप्त हो।

(iii) प्रत्येक कार्यस्थल पर, जहाँ कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के विफल होने की स्थिति में कर्मकारों को जोखिम का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर्याप्त क्षमता की स्वचालित आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिसके ऊर्जा स्रोत सामान्य प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों के लिए स्थापित उपकरणों से स्वतंत्र होने चाहिए।

परंतु बागान कर्मकारों के मामले में, खंड (i) लागू नहीं होगा।

परंतु कि भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों के मामले में, केवल खंड (iii) लागू होगा और साथ ही नीचे दिए गए नियम भी लागू होंगे:-

(क) भवन या अन्य निर्माण कार्य स्थल के प्रत्येक कार्यस्थल के निकट, जिसमें उपयोगिता सेवाओं के लिए सभी सुविधाएं शामिल हैं, प्रत्येक कार्यस्थल और निर्माण स्थल पर किसी भी अन्य स्थान पर जहां कर्मचारी को आना-जाना पड़ सकता है, पर्याप्त और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, जिसमें आवश्यकतानुसार वहनीय प्रकाश व्यवस्था भी शामिल है, उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) जहां प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां प्रत्येक कार्यस्थल और निर्माण स्थल पर किसी भी अन्य स्थान पर जहां कर्मचारी को आना-जाना पड़ सकता है, पर्याप्त और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, जिसमें आवश्यकतानुसार वहनीय प्रकाश व्यवस्था भी शामिल है, उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, जहां तक संभव हो, चकाचौंध या परेशान करने वाली छाया उत्पन्न नहीं करेगी।

(घ) जहां खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो, लैंपों को आकस्मिक टूटने से बचाने के लिए उपयुक्त सुरक्षा आवरणों से सुरक्षित किया जाएगा।

(ङ) वहनीय विद्युत प्रकाश उपकरणों के केवल बिजली की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आकार और विशेषताओं के होंगे और निर्माण कार्यों में गंभीर परिस्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त यांत्रिक शक्ति वाले होंगे।

47. शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था.- प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य, बागान के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

(1) (i) कारखाने के प्रत्येक कार्य स्थल पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मकारों के उपयोग के लिए सुविधाजनक अलग-अलग स्थानों पर पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाए।

(ii) ऐसे आवास में पर्याप्त रोशनी और हवादार व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसे हर समय साफ और स्वच्छ रखा जाए।

(2) (i) शौचालय, मूत्रालय और स्वच्छता ब्लॉकों का फर्श फिसलन रहित स्थिति में रखा जाए।

(ii) शौचालयों, मूत्रालयों और सैनिटरी ब्लॉकों की आंतरिक दीवारों पर चमकदार टाइलें लगाई जाएं। वैकल्पिक रूप से, शौचालयों और मूत्रालयों की आंतरिक दीवारों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वे चिकनी, पॉलिश की हुई और अभेद्य सतह प्रदान करें जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्यपरकता को बढ़ावा मिले;

(iii) शौचालयों और मूत्रालयों के सैनिटरी पैन को हर समय धोया हुआ और साफ रखा जाए।

(3) प्रत्येक 25 पुरुष और 15 महिला कर्मकारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए और दिव्यांग कर्मकारों और ट्रांसजेंडर कर्मकारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए। साथ ही, एक ही समय में कार्यरत प्रत्येक 15 पुरुष कर्मकारों के लिए कम से कम एक मूत्रालय की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय में पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध हो।

(4) शौचालय और मूत्रालय परिसर की सफाई करते समय, ऐसे परिसर के बाहर अंग्रेजी या हिंदी और स्थानीय भाषा में, सफाई चल रही है, के पर्याप्त संकेतक रखे जाते हैं।

(5) नल के पानी सहित वॉशबेसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

(6) महिलाओं के उपयोग के लिए उनके शौचालयों में बिना किसी शुल्क के पर्याप्त मात्रा में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं तथा उनका रखरखाव किया जाए तथा इन्हें दैनिक आधार पर भरा जाए।

(7) महिलाओं के शौचालयों में इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन इकट्ठा करने के लिए ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएं। इस्तेमाल किए गए नैपकिन का सुरक्षित निपटान किया जाए। पुरुषों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी

शौचालयों में ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएँगे।

- (8) प्रत्येक शौचालय को कवर किया जाए तथा इस प्रकार विभाजित किया जाए कि गोपनीयता बनी रहे, तथा उचित दरवाजा, फास्टनिंग और निकास हो।
- (9) जहाँ पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्ति कार्यरत हैं, प्रत्येक शौचालय ब्लॉक के बाहर एक नोटिस "केवल पुरुषों के लिए" या "केवल महिलाओं के लिए" या "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए", जैसा भी मामला हो, हिंदी में या अंग्रेजी में और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में, प्रदर्शित किया जाता है।
- (10) शौचालयों और मूत्रालयों से निकलने वाले अपशिष्ट या गंदे पानी का उपचार किया जाता है और सुरक्षित रूप से निपटाया जाता है।
- (11) शौचालयों में पानी के नल-
 - (i) जहाँ पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध है, ऐसे शौचालयों में अथवा उसके आस-पास पानी के नल उपलब्ध कराए जाना; तथा
 - (ii) यदि पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो नल या अन्य माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है ताकि शौचालय और मूत्रालयों में अथवा उसके आस-पास आसानी से पहुंचा जा सके।

परंतु भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्यों, बागान तथा गोदी के कार्यों के मामले में, जहाँ भी आवश्यक हो, मोबाइल शौचालयों की सुविधा प्रदान की जाती है।

48. अपशिष्ट और बहिःस्राव का उपचार:- प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य, बागान के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

- (i) कारखाने से निकलने वाले तरल अपशिष्ट और गैसीय उत्सर्जन के निकास, ठोस कचरे के निपटान के लिए उचित व्यवस्था की गई है।
- (ii) सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करते हुए, अपशिष्ट और बहिःस्राव के उपचार के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाती है।
- (iii) अपशिष्ट और बहिःस्राव के संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़े खतरों और जोखिमों की पहचान की जाती है और उचित निवारक और नियंत्रण उपाय लागू किए जाते हैं।
- (iv) अपशिष्ट और बहिःस्राव के प्रबंधन के जोखिम के आकलन के आधार पर, उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर (पीपीई) निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं; और
- (v) अपशिष्ट और बहिःस्राव का प्रबंधन करने वाले कर्मकारों को पहचाने गए खतरों और जोखिमों के बारे में और प्रशिक्षण दिया जाता है।

परंतु खंड (i) और (ii) बीड़ी और सिगार कर्मकारों पर लागू नहीं होंगे:

परंतु यह और कि बागानों के मामले में, उप-नियम (1) और (2) लागू नहीं होंगे, इस शर्त के अधीन कि—कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के प्रयुक्त पैकेजों के निपटान के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए ताकि उनका पुनः उपयोग रोका जा सके और पर्यावरण, जल या वायु प्रदूषण को रोका जा सके;

अध्याय 6
कल्याण उपबंध
क. सामान्य नियम

49. धुलाई की सुविधा.— प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य और बागान के नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

(i) आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मकारों के लिए अलग-अलग साबुन, तौलिए और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई हो, जो इस प्रकार हैं :

- (क) कार्यस्थल से अलग हो (और बागान कर्मकारों के मामले में बागान परिसर के भीतर);
- (ख) अच्छी तरह हवादार हो;
- (ग) उचित जल निकासी प्रणाली हो;
- (घ) साफ-सुथरी और स्वच्छ स्थिति में हो;
- (ङ.) गोपनीयता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और बंधन हों;
- (च) हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसे- "केवल पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए" जो भी लागू हो प्रदर्शित हों।

(ii) एक ही तौलिये का इस्तेमाल करना मना है।

परंतु भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त उपबंध किए गए हैं:

(क) जहां कर्मकारों को विषैले, संक्रामक या जलन पैदा करने वाले पदार्थों, तेल, ग्रीस या धूल से त्वचा के दूषित होने का खतरा हो, वहां गर्म और ठंडे पानी से सुसज्जित पर्याप्त संख्या में उपयुक्त धुलाई सुविधाएं या स्नानघर उपलब्ध कराए जाएं।

(ख) धुलाई सुविधाओं का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

50. स्नान गृह और लॉकर रूम की व्यवस्था.— प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य और बागान के नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

(i) आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मकारों के लिए अलग-अलग साबुन, तौलिए और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई हो, जो इस प्रकार हैं:

- (क) कार्यस्थल से अलग हो; (बागान कर्मकारों के मामलों में बागान के भीतर)
- (ख) अच्छी तरह हवादार हो;
- (ग) उचित जल निकासी प्रणाली हो;
- (घ) साफ-सुथरी और स्वच्छ स्थिति में हो;
- (ङ.) गोपनीयता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और बंधन हों;
- (च) हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसे- "केवल पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए" जो भी लागू हो, प्रदर्शित हों।

(ii) कार्य की प्रकृति के अनुसार, कार्य के समय पहने जाने वाले कपड़ों और ऐसे विशेष कपड़ों को रखने के लिए, जो कर्मचारी कार्य स्थल पर पहनते हैं लेकिन घर नहीं ले जाते, पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध जगहों पर उपयुक्त और अलग लॉकर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

51. काम के समय न पहने जाने वाले कपड़ों को रखना – प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मचारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, गोदी के कर्मचारों और बागानों के नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (i) कार्य की प्रकृति के अनुसार, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मचारों के लिए काम के घंटों के दौरान न पहने गए कपड़ों को रखने और सुखाने के लिए उपयुक्त, अलग और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- (ii) ये व्यवस्था कार्यस्थल से अलग कमरों में हैं।
- (iii) सभी पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मचारों के लिए एक चेंजिंग रूम है, जिसमें काम की प्रकृति के अनुसार गीले कपड़े सुखाने और कपड़े टाँगने के लिए उचित सुविधाएं हैं, साथ ही, जहां आवश्यक हो, जहरीले, संक्रामक, जलन पैदा करने वाले या रेडियोएक्टिव पदार्थों से बचाव के लिए भी सुविधाएं हैं, काम के कपड़े और सामान्य कपड़े अलग रखने के लिए उचित लॉकर भी उपलब्ध हैं।
- (iv) जब कर्मचारी ऐसे काम में लगे हों कि उनके काम के कपड़े गीले हो सकते हैं या पारी के बीच धोने पड़ सकते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है कि काम पर लौटने पर हर कर्मचारी के पास हमेशा सूखे कपड़े हों।
- (v) यह सुविधाएं इस तरह से उपलब्ध कराई जानी चाहिए —

(क) पर्याप्त आकार के और उचित वेंटिलेशन वाले व्यक्तिगत लॉकर;

(ख) बेंच या बैठने की अन्य उपयुक्त व्यवस्था।

52. बैठने की व्यवस्था: प्रत्येक कारखाना, खान और गोदी का नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि खड़े होकर कार्य करने वाले कर्मचारों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाए, ताकि उनके कार्य में कोई बाधा न हो। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त और आरामदायक बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

53. कैटीन की व्यवस्था: प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मचारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य और बागान के नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (i) ऐसे प्रत्येक कारखाने में, जहाँ 100 या उससे अधिक कर्मचारी, जिनमें ठेका श्रमिक भी शामिल हैं, काम करते हैं, कारखाना परिसर में या उसके आस-पास एक कैटीन है जहां कर्मचारों को पौष्टिक, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो।
- (ii) कारखाने का नियोजक कारखाना परिसर में या उसके आस-पास एक कॉमन कैटीन के माध्यम से भी कैटीन की सुविधा दे सकता है।
- (iii) कैटीन को धूल, धुएं या बदबूदार गैस से बचाने के लिए शौचालय, मूत्रालय और प्रसंस्करण क्षेत्र से उचित दूरी पर हो।
- (iv) कैटीन में कम से कम एक डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोर रूम, पेंट्री और कर्मचारों के हाथ धोने तथा बर्तन धोने के लिए अलग-अलग जगह हो।
- (v) कैटीन में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग दरवाजे हो।
- (vi) डाइनिंग हॉल को ऐसी किसी भी जगह से अलग रखा गया है जहाँ कोई खतरनाक पदार्थ खाने-पीने की चीज़ों, थालियों या बर्तनों को दूषित कर सकता हो;
- (vii) डाइनिंग हॉल में कर्मचारों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है, ताकि एक समय में ज्यादा कर्मचारी भी आराम से बैठ सकें;
- (viii) डाइनिंग हॉल और सर्विस काउंटर का एक हिस्सा अलग करके महिला कर्मचारों और दिव्यांग कर्मचारों के लिए आरक्षित है; और
- (ix) पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कर्मचारों के लिए अलग-अलग वॉशरूम हैं और उनकी निजता का ध्यान रखते हुए उन्हें पर्दे से अलग किया गया है।
- (x) उपस्कर

- (क) भोजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सारा सामान और बर्तन साफ किए जाते हैं और उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा जाता है;
 (ख) फर्नीचर और अन्य उपस्कर साफ और स्वच्छ स्थिति में रखे जाते हैं

(xi) भोजन का भंडारण, तैयारी और रखरखाव

(क) हर खाद्य प्रबंधक को भोजन से संबंधित ऐसे तरीकों का प्रशिक्षण और निर्देश दिए जाते हैं जिससे भोजन दूषित न हो; और

(ख) कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, उसे खाद्य प्रबंधक के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है।

(xii) भोजन बनाने की जगह या डाइनिंग हॉल से बचा हुआ खाना और कचरा हटाकर ढके हुए कंटेनर में जमा किया जाता है और समय-समय पर उसका निपटारा किया जाता है।

(xiii) खाना, पेय और अन्य सामान बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है, जिसकी कीमतें कैटीन प्रबंधन सोसाइटी तय करती है; और

(xiv) कैटीन में दिए जाने वाले भोजन, पेय और अन्य सामान का प्रति सर्विग मूल्य कैटीन में प्रदर्शित किया जाता है।

(xv) कैटीन प्रबंधन समिति

(क) निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए एक कैटीन प्रबंधन सोसाइटी का गठन किया जाता है:

- (i) कैटीन में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मात्रा;
- (ii) मेनू की व्यवस्था;
- (iii) कैटीन में भोजन का समय; और
- (iv) कोई अन्य संबंधित मामला

परंतु यदि कैटीन का प्रबंधन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत किसी सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है, तो कैटीन प्रबंधन समिति को नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) कैटीन प्रबंधन समिति में कर्मचारों और नियोजकों के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होते हैं;

(ग) नियोजक के प्रतिनिधि की नियुक्ति नियोजक द्वारा की जाती है, और

(घ) कर्मचारों के प्रतिनिधि की नियुक्ति संबंधित यूनियन या काउंसिल द्वारा की जाती है और यदि कोई यूनियन या काउंसिल नहीं है, तो कर्मचारी स्वयं कैटीन समिति के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।

(ङ) समिति का कार्यकाल आपसी सहमति से तय किया जाएगा। कर्मचारों और नियोजकों, दोनों पक्षों के सोसाइटी सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में बदले जाएंगे।

(च) कैटीन प्रबंधन समिति, कैटीन प्रबंधक से परामर्श करके कैटीन के संचालन के बारे में निर्णय लेती है।

54. प्राथमिक उपचार और चिकित्सा साधन.- प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मचारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य और बागान के नियोजता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (i) ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थापन या उसके किसी भाग में, जहाँ कर्मचारी कार्यरत हों, पर्याप्त संख्या में प्राथमिक आयुर्विज्ञान पेटियाँ या अलमारियाँ आवश्यक वस्तुओं के साथ उपलब्ध कराई जाएँ और इस प्रकार रखी जाएँ कि कार्य समय के दौरान वे आसानी से सुलभ हों। प्राथमिक आयुर्विज्ञान सुविधाओं का विवरण, प्रभारी व्यक्ति का नाम, संपर्क विवरण और निकटतम

- अस्पतालों की जानकारी वाला एक नोटिस अंग्रेजी या हिंदी तथा स्थानीय भाषा में एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए।
- (ii) हर पारी में, हर प्राथमिक उपचार बॉक्स या अलमारी की जिम्मेदारी प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र रखने वाले ऐसे किसी कर्मचारी या पर्यवेक्षक को दी जाएगी, जो स्थापन या उसके किसी हिस्से के काम के घंटों के दौरान हमेशा उपलब्ध रहे। हर विभाग या सेक्शन में कम से कम एक पूरी तरह से सुसज्जित फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी होनी चाहिए और काम के घंटों के दौरान उसका रखरखाव ठीक से किया जाना चाहिए। अगर विभाग या सेक्शन में 200 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो प्राथमिक उपचार बॉक्स की संख्या बढ़ानी होगी। प्रत्येक प्राथमिक उपचार बॉक्स या अलमारी में रखे सामान की एक उदाहरण सूची **उपाबंध-1** में है और नियोजक अपनी आवश्यकता के अनुसार और सामान भी रख सकता है।
- (iii) खान के मामले में, प्रत्येक प्राथमिक उपचार बॉक्स या अलमारी में विद्यमान सामग्रियों की उदाहरण सूची **उपाबंध-3** में दी गई है और अधिष्ठाता आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वस्तुएं जोड़ सकता है।
- (iv) किसी स्थापन में कम से कम तैंतीस प्रतिशत कर्मचारों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और प्रत्येक तीन वर्ष में उन्हें फिर से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जहां महिला कर्मचारी काम करती हैं, वहां कम से कम एक महिला कर्मचारी को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची-1, अनुसूची-2 या अनुसूची-3 के भाग-2 में शामिल चिकित्सा योग्यता वाले प्रशिक्षक द्वारा दी जानी चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची-3 के भाग-2 में शामिल योग्यता वाले व्यक्ति को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की धारा 13(3) या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अध्याय-6 में उल्लिखित शर्तों को भी पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त, उनके पास औद्योगिक स्वास्थ्य या सार्वजनिक स्वास्थ्य या आपातकालीन चिकित्सा में डिप्लोमा या डिग्री, या औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट अध्येतावृत्ति (एएफआईएच) या समकक्ष डिग्री भी होनी चाहिए।
- (v) काम के दौरान होने वाली प्रत्येक क्षति या बीमारी की सूचना स्थापन के पर्यवेक्षक को दी जाएगी, ताकि क्षति या बीमारी पर नजर रखी जा सके। साथ ही, स्थापन में काम करने वाले ऐसे कर्मचारों के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, जिन्हें ड्यूटी के दौरान गंभीर क्षति होती है या बीमारी होती है, या जिन्हें प्राथमिक उपचार के अनुसार इलाज की आवश्यकता होती है तो ऐसे कर्मचारों को तुरंत कारखाने या उसके आस-पास के इलाके की नजदीकी औषधालय या अस्पताल पहुंचाया जाएगा।
- (vi) काम के दौरान क्षति लगने पर हर कर्मचारी को यह बात प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक को बतानी चाहिए जो घायल व्यक्ति को आवश्यक प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। यदि क्षतिग्रस्त कर्मचारी प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक को यह जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, तो यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसे इस घटना के बारे में सबसे पहले पता चलता है कि वह यह जानकारी प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक को दे।
- (vii) यदि पर्यवेक्षक की राय में क्षति ऐसी है कि उसे तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से उपचार की आवश्यकता है, तो वह तुरंत चिकित्सक को बुलाने की व्यवस्था करेगा या इस बारे में स्थापन के नियोजक या उसके प्रतिनिधि को सूचित करेगा।
- (viii) यह नियोजक या उसके प्रतिनिधि का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी को जल्द से जल्द नजदीकी औषधालय/अस्पताल पहुंचाया जाए, बेहतर होगा कि इसके लिए एक उचित एम्बुलेंस वैन का उपयोग किया जाए।
- (ix) इसके अतिरिक्त, खानों के मामले में निम्नलिखित उपबंधों का पालन किया जाएगा:

(I) कर्मचारों और पर्यवेक्षकों को प्राथमिक उपचार प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त व्यवस्था की जाती है।

(II) प्रत्येक खान में, सुविधाजनक एवं सुलभ स्थानों पर, **उपाबंध-5** में अधिसूचित प्राथमिक उपचार उपकरणों से सुसज्जित प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापित एवं बनाए रखे जाएँ, जहाँ घायल व्यक्तियों को निम्नानुसार प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा सके:

(क) भूमिगत के ऊपर, प्राथमिक उपचार केन्द्र—

- प्रत्येक शाफ्ट या ढलान के शीर्ष पर, जहाँ सामान्यतः व्यक्ति या सामग्री का आवागमन होता है;
- प्रत्येक कार्यशाला में;
- प्रत्येक स्क्रीनिंग प्लांट एवं लोडिंग स्थल पर; तथा
- ऐसे प्रत्येक अन्य स्थान पर जहाँ किसी भी समय 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों।

(ख) प्रत्येक विवृत खनिज में, प्राथमिक उपचार केन्द्र—

- प्रत्येक शॉवेल अथवा ड्रैगलाइन लोडिंग बिंदु पर;

- (ii) विश्राम आश्रय तथा वहनीय विश्राम आश्रय, यदि कोई हो;
- (iii) पंपिंग स्टेशन पर;
- (iv) री-फ्यूलिंग स्टेशन पर;
- (v) डंप यार्ड पर;
- (vi) ऐसे प्रत्येक अन्य स्थान पर जहाँ किसी भी समय 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों।

(ग) भूमिगत, एक प्राथमिक उपचार केन्द्र—

- (i) प्रत्येक शाफ्ट के निचले भाग पर, जहाँ सामान्यतः व्यक्ति या सामग्री का आवागमन होता है तथा प्रत्येक प्लांट के निकट;
- (ii) प्रत्येक हॉलिज के ड्राइव एंड के निकट;
- (iii) खान के प्रत्येक क्षेत्र या सेक्शन के भीतर या उसके प्रवेश द्वार पर।

परंतु इस उप-नियम में निहित किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक प्राथमिक उपचार केन्द्र से 300 मीटर के भीतर अन्य प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापित करना अनिवार्य है।

(iv) प्राथमिक उपचार केन्द्र के प्रभारी व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि वहाँ उपलब्ध उपस्कर सदैव उत्तम स्थिति में रहें तथा आवश्यकता होने पर उनकी पूर्ति की जाए।

(v) प्रत्येक प्राथमिक उपचार केन्द्रीय एक ऐसे कर्मचारी या पर्यवेक्षक के अधीन होगा जिसके पास केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्राथमिक उपचार प्रमाण-पत्र हो।

(vi) खान में स्थापित सभी प्राथमिक उपचार केंद्रों की अद्यतन सूची खान कार्यालय में रखी जाएगी।

(vii) प्रत्येक पर्यवेक्षक या अधिकारी, जिसके पास वैध प्राथमिक उपचार प्रमाण-पत्र हो, ड्यूटी के दौरान एक प्राथमिक उपचार किट साथ रखेगा, जिसमें एक बड़ा विसंक्रमित ट्रेसिंग, एक छोटा विसंक्रमित ट्रेसिंग, चिपकनेवाला बैंडेज, स्किन क्लोजर स्ट्रिप्स, रूई के गोले, रोगाणुरोधक घोल तथा गोल सिरों वाली कैंची शामिल होगी, और यह किट धूल एवं पानी से सुरक्षित रखने हेतु उचित रूप से पैक की गई होगी।

55. एम्बुलेंस कक्ष.- प्रत्येक कारखाने, खान और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारियों के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

- (i) पिछले कैलेंडर वर्ष में किसी भी एक दिन 500 से अधिक कर्मचारों वाले प्रत्येक स्थापनों में, एक उपयुक्त एम्बुलेंस कक्ष या औषधालय हो जो 24 घंटे या कार्य समय के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, उपलब्ध हो और अच्छी हालत में हो। प्रत्येक स्थापनों का कर्मकार आपातकालीन सेवाओं के लिए अस्पतालों से भी समझौता कर सकता है।
- (ii) एम्बुलेंस कक्ष का मतलब है स्थापन परिसर में या उसके आस-पास एक सुविधाजनक स्थान, जिसमें मेडिकल चिकित्सा आपात से निपटने के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं हों और जिसमें कम से कम वह उपस्कर हों जो **उपाबंध-2** में दी गई सूची में बताए गए उपस्कर हो। नियोजक आवश्यकतानुसार और भी मद जोड़ सकता है।
- (iii) खानों के मामले में, एम्बुलेंस कक्ष में कम से कम वे उपस्कर होने चाहिए जिनका उल्लेख **उपाबंध-4** में दी गई उदाहरण सूची में किया गया है। नियोक्ता आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वस्तुएँ जोड़ सकता है।
- (iv) एम्बुलेंस कक्ष की देखरेख एक पूर्णकालिक योग्य चिकित्सा व्यवसायी करता है, जिसे आयुर्विज्ञान द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है और उसकी सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ (कम से कम एक नर्स और एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट-हेल्थकेयर/नर्सिंग असिस्टेंट) भी होते हैं।
- (v) उप-नियम (3) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले चिकित्सा व्यवसायी के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल कोई चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल योग्यता वाले व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के धारा 13 की उपधारा (3) में उल्लिखित शर्त या राष्ट्रीय

आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के अनुसार या औद्योगिक या उपजीविकाज्य स्वास्थ्य में डिप्लोमा/डिग्री या समकक्ष योग्यता पूरी करनी होगी। योग्य आयुर्विज्ञान व्यवसायी अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर औद्योगिक या उपजीविकाज्य स्वास्थ्य में डिप्लोमा/डिग्री या औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट अध्येतावृत्ति प्राप्त करेगा।

- (vi) खंड (iv) के अधीन नियुक्त की जाने वाली योग्य नर्स के पास राज्य नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत योग्यता होनी चाहिए और उसे बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) का प्रशिक्षण पूरा करना होगा, साथ ही उसे किसी मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में कम से कम छह माह का आपात का अनुभव भी होना चाहिए।
- (vii) एम्बुलेंस कक्ष में मरीज की निजता और जांच के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
- (viii) एम्बुलेंस कक्ष में आपात प्रकाश की व्यवस्था और एक उपयुक्त संचार माध्यम यदि संभव हो तो हाथ में रखने वाला डिवाइस उपलब्ध होना चाहिए।
- (ix) एम्बुलेंस कक्ष में काम की प्रकृति के अनुसार, शावर पॉइंट लगाए जाते हैं, जिनसे पानी की निकासी आसानी से हो सके। लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शावर में पानी की आपूर्ति का प्रबंध किया जाना चाहिए।

56. आश्रय स्थल और विश्राम कक्ष.— प्रत्येक कारखाने, खान और मोटर परिवहन उपक्रम के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

- (i) हर उस स्थापन में, जहाँ आमतौर पर 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ कर्मचारों के भोजन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लंचरूम होना चाहिए, जिसमें पीने के पानी और हाथ-पैर धोने की सुविधा भी हो।
- (ii) ये सुविधाएं पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारों के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराई जाती हैं और उनका रखरखाव किया जाए परंतु नियम 53 के अधीन उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी भी कैटीन को इस नियम का पालन माना जाएगा।
- (iii) आश्रम स्थल या विश्राम कक्ष और लंच रूम में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए:
 - (क) ऐसे कमरे पर्याप्त रोशनी वाले और हवा-दार हों और हमेशा साफ-सुथरे और स्वच्छ स्थिति में रखे जाएं।
 - (ख) सभी दीवारों और छत उपयुक्त गर्मी प्रतिरोधी सामग्री की बनी हों;
 - (ग) ऐसे कमरे की छत फर्श से उचित ऊंचाई पर हो और उसमें उस समय काम कर रहे कर्मचारों के लिए पर्याप्त जगह हो;
 - (घ) प्रत्येक कमरे में बैठने और खाने के लिए उचित फर्नीचर हो।

परंतु मोटर परिवहन उपक्रम के मामले में नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उपक्रम में कार्यरत मोटर परिवहन कर्मचारों को वर्दी, रेनकोट और अन्य इसी तरह की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं।

57. कल्याण अधिकारी.— प्रत्येक स्थापन, खान और बागान के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

- (i) कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति निम्नानुसार विहित रीति से की जाए:

(क) दो सौ पचास से पांच सौ कर्मचारों को रोजगार देने वाले प्रत्येक स्थापन का नियोजक कम से कम एक कल्याण अधिकारी नियुक्त करने है, और जहां कर्मचारों की संख्या पांच सौ से अधिक है, वहां प्रत्येक अतिरिक्त पांच सौ कर्मचारों या पांच सौ से अधिक कर्मचारों के अंश के लिए एक अतिरिक्त कल्याण अधिकारी नियुक्त किया जाए।

(ख) किसी स्थापन में जहां पुरुष और महिला दोनों कर्मकार कार्यरत हैं, वहां नियुक्त की जाने वाली महिला कल्याण अधिकारियों की संख्या नियोजित महिला कर्मकारों के अनुपात में होगी और जहां नियोजित महिलाओं की संख्या एक सौ से अधिक है और महिला कर्मकारों की कुल संख्या एक हजार से अधिक नहीं है, वहां एक अतिरिक्त महिला कल्याण अधिकारी नियुक्त की जाए।

(ग) जहां एक से अधिक कल्याण अधिकारी नियुक्त हों, उनमें से एक को मुख्य कल्याण अधिकारी तथा अन्य को कल्याण अधिकारी के रूप में नामाधिसूचित किया जाए;

(ii) कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति ने इस संबंध में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सामाजिक कार्य या मानव संसाधन प्रबंधन या श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो; तथा उसे कारखाने में अधिकांश कर्मचारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का ज्ञान हो।

(iii) नियोजक द्वारा नियुक्ति की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निरीक्षक-सह-सुकारक को दी जाए, जिसमें नियुक्त अधिकारी की योग्यता आदि का विवरण तथा उसकी सेवा की शर्तें दी जाए।

(iv) (क) कल्याण अधिकारी को प्रत्येक स्थापन के अन्य कार्यपालकों के अनुरूप उचित प्रास्थिति दी जाए और उसे कार्यपालक/अधिकारी वेतनमान पर नियुक्त किया जाए।

(ख) कल्याण अधिकारी की सेवा शर्तें प्रत्येक स्थापन में समतुल्य प्रास्थिति के अन्य कार्यपालकों के अन्य सदस्यों या अधिकारियों के समान होती हैं:

परंतु सेवामुक्ति या पदच्युति के मामले में कल्याण अधिकारी को मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा तथा नियोजक पर बाध्यकारी होगा।

(v) कल्याण अधिकारी के कर्तव्य:

(क) प्रबंधन और कर्मचारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से संपर्क स्थापित करना और परामर्श करना;

(ख) कर्मचारों की शिकायतों को प्रबंधन के ध्यान में लाना ताकि उनका शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जा सके और प्रबंधन एवं कर्मचारों के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना;

(ग) कर्मचारों के दृष्टिकोण का अध्ययन और उसे समझना ताकि प्रबंधन को श्रम नीतियों को आकार देने और तैयार करने में सहायता मिल सके और इन नीतियों की व्याख्या कर्मचारों को उनकी समझ में आने वाली भाषा में की जा सके;

(घ) कार्य घंटों के विनियमन, प्रसूति प्रसुविधा, आयुर्विज्ञान देखभाल, क्षति लगने और बीमारियों के लिए मुआवजे और अन्य कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित अनुपालन, दायित्वों, वैधानिक या अन्य पर सलाह देना;

(ङ) कल्याणकारी सुविधाओं जैसे स्थान सुविधाओं, खाद्य पदार्थों, सामाजिक और मनोरंजक सुविधाओं, स्वच्छता, व्यक्तिगत कार्मिक समस्याओं और बच्चों की शिक्षा के उपबंध पर सलाह देना; और

(च) नए भर्ती हुए कर्मचारों, प्रशिक्षुओं, स्थानांतरण और प्रोन्नति वाले कर्मचारों, प्रशिक्षकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण, नोटिस बोर्ड और सूचना बुलेटिनों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के बारे में प्रबंधन को सलाह देना ताकि कर्मचारों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके और तकनीकी संस्थानों में उनकी उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जा सके।

(vi) कल्याण अधिकारी अनुशासनात्मक मामलों का निपटान नहीं करेंगे या कर्मचारों के विरुद्ध प्रबंधन की ओर से पेश नहीं होंगे या प्रबंधन की ओर से सुलह अधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं होंगे।

58. शिशुकक्ष सुविधा.- प्रत्येक कारखाने, खान, भवन या अन्य निर्माण कर्मचारों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम, गोदी कार्य और बागान के नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (i) प्रत्येक कारखाने में, जहाँ सामान्यतः 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, कर्मचारों के छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए एक शिशुकक्ष सुविधा प्रदान की जाए और उसका रखरखाव किया जाए।
- (ii) जहाँ भी आवश्यकता हो, मोबाइल शिशुकक्ष उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) प्रत्येक शिशुकक्ष सुविधा सभी कर्मचारों के लिए निःशुल्क और सुलभ होगी;
- (iv) शिशुकक्ष यथासंभव कार्यस्थल के भीतर या किसी निकटवर्ती सुलभ स्थान पर स्थित होना चाहिए;
- (v) शिशुकक्ष भवन निर्माण स्थल के किसी ऐसे भाग के निकट स्थित नहीं होना चाहिए जहाँ से हानिकारक धुआँ, धूल या दुर्गंध निकलती हो या जहाँ अत्यधिक शोरगुल वाली प्रक्रियाएँ चलती हों;

- (vi) शिशुकक्ष में या उसके आस-पास बच्चों और उनके कपड़ों की धुलाई के लिए एक उपयुक्त शौचालय हो;
- (vii) शिशुकक्ष को स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और स्वच्छतापूर्ण स्थिति में रखा जाए;
- (viii) बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाए।
- (ix) शिशुकक्ष बच्चों और शिशुओं की देखभाल के लिए अधिमानतः महिला के अधीन हो;
- (x) शिशुकक्ष के प्रभारी, सहायक कर्मचारी और गार्ड का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
- (xi) शिशुकक्ष के प्रभारी व्यक्ति के पास बच्चे की पहचान, निवास का पता आदि की जानकारी हो और इसका रखरखाव किया जाए।
- (xii) शिशुकक्ष में बच्चे को लाने और छोड़ने वाले व्यक्ति का विवरण देखभालकर्ता के पास उपलब्ध होना चाहिए और बच्चे को केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति बच्चे को लेने या छोड़ने जाता है तो माता-पिता की अनुमति के साथ उसकी पहचान आवश्यक होगी।
- (xiii) सुबह बच्चे के आगमन पर और बच्चे को लेने के समय सभी बच्चों की उपस्थिति अभिलिखित की जाए।
- (xiv) शिशुकक्ष में रहने के दौरान प्रत्येक बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में साफ कपड़े, साबुन और साफ तौलिए उपलब्ध हों;
- (xv) शिशुकक्ष में आराम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो;
- (xvi) सभी बच्चों को उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक, सम्पूर्ण और स्वास्थ्यकारी भोजन की पर्याप्त आपूर्ति की जाए;
- (xvii) कैंची, चाकू, ब्लेड, पिन आदि जैसी सभी नुकीली चीजें बच्चों से हमेशा दूर रखी जाए।
- (xviii) डिटेजेंट, सफाई एजेंट, फिनाइल आदि जैसे रसायन बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाए।
- (xix) शिशुकक्ष में बच्चे हुए खाने या अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए गैर-दहनशील ढके हुए पात्र उपलब्ध कराए जाएं।
- (xx) सभी बिजली के स्विच/प्लग बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाए।
- (xxi) निकासी योजना की योजना बनाना और उसे कक्ष में प्रदर्शित करना।
- (xxii) शिशुकक्ष में किसी भी समय यहाँ तक कि अवकाश के दौरान भी किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाए।
- (xxiii) किसी भी प्रकार का मौखिक या शारीरिक दुर्व्यवहार सख्त वर्जित किया जाए।
- (xxiv) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन किसी भी प्रकार के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
- (xxv) पर्यवेक्षक के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति, ज्ञात या अज्ञात को, शिशुकक्षा के कामकाज के घंटों के दौरान किसी भी समय शिशुकक्षा के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए, सिविल कार्य अधिमानतः सप्ताहांत/या छुट्टियों के दौरान ही किया जाना चाहिए।
- (xxvi) कामकाजी घंटों के दौरान शिशुकक्ष में सीसीटीवी निगरानी की जाए।
- (xxvii) महत्वपूर्ण और आपातकालीन संपर्क नंबर (हेल्पलाइन जैसे 112, 1098, अग्निशमन सेवाएं, बाल संरक्षण अधिकारी, निकटतम पुलिस स्टेशन आदि) आसान पहुंच और संदर्भ के लिए शिशुकक्ष परिसर के भीतर प्रदर्शित किए जाते हैं।
- (xxviii) आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रणाली/या कर्मचारियों को कॉल पर उपलब्ध कराया जाता है।
- (xxix) शिशुकक्ष में भोजन कक्ष प्रदान किया जाए।

परंतु कोई स्थापन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका या निजी इकाई की सामान्य शिशुकक्षा सुविधा का लाभ उठा सकता है या गैर-सरकारी संगठन या किसी अन्य संगठन या स्थापनों के समूह द्वारा प्रदान की जा सकती है, वे इस उद्देश्य के लिए अपने संसाधनों को एकत्रित कर सकते हैं जैसा कि वे इस तरह के उद्देश्य के लिए सहमत हो सकते हैं।

59. मॉक ड्रिल.- प्रत्येक कारखाने, खदान, भवन या अन्य निर्माण कर्मचारियों, बीड़ी और सिगार निर्माण के औद्योगिक परिसर, मोटर परिवहन उपक्रम और गोदी कार्य के नियोक्ता को विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों की जांच करने हेतु त्रैमासिक रूप से मॉक ड्रिल का संचालन सुनिश्चित करना होगा।

परंतु प्रत्येक बागान के नियोक्ता को विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों की जांच करने हेतु वार्षिक रूप से मॉक ड्रिल का संचालन सुनिश्चित करना होगा।

ख. खान

60. चिकित्सीय परीक्षण.- प्रत्येक खान का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) प्रत्येक कर्मचारी, जिसमें संविदा कर्मकार भी शामिल हैं, की नियुक्ति से पूर्व तथा तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए।
- (ii) संविदा कर्मकारों को नियमित कर्मकारों के समान चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।
- (iii) उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन किसी विवाद की स्थिति में, मामले को इन नियमों के अधीन गठित अपीलीय चिकित्सा बोर्ड को संदर्भित किया जा सकेगा।

61. संविदा कर्मकारों सहित श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएँ.- यदि खान नियोक्ता द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, तो वह कर्मकारों सहित संविदा कर्मकारों के लिए तेल खानों में वि विवृत खनिज, गड्डों, शाफ्टों, डंप याडों, स्टॉक पाइल्स, अस्थिर खदानों, कुओं और अन्य स्थापनों के सक्रिय कार्य क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर होगी।

ग. भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य

62. रहने के लिए आवासन.- भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के प्रत्येक नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मकारों के लिए उनके घरों से दूर स्थित निर्माण स्थलों पर, जहां स्थल और उनके घरों या अन्य उपयुक्त आवास के बीच पर्याप्त परिवहन उपलब्ध नहीं है, उपयुक्त अस्थायी आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त, जहां भवन या अन्य निर्माण कार्य ठेकेदार के माध्यम से किया जाता है, वहां मुख्य नियोक्ता ठेकेदार को आवास उपलब्ध कराने में हुए व्यय का भुगतान करेगा।

घ. मोटर परिवहन उपक्रम

63. चिकित्सा सुविधाएँ.- प्रत्येक मोटर परिवहन उपक्रम का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (i) प्रत्येक परिचालन केन्द्रीय और ठहराव स्थल (जिसमें सिटी सर्विस के मामले में केवल डिपो और अन्य कार्यालय शामिल होंगे) पर, यथास्थिति, चौबीसों घंटे या कार्य घंटों के दौरान एक उपयुक्त आयुर्विज्ञान सुविधा कक्ष या औषधालय उपलब्ध हो और उसे अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाए;
- (ii) चिकित्सा सुविधा कक्ष या औषधालय परिचालन केन्द्रीय और ठहराव स्थल पर सुविधाजनक स्थान पर स्थित हो और वहां आयुर्विज्ञान आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त स्थान और व्यवस्था हो तथा उसमें कम से कम वे उपस्कर हों जिनका उल्लेख उपाबंध-6 में दी गई उदाहरणात्मक सूची में किया गया है। नियोक्ता आवश्यकतानुसार और अधिक वस्तुएं जोड़ सकता है;
- (iii) आयुर्विज्ञान सुविधा कक्ष या औषधालय नियोक्ता द्वारा सीधे नियुक्त एक पूर्णकालिक योग्य आयुर्विज्ञान व्यवसायी के प्रभार में हो और उसे पर्याप्त संख्या में अर्धआयुर्विज्ञान कर्मकारों (कम से कम एक नर्स और एक सामान्य ड्यूटी सहायक-स्वास्थ्य सेवा अथवा नर्सिंग सहायक) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी;
- (iv) उप-नियम (3) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले आयुर्विज्ञान व्यवसायी के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची 1 या 2 या तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13(3) में अधिसूचित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अनुसार या औद्योगिक या व्यावसायिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा/डिग्री, या एएफआईएच या समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। अर्हताप्राप्त आयुर्विज्ञान व्यवसायी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर औद्योगिक या व्यावसायिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा या डिग्री या औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट फेलोशिप ए एफ आई एच प्राप्त करेगा;
- (v) उप-नियम (3) के अधीन नियुक्त की जाने वाली अर्हताप्राप्त नर्स के पास राज्य नर्सिंग परिषद के अधीन पंजीकृत योग्यता होनी चाहिए और किसी बहु-विशिष्ट (मल्टीस्पेशलिटी) अस्पताल से कम से कम 6 महीने की अवधि के आपातकालीन अनुभव के साथ बेसिक लाइफ सपोर्ट बी एल एस में प्रशिक्षण पूरा किया होना चाहिए;

- (vi) आयुर्विज्ञान सुविधा कक्ष या औषधालय में कम से कम दो कमरे हों। कमरों में से एक का उपयोग कर्मचारों के बैठने और औषध के भंडारण के लिए किया जाए। दूसरे कमरे का उपयोग आपातकालीन-सह-ट्रेसिंग रूम अथवा बीमारों के लिए अवलोकन कक्ष के रूप में किया जाए;
- (vii) आयुर्विज्ञान सुविधा कक्ष या औषधालय में आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और एक उपयुक्त संचार माध्यम, अधिमानतः हैंडहेल्ड डिवाइस प्रदान किया जाए।

अध्याय 7

कार्य घंटे और सवेतन वार्षिक अवकाश

64. कार्य घंटे.- (1) किसी भी कर्मचारी को किसी स्थापन में एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

(2) परिवहन वैन के मामले में, परिवहन वैन के संचालन में किसी भी प्रकार की रुकावट के दौरान अधिकतम पंद्रह मिनट का व्यवधान अनुमत होगा।

65. श्रमजीवी पत्रकार के कार्य के घंटे.- (1) इस नियम के अधीन उपबंध श्रमजीवी पत्रकार पर लागू होंगे लेकिन संपादकों, या संवाददाताओं, रिपोर्टरों या समाचार छायाकारों/फोटोग्राफर्स पर लागू नहीं होंगे।

(2) उप-नियम (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, समाचार पत्र स्थापन, जिसके संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति नियोजित है, के स्थित होने के स्थान पर तैनात प्रत्येक संवाददाता, रिपोर्टर या समाचार छायाकार पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्-

(क) संबंधित पक्षों के बीच सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से किए गए ऐसे समझौते के अधीन, ऐसा प्रत्येक संवाददाता, रिपोर्टर या समाचार छायाकार, किसी भी दिन झूटी पर आने के बाद, उस पूरे दिन तब तक झूटी पर माना जाएगा जब तक कि वह उस दिन के लिए उसे सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा नहीं कर लेता:

परंतु यदि ऐसे संवाददाता, रिपोर्टर या समाचार छायाकार के पास कार्य के किन्हीं दो या अधिक कार्यों के बीच कुल दो घंटे या उससे कम की अवधि का विश्राम या अंतराल रहा हो, तो उसे ऐसी अवधि के दौरान झूटी पर नहीं माना जाएगा:

परंतु यह और भी कि जहाँ ऐसे अंतराल या अंतरालों की कुल अवधि दो घंटे से अधिक हो, वहाँ उसे उस अवधि के दौरान झूटी पर माना जाएगा जो उक्त दो घंटे की अवधि से अधिक है।

(ख) किसी भी सप्ताह के दौरान छत्तीस घंटे से अधिक कार्य करने की कोई भी अवधि, जिसे इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए कार्य की एक इकाई माना जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति आगामी सप्ताह के दौरान विश्राम द्वारा की जाएगी और यह तीन घंटे से कम की एक या अधिक अवधियों में दी जाएगी:

परंतु जहाँ काम किए गए अतिरिक्त घंटों का कुल योग तीन घंटे से कम हो, वहाँ विश्राम की अवधि केवल उतनी ही होगी जितनी वह अतिरिक्त अवधि है।

(3) भोजन के समय को छोड़कर, श्रमजीवी पत्रकार के लिए सामान्य कार्य दिवस के रूप में निर्धारित घंटों की संख्या, दिन की पाली के मामले में छह घंटे प्रतिदिन और रात्रि की पाली के मामले में साढ़े पांच घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी और किसी भी श्रमजीवी पत्रकार से सामान्यतः एक सामान्य कार्य दिवस बनाने वाले घंटों की संख्या से अधिक समय तक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और न ही उसे इसकी अनुमति दी जाएगी।

(4) समाचार पत्र स्थापन और उस स्थापन में नियोजित श्रमजीवी पत्रकारों के बीच होने वाले समझौते के अधीन, श्रमजीवी पत्रकार के लिए कार्य की अवधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि कोई भी श्रमजीवी पत्रकार, विश्राम अंतराल से पहले, दिन की पाली के मामले में चार घंटे और रात्रि की पाली के मामले में तीन घंटे से अधिक कार्य न करे, जो कि दिन की पाली के मामले में एक घंटे का और रात्रि की पाली के मामले में आधे घंटे का होगा।

(5) जब कोई श्रमजीवी पत्रकार दिन की पाली के मामले में किसी भी दिन छह घंटे से अधिक और रात्रि की पाली के मामले में साढ़े पांच घंटे से अधिक कार्य करता है, तो उन्हें उस अधिक समय कार्य के संबंध में, उतने ही घंटों के विश्राम के रूप में क्षतिपूर्ति दी जाएगी जितने घंटे उन्होंने अधिक समय कार्य किया है या मजदूरी द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी, जो मजदूरी की सामान्य दर से दोगुनी होगी।

(6) किसी भी श्रमजीवी पत्रकार को एक समय में लगातार एक सप्ताह से अधिक या चौदह दिनों की किसी भी अवधि में एक सप्ताह से अधिक के लिए रात्रिकालीन पाली में नियोजित नहीं किया जाएगा।

(7) रात्रि से दिन की पाली में या इसके विपरीत पाली परिवर्तन के मामले में, दो पालियों के बीच कम से कम चौबीस निरंतर घंटों का अंतराल होगा और एक दिन की पाली से दूसरी दिन की पाली में या एक रात्रि की पाली से दूसरी रात्रि की पाली में परिवर्तन के मामले में, कम से कम बारह निरंतर घंटों का अंतराल होगा।

परंतु ऐसा कोई अंतराल अनुमत नहीं होगा यदि वह अंतराल धारा 25 की उप-धारा (2) के अधीन किसी श्रमजीवी पत्रकार द्वारा प्राप्त अंतराल के साथ मेल खाता हो या उसके भीतर आता हो।

66. विक्रय संवर्धन कर्मचारों और उनके अधीन कार्यरत पत्रकारों के लिए अवकाश एवं छुट्टियां.-

- (1) एक कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में दस छुट्टियों का हकदार होगा।
- (2) यदि किसी कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी को छुट्टी के दिन उपस्थित होना आवश्यक हो, तो उसे छुट्टी के तुरंत बाद तीस दिनों के भीतर, उसके और उसके नियोक्ता द्वारा आपसी सहमति से तय किए गए दिन पर प्रतिकरात्मक अवकाश दिया जाएगा।
- (3) कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी सभी छुट्टियों के दिनों में उसी प्रकार वेतन पाने का हकदार होगा जैसे कि वह कर्मचारी छुट्टी पर हो।
- (4) कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी को साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए भी उतना ही वेतन मिलेगा जितना कि उस दिन छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारी को मिलता है।
- (5) कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी उस स्थापन में एक या अधिक अधिकारियों को इन नियमों के प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।
- (6) जो कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें स्थापन के सक्षम अधिकारी को लिखित में आवेदन करना होगा।
- (7) आकस्मिक अवकाश, आयुर्विज्ञान प्रमाण पत्र पर अवकाश और संगरोध अवकाश के अतिरिक्त, खंड (i) के अधीन अवकाश के लिए आवेदन, आपातकालीन या अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर, अवकाश प्रारंभ होने की तारीख से कम से कम एक माह पहले किया जाएगा।
- (8) जब छुट्टी अस्वीकार या स्थगित की जाती है, तो स्थापन का सक्षम अधिकारी ऐसी अस्वीकृति या स्थगन के कारणों को अभिलिखित करेगा और आदेश की एक प्रति कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी को भेजेगा।
- (9) साप्ताहिक विश्राम दिवसों के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को स्थापन के सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी अवकाश के पहले या बाद में नहीं जोड़ा जाएगा।
- (10) इस नियम के अधीन दी गई किसी भी छुट्टी के दौरान पड़ने वाली छुट्टी, जिसमें साप्ताहिक विश्राम दिवस भी शामिल है, छुट्टी की अवधि का हिस्सा होगी।
- (11) (i) कोई स्थापन किसी कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी को छुट्टी पर वापस बुला सकता है, यदि वह स्थापन ऐसा करना आवश्यक समझता है, और ऐसी वापसी की स्थिति में, कार्यरत पत्रकार या विक्री संवर्धन कर्मचारी यात्रा भत्ता का हकदार होगा, यदि वापसी के समय ऐसा कर्मचारी अपने मुख्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अपनी छुट्टी बिता रहा हो।

(ii) खंड (i) के अधीन भुगतान किया जाने वाला यात्रा भत्ता, यात्रा के लिए यात्रा भत्ता से संबंधित स्थापन के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(12) एक कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी जिसने स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी ली है, उसे काम पर लौटने से पहले, उसके नियोक्ता द्वारा उस योग्य चिकित्सक से उपयुक्तता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया था।

(13) पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को नियुक्त करने वाला प्रत्येक स्थापन एक या अधिक योग्य चिकित्सा व्यवसायियों को पदाभिहित कर सकेगा।

(14) (i) कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी छुट्टी पर बिताए गए प्रत्येक ग्यारह महीनों के लिए कम से कम एक महीने की अवधि के लिए पूर्ण वेतन सहित अर्जित अवकाश का हकदार होगा;

परन्तु जब अर्जित अवकाश की कुल शोध्य रकम एक सौ बीस दिन हो जाएगी, तो ऐसे कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को आगे ऐसा अवकाश अर्जित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा;

(ii) छुट्टी पर बिताई गई अवधि में साप्ताहिक अवकाश, सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश और संगरोध अवकाश शामिल होंगे।

(15) अर्जित अवकाश पर रहने वाला कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी, छुट्टी पर बिताए गए पूरे बारह महीनों की अवधि के दौरान अर्जित औसत मासिक वेतन के बराबर वेतन प्राप्त करेगा, या यदि अवधि पूरे बारह महीनों से कम है, तो उस महीने से ठीक पहले की पूरी अवधि के दौरान अर्जित औसत मासिक वेतन के बराबर वेतन प्राप्त करेगा जिसमें अवकाश आरंभ होता है।

(16) (i) जब कोई कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी स्वेच्छा से अपना पद छोड़ देता है या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह अधिकतम एक सौ बीस दिनों तक के अर्जित अवकाश के लिए नकद मुआवजे का हकदार होगा।

परन्तु जिस कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को उसके कारण अर्जित अवकाश देने से इनकार कर दिया गया हो, वह अस्वीकृत अर्जित अवकाश के लिए नकद मुआवजा पाने का हकदार होगा:

परन्तु यह और यह कि यदि किसी कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसने अपनी मृत्यु की तारीख से ठीक पहले अर्जित अवकाश का लाभ नहीं उठाया है, तो उसके वारिस उस अवकाश के लिए नकद मुआवजे के हकदार होंगे जिसका लाभ नहीं उठाया गया है।

(ii) यदि किसी कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी की सेवा किसी भी कारण से समाप्त कर दी जाती है, सिवाय अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में दी गई सजा के, तो वह कर्मचारी अधिकतम एक सौ बीस दिनों तक के अर्जित अवकाश के लिए नकद मुआवजे का हकदार होगा।

(iii) ऐसा नकद मुआवजा उस वेतन की रकम से कम नहीं होगा जो किसी कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को छुट्टी की अवधि के लिए देय हो, जिसका लाभ नहीं उठाया गया हो, सुसंगत मजदूरी वह होगी जो ऐसे कर्मचारी को देय होती यदि वे वास्तव में खंड (i) या खंड (ii) में अधिसूचित किसी घटना के घटित होने से ठीक पहले वाले दिन छुट्टी पर गए होते।

(17)

(i) कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर वेतन के आधे हिस्से के बराबर अवकाश का हकदार होगा, जो प्रत्येक अठारह महीने की सेवा के लिए एक महीने से कम नहीं होगा।

परन्तु चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ली गई छुट्टी की कुल अवधि नब्बे दिन होने पर ऐसे कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को ऐसी छुट्टी अर्जित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

(ii) ऐसा चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी योग्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किया जाना चाहिए:

परन्तु यदि कोई कार्यरत पत्रकार अपने नियोक्ता की अनुमति से अपने मुख्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गया हो और बीमार पड़ जाए, तो वह किसी भी योग्य चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है:

परन्तु यह और कि यदि प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पंजीकृत चिकित्सक सरकार की सेवा में नहीं है, तो नियोक्ता अपने व्यय पर संबंधित कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी की चिकित्सक जांच किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा, जो सिविल सहायक सर्जन के पद से कम का न हो, या उस स्थान पर अवकाश प्राधिकरण या सार्वजनिक संगठन द्वारा संचालित अस्पताल के प्रभारी किसी अन्य चिकित्सक अधिकारी द्वारा करवा सकता है।

(iii) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश अर्जित अवकाश, के साथ जारी रखा जा सकता है, लेकिन अर्जित अवकाश और चिकित्सक प्रमाण पत्र पर अवकाश की कुल अवधि एक बार में एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी।

परन्तु चिकित्सा बोर्ड एक सौ बीस दिनों से अधिक की छुट्टी की सिफारिश कर सकेगा।

(iv) कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी अपने विकल्प पर चिकित्सा प्रमाण पत्र पर वेतन के आधे हिस्से पर मिलने वाली छुट्टी को पूरे वेतन की छुट्टी की आधी रकम में परिवर्तित करने का हकदार होगा।

(v) खंड (i) और (iii) के उपबंध में अवकाश संचय और कुल अवधि पर निर्धारित सीमा को सक्षम अधिकारी द्वारा तपेदिक जैसी लंबी बीमारी से पीड़ित कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी के मामलों में शिथिल किया जा सकता है;

(vi) खंड (i) और (iv) में अधिसूचित चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश या चिकित्सक प्रमाण पत्र पर परिवर्तित अवकाश किसी कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को उनके अनुरोध पर दिया जा सकता है, भले ही उन्हें अर्जित अवकाश प्राप्त हो।

(18)(i) उप-नियम (9) के अनुसार पदाभिहित योग्य चिकित्सा व्यवसायी के चिकित्सक प्रमाण पत्र पर या जहां ऐसा कोई पदाभिहित योग्य चिकित्सक व्यवसायी नहीं है, वहां जिला लोक स्वास्थ्य अधिकारी या समान पदास्थिति के अन्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्ण वेतन पर संगरोध अवकाश दिया जाएगा, जिसकी अवधि इक्कीस दिन से अधिक नहीं होगी या असाधारण परिस्थितियों में तीस दिन होगी।

(ii) संगरोध प्रयोजनों के लिए आवश्यक कोई भी अवकाश, उस अवधि से अधिक होने पर, कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को देय किसी अन्य अवकाश के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(19) जिस कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी के खाते में कोई छुट्टी नहीं है, उसे उस स्थापन के विवेकानुसार बिना वेतन के असाधारण छुट्टी दी जा सकती है, जिसमें वह कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी कार्यरत है;

(20) जिस कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी के खाते में कोई छुट्टी नहीं है, उसे उस स्थापन के विवेक पर छुट्टी दी जा सकती है जिसमें वह कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी कार्यरत है।

(21) किसी कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को वेतन सहित या बिना वेतन के अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है, यह उस स्थापन के विवेक पर निर्भर करता है जिसमें ऐसा पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी कार्यरत है।

(22) (i) एक कार्यरत पत्रकार या बिक्री संवर्धन कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में पंद्रह दिनों तक संस्थान के विवेकानुसार आकस्मिक अवकाश का लाभ मिलेगा:

परन्तु एक बार में पांच दिनों से अधिक की छुट्टी न ली जाए और ऐसी छुट्टियां किसी अन्य छुट्टी के साथ न जोड़ी जाएं।

(ii) किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान न ली गई आकस्मिक छुट्टी अगले वर्ष में आगे नहीं ले जाई जाएगी।

67. साप्ताहिक अवकाश.- (1) नियोक्ता प्रत्येक स्थापन के कार्यस्थल के एक प्रमुख स्थान पर एक सूचना प्रदर्शित करेगा, जिसमें साप्ताहिक अवकाश दर्शाया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड जैसे डिजिटल माध्यम भी शामिल होंगे।

(2) यदि स्थापन में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक अवकाश एक ही दिन नहीं होता है, तो नोटिस में प्रत्येक समूह या व्यक्ति को मिलने वाले अवकाश को हिंदी या अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में दर्शाया जाएगा।

68. प्रतिकरात्मक अवकाश.- (1) ऐसे किसी कार्य में लगे कर्मकार को छोड़कर, जिसे तकनीकी कारणों से पूरे दिन लगातार करना आवश्यक हो, प्रतिकरात्मक अवकाश की अनुमति दी जाएगी और उन्हें इस प्रकार अंतराल पर दिया जाएगा कि एक सप्ताह में दो से अधिक प्रतिकरात्मक अवकाश न दिए जाएं।

(2) स्थापन का नियोक्ता उस महीने के अंत में या उससे पहले, जिसमें अवकाश का नुकसान हुआ है, उन कर्मकारों के संबंध में एक सूचना प्रदर्शित करेगा जिन्हें अगले महीने के दौरान प्रतिकरात्मक अवकाश दिया गया है और उनकी तारीखों के बारे में, उस स्थान पर जहां कार्य अवधि की सूचना प्रदर्शित की जाती है।

(3) किसी भी प्रतिकरात्मक अवकाश के संबंध में नोटिस में कोई भी बाद का परिवर्तन उस अवकाश की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले किया जाएगा।

(4) किसी भी कर्मचारी को जिस प्रतिकरात्मक अवकाश का हकदार है, वह उसे सेवामुक्त या बर्खास्त किए जाने से पहले दिया जाएगा और इसे आवश्यक नोटिस अवधि के भाग के रूप में नहीं गिना जाएगा।

69. अतिकालिक मजदूरी- (1) जहाँ किसी स्थापन में-

(क) कोई कर्मकार दैनिक वेतनभोगी के रूप में किसी दिन आठ घंटे से अधिक काम करता है या

(ख) दैनिक कर्मकार के अलावा, कोई अन्य कर्मकार किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से ज़्यादा काम करता है,

ऐसे ओवरटाइम काम के लिए कर्मकार अपनी सामान्य मजदूरी की दर से दोगुनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा, और उसे हर मजदूरी अवधि के अंत में इसका भुगतान किया जाएगा।

(2) किसी भी दिन अतिकालिक की गणना करते समय, 15 से 30 मिनट के बीच के समय के अंश को तीस मिनट गिना जाएगा और तीस मिनट से अधिक होने की स्थिति में इसे पूर्णांकित कर वास्तविक आधार पर एक घंटा गिना जाएगा।

(3) मासिक वेतन पाने वाले कर्मकार के मामले में मजदूरी या कमाई की गणना करते समय, दैनिक मजदूरी उसके मासिक वेतन का 1/26वां हिस्सा होगी; और किसी भी अन्य कर्मकार के मामले में यह, यथास्थिति, दैनिक मजदूरी या कमाई होगी।

(4) नियम 64 में उल्लिखित काम के घंटे, डॉक, खान और भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में, निम्नलिखित कार्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत बढ़ाए जा सकते हैं :

- (क) तत्काल मरम्मत;
- (ख) प्रारंभिक या पूरक प्रकृति का कार्य;
- (ग) ऐसा कार्य जो अनिवार्य रूप से इतना सविराम हो कि ड्यूटी पर रहने के दौरान जिन अंतरालों में वे कार्य नहीं करते हैं, वे सामान्यतः विश्राम के अंतरालों से अधिक हों;
- (घ) ऐसा कार्य जो तकनीकी कारणों से निरंतर किया जाना चाहिए;
- (ङ) उन अनिवार्य वस्तुओं को बनाने या आपूर्ति करने में लगा होना जिनका निर्माण या आपूर्ति प्रतिदिन की जानी चाहिए;
- (च) ऐसी प्रक्रिया में लगा होना जिसे निश्चित मौसमों के अतिरिक्त संचालित नहीं किया जा सकता;
- (छ) ऐसी प्रक्रिया में लगा होना जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर निर्भर समय के अतिरिक्त संचालित नहीं किया जा सकता;
- (ज) इंजन-कक्षों या बॉयलर-घरों में या पावर-प्लांट या ट्रांसमिशन मशीनरी की देखभाल में लगा होना;
- (झ) मशीनरी के खराब होने के कारण प्रक्रिया में लगा होना;
- (ञ) रेलवे वैगनों या लोरियों या ट्रकों या पोतों की लोडिंग या अनलोडिंग में लगा होना;
- (ट) कार्य का असाधारण दबाव और
- (ठ) किसी भी ऐसे कार्य में लगा होना, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व के कार्य के रूप में अधिसूचित किया गया हो;

परंतु किसी भी कर्मकार को वर्ष की किसी भी तिमाही में एक सौ चौवालीस घंटे से अधिक अतिकालिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परंतु यह औरकि अतिकालिक के लिए, एक कर्मकार को प्रत्येक मजदूरी अवधि के अंत में संहिता की धारा 27 के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

70. खानों में दोहरे नियोजन पर प्रतिबंध.- खानों में दोहरे नियोजन पर प्रतिबंध से छूट की परिस्थितियां केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विधिसूचित की जाएंगी।

71. कार्य की अवधि का नोटिस.- धारा 31 की उप-धारा (2) में संदर्भित नोटिस स्थापन के सूचना बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसे प्ररूप-XII में बनाए रखा जाएगा तथा ऐसे नोटिस की एक प्रति निरीक्षक-सह-सुकारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा भेजी जाएगी।

अध्याय 8

अभिलेख और विवरणी रजिस्टर का रख-रखाव

72. धारा 33 के अधीन रिपोर्ट, पंजीकृत और अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण.- (1) स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता निम्नलिखित संधारित करेगा:-

- (i) प्ररूप-XIII में कर्मकारों का रजिस्टर;
- (ii) प्ररूप-XIV में उपस्थिति-सह-मस्टर रोल का रजिस्टर;
- (iii) प्ररूप-XV में मजदूरी, अतिकालिक और कटौती का रजिस्टर;
- (iv) इस अध्याय के अधीन पंजीयाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अनुरक्षित की जाएँगी;
- (v) पंजियों में प्रविष्टियाँ अंग्रेजी, या हिंदी और स्थानीय भाषा में की जाएँगी;
- (vi) प्रत्येक नियोक्ता को मांग किए जाने पर निरीक्षक सह-सुविधाकर्ता या केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष अभिलेख और रजिस्टर प्रस्तुत करने होंगे;

(vii) सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख, उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच कैलेंडर वर्ष की अवधि तक मूल रूप में संरक्षित रहेंगे।

- (2) प्रत्येक नियोक्ता, कर्मकारों को वेतन के भुगतान के दिन या उससे पहले, प्ररूप-XVI में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, वेतन पर्ची जारी करेगा।
- (3) उन स्थापनों के संबंध में, जिन्हें मजदूरी संहिता 2019 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है, मजदूरी संहिता, 2019 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्थापन के नियोक्ता द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक निम्नलिखित रजिस्टर और वेतन पर्चियां इन नियमों के अधीन नियोक्ता द्वारा बनाए रखी गई मानी जाएंगी।
- (4) संहिता के अधीन बनाए रखने हेतु आवश्यक सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख पूर्ण एवं अद्यतन रखे जाएंगे और जब तक अन्य उपबंध ना हो, उन्हें कार्यालय में या कार्यस्थल परिसर के भीतर किसी निकटतम सुविधाजनक भवन में अथवा तीन किलोमीटर के भीतर में किसी स्थान पर रखा जाएगा।
- (5) वह नियोक्ता जिस पर इस संहिता के उपबंध लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत के बाद फरवरी के 28 या 29वें दिन या उससे पहले, अधिसूचित पोर्टल पर अधिसूचित प्ररूप-XVII और XVIII में वार्षिक विवरणी अपलोड करें बशर्ते कि निरीक्षण के दौरान, इंस्पेक्टर-कम-सुविधाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा बनाए गए खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के उत्पादन की आवश्यकता हो सकेगी।
स्पष्टीकरण – इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “इलेक्ट्रॉनिक रूप” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में इसे दिया गया है।
- (6) यदि नियोक्ता, जिस पर इस संहिता के उपबंध लागू होते हैं, स्थापन के कामकाज को बेचता है, परित्यागकर देता है या बंद कर देता है, तो ऐसा नियोक्ता, ऐसी बिक्री या परित्याग की तारीख के एक महीने के भीतर या ऐसे बंद होने की तारीख के चार महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, श्रम और रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के पदाभिहित पोर्टल पर, पिछले वर्ष के अंत और बिक्री, परित्याग या समाप्ति की तारीख के बीच की अवधि के संबंध में खंड (क) में अधिसूचित प्ररूप-XVII और XVIII में एक और वार्षिक विवरणी ऑनलाइन अपलोड करेगा।
- (7) मैनुअल रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों के मामले में,

(i) अंग्रेजी, या हिंदी और स्थानीय भाषा में स्याही से स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाना चाहिए और नियोक्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए;

(ii) अंतिम रिपोर्ट या प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक मूल रूप में संरक्षित रखा जाएगा; बशर्ते कि जब मूल अभिलेख पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले खो जाए या नष्ट हो जाए, तो उसकी सच्ची प्रतियां, यदि उपलब्ध हों, निर्धारित अवधि के लिए संरक्षित रखी जाएंगी;

(iii) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक या केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष मांग किए जाने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

- (8) प्रत्येक स्थापन जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का अध्याय 3 (कर्मचारी भविष्य निधि) और अध्याय 4 (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) लागू होता है, प्ररूप-XVII के भाग-4 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्व-घोषणा प्रस्तुत करेगा।

73. नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना.- प्रत्येक नियोक्ता अपने नियंत्रणाधीन स्थापन के कार्यस्थल के विशिष्ट स्थान पर स्थापन का नाम और पता, कार्य के घंटे, मजदूरी अवधि, ऐसी मजदूरी के भुगतान की तारीख, पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापन में हुई दुर्घटना और खतरनाक घटना का विवरण आदि सूचनाएं और ऐसे स्थापन पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकारक का नाम और पता तथा ऐसे कर्मकारों को अवैतनिक मजदूरी के भुगतान की तारीख अंग्रेजी या हिंदी और स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करवाएगा।

74. वार्षिक विवरणी.- किसी स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता ऐसे स्थापन से संबंधित वार्षिक विवरणी प्ररूप-XVII में कर्मकारों की श्रेणी, स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं, छुट्टी या कामबंदी, बोनस, मातृत्व लाभ आदि से संबंधित क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजेगा ताकि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत के बाद फरवरी के 28 या 29 वें दिन या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुँच सके।

75. दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर.- दुर्घटना और खतरनाक दुर्घटनाओं के रजिस्टर धारा 33 के खंड (क) के उप-खंड (v) द्वारा अपेक्षित घटनाओं को प्ररूप-XIX में रखा जाएगा।

76. वेतन सहित अवकाश का रजिस्टर.- (1) प्रत्येक स्थापन का नियोक्ता अपने प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में वेतन सहित अवकाश का रिकार्ड इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल रूप से प्ररूप-XX में रखेगा और मांगने पर एक कैलेंडर वर्ष में एक बार संबंधित कर्मचारी के अवकाश रिकार्ड भी साझा करें।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि किए जाने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखा जाएगा और उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी नष्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे नए रजिस्टर में समुचित रूप से स्थानांतरित न कर दिया गया हो।

अध्याय 9 निरीक्षक-सह-सुकारक और अन्य प्राधिकारी

77. किसी वस्तु या पदार्थ के नमूने लेने की शक्ति - (1) निरीक्षक-सह-सुकारक संहिता के अधीन अधिदेशित निरीक्षण योजना के अनुसार स्थापन में नियोक्ता को सूचित करने के पश्चात्, स्थापन में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी पदार्थ का पर्याप्त नमूना प्रदान किए जाने के पश्चात्, यहां वर्णित रीति से नमूने या पदार्थ लेगा, ऐसा उपयोग—

(क) निरीक्षक-सह-सुकारक के विश्वास में संहिता के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन, या

(ख) निरीक्षक-सह-सुकारक की राय में स्थापन में कर्मचारी को शारीरिक क्षति या उसके स्वास्थ्य को क्षति लगने की संभावना है।

(2) जहां निरीक्षक-सह-सुकारक उपनियम (1) के अधीन नमूना लेता है, वहां वह उस उपधारा के अधीन सूचित व्यक्ति की उपस्थिति में, जब तक कि ऐसा व्यक्ति स्वेच्छा से अनुपस्थित न हो, नमूने को तीन भागों में विभाजित करेगा और उन्हें प्रभावी रूप से मुहर लगाकर उपयुक्त रूप से चिह्नित करेगा, और ऐसे व्यक्ति को उसमें अपनी मुहर और चिह्न लगाने की अनुमति देगा।

(3) पूर्वोक्त रूप से सूचित व्यक्ति, यदि निरीक्षक-सह-सुकारक को आवश्यकता हो, तो इस नियम के अधीन लिए गए नमूने को विभाजित करने, सील करने और चिह्नित करने के लिए उपस्कर उपलब्ध कराएगा।

(4) निरीक्षक-सह-सुकारक-

(क) उपनियम (1) के अधीन सूचित व्यक्ति को नमूने का एक भाग तुरन्त दे देना;

(ख) नमूने के दूसरे भाग को विश्लेषण और उस पर रिपोर्ट के लिए सरकारी विश्लेषक या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को भेजें;

(ग) नमूने के तीसरे भाग को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए रखें जिसके समक्ष पदार्थ के संबंध में कार्यवाही, यदि कोई हो, आरंभ की जाती है।

(5) इस धारा के अधीन विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे प्रस्तुत किए गए किसी पदार्थ पर किसी सरकारी विश्लेषक या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के अधीन रिपोर्ट होने का दावा करने वाले किसी भी दस्तावेज को पदार्थ के संबंध में आरंभ की गई किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

78. निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) निरीक्षक-सह-सुकारक प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात्, जैसा आवश्यक समझे, आवश्यक समझे, नियोक्ता या अधिभोगी या अधिष्ठाता या प्रबंधक या मास्टर या पोत के प्रभारी अधिकारी या उनके एजेंट को **प्ररूप-XXV** में सुधार नोटिस जारी करेगा, जिसमें संहिता के अधीन सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों या मानकों के गैर-अनुपालन का उल्लेख होगा।

(2) निरीक्षक-सह-सुकारक प्रत्येक निरीक्षण में यह पता लगाएगा कि पिछले निरीक्षण में अधिसूचित कमियों को किस सीमा तक सुधारा गया है और पहले जारी किए गए नोटिसों का अनुपालन किया गया है तथा उसके निष्कर्ष और निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आने वाली कमियां, संहिता या नियम या उनके अधीन बनाए गए विनियमों या मानकों के अधीन उनके द्वारा पारित किसी आदेश के साथ उसे अभिलिखित किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा।

79. जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य.- खानों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य, समय-समय पर जारी केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

80. विशेषज्ञों की अर्हताएं और अनुभव, कर्तव्य और जिम्मेदारियां.- यह योजना तीसरे पक्ष के लेखापरीक्षा और प्रमाणन के लिए विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने के लिए अधिसूचित की जाएगी। पैनल में शामिल किए जाने वाले विशेषज्ञों की योग्यताएं और अनुभव, कर्तव्य और जिम्मेदारियां समय-समय पर जारी केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

81. चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति.- (1) चिकित्सा अधिकारी एक चिकित्सा व्यवसायी होगा, जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) में परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता है और जो राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित है।

(2) चिकित्सा अधिकारी को व्यावसायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त छाती रेडियोग्राफ का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आई एल ओ वर्गीकरण भी शामिल है।

82. चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य.- (1) धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन संदर्भ प्राप्त होने पर, चिकित्सा अधिकारी चिकित्सक परीक्षण की तारीख, समय और स्थान के संबंध में पूर्व सूचना देने के पश्चात् और ऐसी जांच के लिए भेजे गए कर्मों की जांच करने पर, आयु एवं उपयुक्तता प्रमाणपत्र तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति अपने पास रखने के बाद उसे स्थापन के प्रबंधक एवं संबंधित कर्मचारी को सौंप देगा।

(2) चिकित्सा अधिकारी उम्र के निर्धारण के उद्देश्य से रेडियोलॉजिस्ट, दंत चिकित्सक और आर्थोपेडिक सर्जन जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकता है।

(3) चिकित्सा अधिकारी ऐसी जांच करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार निर्देश दे सकती है-

- (क) संहिता की पहली अनुसूची में अधिसूचित ऐसी खतरनाक प्रक्रियाओं में किसी स्थापन में कर्मचारों की जांच और प्रमाणन के लिए;
- (ख) किसी भी स्थापन या स्थापन के वर्ग के चिकित्सा पर्यवेक्षण के लिए जहां किसी भी प्रक्रिया की खतरनाक प्रकृति या काम की खतरनाक स्थिति के कारण पुरानी व्यावसायिक बीमारी के मामले हुए हैं;
- (ग) किसी स्थापन या स्थापन के वर्ग या स्थापन के विवरण के संबंध में जिसमें संचालन में उसमें कार्यरत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के स्वास्थ्य को क्षति लगने का कोई जोखिम शामिल है;
- (घ) किसी स्थापन के किसी एक वर्ग के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना, जहां बीमारी के मामले सामने आए हों या संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट बीमारियों का प्रचलन हो;
- (ङ) किसी स्थापन या स्थापन वर्ग में रोजगार के लिए किशोरों की आयु और उपयुक्तता का आकलन करना।

अध्याय 10

महिलाओं के नियोजन के संबंध में विशेष उपबंध

83. स्थापन में महिलाओं का रोजगार.- किसी भी दिन-रात के समय या सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद महिलाओं को रोजगार देने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात्:-

- (क) महिला कर्मचारी की सहमति लिखित रूप में ली जाएगी;
- (ख) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अधीन निर्धारित मातृत्व लाभ उपबंधों के खिलाफ किसी भी महिला को नियोजित नहीं किया जाएगा;
- (ग) महिला कर्मचारी को ऐसे कर्मचारी को उसके निवास पर लेने और छोड़ने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;
- (घ) शौचालय, पेयजल, महिला कर्मचारी के प्रवेश और निकास से संबंधित सुविधाओं या सुविधाओं की ओर जाने वाले मार्ग सहित कार्यस्थल पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए; शौचालय, शौचालय और पेयजल सुविधाएं उस कार्यस्थल के निकट होनी चाहिए जहां ऐसी महिला कर्मचारी कार्यरत हैं और इन सुविधाओं के रास्ते पर क्लोज-सर्किट टेलीविजन निगरानी के उपयुक्त उपबंध प्रदान किए जाएंगे;
- (ङ) सुरक्षित, निरापद और स्वस्थ कामकाजी स्थिति प्रदान करें ताकि किसी भी महिला कर्मचारी को उसके रोजगार के संबंध में नुकसान न हो;
- (च) स्थापन के समर्पित टेलीफोन नंबर स्थापन के साथ-साथ वाहनों के अंदर भी विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि कोई भी महिला कर्मचारी किसी भी अत्यावश्यक या आपातकालीन स्थिति में उनका उपयोग कर सके;
- (छ) जमीन के नीचे खदान होने की स्थिति में किसी भी स्थान पर कम से कम 3 महिला कर्मचारी झूटी पर होंगी; तथा
- (ज) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के उपबंधों का, जैसा कि स्थापनों पर लागू होता है, अनुपालन किया जाएगा।

84. खतरनाक कार्यों में महिलाओं के रोजगार की पर्याप्त सुरक्षा.- केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा संहिता की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खतरनाक प्रक्रियाओं में नियोजित महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्थापनों की श्रेणी और मानक की घोषणा कर सकती है।

अध्याय 11
भाग-I
अनुबंधित कर्मकार

85. ठेकेदार की योग्यता और मानदंड.- अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, ठेकेदार एक इकाई या एक व्यक्ति के रूप में दिवालिया नहीं होगा या पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी समय किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जिसके लिए तीन महीने से अधिक कारावास की सजा हो सकती है।

86. अनुज्ञप्ति की शर्तें.- (1) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

- (i) काम के घंटे धारा 25 से संबंधित इन नियमों के अनुरूप होंगे;
- (ii) मजदूरी का भुगतान मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के अनुसार किया जाएगा;
- (iii) यदि ठेकेदार का ठेका श्रमिक मुख्य नियोक्ता के परिसर में काम कर रहा है, तो मुख्य नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह शौचालय, प्रसाधन कक्ष, पेयजल, यदि आवश्यक हो तो स्नान की सुविधा, चेंजिंग रूम, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कैटीन और शिक्षक जैसी सुविधाएं या सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराए; तथा
- (iv) ठेकेदार द्वारा अन्य सभी सुविधाएं और अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

(2) यदि ठेकेदार अनुबंधित कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है, तो मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या उनके प्रतिनिधि उन अनुबंधित कर्मकारों को ऐसा भुगतान कराएगा, जिन्हें भुगतान नहीं किया गया है, नियम 90 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा जमा से बैंक गारंटी लागू करना भी शामिल है।

(3) ठेकेदार संविदा कार्य आदेश प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर नियम 94 में या अधिसूचित रीति से संविदा कार्य आदेश के विवरण के बारे में सूचित करेगा।

87. ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति.- किसी राज्य के भीतर किसी ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप-XXI में श्रम सुविधा पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन किया जाएगा।

88. एक से अधिक राज्यों या सम्पूर्ण भारत में ठेकेदार के लिए एकल अनुज्ञप्ति .- (1) यदि कोई ठेकेदार निम्नलिखित के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक है-

- (i) संविदा श्रम की आपूर्ति करना या उसे शामिल करना या
- (ii) धारा 47 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन संविदा कार्य करने या निष्पादित करने के पश्चात्, वह प्ररूप-XXI में एक से अधिक राज्यों या सम्पूर्ण भारत के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल या पदाभिहित पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(2) इस नियम के अधीन एकल अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य सरकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप से परामर्श किया जाएगा यदि ऐसे संचार जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो परामर्श प्रक्रिया को अनुपालन किया गया माना जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन सभी आवेदनों को ठेकेदार द्वारा आवेदन की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर या तो अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाएगा, जिसके बाद यह माना जाएगा कि कोई आपत्ति नहीं है और अनुज्ञप्ति उप-नियम (1) में अधिसूचित पोर्टल पर स्वतः तैयार हो जाएगी।

(5) इस प्रकार जारी की गई अनुज्ञप्ति की प्रति या उस राज्य सरकार को भेजी जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह संविदा कार्य या संकाय हैं जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई।

(6) इस नियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति पांच वर्ष के लिए वैध होगी।

89. अनुज्ञप्ति के प्ररूप, निबंधन और शर्तें.- (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप-XXII में होगी:

(2) प्रदान या नवीनीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:—

- (i) अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होगा;
- (ii) ठेकेदार द्वारा नियोजित संविदा कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन अनुज्ञप्ति में अधिसूचित अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;
- (iii) इन नियमों में दिए गए उपबंध को छोड़कर, अनुदान के लिए या जैसा भी मामला हो, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए भुगतान की गई फीस वापसी योग्य नहीं होगी;

- (iv) ठेकेदार द्वारा अनुबंधित कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी और जहां दरें समझौते, निपटान या पंचाट द्वारा तय की गई हैं, वे इस प्रकार निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।

90. अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया.- (1) इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने से पूर्व, नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक संविदा कर्मकार के लिए, जिसके संबंध में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, 1000/- रुपये की दर से गणना की गई प्रतिभूति रकम के लिए बैंक गारंटी, ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के निष्पादन तथा संहिता के उपबंधों के अनुपालन के लिए प्राधिकरण के पास जमा की जाएगी।

(2) यदि ठेकेदार एक लाख या उससे अधिक लेकिन एक लाख पचास हजार से कम ठेका श्रमिकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है तो सुरक्षा रकम 10 करोड़ रुपये होगी और यदि एक लाख पचास हजार लेकिन दो लाख से कम ठेका श्रमिकों को नियुक्त करता है तो सुरक्षा रकम 15 करोड़ रुपये होगी और यदि दो लाख या उससे अधिक ठेका श्रमिकों को नियुक्त करता है तो सुरक्षा रकम 20 करोड़ रुपये होगी।

(3) जहां जारी संविदा अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो गई थी, वहां प्ररूप-XXII में आवेदक के अनुरोध के आधार पर, प्राधिकरण नए अनुज्ञप्ति के लिए उनके आवेदन के संबंध में उप-नियम (1) के अधीन सुरक्षा जमा को समायोजित कर सकता है।

(4) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी, अर्थात्:

(क)	49 ठेका श्रमिकों तक किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है	शून्य
(ख)	50 और उससे अधिक लेकिन 100 ठेका श्रमिक से अधिक नहीं	1000 रुपये
(ग)	101 और उससे अधिक ठेका श्रमिक किन्तु 300 से अधिक नहीं	2000 रुपये
(घ)	301 और उससे अधिक ठेका श्रमिक किन्तु 500 से अधिक नहीं	3000 रुपये
(ङ)	501 और उससे अधिक ठेका श्रमिक किन्तु 1000 से अधिक नहीं	5000 रुपये
(च)	1001 और उससे अधिक ठेका श्रमिक किन्तु 5000 से अधिक नहीं	10000 रुपये
(छ)	5001 और उससे अधिक ठेका श्रमिक लेकिन 10000 से अधिक नहीं	20000 रुपये
(ज)	10001 और उससे अधिक ठेका श्रमिक किन्तु 20000 से अधिक नहीं	30000 रुपये
(झ)	20001 से अधिक ठेका श्रमिक	40000 रुपये

91. अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.- (1) प्रत्येक ठेकेदार अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए श्रम सुविधा पोर्टल पर अनुज्ञापक प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन उप-नियम (1) में अधिसूचित पोर्टल पर अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन अनुज्ञप्ति की ऐसी समाप्ति के नब्बे दिनों से पहले नहीं।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य शुल्क नियम 90 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रभार्य शुल्क के समान होगा:

परन्तु यदि नवीकरण के लिए आवेदन उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे नवीकरण के लिए पञ्चीस प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(4) संबंधित प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सात दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नवीनीकृत कर दे, अन्यथा अनुज्ञप्ति जारी और स्वतः निर्मित माना जाएगा।

92. प्रतिभूति जमा की वापसी.- (1) अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर, यदि ठेकेदार अपने अनुज्ञप्ति को आगे नवीनीकृत कराने का आशय नहीं रखता है, तो वह अनुज्ञापक प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है कि उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की वापसी के साथ-साथ समाप्त हो चुके अनुज्ञप्ति की प्रति भी वापस कर दी जाए और कार्य पूरा होने की सूचना तथा बैंक विवरण जिसमें रकम वापस करना आवश्यक है।

(2) यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है या सुरक्षा जमा या उसके किसी भाग को जब्त करने का कोई आदेश नहीं है, तो प्राधिकारी आवेदक को सुरक्षा जमा की वापसी का निर्देश देगा।

(3) यदि ठेकेदार की जमा प्रतिभूति के किसी भाग को जब्त करने का निर्देश देने वाला कोई आदेश है, तो जब्त की जाने वाली रकम सुरक्षा जमा प्रतिभूति से काट ली जाएगी, और शेष रकम, यदि कोई हो, आवेदन करने से 30 दिनों के भीतर ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

(4) धन वापसी के लिए किसी भी आवेदन का, जहां तक संभव हो, आवेदन करने के तीस दिनों के भीतर निपटान किया जाएगा।

93. ठेकेदार का उत्तरदायित्व.- (1) ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के अधीन नियत दरों से कम नहीं होंगी और जहां दरें करार, निपटान या पुरस्कार द्वारा नियत की गई हैं, वहां इस प्रकार नियत की गई दरों से कम नहीं होंगी।

(2) ऐसे मामले में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित संविदा कर्मकार स्थापन के मुख्य नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार के समान या किसी वैसी ही प्रकृति के कार्य करता है, छुट्टियां, ठेकेदार के संविदा श्रमिक के कार्य के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो स्थापन के मुख्य नियोक्ता द्वारा उसी या समान प्रकार के कार्य पर सीधे नियोजित कर्मकारों पर लागू होती हैं।

- (3) यदि इस बात पर कोई विवाद हो कि कार्य समान प्रकार का है या नहीं, तो मामला संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- (4) सभी संविदा श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (2020 का 36) के संबंधित उपबंधों के तहत प्रयोज्यता के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सदस्य बनाया जाएगा।
- (5) ठेकेदार संविदा श्रमिक की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सूचना प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा।

94. कार्य आदेश की सूचना और सूचना के लिए समय सीमा- (1) प्रत्येक ठेकेदार को संविदा कार्य आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्राधिकारी को संविदा कार्य आदेश के बारे में सूचित करना होगा जिसमें प्रमुख नियोक्ता का नाम, परिसर का पता जहां कार्य किया जा रहा है, संविदा कार्य शुरू होने की तारीख, उस कार्य आदेश के अधीन नियोजित संविदा श्रमिक की संख्या, कार्य आदेश की अवधि जैसे ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(2) कार्य आदेश का ब्यौरे ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपनियम (1) के अधीन भेजा जाएगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन सूचना श्रमिक सुविधा पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

95. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण और श्रमिक निलंबन - (1) यदि प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि लाइसेंस किसी भौतिक तथ्य के दुर्व्यपदेशन बयानी या दबाकर दमन द्वारा की गई है या यदि ठेकेदार उन शर्तों का पालन करने में असफल रहा है जिनके अधीन लाइसेंस दी गई थी या ठेकेदार ने संहिता के अध्याय-11 के भाग-1 के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है, तो प्राधिकारी ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

(2) नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर ठेकेदार से कोई उत्तर प्राप्त होने पर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी उसकी परीक्षा करेगा और यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लगता है कि ठेकेदार द्वारा संविदा व्यवसाय का जारी रहना संविदा श्रमिकों को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाला है, तो प्राधिकारी प्रतिसंहरण या निलंबन या अन्यथा के कारणों को रिकॉर्ड करते हुए एक बोलने वाला आदेश पारित कर सकता है और आदेश को ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित कर सकता है।

(3) आदेश की एक प्रति मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) (सी), संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारी (सी) और संबंधित राज्य प्राधिकरणों को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

(4) यदि ठेकेदार ने नियत समय अवधि के भीतर संहिता के संबंधित उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी एक बोलने का आदेश देते हुए निलंबन को रद्द कर देगा या अन्यथा निलंबन जारी रखा जा सकता है।

(5) यदि ठेकेदार उपनियम (1) में आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो प्राधिकारी तुरंत लाइसेंस रद्द प्रतिसंहरित का आदेश पारित कर सकता है, उसके कारणों को रिकॉर्ड कर सकता है और ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा और आदेश की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) और संबंधित राज्य प्राधिकरण को पृष्ठांकित की जाएगी।

96. लाइसेंस में संशोधन.- (1) लाइसेंस में संशोधन चाहने वाला ठेकेदार प्ररूप- XXI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से श्रम सुविधा पोर्टल पर आवेदन करेगा, जिसमें संशोधन के बारे में ब्यौरे दिए जाएंगे और उक्त प्ररूप में यथाविनिर्दिष्ट लाइसेंस जारी करने, पहचान प्रमाण और नियोक्ता के पते के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज अद्यतन किए जाएंगे।

(2) प्ररूप पर पोर्टल पर डिजिटल रूप से या किसी अन्य रीति में जैसा अपेक्षित हो हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) आवेदक आवेदन में प्रस्तुत सभी जानकारीयों की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) नियम 90 के उप नियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट लाइसेंस के संशोधन के लिए भुगतान की जाने वाली फीस।

(5) संशोधित लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है, किंतु पूर्ण आवेदन जमा करने की तारीख से सात दिनों से अधिक नहीं है, अन्यथा ऐसी लाइसेंस संशोधित मानी जाएगी और संशोधित लाइसेंस स्वतः उत्पन्न होगी।

(6) संशोधित लाइसेंस जारी होने के पश्चात, यदि संविदा श्रमिक की संख्या कम हो जाती है तो आनुपातिक सुरक्षा जमा वापस कर दिया जाएगा और यदि संविदा श्रमिक की संख्या बढ़ जाती है तो अतिरिक्त रकम की सुरक्षा जमा की जाएगी।

97. अपील.- (1) संहिता की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(2) इस प्रयोजन के लिए प्ररूप और फीस समय-समय पर जारी केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

98. मजदूरी के भुगतान की उत्तरदायित्व - (1) ठेकेदार उन मजदूरी अवधियों को नियत करेगा जिनके संबंध में मजदूरी देय होगा और कोई भी मजदूरी अवधि एक मास से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी स्थापन में या ठेकेदार द्वारा संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति का मजदूरी, उस मजदूरी अवधि के अंतिम दिन के पश्चात सातवें दिन की समाप्ति से पहले दी जाएगी, जिसके संबंध में मजदूरी देय है।

(3) प्रमुख नियोक्ता, ठेकेदार के साथ संविदा कर्मकार के बकाया से संबंधित ठेकेदार के बिलों का निपटान प्रमुख नियोक्ता और ठेकेदार के बीच सहमत निबंधनों और शर्तों के अनुसार समय सीमा के भीतर करेगा।

(4) मजदूरी का वितरण बैंक अंतरण या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

परंतु जहां मजदूरी को बैंक अंतरण अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से संवितरित करना व्यवहारिक न हो वहां मजदूरी मौजूदा सिक्कों अथवा मुद्रा में संवितरित की जाएगी।

(5) संविदा श्रमिक की मजदूरी किसी भी प्रकार की कटौती के बिना दी जाएगी, सिवाय उन कटौती के जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं।

(6) संविदा श्रम की मजदूरी की अवधि और तारीख और मजदूरी के वितरण का समय दर्शाने वाला नोटिस कार्यस्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा मूल नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक प्रति भेजी जाएगी।

(7) प्रत्येक ठेकेदार आधे वर्ष के समापन से तीस दिनों के भीतर, अर्थात् जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर तक, संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप-XVIII में अर्धवार्षिक विवरण भेजेगी।

(8) यदि ठेकेदार मजदूरी अवधि पूरी होने के सात दिनों के भीतर संविदा श्रमिक को मजदूरी का भुगतान करने में असफल रहता है, तो प्रधान नियोक्ता आवश्यक कार्रवाई करेगा और पंद्रह दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा नियोजित संबंधित संविदा श्रमिक को यथास्थिति पूर्ण रूप से या असदन्त अतिशेष शोध्यों मजदूरी का भुगतान करेगा और इस प्रकार भुगतान की गई रकम को ठेकेदार से किसी भी संविदा के अधीन ठेकेदार को देय किसी भी रकम से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में या प्रधान नियोक्ता के पास पड़े सुरक्षा जमा से वसूल करेगा।

(9) किसी स्थापन का प्रत्येक प्रमुख नियोक्ता प्ररूप-XVII (भाग-3) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राधिकारी और संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को प्रस्तुत करेगा ताकि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत के पश्चात फरवरी के अंतिम दिन तक या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच सके, सिवाय संविदा के मामलों में जो दिए गए परिणाम का उत्पादन करने का वचन देता है।

99. प्रतिभूति जमा रकम से मजदूरी का भुगतान करना - (1) यदि ठेकेदार या प्रमुख नियोक्ता उनके द्वारा नियोजित अनुबंध श्रमिक को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो संबंधित मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) परीक्षा करेगा या कराने का कारण बनेगा और ठेकेदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति जमा के रूप में जमा की गई रकम से ऐसी मजदूरी का भुगतान करने का आदेश पारित करेगा।

(2) ठेकेदार पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा रकम को फिर से प्रस्तुत करेगा अन्यथा लाइसेंस निलंबित होने के लिए दायी होगा।

100. अनुभव प्रमाणपत्र - प्रत्येक संबंधित ठेकेदार संविदा मांग किए जाने पर, संविदा श्रमिक को प्ररूप-XXIII में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें उस संविदा श्रमिक द्वारा कार्य किए गए समय, किए गए कार्य और विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव का ब्यौरा दिया गया हो।

101. संविदा श्रमिक के नियोजन का प्रतिषेध - यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी स्थापन की कोई कार्यकलाप मूल कार्यकलाप है या अन्यथा, तो व्यथित पक्ष केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकता है, जो ऐसे आवेदन को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अभिहित प्राधिकारी को संदर्भित कर सकता है। आवेदन का प्ररूप, रीति और समय अवधि समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी साधारण या विशेष आदेश के अनुसार होगी।

परंतु की कार्यवाही लंबितता के दौरान कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी ताकि कार्यकलाप का प्रचालन प्रभावित न हो।

भाग-II

अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार

102. अंतराज्यीय प्रवासी कर्मकार को यात्रा भत्ता - (1) नियोक्ता अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार के लिए रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी शयन या बस या यात्री परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा नियोजन के स्थान से गृह-राज्य में निवास के स्थान तक आने-जाने की यात्रा के लिए किराया के रूप में एकमुश्त रकम का भुगतान करेगा, यदि ऐसे कर्मकार ने पिछले बारह मास में संबंधित स्थापनों में एक सौ अस्सी दिनों से कम की अवधि के लिए कार्य किया है:

परंतु कि अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार को बारह मास में एक बार यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

(2) नियोजन अवधि के बीच में अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार द्वारा नियोक्ता के परिवर्तन की स्थिति में और ऐसे श्रमिक ने अपने पिछले नियोक्ता से यात्रा भत्ता का लाभ नहीं उठाया है, तो अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर, नियोक्ता जहां अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार वर्तमान में कार्य कर रहा है और ऐसे कर्मकार ने पिछले बारह मास में एक सौ अस्सी दिन पूरे कर लिए हैं, जिसमें पिछले नियोक्ता के साथ बिताई गई अवधि भी सम्मिलित है, तो वर्तमान नियोक्ता यात्रा भत्ता का भुगतान करेगा।

103. अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की स्थापना.- अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों के प्रश्नों और सुरक्षा को संबोधित करने के लिए श्रम और नियोजन मंत्रालय के महानिदेशक श्रम कल्याण संगठन द्वारा साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से एक टोल-फ्री हेल्प-लाइन नंबर प्रदान किया जाएगा।

104. अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों का अध्ययन.- अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले अध्ययनों की पहचान केंद्रीय सरकार समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कर सकती है। जहां भी अपेक्षित हो, केंद्रीय सरकार अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में अंतर्वलित राज्य सरकार या विशेषज्ञ संगठनों से भी परामर्श कर सकती है।

भाग-III

श्रव्य-दृश्य कर्मकार

105. श्रव्य-दृश्य कर्मकारों के लिए करार- निर्माता के साथ श्रव्य-दृश्य कर्मकारों के लिए करार को प्ररूप-XXIV में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

106. सुलह अधिकारी या अधिकरण को विवादों के संदर्भ की प्रक्रिया.- किसी सुलह अधिकारी या अधिकरण को विवाद के संदर्भ की प्रक्रिया औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

भाग-IV

खान

107. प्रबंधक की अर्हता और नियुक्ति.- किसी भी खान को तब तक नहीं खोला जाएगा, पुनः नहीं खोला जाएगा या उस पर कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सम्यक रूप से नियुक्त प्रबंधक न हो, जिसके पास नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अर्हताएं हों, अर्थात्:-

खान का प्रकार	खान में औसत सामग्री का प्रबंधन या औसत उत्पादन	प्रबंधक के लिए आवश्यक अर्हता
(1)	(2)	(3)
भूमिगत कोयला खान	(क) औसत उत्पादन प्रति माह 2,500 टन से अधिक।	प्रथम श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाणपत्र (कोयला)।
	(ख) औसत उत्पादन 2,500 टन प्रति माह से अधिक नहीं	प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र (कोयला) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाणपत्र (कोयला)।
खुली कोयला खान	(क) प्रति माह 20,000 घन मीटर से अधिक सामग्री का प्रबंधन	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (कोयला) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र केवल खुली खानों तक सीमित (कोयला)।
	(ख) प्रति माह 20,000 क्यूबिक मीटर से अधिक सामग्री का प्रबंधन नहीं किया जाएगा	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (कोयला) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र केवल खुली खान में कार्य करने वाली खानों तक सीमित (कोयला) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (कोयला) या द्वितीय

		श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र खुली खान वाली कोयला खानों तक सीमित।
भूमि के नीचे धातुयुक्त खान	(क) औसत उत्पादन 1,250 से अधिक टन	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (धातु)।
	(ख) औसत उत्पादन 1,250 टन से अधिक नहीं	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (धातु) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र (धातु)।
ओपनकास्ट धातुयुक्त खान	(क) 20,000 क्यूबिक मीटर से अधिक संभाली गई औसत मासिक सामग्री	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (धातु) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र केवल खुली खानों तक सीमित (धातु)।
	(ख) औसत मासिक सामग्री 20,000 घन मीटर से अधिक नहीं संभाली जाती	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (धातु) या प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र केवल खुली ढलाई वाली खानों तक सीमित है (धातु) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (धातु) या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र केवल खुली ढलाई वाली खानों तक सीमित है (धातु)।
खान में खुली ढलाई और भूमिगत दोनों प्रकार की कार्यप्रणाली है	सभी कोयला और धातु खान	प्रथम श्रेणी प्रबंधक का सक्षमता प्रमाणपत्र (यथास्थिति कोयला या धातु)
तेल की खान	सभी तेल खान	केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था से इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा या भौतिकी या भूभौतिकी या भूविज्ञान या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा इंजीनियरी में डिप्लोमा के मामले में कम से कम पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए तथा अन्य मामलों में दस वर्ष की अवधि के लिए तेल खानों में प्रचालन के प्रबंधन और पर्यवेक्षण में अनुभव हो।

स्पष्टीकरण: किसी भी खान का "औसत उत्पादन" से खान सीमाओं के भीतर सभी कार्यकाज से कुल उत्पादन के पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रति मास औसत उत्पादन विनिर्दिष्ट है;

किसी खान में "औसत पूर्ण किए गए सामग्री संबंधी कार्य" से- पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान खान क्षेत्र के सभी कार्य स्थलों में पूर्ण किए गए सामग्री संबंधी कार्य (खनिज+ओवरबर्डन) का प्रतिमास औसत अभिप्रेत है।

108. कुछ खानों में संहिता लागू नहीं होगी.- (1) संहिता की धारा 35, धारा 38, धारा 40, धारा 41 और धारा 44 में अंतर्विष्ट उपबंधों के सिवाय, निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(i) कोई भी खान या उसका भाग जिसमें उत्खनन केवल पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है और उपयोग और विक्रय के लिए खनिज प्राप्त करने के प्रयोजन से नहीं

परंतु कि -

(क) ऐसे किसी भी उत्खनन के संबंध में किसी एक दिन में बीस से अधिक व्यक्ति कार्यरत नहीं होते हैं;

(ख) उत्खनन की गहराई उसके उच्चतम से निम्नतम बिंदु तक मापी गई जो कहीं भी छह से अधिक नहीं है मीटर या कोयले में उत्खनन के मामले में पंद्रह मीटर; तथा

(ग) ऐसे उत्खनन का कोई भी भाग ऊपरी भूमि से नीचे तक नहीं फैला है;

(ii) कंकर, मुर्रम, लैटेराइट, बोल्टर, बजरी, शिंगल, साधारण रेत (मोल्टिंग रेत, कांच और अन्य खनिज रेत के सिवाय), साधारण मिट्टी (काओलिन, चाइना क्ले, सफेद मिट्टी या फायर क्ले के सिवाय), बिल्टिंग स्टोन, स्लेट, रोड मेटल, मिट्टी, फुलर्स अर्थ, मार्ल, चाक और चूना पत्थर के निष्कर्षण में लगी कोई भी खान:

परंतु कि-

(क) कार्य सतह के ऊपर की भूमि से नीचे तक विस्तारित नहीं होता है;

(ख) जहां यह एक खुली खान है-

(i) उत्खनन की गहराई उसके उच्चतम से निम्नतम बिंदु तक कहीं और छह मीटर से अधिक नहीं मापी गई है;

(ii) किसी एक दिन नियोजित व्यक्तियों की संख्या पचास से अधिक नहीं है; तथा

(iii) उत्खनन के संबंध में विस्फोटकों का उपयोग नहीं किया जाता है।

- (2) जैसे ही कोई स्थापन खान बन जाता है, खान का नियोक्ता खान बनने की तारीख से सात दिनों के भीतर इंस्पेक्टर सह फैसिलिटेटर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस देगा।
- (3) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्र सरकार लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि संहिता के सभी उपबंध ऐसी खान या उसके किसी भाग में ऐसी शर्तें हो जो उसमें विनिर्दिष्ट के अधीन लागू होंगे।

109. खान में प्रारंभिक और आवधिक चिकित्सा परीक्षाएं.- (1) प्रत्येक खान का नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा: -

- (i) खान में नियोजन चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा;
- (ii) प्रतिवर्ष खान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति की आवधिक चिकित्सा परीक्षा;
- (iii) चिकित्सा परीक्षण प्ररूप -IX के अनुसार किया जाएगा।

(2) यदि चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी धूल से संबंधित बीमारी के संदिग्ध मामले की पुष्टि करना आवश्यक समझता है, तो आवधिक चिकित्सा परीक्षण या एक्स-रे परीक्षण या दोनों अंतराल, पर आयोजित किए जाएंगे।

110. परीक्षण प्राधिकारी - (1) नियम 109 में निर्दिष्ट चिकित्सा परीक्षा एक अर्हित खदान के नियोक्ता के रोजगार में चिकित्सा व्यवसायी या खानों के समूह के नियोक्ताओं या किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया।

(2) परीक्षण प्राधिकारी को उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा छाती रेडियोग्राफ का वर्गीकरण सम्मिलित होगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त होगी।

111. चिकित्सा परीक्षा को नोटिस: (1) प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के संबंध में नियोक्ता परीक्षा किए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम सात दिन पहले लिखित में नोटिस देगा, जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अधिसूचित प्ररूप में होगा और जारी किए गए ऐसे प्रत्येक नोटिस की एक प्रति नियोक्ता द्वारा परीक्षा प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(2) आवधिक चिकित्सा परीक्षा के संबंध में प्रबंधक परीक्षा किए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम बीस दिन पहले लिखित में नोटिस देगा, जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अधिसूचित प्ररूप में होगा।

(3) इस प्रकार जारी किए गए प्रत्येक नोटिस की एक प्रति नियोक्ता द्वारा संबंधित व्यक्तियों से संबंधित जारी किए गए पिछले चिकित्सा प्रमाणपत्रों के साथ परीक्षा प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(4) जो व्यक्ति किसी उचित कारण से ऐसे व्यक्ति को जारी नोटिस के अनुसार चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होने में असफल रहता है, उसे मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले प्ररूप में न्यूनतम दस दिनों की अवधि का दूसरा नोटिस दिया जाएगा, प्रबंधक द्वारा और ऐसी प्रत्येक सूचना की एक प्रति प्रबंधक द्वारा परीक्षा प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(5) परीक्षा प्राधिकारी प्रबंधक को कि संबंधित व्यक्ति चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है या नहीं, दूसरी सूचना में चिकित्सा परीक्षा के लिए नियत तारीख से एक सप्ताह के भीतर सूचित करेगा।

112. चिकित्सा परीक्षण कराने में असफलता.- (1) जो व्यक्ति उचित कारण के बिना, ऐसे व्यक्ति को जारी नोटिस के अनुसार चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होने में असफल रहता है, ऐसा व्यक्ति सेवा से मुक्त होने के लिए दायी होगा:

परंतु कि जो व्यक्ति चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होने में असफलता के लिए स्वयं को इस प्रकार दायी बनाता है, उसे कारण बताना अपेक्षित होगा कि ऐसा व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर नोटिस का पालन क्यों नहीं कर सका।

(2) यदि स्पष्टीकरण प्रबंधन द्वारा संतोषजनक पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होने का एक और अवसर दिया जाएगा।

(3) जहां स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनकी सेवा प्रबंधन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी।

113. चिकित्सा परीक्षण का मानक और रिपोर्ट.- (1) प्रारंभिक और समय-समय पर चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने वाला परीक्षा प्राधिकारी प्ररूप-IX में अधिकथित मानकों के अनुसार किसी व्यक्ति की परीक्षा करेगा।

(2) परीक्षा के पश्चात्, प्ररूप-IX में चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति, संबंधित व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी और संबंधित खान के नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक को प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(3) परीक्षा प्राधिकारी चिकित्सा प्रमाण पत्र की तीसरी प्रति अपने पास रखेगा।

(4) आवधिक चिकित्सा परीक्षा की दशा, परीक्षा प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति के पिछले चिकित्सा प्रमाण पत्रों की प्रति संबंधित खान के प्रबंधक को वापस भेजेगा।

114. चिकित्सा प्रमाणपत्रों का प्रतिधारण और अंतरण.-(1) किसी खान में नियोजित या नियोजित होने वाले व्यक्तियों के अपजीविकाजन्य धूल जोखिम पार्श्वचित को दर्शाने वाले चिकित्सा इतिहास और नौकरी के व्यौरे के साथ सभी चिकित्सा परीक्षा रिकॉर्ड सहित सभी चिकित्सा प्रमाण पत्र खान के प्रबंधक के कब्जे में तब तक जब तक वह व्यक्ति खान में नियोजित है और उसके पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे:

परंतु कि जिस खान में ऐसा व्यक्ति कार्यरत है या था, उसका प्रबंधक, यदि किसी अन्य खान के प्रबंधक द्वारा, जहां उस व्यक्ति को नियोजित किया जाना है, ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में सभी चिकित्सा प्रमाण-पत्र भेजेगा।

(2) यदि किसी खान में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षा करने वाले परीक्षा प्राधिकारी को चिकित्सा परीक्षा के संबंध में उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसा परीक्षा प्राधिकारी अपने कब्जे में चिकित्सा परीक्षा के सभी रिकॉर्ड संबंधित खान के प्रबंधक को अंतरित कर देगा।

115. अभ्यर्थियों की पहचान.- परीक्षा प्राधिकारी, चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रतियों पर चिकित्सा परीक्षा के लिए उसके समक्ष उपस्थित होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की सहमति और हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात आधार संख्या रिकॉर्ड करेगा।

116. महिलाओं की चिकित्सा परीक्षा.- (1) एक महिला कर्मचारी की परीक्षा अधिमानतः महिला अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जानी चाहिए।

(2) यदि कोई महिला चिकित्सा व्यवसायी उपलब्ध नहीं है, तो महिला कर्मचारी की चिकित्सा परीक्षा केवल एक पुरुष अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दूसरी महिला की उपस्थिति में की जाएगी।

117. पुनः परीक्षा के लिए अपील.- (1) जहां प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के परिणामस्वरूप, या आकधिक चिकित्सा परीक्षा के परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति को खानों में या खानों के विशेष प्रवर्ग में या खान में किसी विनिर्दिष्ट प्रचालन में नियोजन के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, ऐसा व्यक्ति, उसके द्वारा या उसके द्वारा प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, उपरोक्त घोषणा के विरुद्ध अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा पुनः परीक्षा के लिए नियोक्ता नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक के साथ अपील फाईल कर सकता है।

(2) (i) प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा की दशा में नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक नियोक्ता और आवधिक चिकित्सा परीक्षा के मामले में खान के प्रबंधक अपील प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपील चिकित्सा बोर्ड के संयोजक को अपील भेजेंगे;

(ii) अपील चिकित्सा बोर्ड का संयोजक यदि अपीलार्थी को पुनः चिकित्सा परीक्षा के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है, तो वह नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक और अपीलार्थी को चिकित्सा पुनः परीक्षा की कम से कम पंद्रह दिन पहले नोटिस देगा।

(iii) कोई व्यक्ति, जो किसी उचित कारण से, स्वयं को चिकित्सा पुनः परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में असफल रहता है, उसे कम से कम सात दिन पहले एक और नोटिस दिया जाएगा;

(3) अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रत्येक चिकित्सा पुनः परीक्षा के संबंध में, अपीलार्थी ऐसी फीस का भुगतान करेगा और चिकित्सा परीक्षा ऐसी रीति में आयोजित की जाएगी जो अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा अवचारित की जाए।

(4) अपील चिकित्सा बोर्ड उसे या उसे खानों में नियोजन के लिए उपयुक्त पाता है, तो फीस खान के नियोक्ता नियोक्ता द्वारा अपीलार्थी को पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाएगी जहां ऐसे व्यक्ति को नियोजित किया गया है।

118. अपील चिकित्सा बोर्ड का गठन.- अपील पर चिकित्सा पुनः परीक्षण के प्रयोजन के लिए, अपील चिकित्सा बोर्ड का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्;

(i) एक निरीक्षक-सह-सुकारक जो बोर्ड के संयोजक के रूप में कार्य करेगा।

(ii) दो अर्हित चिकित्सा व्यवसायी जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में और राज्य या केंद्रीय सरकार के रोजगार में जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है:

परंतु कि, यदि अपील चिकित्सा बोर्ड की राय है कि विशिष्ट विवादों के लिए ऐसे विशेषज्ञ से परामर्श करना अपेक्षित है तो संयोजक किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सा व्यवसायी को सह-चयनित कर सकता है।

119. अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा पुनःपरीक्षण का मानक और रिपोर्ट.- (1) अपील चिकित्सा बोर्ड प्रारंभिक और आवधिक चिकित्सा परीक्षा के लिए प्ररूप-IX में अधिकथित मानक के अनुसार अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा करेगा:

(2) प्ररूप-X में चिकित्सा पुनः परीक्षा का प्रमाण पत्र, खान के प्रबंधक को और अपीलार्थी को जारी किया जाएगा।

(3) चिकित्सा प्रमाण पत्र की एक प्रति संयोजक के पास रखी जाएगी।

120. अयोग्य व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जाना. - जहां किसी व्यक्ति को आरंभिक चिकित्सा परीक्षण या आवधिक चिकित्सा परीक्षण या पुनः चिकित्सा परीक्षण के परिणामस्वरूप खानों में या खानों के किसी विशेष प्रवर्ग में या खान में किसी विनिर्दिष्ट प्रचालन में नियोजन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, वहां वह व्यक्ति खान में या खानों की श्रेणी में या विनिर्दिष्ट प्रचालनों में नियोजित नहीं होगा या नियोजित रहना जारी नहीं रखेगा, चिकित्सा परीक्षा की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात जब तक ऐसे व्यक्ति घोषणा के विरुद्ध अपील फाईल नहीं की हो।

परंतु कि, यदि प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण, या आवधिक चिकित्सा परीक्षण करने वाले अर्हित चिकित्सक, या पहले से ही नियोजन में लगे व्यक्तियों की चिकित्सा पुनः परीक्षा करने वाले अपील चिकित्सा बोर्ड की राय है कि परीक्षा किए गए व्यक्ति की निःशक्तता ऐसी प्रकृति और डिग्री की है कि यह उनके कर्तव्यों के साधारण निर्वहन को गंभीर रूप से प्रभावित या बाधित नहीं करेगी, उनका खान में छह मास से अधिक की अवधि के लिए नियोजन जारी रखने की सिफारिश कर सकता है, जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति उनकी निःशक्तता को ठीक या नियंत्रित कर सकता है और छह मास के पश्चात फिर से चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रस्तुत कर सकता है और उपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

121. चिकित्सा परीक्षण की लागत- इन नियमों के अधीन प्रत्येक चिकित्सा परीक्षा की लागत खान के नियोक्ता द्वारा वहन की जाएगी, सिवाय उस स्थिति के जब व्यक्ति को अपील चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षा के पश्चात खानों में नियोजन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो।

122. नियोजन के घंटों और सीमाओं से छूट: निम्नलिखित व्यक्तियों को निम्नलिखित के संबंध में संहिता की धारा 25 की उपधारा (1), धारा 26 की उपधारा (1), धारा 30 और धारा 31 की उपधारा (1) के उपबंधों से छूट दी जाएगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यवेक्षण या प्रबंधन या अन्य पद धारण करने वाला व्यक्ति, गोपनीय क्षमता में नियोजित;
- (ii) प्रबंधक, उप प्रबंधक, स्थापना प्रबंधक, अग्निशमन अधिकारी, सहायक प्रबंधक, संवातन अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, उपकरण और संचार अधिकारी;
- (iii) खनन, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर;
- (iv) खनन पर्यवेक्षक, सहायक खनन पर्यवेक्षक और तेल खानों में पर्यवेक्षक;
- (v) यांत्रिक और विद्युत फोरमैन और विद्युत और यांत्रिक पर्यवेक्षक;
- (vi) सर्वेक्षक और सहायक सर्वेक्षक;
- (vii) अर्हित चिकित्सक, ड्रेसर, कम्पाउंडर, रसायनज्ञ, परखकर्ता, धातुविज्ञानी और कल्याण या कार्मिक अधिकारी; तथा
- (viii) कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया गया हो।

123. बचाव केंद्र की स्थापना और स्थान.- (1) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक किसी भूमिगत खान या भूमिगत खानों के समूह के नियोक्ता को बचाव केंद्र, ऐसे डिजाइन और विनिर्देशों वाले केंद्र और ऐसे स्थानों पर स्थापित करने और बनाए रखने की अनुज्ञा दे सकता है या आवश्यकता बता सकता है, जिन्हें नियोक्ता के परामर्श से आवश्यक समझा जा सकता है:

परंतु कि जहां भूमि के नीचे एक से अधिक नियोक्ताओं की खान हों, वहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक दो या अधिक नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से साधारण बचाव केंद्र स्थापित करने की अनुज्ञा दे सकता है या ऐसा करने की आवश्यकता बता सकता है: परंतु यह है कि और इन नियमों के प्रवर्त होने की तारीख तक सभी विद्यमान बचाव केंद्र उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक कार्य करते रहेंगे।

(2) प्रत्येक बचाव केंद्र पर एक अधीक्षक और कम से कम दो प्रशिक्षक होंगे तथा कम से कम अठारह बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की एक बचाव ब्रिगेड भी रखी जाएगी।

(3) जहां बचाव केन्द्र पर अधीक्षक की अनुपस्थिति 60 दिन से अधिक हो तो नियोक्ता दूसरे अधीक्षक की नियुक्ति करेगा।

(4) नियोक्ता, अधीक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने या त्यागने के उसी दिन, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और निरीक्षक-सह-सुकारक को उस क्षेत्र के बारे में सूचित करेगा जहां खान स्थित है।

124. बचाव केंद्रों के कार्य.- बचाव केंद्र के कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

- (i) बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (ii) बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (iii) बड़ी दुर्घटनाओं या दीर्घकालिक बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्यों के मामले में अपनी स्वयं की बचाव टीमों और उपस्करों द्वारा सहायता प्रदान करना; तथा
- (iv) भूमि के नीचे की उन खानों के संबंध में बचाव कक्ष का कार्य करना जहां कोई बचाव कक्ष नहीं है।

125. बचाव कक्षों की स्थापना और स्थान -(1) प्रत्येक भूमिगत खान में, जहां साधारणतः 100 से अधिक व्यक्ति भूमिगत कार्यरत हैं और 35 किलोमीटर के दायरे में कोई बचाव केंद्रीय नहीं है, वहां नियोक्ता खान के प्रवेश द्वार के निकट सतह पर एक बचाव कक्ष स्थापित करेगा:

परंतु कि कई खानों के लिए एक बचाव कक्ष उपलब्ध कराना पर्याप्त हो एक ही नियोक्ता से संबंधित जहां-

- (क) ऐसी सभी खानों के भूमिगत कार्यों में साधारणतः नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 5000 से अधिक नहीं है; तथा
- (ख) खान बचाव कक्ष से 35 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं और सड़क मार्ग से जुड़ी हुई हैं

परंतु यह और कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक खानों के समूह के नियोक्ता को बचाव का उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकता है, जिसमें भूमि के नीचे साधारणतः कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो बचाव कार्य में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्यों को छोड़कर, बचाव केंद्र के रूप में कक्ष, यदि ऐसा बचाव कक्ष है।-

- (i) अपेक्षित अतिरिक्त बचाव उपकरण से सुसज्जित, जिसमें दो घंटे के स्व-अंतर्विष्ट श्वास उपकरण के कम से कम 15 अतिरिक्त सेट सम्मिलित हैं; तथा
 - (ii) प्रशिक्षकों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाओं को धारण करने वाले व्यक्ति के प्रभार में रखे गए बचाव कक्ष में प्रशिक्षकों और कम से कम पांच बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैनात किया जाता है, जिनमें से कम से कम एक के पास बचाव कक्ष के प्रभारी की अर्हताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाओं को धारण करने वाला व्यक्ति होगा।
- (2) प्रत्येक बचाव कक्ष में, आवश्यक संख्या में बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी और उनमें से एक व्यक्ति जो बचाव कक्ष के प्रभारी की अर्हताएं, अनुभव आदि रखता हो, उसे बचाव कक्ष का प्रभारी बनाया जाएगा।
- (3) बचाव कक्ष में कम से कम एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति हमेशा उपस्थित रहेगा।

126. बचाव कक्ष के कार्य.- बचाव कक्ष में श्वास उपकरणों और अन्य बचाव उपकरणों के भंडारण, संयोजन, परीक्षण और समायोजन तथा उन्हें खानों तक शीघ्र पहुंचाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।**127. अधीक्षक की अर्हताएं, अनुभव आदि.-** किसी भी व्यक्ति को अधीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति-

- (i) एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति है;
- (ii) खानों में भूमि के नीचे कार्य करने का 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो; तथा
- (iii) एक प्रकार का प्रथम वर्ग प्रबंधक प्रमाणपत्र रखता है जो विवृत्त खनिज तक सीमित नहीं है।

128. प्रशिक्षकों की अर्हताएं, अनुभव आदि.- किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति-

- (i) एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति है;
- (ii) खानों में भूमि के नीचे कार्य करने का 3 साल का व्यावहारिक अनुभव है; और
- (iii) एक प्रकार का प्रबंधक प्रमाणपत्र रखता है जो विवृत्त खनिज तक सीमित नहीं है।

129. बचाव केंद्रों पर तैनाती के लिए बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन.- (1) बचाव केंद्र पर तैनाती के लिए बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन, बचाव केंद्र द्वारा संचालित खानों में कार्यरत बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों में से, अधीक्षक द्वारा ऐसी खान के प्रबंधकों के परामर्श से किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन चयनित व्यक्ति को किसी भी समय बचाव केंद्र पर कम से कम एक वर्ष तथा अधिकतम पांच वर्ष के लिए तैनात किया जाएगा।

130. बचाव कक्ष प्रभारी की अर्हताएं, अनुभव आदि.- किसी भी व्यक्ति को बचाव कक्ष का प्रभारी तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति-

- (i) एक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति है;
- (ii) खानों में भूमि के नीचे कार्य करने का 3 साल का व्यावहारिक अनुभव है; और

(iii) एक प्रकार का प्रबंधक, खनन पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र रखता है जो विवृत्त खनिज तक सीमित नहीं है।

131. उपस्कर.- (1) प्रत्येक बचाव केंद्र एवं बचाव कक्ष पर वहां पर उपबंध किए गए त्वरित प्रयोग और रखरखाव के लिए विनिर्दिष्ट उपकरण और औजारों हेतु जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा साधारण विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) भूमि के नीचे की खान, जहां कोई बचाव कक्ष स्थित नहीं है, वहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट उपकरण और उपस्कर होंगे और ऐसी खान के प्रवेश द्वार पर बनाए रखा जाएगा।

(3) बचाव केंद्र पर स्व-अंतर्विष्ट श्वास उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके नीचे बचाव कक्षों में भी उसी प्रकार और बनावट के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

(4) उप नियम (1), उप नियम (2) और उप नियम (3) के अधीन प्रदान किए गए निम्नलिखित उपकरण और उपस्कर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अनुमोदित प्रकार या मानक के होंगे, अर्थात्:-

(क) श्वास उपकरण;

(ख) धूम्रपान हेलमेट और उपकरण एक ही प्रयोजन की पूर्ति करते हैं;

(ग) पुनर्जीवित करने वाला उपकरण;

(घ) विद्युत सुरक्षा लैंप और लौ सुरक्षा लैंप;

(ङ) गैस डिटेक्टर; और

(च) आत्म बचावकर्ता।

(5) सभी श्वास उपकरण और प्रत्येक प्रवाह मीटर को समायोजित और परीक्षण किया जाएगा और श्वास तंत्र में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की शुद्धता का परीक्षण ऐसी रीति में किया जाएगा जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी या विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाए।

(6) किसी बचाव उपकरण के उपयोग से उत्पन्न भूमिगत खान में दुर्घटना की स्थिति में, ऐसी दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर, खान के प्रबंधक द्वारा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को एक लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी, जैसा कि समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(7) बचाव केंद्र या बचाव कक्ष में किसी बचाव उपकरण के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना की स्थिति में, ऐसी दुर्घटना के 24 घंटों के भीतर, अधीक्षक द्वारा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी, जैसा कि समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(8) किसी भी बचाव केंद्र, बचाव कक्ष या भूमिगत खान में समाप्ति तारीख के पश्चात उपयोग के लिए कोई अवशेषक चार्ज, रसायन, स्व-बचावकर्ता और गैस डिटेक्टर ठ्यूब नहीं रखी जाएगी, जिसे उसके बक्सों पर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

132. अधीक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- (1) अधीक्षक बचाव केंद्र और ऐसे बचाव केंद्र द्वारा संचालित बचाव कक्षों के नियंत्रण का समग्र प्रभारी होगा।

(2) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव केंद्र, बचाव कक्षों और उसके नियंत्रण में भूमिगत खान के प्रवेश द्वार पर रखे गए सभी बचाव उपस्कर और उपकरण-

(i) पूर्णतः कार्यशील स्थिति में बनाए रखा गया;

(ii) प्रशिक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अंतराल पर निरीक्षण किया जाएगा; तथा

(iii) परीक्षण किया जाता है और तदनुसार समायोजन किया जाता है।

(3) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव उपकरण और तंत्र को सही कार्यशील स्थिति में बनाए रखने के लिए स्पेयर पार्ट्स और आपूर्ति का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए।

(4) अधीक्षक बनाए गए अभिलेखों पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

(5) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए चयनित व्यक्तियों और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदेशों और प्रथाओं का पाठ्यक्रम प्राप्त हो तथा उन्हें इसके लिए प्रमाण-पत्र जारी किए जाएं।

(6) अधीक्षक बचाव कक्षों तथा उनके नियंत्रणाधीन उपकरणों का समय-समय पर निरीक्षण करेगा।

(7) भूमि के नीचे की खान में आपात की स्थिति में, अधीक्षक ऐसा बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य करेगा जो प्रबंधक द्वारा या प्रबंधक की अनुपस्थिति में सतह पर मौजूद प्रमुख अधिकारी द्वारा सौंपा जाएगा।

(8) वह अधीक्षक बचाव या पुनर्प्राप्ति कार्य पूरा होने के चौबीस घंटे के भीतर एक दैनिक रिपोर्ट और एक पूरी रिपोर्ट निरीक्षक-सह-सुकारक या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजेगा।

(9) अधीक्षक एक सजिल्द पृष्ठ पुस्तिका में या पुनर्प्राप्ति योग्य और गैर-संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में रखेगा और उसमें अपने प्रत्येक निरीक्षण के परिणामों को रिकॉर्ड करेगा और निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों को सुधारने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई भी दर्ज करेगा।

133. प्रशिक्षकों के कर्तव्य.- (1) अधीक्षक के निदेशन में प्रशिक्षक-

- (i) बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य में प्रशिक्षण के लिए चुने गए व्यक्तियों के साथ-साथ प्रशिक्षित व्यक्तियों को बचाने और उनका रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए अनुदेशों और प्रथाओं का पाठ्यक्रम प्रदान करना; और
 - (ii) बचाव उपस्कर और उपकरण का निरीक्षण, परीक्षण और समायोजन करना तथा उसका रिकॉर्ड रखना।
- (2) भूमि के नीचे की खान में आपात की स्थिति में, प्रशिक्षक ऐसे बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य करेगा जो प्रबंधक द्वारा या प्रबंधक की अनुपस्थिति में सतह पर मौजूद प्रमुख अधिकारी द्वारा प्रशिक्षक को सौंपा जा सकता है।
- (3) प्रशिक्षक अधीक्षक की पूर्व अनुज्ञा के बिना बचाव केंद्रीय नहीं छोड़ेगा।
- (4) अधीक्षक की अनुपस्थिति में प्रशिक्षक बचाव केंद्र का प्रभारी होगा।

134. बचाव कक्ष प्रभारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- प्रत्येक बचाव कक्ष प्रभारी -

- (i) उनके बचाव कक्ष द्वारा सेवा प्रदान की गई बारूदी सुरंगों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें;
- (ii) बचाव कक्ष में रखे गए उपस्करों और उपकरणों को सही स्थिति में बनाए रखना;
- (iii) बचाव कक्ष में रखे गए सभी बचाव उपकरणों और उपस्करों का उचित रिकॉर्ड रखना और उनका निरीक्षण करना; तथा
- (iv) किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को बचाव कक्ष में प्रवेश करने की अनुज्ञा न दें, या किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को बचाव कक्ष से कोई उपकरण या उपस्कर बाहर निकालने की अनुज्ञा न दें।

135. बचाव केंद्र पर तैनात बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के कर्तव्य - बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति-

- (i) अधीक्षक और प्रशिक्षक के आदेश का पालन करना और उनके कार्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करना;
- (ii) संदेशों, टेलीफोन कॉल और वायरलेस पर ध्यान दें और उनका रिकॉर्ड बनाए रखें;
- (iii) बचाव केंद्र को साफ सुथरा बनाए रखें;
- (iv) बचाव केंद्र पर रखे गए उपस्करों और उपकरणों को सही स्थिति में बनाए रखना;
- (v) खान में बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य करना; और
- (vi) अधीक्षक की अनुज्ञा के बिना बचाव केंद्रीय से बाहर न निकलें।

136. बचाव कक्ष के कर्तव्य परिचारक - प्रत्येक बचाव कक्ष परिचारक को-

- (i) जब तक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राहत न मिल जाए, बचाव कक्ष से बाहर न निकलें;
- (ii) किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को बचाव कक्ष में प्रवेश करने या वहां से कोई उपकरण या उपस्कर बाहर निकालने की अनुज्ञा न दें;
- (iii) टेलीफोन कॉल पर ध्यान दें और उसका रिकॉर्ड बनाए रखें;
- (iv) बचाव कक्ष को साफ सुथरा बनाए रखें; और
- (v) बचाव कक्ष प्रभारी के आदेशों का पालन करना और बचाव कक्ष प्रभारी के कार्यों के निर्वहन में सहायता करना।

137. टेलीफोन संचार.- प्रत्येक खान को खान की सेवा करने वाले बचाव कक्ष और बचाव केंद्र से टेलीफोन द्वारा जोड़ा जाएगा। जहां भी संभव हो वायरलेस संचार भी प्रदान किया जाएगा:

परंतु कि जहां कोई टेलीफोन संचार प्रणाली नहीं है, वहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुचारक लिखित आदेश द्वारा तथा ऐसी रीति जो उसमें विनिर्दिष्ट अध्ययन, संचार के किसी अन्य साधन को अनुमोदित कर सकेगा।

138. बचाव अनुरेखण- (1) भूमि के नीचे स्थित खान में, तीन पूर्ववर्ती मास से पहले की तारीख तक खान के कार्यकाज के तीन से अधिक सुपाठ्य चिह्न रखे जाएंगे।

(2) अनुरेखण से खान में संवातन की प्रणाली और विशेष रूप से, हवा की साधारण दिशा, हर बिंदु जहां हवा की मात्रा मापी जाती है, हर एयर-क्रॉसिंग, संवातन-द्वार, स्टॉपिंग, बूस्टर पंखा और हवा के विनियमन और वितरण के लिए कोई अन्य प्रमुख उपकरण, आग-डैम, प्रारंभिक स्टॉपिंग, हर अग्निशमन उपकरण, आयामों के साथ हर पानी-डैम और निर्माण के अन्य व्यौरे, हर पंपिंग, टेलीफोन और एम्बुलेंस केंद्र, ज्वलनशील सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली हर कमरा, रिजर्व केंद्र और हर दुलाई और यात्रा सड़क दिखाई देगी।

139. खानों में बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति, उनका निपटान और आवास -(1) भूमि के नीचे स्थित किसी खान का प्रबंधक, जहां साधारणतः 100 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय सतह पर कम से कम 5 बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति आसानी से उपलब्ध हों।

(2) भूमिगत खान का प्रबंधक, जहां साधारणतः 500 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों या उसके किसी भाग पर एक व्यक्ति के पैमाने पर व्यक्ति बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति हों।

(3) उपयुक्त आवास उपलब्ध कराना नियोक्ता का उत्तरदायित्व होगा-

- (i) अधीक्षक, प्रशिक्षकों और बचाव ब्रिगेड के सदस्यों के लिए बचाव केंद्र के करीब;
- (ii) बचाव कक्ष के निकट बचाव कक्ष के प्रभारी बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों और उससे जुड़े परिचारकों के लिए; तथा
- (iii) खंड (i) और खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षित व्यक्तियों के अलावा अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को बचाने के लिए भूमि के नीचे खान के प्रवेश द्वार के करीब।

(4) बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को तत्काल बुलाने के लिए, निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित, भूमि के नीचे खान में प्रभावी घंटी या अन्य व्यवस्थाएं प्रदान की जाएंगी।

140. बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों का चयन - बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जाएगा, जब तक कि-

- (i) आयु 21 से 40 वर्ष के बीच है और उसके पास केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से विधिमान्य प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र है;
- (ii) प्रबंधक द्वारा प्रमाणित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास बचाव कार्य के लिए पर्याप्त भूमिगत अनुभव है;
- (iii) एक अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित किया गया है, जैसा कि साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार परीक्षण के पश्चात् प्रबंधक द्वारा अभिहित किया जाए, किसी भी जैविक बीमारी या कमजोरी से मुक्त होने और बचाव कार्य करने के लिए उपयुक्त होने के लिए; और
- (iv) बचाव केंद्र के अधीक्षक द्वारा ऐसी परीक्षा और साक्षात्कार के पश्चात्, जिसे अधीक्षक आवश्यक समझे, श्वास तंत्र के साथ बचाव कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है।

141. अनुदेश और पद्धति आदि.- (1) बचाव कार्य में प्रशिक्षण के लिए चयनित प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर जारी किए गए साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट अनुदेशों और पद्धतियों के पाठ्यक्रम से गुजरना होगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति उत्तीर्ण न हो जाए और अधीक्षक द्वारा कुशल के रूप में प्रमाणित न कर दिया जाए।

(2) बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति अभ्यास से गुजरेगा और अनुदेश प्राप्त करेगा जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) प्रत्येक बचाव केंद्र पर अभ्यास करने वाले और अनुदेश प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड में सम्मिलित होंगे:-

- (i) प्रत्येक अभ्यास की तारीख और चरित्र;
- (ii) अभ्यास के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सीय स्थिति, और यदि उनकी स्थिति में कुछ भी असाधारण देखा गया हो, चाहे वह उपकरण की खराबी के कारण हो या उस व्यक्ति के कारण; और
- (iii) कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

142. बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा आदि.- प्रत्येक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति की हर बारह महीने में कम से कम एक बार एक अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा पुनः परीक्षा की जाएगी, जिसे प्रबंधक द्वारा प्ररूप-IX में विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार अभिहित किया जाए और यदि ऐसे व्यक्ति को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे घोषित होने की तारीख से बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं रहेगा।

143. बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों का निलंबन.- यदि नियोक्ता या निरीक्षक-सह-

सुविधाप्रदाता की राय में, बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति अधम है या अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में लापरवाही या अवचार का दोषी है, तो ऐसे व्यक्ति को लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति को निलंबित कर सकता है या किसी भी बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य को करने से रोक सकता है।

144. आपातकालीन स्थिति में प्रबंधक आदि के कर्तव्य.- (1) बचाव दल की सेवाओं की अपेक्षा की संभावना वाली किसी आपात स्थिति की सूचना प्राप्त होने पर, प्रबंधक, या प्रबंधक की अनुपस्थिति में, सतह पर उपस्थित प्रमुख अधिकारी, तुरंत-

- (i) आवश्यक सहायता के लिए बचाव कक्ष या खान की सेवा करने वाले बचाव केंद्रों को सूचित करें;
- (ii) खान में कार्यरत बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति को बुलाना;
- (iii) यदि अपेक्षित हो तो आसपास की खानों के नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक को वहां कार्यरत बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचित करें;
- (iv) घटना की प्रकृति के बारे में बचाव केंद्र को सूचित करें; यह बताते हुए कि क्या बचाव केंद्र से सहायता की आवश्यकता होगी;
- (v) चिकित्सा सहायता बुलाना; और
- (vi) घटना की जानकारी निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजें।

(2) भूमिगत खान पर सभी बचाव और पुनःप्राप्ति कार्य किए जाने वाले खान के प्रबंधक के नियंत्रण, निर्देशन और देख-रेख में या प्रबंधक की अनुपस्थिति में सतह पर उपस्थित प्रमुख अधिकारी द्वारा किया जाएगा:

परंतु कि किसी बड़ी आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि इग्निशन, विस्फोट, बड़ी भूमिगत आग या एक दुर्घटना जिसमें कई व्यक्ति सम्मिलित हैं, प्रबंधक या प्रमुख अधिकारी बचाव और पुनःप्राप्ति कार्यों से संबंधित निर्णय प्रबंधन का एक ज्येष्ठ अधिकारी, खान सुरक्षा महानिदेशक का एक प्रतिनिधि, संबंधित बचाव स्थल और कर्मचारों की मान्यता प्राप्त यूनियन वाले एक समूह से मार्ग-दर्शन लेंगे, ताकि मैनेजर या प्रमुख अधिकारी वह स्थिति को देखते हुए बिना प्रतीक्षा किए उक्त समूह के संविधान या विचार-विमर्श करने में देर किए बिना आवश्यक विनिश्चय करने और कार्य के संचालन का निदेश दे सकें।

145. बचाव कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए भूमिगत खान में आवास.- (1) जब भी भूमिगत खान में बचाव/ पुनःप्राप्ति कार्य में बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं, तो उन्हें उक्त कार्य के लिए अपेक्षित उपकरणों के भंडारण और चार्जिंग करने के लिए ऐसे खान उपयुक्त आवास प्रदान किया जाएगा।

(2) उपयोग में आने वाले ऐसे आवास प्रवेश द्वार के समीप एक सुविधाजनक स्थान पर स्थित होंगे और उचित रूप से संवातित और प्रकाशयुक्त होंगे।

(3) प्रत्येक बचावकर्मियों के लिए ठंडे और पौष्टिक पेयजल और भोजन की पर्याप्त मात्रा प्रदान की जाएगी।

146. बचाव या पुनःप्राप्ति कार्य के लिए नीचे की भूमिगत की खानों में प्रवेश.- (1) किसी भी व्यक्ति को भूमिगत खान या उस हिस्से में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो बचाव या रिकवरी कार्य में संलग्न होने के प्रयोजन से असुरक्षित है, जब तक कि प्रबंधक द्वारा सतह पर उपस्थित खान के प्रमुख अधिकारी द्वारा प्रबंधक अनुपस्थिति में इसके लिए प्राधिकृत न किया गया हो।

(2) केवल बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्व-निहित श्वास उपकरण का उपयोग करने के प्रयोजन से खान में प्रवेश करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(3) बचाव या पुनःप्राप्ति कार्य के दौरान, भूमिगत खान के प्रवेश द्वार पर व्यक्ति तैनात होंगे और ऐसे खानों में सभी व्यक्तियों को खान में प्रवेश करने और छोड़ने के समय का लिखित रिकॉर्ड रखेंगे।

147. ताजी हवा वाले स्थान - (1) सुरक्षा परमिट के अनुसार अश्वसनीय क्षेत्र या क्षेत्रों के निकट ताजी हवा वाले स्थानों पर बेस स्थापित किए जाएंगे, यदि संभव हो तो प्रत्येक ऐसे स्थान को टेलीफोन द्वारा जोड़ा जाएगा-

(i) यदि आधार सतह से भूमिगत है; या

(ii) यदि आधार सतह के शाफ्ट तल पर है।

(2) ऐसे मामलों को छोड़कर, जिनमें देरी होने के कारण जीवन को खतरा हो सकता है, बचाव हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति किसी भी स्थान से आगे नहीं जाएगा, जहां किसी आधार को स्थापित किया जाता है और जब तक कि ऐसे आधार उपलब्ध नहीं कराए गए हों -

(i) दो व्यक्ति, जिनमें से एक अर्हित चिकित्सक होगा और यदि व्यावहारिक हो, बचाव हेतु एक अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति होगा;

(ii) बचाव उपकरण के साथ तत्काल सेवा के लिए तैयार एक अतिरिक्त टीम;

(iii) एक या एक से अधिक पुनर्जीवन हेतु उपकरण, ऑक्सीजन रिवाइवर्स तथा अन्य उपकरण;

(iv) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और स्ट्रेचर,

(v) कार्बन मोनोऑक्साइड के परीक्षण का साधन;

(vi) एक हाइग्रोमीटर; और

(vii) दो फ्लेम सेफ्टी लैम्प।

(3) जब कभी भी व्यक्ति पहले से ही ताज़ी हवा वाले स्थान से दूर कार्य कर रहे हों, तो, तो उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति, उपकरणों और उपस्करों शीघ्रतिशीघ्र को उपलब्ध कराया जाएगा।

148. लीडर.- किसी खान में श्वसन उपकरण के साथ कार्य करने वाला प्रत्येक बचाव दल अधीक्षक द्वारा नियुक्त एक लीडर के अधीन होगा।

149. लीडर को अनुदेश.- बचाव दल को भूमि के भीतर भेजने से पहले, अधीक्षक या अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, टीम के लीडर को स्पष्ट अनुदेश देगा कि वह टीम कहां जाएगी और क्या प्रयास करेगी।

150. उपकरण का परीक्षण.- (1) भूमि के नीचे जाने से पहले लीडर रिसाव के लिए टीम के स्व-अंतर्विष्ट श्वास उपकरण का परीक्षण करेगा या परीक्षण की निगरानी करेगा।

(2) जब तक ऐसे उपकरण सुरक्षित नहीं पाए जाते हैं, तब तक ऐसे किसी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) लीडर अपनी टीम के उपस्करों की परीक्षा करेगा और गैर-श्वसनीय वातावरण में प्रवेश करने से तुरंत पहले यह सुनिश्चित करेगा कि सभी श्वसन उपकरण ठीक से कार्य कर रहे हैं।

151. भूमि के नीचे लीडर के कर्तव्य.- (1) लीडर

(i) मैनुअल कार्य में संलग्न नहीं होगा।

(ii) लीडर पूरी तरह से टीम को निदेशित करने और अपनी सुरक्षा बनाए रखने पर ध्यान देगा।

(iii) वह यात्रा के दौरान छत और उसके आलम्ब की परीक्षा करेगा और यदि सड़क के किनारे किसी भी स्थान पर गिरने की संभावना है, तो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि टीम ने स्थान को सुरक्षित नहीं बना दिया हो।

(2) लीडर टीम को एक साथ रखेगा और टीम के किसी भी सदस्य को भटकने नहीं देगा।

(3) यदि वातावरण साफ है, तो लीडर, दो या दो से अधिक रोडवेज के जंक्शन से गुजरते समय चाक द्वारा तीर के निशान के माध्यम से मार्ग को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा।

(4) यदि वातावरण धुंधला है, तो लीडर यह देखेगा कि एक जीवन रेखा ताज़ी हवा के आधार से बिछाई जाएगी और टीम के किसी भी सदस्य को उस रेखा की पहुंच से बाहर जाने की अनुज्ञा नहीं देगा; या यदि वह प्रक्रिया अव्यवहार्य है, तो वह तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि प्रत्येक सड़क मार्ग के शाखा मार्ग को पूरी तरह से घेर नहीं दिया जाता।

(5) बचाव उपकरण का उपयोग करते हुए लीडर एक घड़ी रखेगा जो बीस मिनट या ऐसे अंतराल पर संकुचित ऑक्सीजन के दबाव को रिकॉर्ड करेगा और पर्याप्त समय में वापसी की यात्रा शुरू करेगा।

(6) यात्रा के दौरान, लीडर सबसे धीमी गति से चल रहे सदस्य की गति को अपनाएगा, यदि टीम का कोई भी सदस्य संकट में है, तो तुरंत पूरी टीम के साथ ताज़ी हवा वाले स्थान पर वापस आ जाएगा।

(7) लीडर टीम के किसी भी सदस्य को श्वास उपकरण का उपयोग करने खान में किसी भी समय कार्य करने के लिए डेढ़ घंटे से अधिक समय तक या ऐसी अन्य किसी अवधि तक जो मुख्य निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता द्वारा श्वास-उपकरण के उपयोग के संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए, रहने की अनुज्ञा नहीं देगा।

152. बचाव दल के सदस्य और उनके कर्तव्य.- (1) किसी खान में श्वास उपकरण का उपयोग करने वाले किसी भी बचाव टीम में व्यक्तियों की संख्या लीडर सहित पांच से कम और छह से अधिक नहीं होगी।

(2) यदि किसी आपात स्थिति में किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक बचाव दल के पास श्वास उपकरण का कोई उपबंध नहीं है, तो टीम स्व-बचावकर्ता को ले जाएगी।

(3) बचाव दल के सदस्य, साधारणतः, आपस में संप्रेषण करते समय उन संकेतों का उपयोग करेंगे, जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) बचाव उपकरण के साथ यात्रा करने पर, टीम के प्रत्येक सदस्य को नंबर देते समय उसके स्थान को निर्धारित किया जाएगा। यदि गति बहुत तेज है या कोई संकट महसूस होता है, तो सदस्य एक बार इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाएगा।

(5) खान में श्वसन उपकरण के साथ कार्य करने वाले बचाव दल के प्रत्येक सदस्य, टीम के नेता के आदेश का पालन करेंगे।

153. कार्य की दूसरे पाली का प्रतिषेध.- कोई भी व्यक्ति एक योग्य चिकित्सक द्वारा परीक्षा किए जाने और सही पाए पर किसी अश्वसनीय वातावरण में दूसरे पाली का कार्य नहीं करेगा।

154. कतिपय परिस्थितियों में नियोजन की बाध्यता.- जब भी भूमिगत खान में आपात स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे बचाव कक्ष या बचाव केंद्र द्वारा सहायता उपलब्ध करायी गई हो या न कराई गई हो, यथास्थिति मालिक, अभिकर्ता या प्रबंधक, द्वारा निकटतम बचाव कक्ष या बचाव केंद्र से सहायता या अतिरिक्त सहायता ली जा सकती है और इस तरह की घटना में-

(i) बचाव कक्ष या बचाव केंद्र द्वारा तुरंत हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ii) खान का नियोक्ता बचाव केंद्र या बचाव कक्ष के नियोक्ता को ऐसी सहायता प्रदान करने हेतु बचाव सेवाओं और ली गई सुविधाओं की पूरी लागत का भुगतान करेगा।

155. साधारण प्रबंधन- नियोजक इन नियमों के अधीन यथाअपेक्षित बचाव कक्ष या बचाव केंद्र की उचित स्थापना, रख-रखाव और उचित कार्यचालन सुनिश्चित करेगा, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना नियोजक अंतर्विष्ट आवश्यक बचाव यंत्र और उपकरण प्रदान करना आवश्यक होगा।

156. छूट प्रदान करने की शक्ति.- जहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की राय में, खान या बचाव केंद्र या बचाव कक्ष से संबंधित शर्तें ऐसी हैं जो इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी भी उपबंध के अनुपालन के लिए हैं तो वह लिखित में एक आदेश और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन उक्त उपबंधों से छूट प्रदान कर सकता है।

157. प्रशिक्षण योजना.- (1) प्रत्येक खान का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण की योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार सिद्धांत और पद्धति के आधार पर जहाँ भी मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के द्वारा खान में नियोजित या नियोजित होने वाले व्यक्तियों के लिए अधिसूचित कोई प्राधिकारी नहीं है।

परंतु कि खान का अभिकर्ता लिखित रूप में नियोजक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण योजना प्रस्तुत करेगा।

(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित में एक आदेश द्वारा प्रशिक्षण योजना में ऐसे उपांतरण की आवश्यकता को उसमें विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट योजना में अन्य उपबंधों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध, सम्मिलित होंगे: -

(i) व्यक्तियों को खानों में नियोजित करने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण;

(ii) पहले से नियोजित व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण;

(iii) नई प्रौद्योगिकी, उपस्कर को उपयोग में लाने या कार्य प्रक्रिया में परिवर्तन करने के पूर्व प्रशिक्षण;

(iv) प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए खान में नियोजित व्यक्ति की वर्तमान दक्षताओं और पूर्ण शिक्षा निर्धारण;

(v) खनन संक्रियाओं के सुरक्षित निष्पादन के लिए खानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण करना;

(vi) ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना जो प्रशिक्षण देने और कर्मकारों की क्षमता का निर्धारण करने में सक्षम हों;

(vii) किए गए और दिए गए निर्धारण प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखना और संपरीक्षा करना;

(viii) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा इस संबंध में जारी किए गए सुसंगत मानक, मापांक या कोई अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत; और

(ix) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रीय में व्याख्यान देने के लिए व्यक्तियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम सामग्री।

158. व्यावसायिक प्रशिक्षण का क्षेत्र और मानक.— प्रत्येक खान का नियोक्ता या नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि खान में नियोजित किए जाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को, उस नियोजन के लिए इन नियमों के अधीन निर्धारित प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

परंतु, यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी अन्य खान में नियोजित है, तो नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए।

159. पुनश्चर्या प्रशिक्षण का क्षेत्र और मानक.— प्रत्येक खान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, प्रशिक्षण योजना के अनुसार, कम से कम प्रत्येक चार वर्ष की अवधि में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करेगा:

परंतु कि, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, लिखित आदेश द्वारा तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी खान के संबंध में पुनश्चर्या प्रशिक्षण की उक्त अवधि को बढ़ाने या घटाने का निदेश दे सकेगा।

160. पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था.— पुनश्चर्या प्रशिक्षण इस प्रकार आयोजित किया जाएगा कि संबंधित व्यक्तियों को साधारण कार्य समय के दौरान पूर्ण-दिवसीय अवकाश प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

परंतु कि, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन जो विनिर्दिष्ट की जाए किसी भी खान को इस नियम के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगा।

161. विशेष प्रशिक्षण.— (1) जब किसी खान में नई प्रौद्योगिकी, उपस्करण या कार्य प्रणाली का परिचय कराया जाता है, तब नियोक्ता ऐसे परिचय से कम से कम साठ दिन पूर्व प्रशिक्षण मापांक तैयार कर उसे मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधप्रदाता को प्रस्तुत करेगा; और मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा, उक्त प्रशिक्षण मापांक में ऐसे उपांतरण करने का निदेश सकेगा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) पुर्वोक्त प्रौद्योगिकी, उपस्कर या कार्य प्रणाली में नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों को, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण योजना के अनुसार, उक्त प्रशिक्षण मापांक के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

162. लंबी अनुपस्थिति, दुर्घटना या कार्य-परिवर्तन के पश्चात व्यक्तियों का प्रशिक्षण.— जहाँ कोई व्यक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि की अनुपस्थिति के पश्चात खान में पुनः कार्य पर लौटता है, या किसी गंभीर दुर्घटना या ऐसे खतरनाक घटनाक्रम के होने के पश्चात कार्य पर लौटता है जिससे जीवन और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता था, या उसे ऐसे कार्य पर पुनः नियोजित किया जाता है जो उसके पूर्व में किए जा रहे कार्य से भिन्न है, वहाँ ऐसे व्यक्ति को नियोजन से पूर्व इन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

163. प्रशिक्षण केंदीय.— (1) प्रत्येक खान का नियोक्ता एक प्रशिक्षण केंदीय की स्थापना करेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा, जो खान में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो:

परंतु यह कि, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधप्रदाता, आदेश द्वारा तथा लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, यह प्राधिकृत कर सकेगा कि एक ही नियोक्ता की दो या अधिक खानों के संबंध में एक साधारण प्रशिक्षण केंदीय स्थापित और अनुरक्षित किया जा सकता है।

(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, लिखित रूप में तथा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी शर्तों के अधीन, एक से अधिक खानों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नियोक्ताओं के समूह द्वारा स्वामित्व और अनुरक्षण किए जाने वाले साधारण प्रशिक्षण केंदीय की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है:

परंतु यह कि, जहाँ ऐसे खानों के नियोक्ताओं के समूह द्वारा साधारण प्रशिक्षण केंदीय स्थापित और अनुरक्षित किया जाता है, वहाँ वे अपने मध्य से एक नियोक्ता को नामनिर्दिष्ट करेंगे, जो उस साधारण प्रशिक्षण केंदीय के प्रबंधन, पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा, तथा नामनिर्दिष्ट नियोक्ता इस संबंध में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को लिखित सूचना प्रस्तुत करेगा।

(3) उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, लिखित रूप में तथा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी शर्तों के अधीन, ऐसे किसी प्रशिक्षण केंद्रीय को अनुमोदित कर सकता है जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित किया गया हो, परंतु कि उसमें मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से निर्दिष्ट अवसंरचना और सुविधाएँ उपलब्ध हों, ताकि इन नियमों के अधीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

(4) उपनियम (3) के अधीन अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन, रुपविधान में किया जाएगा तथा उसके साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा विहित फीस संलग्न होगी, जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

164. प्रशिक्षण केंद्रीय के लिए व्यवस्थाएँ.— प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रीय में ऐसे कर्मचारी, उपस्कर तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

165. प्रशिक्षण अधिकारी -(1) प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रीय को एक प्रशिक्षण अधिकारी के प्रभार में रखा जाएगा, जो ऐसी अर्हता और अनुभव रखता हो, जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति करना, यथास्थिति, खान के नियोक्ता या अभिकर्ता या साधारण व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रीय के नियोक्ता का उत्तरदायित्व होगा:

परंतु यह कि, किसी प्रशिक्षण केंद्रीय के मामले में, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्रीय के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देशन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्रीय का नियोक्ता” कहा गया है) प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

(3) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ प्रशिक्षण अधिकारी अस्थायी अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहाँ नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक, यथास्थिति, लिखित रूप में समान अर्हताओं वाले किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा:

परंतु यह कि, ऐसा कोई प्राधिकरण तीस दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त न हो तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन न हो।

(4) प्रशिक्षण अधिकारी की प्रत्येक नियुक्ति, उन्मोचन, पदच्युति, त्यागपत्र या सेवा-समापन तथा उसकी तारीख की सूचना, यथास्थिति, नियोक्ता या अभिकर्ता द्वारा, ऐसी नियुक्ति, प्राधिकरण, उन्मोचन, पदच्युति, त्यागपत्र या सेवा-समापन की तारीख से सात दिनों के भीतर, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक तथा निरीक्षक-सह-सुकारक को प्रेषित की जाएगी।

166. प्रशिक्षण अधिकारी के कर्तव्य.— (1) प्रशिक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह—

- (i) इन नियमों के अनुपालन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक व्यक्ति के प्रशिक्षण का आयोजन और पर्यवेक्षण करे;
- (ii) प्रशिक्षण आवश्यकताओं के स्थापन के लिए वर्तमान दक्षता तथा पूर्व अधिगम (प्रायर लर्निंग) की मान्यता प्रदान करे;
- (iii) इन नियमों के अधीन विरचित संबंधित प्रशिक्षण योजना के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए मापांक या पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रशिक्षण सुनिश्चित करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि प्रशिक्षक मानक पाठ्य सामग्री पर व्याख्यान दें;
- (iv) प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का अभिलेख को अनुरक्षण करे तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की प्रगति के संबंध में खान प्रबंधक को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे;

- (v) वास्तविक संक्रियाओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में पर्यवेक्षण का अभिलेख को अनुरक्षण करे; तथा
- (vi) इन नियमों के समुचित अनुपालन हेतु आवश्यक अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करे।

(2) प्रत्येक प्रशिक्षण अधिकारी अपने कार्य का अभिलेख का रख-रखाव करेगा तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में, अपने वार्षिक कार्य का संक्षिप्त प्रतिवेदन, यथास्थिति, नियोक्ता या साधारण या अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्रीय के नियोक्ता के माध्यम से, उस प्रशिक्षण केंद्रीय पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक को अग्रेषित करेगा।

167. अनुदेशक.— खान का नियोक्ता या अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्रीय का नियोक्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रीय में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक अर्हता और अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगा:

परंतु कि, विशेष परिस्थितियों में, खानों से अधिकारियों को प्रशिक्षण केंद्रीय में व्याख्यान देने और प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जा सकता है।

168. प्रशिक्षक.— इन नियमों में निर्दिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए, खान में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, संचालन कार्यों में संलग्न तथा प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत, उपयुक्त प्रवर्ग के एक अनुभवी व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रखा जाएगा, जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रशिक्षकों” कहा गया है।

169. अनुदेशकों और प्रशिक्षकों की अर्हताएं.— कोई भी व्यक्ति अनुदेशक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट तथा मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट अर्हता, प्रशिक्षण और अनुभव नहीं रखता हो।

170. अनुदेशक के कर्तव्य. :—अनुदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह —

- क. कर्मचारियों की दक्षता का निर्धारण करे तथा मानक पाठ्य सामग्री पर व्याख्यान प्रदान करे;
- ख. प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का अभिलेख का अनुरक्षण करे तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की प्रगति के संबंध में प्रशिक्षण अधिकारी को साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

171. प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के कर्तव्य —

- (1) प्रशिक्षक, अपने अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्ति कार्य को सीखें, कार्य में निहित खतरों को समझें तथा ऐसे व्यवहार और आदतें विकसित करें जो खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- (3) प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्ति खान के भीतर उसके साथ ही संचरण करें।
- (4) प्रत्येक प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्ति उन अनुभागों से निकलने के मार्ग से अवगत हों जहाँ वे कार्य करने की संभावना रखते हैं, तथा प्रशिक्षकों पर लागू अन्य आपातकालीन उपायों की जानकारी भी उन्हें हो।
- (5) प्रत्येक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा व्यक्ति, प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उस प्रशिक्षक के निदेशों का पालन करेगा जिसके अधीन उसे रखा गया है।

172. प्रशिक्षण भत्ता.— (1) प्रत्येक प्रशिक्षक को, उनके साधारण मजदूरी के अतिरिक्त, खान के नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा, उस प्रत्येक दिन के लिए जब कोई प्रशिक्षु उनके पर्यवेक्षण में कार्य करता है, प्रशिक्षण भत्ता देय होगा, जैसा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तथा उसकी सिफारिश पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक अनुदेशक, जो प्रशिक्षण केंद्रीय में नियमित नियुक्ति पर नियुक्त अनुदेशक के अतिरिक्त हो, को उनके साधारण मजदूरी के

अतिरिक्त, नियोक्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा, उस प्रत्येक दिन के लिए जब उसने व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रीय में प्रशिक्षण प्रदान किया है, प्रशिक्षण भत्ता देय होगा, जैसा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की अनुशंसा पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

173. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.— (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इन नियमों में निर्दिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करता है, प्रशिक्षण पूर्ण होने पर मूल्यांकन के अधीन होगा तथा प्रशिक्षु के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, उसे प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, ऐसे प्रपत्र में जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) जहाँ प्रशिक्षण अधिकारी किसी प्रशिक्षु की प्रगति या प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होता है, वहाँ वह इस संबंध में खदान प्रबंधक को सूचित करेगा, जो ऐसे व्यक्ति को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था कर सकता है।

(3) प्रत्येक खदान का प्रबंधक, प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूर्णता से संतुष्ट होने पर, प्रमाणपत्र पर प्रति-हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर तिथि अंकित करेगा।

174. प्रबंधन को प्रमाणपत्र सुपुर्द किया जाना. — (1) खदान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति:—

क. यदि उसने ऐसे नियोजन से पूर्व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त किए हों; तथा

ख. नियोजन के दौरान प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र, खदान प्रबंधक द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर;

ग. इन नियमों के अधीन उन्हें जारी किया गया प्रमाण-पत्र परिदत्त करना ;

(2) खदान के प्रबंधक को सुपुर्द करेगा, जो उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा उसके लिए रसीद जारी करेगा।

(3) सेवा की समाप्ति पर, उप-नियम (1) के अंतर्गत जमा किए गए प्रमाणपत्र कर्मचारी को वापस कर दिए जाएंगे।

175. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण — मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक, किसी भी प्रशिक्षण केंद्र या उसके किसी भाग में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण एवं परीक्षण कर सकता है तथा ऐसे परीक्षण या जांच कर सकता है जैसा वह उपयुक्त समझे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों तथा इनके अधीन किए गए किसी भी आदेश के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

176. वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र के बंद होने या कार्य-निलंबन की सूचना.— जब इन नियमों के अंतर्गत स्थापित किसी प्रशिक्षण केंद्र को बंद करने का आशय हो अथवा उसके कार्य को साठ दिनों से अधिक अवधि के लिए स्थगित करना हो, तो यथास्थिति खदान का नियोक्ता अथवा सामान्य वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र का नियोक्ता, उस प्रकार तथा प्रपत्र में, जैसा कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए, कारणों सहित ऐसी बंदी या कार्य-निलंबन की सूचना, ऐसी बंदी या निलंबन से कम से कम तीस दिन पूर्व देगा:

परंतु यह कि, यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण प्रशिक्षण केंद्र बंद कर दिया जाता है अथवा पहले से सूचना दिए बिना निलंबित कर दिया जाता है, या यदि बिना पूर्व इरादे के निलंबन साठ दिनों से अधिक हो जाता है, तो खदान का नियोक्ता ऐसी सूचना तत्काल देगा।

अध्याय-12

अपराध और शास्ति

177. जांच करने की रीति — (1) जब धारा 111 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष, किसी निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में शिकायत की जाती है, तो उक्त अधिकारी का उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि यह समाधान हो जाने पर कि कोई अपराध किया गया है, वह शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर अभियुक्त को समन जारी करेगा तथा उपस्थित होने की तारीख निर्धारित करेगा।

(2) किसी भी पक्ष की ओर से उपस्थित होने हेतु दिया गया प्राधिकार, उप-नियम (1) के अधीन सुनवाई के दौरान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा।

(3) यदि उप-नियम (1) के अधीन समन प्राप्त अभियुक्त उपस्थित होता है या प्रस्तुत किया जाता है, तो अधिकारी उसे उस अपराध के सम्बन्ध में स्पष्ट करेगा जिसके संबंध में जांच प्रारंभ की गई है, और—

क. यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार करता है, तो अधिकारी सहिता के उपबंधों के अनुसार उस पर शास्ति अधिरोपित करेगा; और

ख. यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी जांच आगे बढ़ाएगा, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को समन जारी करेगा और अगली सुनवाई के लिए तारीख विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) निर्धारित तारीख पर, अधिकारी अभियुक्त तथा निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्य, दस्तावेजी हों या शपथ पर गवाहों द्वारा हों, अभिलेखित करेगा और प्रस्तुत गवाहों की प्रति-परीक्षा का अवसर प्रदान करेगा।

(5) अधिकारी पक्षों को सुनने तथा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्, शिकायत का निर्णय सहिता के उपबंधों के अनुसार करेगा।

(6) अधिकारी आदेश पारित करते समय निम्नलिखित का अभिलेखन करेगा—

- (क) शिकायत की विशीसतिया विवरण;
- (ख) पक्षकारों का व्यौरे;
- (ग) अपराध की प्रकृति और सहिता के सुसंगत उपबंध;
- (घ) पक्षकारों के अभिवचन;
- (ङ) साक्ष्यों का संक्षेप, जिसमें प्रति-परीक्षा भी सम्मिलित हो;
- (च) निष्कर्ष और कारण; और
- (छ) अधिरोपित शास्ती, यदि कोई हो।

(7) अधिकारी अभियुक्त या उसका प्रतिनिधि के बिना किसी पर्याप्त कारण के लगातार दो तारीख पर अनुपस्थित होने की दशा में एकपक्षीय रूप से शिकायत की सुनवाई और अवधारण कर सकेगा।

परंतु निरीक्षक-सह-सुकारक या उसका प्रतिनिधि के बिना किसी पर्याप्त कारण के विनिर्दिष्ट तारीख पर अनुपस्थित होने की दशा में अधिकारी शिकायत को खारिज कर सकेगा।

(8) अधिकारी, निरीक्षक-सह-सुकारक या अभियुक्त से आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही स्थगित कर सकेगा ;

परंतु यह कि, अधिकतम तीन स्थगन ही अनुज्ञेय होंगे।

परंतु यह भी कि, अधिकारी अपने विवेकानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षों की सुनवाई की अनुमति दे सकेगा।

(9) अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज पर उसके प्रस्तुत किए जाने या प्राप्त किए जाने की तारीख पृष्ठांकित करेगा अथवा पृष्ठांकित कराएगा;

और यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हों, तो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

(10) पक्षकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उप-नियम (2) के अधीन किसी भी शिकायत या अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करने के हकदार होंगे।

(11) अधिकारी शिकायत अस्वीकृत कर सकेगा, यदि यह समाधान हो जाता है और वह निरीक्षक-सह-सुकारक को ऐसे प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों के सुधार के लिए अनुरोध कर सकेगा

परंतु यह कि, यदि अधिकारी की राय में शिकायत में त्रुटियों का सुधार संभव नहीं है, तो वह शिकायत को त्रुटियों का उल्लेख करते हुए वापस कर सकेगा।

(12) जब शिकायत त्रुटियों के सुधार के पश्चात पुनः प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी पुनः प्रस्तुति की तारीख को धारा 111 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु प्रस्तुति की तारीख माना जाएगा।

(13) अधिकारी, निरीक्षक-सह-सुकारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, शिकायत को अस्वीकृत कर सकेगा, यदि वह लिखित कारणों से संतुष्ट हो कि—

- (क) शिकायतकर्ता ने अपराध घटित होने की तारीख से छह माह के पश्चात शिकायत प्रस्तुत की है;
- (ख) शिकायतकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है।

(14) (i) अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से विहित प्ररूप, रीति और फीस के साथ, खंड 111 का उपखंड (3) के अधीन नियुक्त अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष, आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(ii) खंड 111 का उपखंड (3) के अधीन नियुक्त अपीलीय प्राधिकरण, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, साठ दिन के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे, जिसमें अपीलित आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण किया जा सकेगा।

178. आयु के संबंध में दायित्व.— खंड 117 का उपखंड (2) में संदर्भित चिकित्सा प्राधिकारी ऐसा चिकित्सा व्यवसायी होगा, जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) में परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता हो और जो संहिता की धारा 35, 36, 37 एवं 40 के खंड (ड) में परिभाषित भारतीय चिकित्सा रजिस्टर और खंड (I) में परिभाषित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट हो।

179. जांच की प्रक्रिया और केंद्रीय सरकार संबंधित विषय.— (1) जहाँ किसी कार्यस्थल पर मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट का कारण बनने वाली दुर्घटना होती है, या कोई परिसंकटमय घटना घटित होती है, या संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी व्यावसायिक रोग के मामले की सूचना दी जाती है या उसके होने का संदेह होता है, वहाँ यथास्थिति एक या अधिक ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास विधिक एवं विशेष ज्ञान हो, जांच हेतु आकलनकर्ता या सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त करेगी, ताकि वे उस दुर्घटना या व्यावसायिक रोग के कारणों की जांच कर सकें।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त सक्षम व्यक्ति दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारणों की जांच करेगा और ऐसे परिसंकटमय परिस्थितियों की पहचान करेगा, जिनके संबंध में उसके पास युक्तिसंगत साक्ष्य हो और जिसे वह जांच रिपोर्ट में लिखित रूप में अभिलिखित करे, कि उन्हीं परिस्थितियों के कारण दुर्घटना या खतरनाक घटना हुई है; और वह ऐसे व्यक्तियों की भी पहचान करेगा जिन्हें वह अपने निष्कर्षों के आधार पर उस दुर्घटना या घटना के लिए उत्तरदायी मानता है।

(3) जांच रिपोर्ट में जांच के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अंतर्बर्णित किए जाएंगे और ऐसी दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं या व्यावसायिक रोगों

की पुनरावृत्ति हेतु सिफारिशें और उनके क्रियान्वयन के सुझाव सम्मिलित होंगे।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति डॉक कार्य के मामले में, संहिता की धारा 121 के अधीन किसी दुर्घटना, खतरनाक घटना या व्यावसायिक रोग की जांच हेतु निम्नलिखित रीति से जांच करेगा, अर्थात्,—

(i) जांच की तारीख, समय एवं स्थान निर्धारित किया जाएगा तथा उसमें परिवर्तन भी किया जा सकेगा। इस संबंध में कम से कम तीस दिन पूर्व लिखित सूचना प्रत्येक उस व्यक्ति को दी जाएगी जो जांच में उपस्थित होने का अधिकारी है और जिसका नाम और पता सक्षम व्यक्ति को ज्ञात है:

परंतु यह कि—

(क) ऐसे व्यक्तियों की सहमति से, सक्षम व्यक्ति कम अवधि की सूचना भी दे सकेगा जैसा कि उन व्यक्तियों द्वारा सहमति से तय किया जाए; और

(ख) यदि जांच के समय या स्थान में परिवर्तन आवश्यक या उपयुक्त हो, तो सक्षम व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार युक्तिसंगत सूचना देकर ऐसा परिवर्तन कर सकेगा।

(ii) इस उप-नियम के खंड (i) के अधीन दिए गए नोटिस में सक्षम व्यक्ति का नाम और, यदि कोई हो, जांच में सहायता हेतु नियुक्त आकलनकर्ताओं के नाम भी उल्लिखित होंगे।

(iii) उपरोक्त उपबंधों के बिना पूर्वाग्रह के, सक्षम व्यक्ति जांच के विषय से संबंधित किसी भी व्यक्ति को सूचित करने हेतु निम्नलिखित उपाय कर सकेगा —

(क) जांच की सूचना एक या अधिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना, जिसमें आवश्यक होने पर उस क्षेत्र या स्थान के समाचार पत्र भी शामिल होंगे जहाँ से जांच का विषय उत्पन्न हुआ है; तथा

(ख) अन्य ऐसी सूचना देना जो सक्षम व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त समझे; और इस खंड (क) में अंतर्भूत सूचना अवधि की अपेक्षाओं ऐसी सूचनाओं पर लागू नहीं होगी।

180. जांच में उपस्थित होने वाले व्यक्ति.— (1) जांच में उपस्थित होने के अधिकारी व्यक्ति निम्नलिखित होंगे—

(क) संबंधित प्रवर्तन प्राधिकारी ;

(ख) नियोक्ता संघ या कर्मचारी ट्रेड यूनियन;

(ग) वह व्यक्ति जो दुर्घटना, घटना, स्थिति, रोग या अन्य विषय, जो जांच का विषय है, के परिणामस्वरूप घायल हुआ हो या जिसे क्षति हुई हो, या उसका प्रतिनिधि;

(घ) उस परिसर का नियोक्ता जिसमें वह दुर्घटना, घटना या स्थिति उत्पन्न हुई हो;

(ङ) वह व्यक्ति जो उस कार्य को संचालित कर रहा हो जिससे वह दुर्घटना, घटना, स्थिति या अन्य विषय उत्पन्न हुआ हो; तथा

(च) सक्षम व्यक्ति के विवेकानुसार कोई अन्य व्यक्ति।

(2) जांच में निम्नलिखित व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर सकते हैं—

(क) कोई निगमित निकाय अपने सचिव या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, या अधिवक्ता या वकील द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेगा ;

(ख) कोई सरकारी विभाग, नियोक्ता संघ या ट्रेड यूनियन अधिवक्ता या वकील द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेगा ;

(ग) जहाँ जांच के विषय में समान हित रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति हों, वहाँ सक्षम व्यक्ति एक या अधिक व्यक्तियों को उन सभी या कुछ हितधारकों की ओर से उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगा ।

(3) धारा 121 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति, स्वयं की पहल पर या उपस्थित होने के अधिकारी/अनुमति प्राप्त

किसी व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम प्रतीत हो, नोटिस जारी कर सकेगा, जिसमें उसे जांच में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर उपस्थित होकर साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने का अपेक्षा होगी।

(4) जिस व्यक्ति पर उप-नियम (3) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, वह जांच से पूर्व या जांच के दौरान सक्षम व्यक्ति से उस अपेक्षा को संशोधित या निरस्त करने का आवेदन कर सकेगा, तथा ऐसा आवेदन सक्षम व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित प्रावधानित न हो, जांच की प्रक्रिया और उससे संबंधित कार्यवाही सक्षम व्यक्ति के विवेक पर होगी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होगी। सक्षम व्यक्ति सुनवाई के प्रारंभ में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की घोषणा करेगा और उपस्थित व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात उन्हें संभावित स्थल निरीक्षण की जानकारी भी देगा।

(6) खदानों के मामले में, धारा 121 के अधीन नियुक्त व्यक्ति जांच सार्वजनिक रूप से करेगा, ऐसे रीति और शर्तों के अधीन जैसा वह दुर्घटना या घटना के कारणों एवं परिस्थितियों के अन्वेषण तथा रिपोर्ट तैयार करने हेतु उपयुक्त समझे।

(7) यदि जांच में यह पाया जाता है कि दुर्घटना प्रबंधन की लापरवाही या उपेक्षा के कारण हुई है, तो सक्षम व्यक्ति अपनी और जांच से संबंधित व्यय, जिन्हें पूर्व स्वीकृति से किया गया हो, तथा अन्य संबंधित व्यय की वसूली खान के नियोक्ता से विनिर्दिष्ट समय एवं तरीके से करने का निर्देश दे सकेगा।

(8) उप-नियम (7) के अधीन वसूली योग्य राशि, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक के आवेदन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा नियोक्ता से वसूल की जा सकेगी।

(9) केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित एक निरीक्षक-सह-सुकारक, सक्षम व्यक्ति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(10) जांच या सर्वेक्षण, यथास्थिति, गठन की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा कर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

181. सर्वेक्षण की प्रक्रिया और संबंधित विषय.— (1) केंद्रीय सरकार, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय या खान सुरक्षा महानिदेशालय अथवा केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्थान को यह निर्देश दे सकेगा कि वह किसी कार्यस्थल या कार्यस्थलों के वर्ग अथवा कार्यस्थल के भीतर और उसके आस-पास कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर कार्य गतिविधियों के प्रभाव के संबंध में सर्वेक्षण करने हेतु एक समिति नियुक्त करे।

(2) उक्त समिति का यह दायित्व होगा कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति तथा उसका श्रमिकों पर प्रभाव ज्ञात करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करे।

(3) समिति द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट निरीक्षण रिपोर्ट के समान होगी और उसमें सर्वेक्षण के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से सम्मिलित होंगे, साथ ही व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेतु सिफारिशें भी दी जाएंगी, ताकि दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं या व्यावसायिक रोगों की रोकथाम की जा सके, और उनके कार्यान्वयन के लिए सुझाव भी सम्मिलित होंगे, जिनके अनुपालन को निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

182. अधिकृत अधिकारी द्वारा अपराधों के शमन की प्रक्रिया.— (1) धारा 114 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी, ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर जो किसी शमनीय अपराध का शमन करना चाहता है, चाहे जांच के पूर्व या पश्चात अथवा यथास्थिति अभियोजन प्रारंभ होने के पश्चात, ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप-XXVI में एक शमन सूचना प्ररूप-XXVII में जारी करेगा, जो संहिता की धारा 114(1) के अधीन शमनीय अपराध से संबंधित होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जिस व्यक्ति को सूचना दी गई है, वह प्ररूप-XXVII के भाग-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकेगा और सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संपूर्ण शमन राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक अंतरण या अन्य माध्यम से जमा करेगा।

(3) उप-नियम (1) में संदर्भित अधिकारी, शमन राशि प्राप्त होने के दस दिन के भीतर प्ररूप-XXVII के भाग-4 में शमन प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिससे उक्त राशि प्राप्त हुई है और जिसने शमन सूचना का अनुपालन किया है।

(4) यदि संबंधित व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक माह पश्चात उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिन अपराधों के संबंध में शमन सूचना जारी की गई थी, न्यायालय में अभियोजन प्रारंभ किया जाएगा।

(5) जहाँ किसी अपराध के संबंध में अभियोजन पहले ही न्यायालय में संस्थित हो चुका है, वहाँ उप-नियम (1) में संदर्भित अधिकारी अपने आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को आगे की कार्यवाही हेतु सूचना के लिए भेजेगा।

अध्याय 13 सामाजिक सुरक्षा कोष

183. सामाजिक सुरक्षा कोष.— सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 141 के अधीन स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष को संहिता की धारा 115 के अधीन स्थापित माना जाएगा, जिसमें कोष के अन्य स्रोत और असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु उस कोष के प्रशासन एवं व्यय की रीति भी सम्मिलित होगी।

अध्याय 14 विविध

184. संविदा श्रमिकों हेतु शिकायत निवारण तंत्र.— (1) संविदा श्रमिक स्वास्थ्य, कार्य-स्थितियों तथा मजदूरी से संबंधित अपनी शिकायतें प्रधान नियोक्ता के स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो मामले की जांच करेगा और शिकायत का निवारण करेगा।

(2) उस स्थापना में, जहाँ संविदा श्रमिक नियोजित हैं, प्रधान नियोक्ता द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में एक अध्यक्ष होगा, जो प्रधान नियोक्ता का प्राधिकृत प्रतिनिधि होगा, और इसमें प्रधान नियोक्ता एवं ठेकेदार दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

(3) यह समिति संविदा श्रमिकों की शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण तीस दिन की अवधि के भीतर करेगी।

(4) यदि शिकायत का निवारण तीस दिन के भीतर नहीं होता है, तो प्रधान नियोक्ता संबंधित निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित करेगा।

(5) निरीक्षक-सह-सुकारक, उप-नियम (4) के अधीन प्राप्त शिकायत पर जांच करेगा तथा उसके निस्तारण हेतु उपयुक्त कार्रवाई करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत प्राप्ति की तारीख से अधिकतम साठ दिन की अवधि के भीतर उसका समाधान कर दिया जाएगा।

185. ठेकेदार के नियमित श्रमिक की वार्षिक वेतन वृद्धि.— जो श्रमिक किसी ठेकेदार द्वारा किसी गतिविधि के लिए नियमित रूप से नियोजित है और जिसका रोजगार पारस्परिक रूप से स्वीकार्य रोजगार शर्तों द्वारा शासित है, ऐसे श्रमिक को उसके वेतन पर प्रत्येक वर्ष कम से कम दो प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी।

186. आय के स्रोत तथा खतरनाक पदार्थ की मात्रा – धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (भ) के स्पष्टीकरण के अधीन आने वाले आय के स्रोत तथा उक्त उपधारा के खंड (यख) के अधीन आने वाले पदार्थ या उसकी मात्रा का निर्धारण समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से किया जाएगा।

उपाबंध-1

नियम 54(ii) के अधीन यथा उपबंधित प्राथमिक चिकित्सा पेटी की सामग्री सूची: —

1. उपयुक्त संख्या में छोटे, मध्यम और बड़े आकार के विसंक्रमित (स्टरलाइज़्ड) ड्रेसिंग पैड
2. उपयुक्त संख्या में बड़े आकार के विसंक्रमित जलन (बर्न) ड्रेसिंग पैड
3. स्टेरिलिज्ड रुई के पैकेटों की पर्याप्त संख्या
4. पर्याप्त मात्रा में सेत्रिमाइड घोल (1%–3%) या उपयुक्त एंटीसेप्टिक घोल (10% पोविडोन आयोडीन)
5. कैंची, चिमटी, टूर्निकेट तथा डिस्पोजेबल दस्ताने का एक जोड़ा
6. विभिन्न आकारों की पर्याप्त चिपकने वाली टेप और बैंडेज टेप
7. विभिन्न आकारों की पर्याप्त इलास्टिक क्रेप बैंडेज
8. स्टेरिलिज्ड नेत्र पैड
9. दर्द निवारक (पैरासिटामोल-650 मि.ग्रा.) एवं एंटासिड युक्त स्ट्रिप्स तथा ओआरएस सैशे की पर्याप्त संख्या
10. दर्द निवारक / एनाल्जेसिक स्प्रे
11. पॉलीथीन बॉथ बोटलें (सामान्य सेलाइन या डिस्टिल्ड वाटर)
12. विभिन्न आकारों की पर्याप्त रोलर बैंडेज
13. पर्याप्त एवं उपयुक्त स्प्लिंट्स (हड्डी स्थिरीकरण पट्टियाँ)
14. पुनर्जीवन उपकरण जैसे एम्बू बैग
15. एस्पिरिन, आइसोसॉर्बाइड डाइ-नाइट्रेट जैसी गोलियाँ
16. एंटी-एलर्जिक दवाएँ तथा आई ड्रॉप्स
17. प्राथमिक चिकित्सा पुस्तिका की एक प्रति, जिसमें निकटवर्ती अस्पतालों के आपातकालीन संपर्क नंबर सम्मिलित होंगे।

उपाबंध-2

नियम 55(ii) के अधीन यथा उपबंधित एम्बुलेंस कक्ष के लिए उपस्करों की सूची —

1. गरम और ठंडे जल आपूर्ति सहित ग्लेज़्ड सिंक
2. मेज, कुर्सियाँ तथा रेफ्रिजरेटर
3. चिकित्सा उपकरणों के स्टरलाइजेशन हेतु उपयुक्त घोल या उपस्कर
4. रोगी परीक्षण हेतु टेबल/काउच, तकिया, धोने योग्य रबर शीट, कंबल और तौलिए
5. मध्यम आकार के स्पंज फोर्सेप्स की उपयुक्त संख्या
6. किडनी ट्रे
7. एंटीसेप्टिक साबुन
8. क्लिनिकल थर्मामीटर
9. हैंड टॉर्च
10. टेनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन की पर्याप्त संख्या
11. गोलियाँ — एंटीहिस्टामिनिक, एंटीस्पास्मोडिक, एंटीपायरेटिक (पैरासिटामोल), एंटासिड, एंटीएमेटिक
12. गोलियाँ — आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट (5 मि.ग्रा.), एस्पिरिन (75 मि.ग्रा.) + एटोरवास्टेटिन (20 मि.ग्रा.) + क्लोपिडोग्रेल (75 मि.ग्रा.)
13. ओआरएस सैशे
14. इंजेक्शन — एट्रोपिन, एड्रेनालिन, हाइड्रोकार्टिसोन, फ्यूरोसेमाइड, लोकल एनेस्थेटिक्स
15. विभिन्न आकारों की सुइयों सहित डिस्पोजेबल सिरिंज तथा नीडल होल्डर
16. स्यूचरिंग (टांके लगाने) की सुइयाँ एवं सामग्री

17. डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का एक जोड़ा
18. ड्रेसिंग फोर्सेप्स का एक जोड़ा
19. आर्टरी फोर्सेप्स का एक जोड़ा
20. सर्जिकल कैची
21. स्केल्पेल
22. स्टेथोस्कोप
23. रबर बैंडेज (प्रेसर बैंडेज)
24. ऑक्सीजन सिलेंडर / ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं आवश्यक सहायक उपकरण
25. रक्तचाप मापने का एक यंत्र
26. सामान्य सेलाइन बोतलें, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, 25% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन की उपयुक्त संख्या
27. ग्रीन (18ग्राम), पिंक (20ग्राम) एवं ब्लू (22ग्राम) इंटरवेनस (IV) कैनुला तथा उपयुक्त फिक्सेटर
28. डिस्पोजेबल IV इन्फ्यूजन सेट
29. इंटरवेनस इन्फ्यूजन स्टैंड
30. ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग किट
31. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बिन्स
32. उपयुक्त आकार के लकड़ी के स्प्लिंट्स की पर्याप्त संख्या या अन्य उपयुक्त स्प्लिंट्स
33. व्हीलचेयर
34. स्कूप स्ट्रेचर
35. छोटे, मध्यम एवं बड़े आकार के निष्फल ड्रेसिंग की पर्याप्त संख्या
36. निष्फल बर्न ड्रेसिंग की पर्याप्त संख्या
37. स्टेरिलिज्ड रूई के पैकेटों की पर्याप्त संख्या
38. एंटीसेप्टिक घोल जैसे सेत्रिमाइड (1%–3%) या पोविडोन आयोडीन (10%) घोल
39. विभिन्न आकारों की चिपकने वाली बैंडेज एवं टेप का रोल
40. विभिन्न आकारों की इलास्टिक क्रेप बैंडेज
41. निष्फल आई पैड के पर्याप्त टुकड़े
42. विभिन्न आकारों की रोलर बैंडेज की पर्याप्त संख्या
43. टूर्निकेट
44. डिस्पोजेबल दस्ताने
45. चिमटी
46. पल्स ऑक्सीमीटर
47. उपयुक्त सक्शन यूनिट एवं उपकरण
48. पुनर्जीवन उपकरण जैसे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और एम्बू बैग
49. किसी भी अन्य उपस्कर जो अर्हक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विशेष आवश्यकता के अनुसार सिफारिश किए जाएँ

उपाबंध-3

नियम 54(iii) के अधीन यथा उपबंधित खदानों हेतु प्राथमिक चिकित्सा पेटी की सामग्री सूची —

(i) घाव देखभाल:

- (क) विभिन्न आकारों में विसंक्रमित चिपकने वाली बैंडेज (छोटी, मध्यम, बड़ी)
- (ख) उन्नत घाव-उपचार गुणों वाले विसंक्रमित गॉज़ पैड एवं ड्रेसिंग
- (ग) घाव को ढकने एवं सुरक्षा हेतु पारदर्शी फिल्म ड्रेसिंग
- (घ) घाव की सफाई हेतु एंटीसेप्टिक वाइप्स या घोल
- (ङ) छोटे कट एवं घावों हेतु स्किन क्लोजर स्ट्रिप्स
- (च) डिस्पोजेबल दस्ताने (लेटेक्स-फ्री या नाइट्राइल)
- (छ) गोल-नोक वाली कैंची

(ii) कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एवं पुनर्जीवन:

- (क) सुरक्षित सीपीआर देने हेतु पॉकेट मास्क या फेस शील्ड (वन-वे वाल्व सहित)
- (ख) डिस्पोजेबल बैग-वाल्व-मास्क पुनर्जीवन उपकरण, पॉजिटिव एंड-एक्सपिरेटरी प्रेशर वाल्व सहित

(iii) औषधियाँ और मलहम :

- (क) व्यापक-स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल गुणों वाला एंटीसेप्टिक
- (ख) मरहम कीट काटने एवं त्वचा जलन हेतु हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम
- (ग) दर्द निवारक (जैसे पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन) उपयुक्त मात्रा सहित
- (घ) एलर्जी प्रतिक्रिया हेतु एंटीहिस्टामिन, विभिन्न रूपों में (टैबलेट, तरल आदि)
- (ङ) संभावित हृदयाघात हेतु एस्पिरिन
- (च) शुगर सैशे

(iv) बैंडेज एवं ड्रेसिंग :

- (क) मोच एवं खिंचाव हेतु स्व-चिपकने वाले इलास्टिक बैंडेज तथा आइस पैक बॉक्स/आइस बैग
- (ख) नॉन-स्टिक घाव ड्रेसिंग या उच्च अवशोषण क्षमता वाले पैड
- (ग) जलन देखभाल
- (घ) तत्काल शीतलन एवं दर्द राहत हेतु हाइड्रोजेल बर्न ड्रेसिंग
- (ङ) हाइड्रोजेल कोटेड निष्फल बर्न शीट्स
- (च) सुखदायक प्रभाव वाला बर्न जेल या स्प्रे

(v) उपस्कर और औज़ार:

- (क) सटीक तापमान मापन हेतु डिजिटल थर्मामीटर
- (ख) सक्शन उपकरण, कठोर गर्दन कॉलर, एयरवे, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बैग, फिंगर प्रोब पल्स ऑक्सीमीटर

(vi) समायोज्य ब्राइटनेस वाली उच्च गुणवत्ता की टॉर्च

उपाबंध-4

नियम 55(iii) के अधीन यथा उपबंधित खदानों हेतु एम्बुलेंस कक्ष के उपकरणों की सूची —

(i) उन्नत चिकित्सा उपस्कर:

- (क) रेगुलेटर सहित पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर तथा विभिन्न ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरण (नेज़ल कैनुला, मास्क)
- (ख) श्वसन औषधियों के प्रभावी प्रशासन हेतु नेबुलाइज़र
- (ग) वायुमार्ग प्रबंधन एवं स्राव हटाने हेतु सक्शन उपकरण
- (घ) नवीनतम तकनीक एवं सुविधाओं सहित ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर
- (ङ) सटीक रक्तचाप मापन हेतु रक्तचाप मॉनिटर
- (च) रक्त शर्करा स्तर आकलन हेतु टेस्ट स्ट्रिप्स सहित ग्लूकोमीटर

(ii) स्वच्छता और हाइजीन :

- (क) कम से कम 60% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइज़र
- (ख) जैव-खतरनाक अपशिष्ट हेतु नो-टच वेस्ट डिस्पोजल कंटेनर
- (ग) सतहों एवं उपकरणों की सफाई हेतु डिस्पोजेबल वाइप्स

(iii) रोगी परिवहन :

- (क) रोगी की सुविधा एवं परीक्षण हेतु पैडिंग एवं सुरक्षा सुविधाओं सहित इलेक्ट्रिक या हाइड्रोलिक समायोज्य परीक्षण टेबल
- (ख) सुविधा के भीतर सुरक्षित एवं कुशल रोगी परिवहन हेतु लॉकिंग व्हील्स सहित पोर्टेबल स्ट्रेचर या ट्रांसफर चेयर
- (ग) कटे हुए अंगों के लिए आइस पैक सहित प्लास्टिक कवर

(iv) हाइजीन और घाव देखभाल :

- (क) हैंड्स-फ्री संचालन हेतु इन्फ्रारेड सेंसर युक्त ग्लेज़्ड सिंक, एकीकृत साबुन एवं पेपर टॉवल डिस्पेंसर सहित
- (ख) प्रभावी हाथ धोने हेतु मॉडिस्चराइजिंग गुणों वाला एंटीमाइक्रोबियल साबुन
- (ग) पर्यावरण-अनुकूल त्रिसल्स वाले डिस्पोजेबल नेल ब्रश

(v) घाव ड्रेसिंग और सामग्री :

- (क) घाव भरने एवं संक्रमण रोकथाम हेतु हाइड्रोजेल या सिल्वर-आधारित उन्नत ड्रेसिंग
- (ख) त्वचा को नुकसान पहुँचाए बिना हटाई जाने वाली स्टरल सिलिकॉन ड्रेसिंग
- (ग) दर्द कम करने हेतु नॉन-एडहेसिव घाव संपर्क परतें
- (घ) घावों को ढकने एवं निगरानी हेतु उच्च श्वसन क्षमता वाली पारदर्शी फिल्म ड्रेसिंग
- (ङ) अधिक स्राव वाले घावों हेतु उच्च अवशोषण क्षमता वाली स्टरल फोम ड्रेसिंग
- (च) नाक सक्शन बल्ब

(vi) एंटीसेप्टिक घोल :

- (क) कोमल घाव सिंचाई हेतु स्टरल सेलाइन सॉल्यूशन या वाउंड वॉश
- (ख) त्वचा के अनुकूल एंटीसेप्टिक गुणों वाली स्टरल वाउंड क्लीनिंग वाइप्स

(vii) रोगी आराम एवं ऊष्मा :

- (क) नमी-शोषक एवं ताप-नियंत्रक गुणों वाले मुलायम फ्लीस कंबल
- (ख) आवश्यकता अनुसार ऊष्मा प्रदान करने हेतु पुनः प्रयोज्य इंस्टेंट हीट पैक्स

(viii) स्प्लिंट एवं सहायक उपस्कर :

- (क) बेहतर स्थिरीकरण हेतु मोल्डेबल, वैक्यूम-फॉर्मड या इन्फ्लेटेबल स्प्लिंट्स

- (ख) सुरक्षित एवं आरामदायक सहारे हेतु स्व-चिपकने वाले इलास्टिक कोहेसिव बैंडेज
(ग) त्रिकोणीय बैंडेज
- (ix) आपातकालीन उपस्कर: गंभीर रक्तस्राव नियंत्रण हेतु प्रेशर बैंडेज
- (x) तापमान आकलन : त्वरित एवं स्वच्छ तापमान मापन हेतु नॉन-कॉन्टैक्ट इन्फ्रारेड थर्मामीटर
- (xi) औषधियाँ एवं प्रशासन उपस्कर: योग्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आपातकालीन औषधियाँ एवं उपकरण
- (xii) आपातकालीन औषधियाँ : टेनस एंटी-सीरम तथा अन्य आपातकालीन औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति, जैसा कि योग्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए
- (xiii) चिकित्सा उपस्कर:
- (क) एक स्टेथोस्कोप तथा डिजिटल डिस्प्ले एवं समायोज्य कप्स सहित एक स्वचालित रक्तचाप मॉनिटर
(ख) एक इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ मशीन
(ग) एक सक्शन उपकरण, स्टिफ नेक कॉलर, एयरवे, आर्टिफिशियल मैनुअल व्रीदिंग यूनिट बैग, फिंगर प्रोब पल्स ऑक्सीमीटर

उपाबंध-5

नियम 54(ix)(ख) के अधीन यथा उपबंधित खान हेतु प्राथमिक चिकित्सा स्टेशन के उपस्करों की सूची —

- (i) दो कंबलों सहित एक स्ट्रेचर
(ii) इन्फ्लेटेबल स्प्लिंट्स
(iii) रोगी परीक्षण हेतु टेबल
(iv) प्राथमिक चिकित्सा पेटी, जिसमें उपाबंध-1 में विहित सामग्री अंतर्बलित होगी

उपाबंध-6

नियम 63(ii) के अधीन यथा उपबंधित चिकित्सा सुविधा कक्ष/औषधालय हेतु उपस्करों की सूची —

- गरम एवं ठंडे जल आपूर्ति सहित ग्लेज़्ड सिंक
- मेज, कुर्सियाँ और रेफ्रिजरेटर
- चिकित्सा उपस्करों के स्टरलाइजेशन हेतु उपयुक्त घोल या उपस्कर
- रोगी परीक्षण हेतु टेबल/काउच, तकिया, धोने योग्य रबर शीट, कंबल और तौलिए
- मध्यम आकार के स्पंज फोर्सेप्स की उपयुक्त संख्या
- किडनी ट्रे
- एंटीसेप्टिक साबुन
- क्लिनिकल थर्मामीटर
- हैंड टॉर्च
- टेनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन की पर्याप्त संख्या
- गोलियाँ — एंटीहिस्टामिनिक, एंटीस्पास्मोडिक, एंटीपायरेटिक (पैरासिटामोल), एंटासिड, एंटीएमेटिक
- गोलियाँ — आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट (5 मि.ग्रा.), एस्पिरिन (75 मि.ग्रा.) + एटोरवास्टेटिन (20 मि.ग्रा.) + क्लोपिडोग्रेल (75 मि.ग्रा.)
- ओआरएस (जीवनरक्षक घोल) सैशे
- इंजेक्शन — एट्रोपिन, एड्रेनालिन, हाइड्रोकार्टिसोन, फ्यूरोसेमाइड, लोकल एनेस्थेटिक्स
- विभिन्न आकारों की सुइयों सहित डिस्पोजेबल सिरिंज एवं नीडल होल्डर
- स्यूचरिंग सुइयाँ एवं सामग्री
- डिसेक्विंग फोर्सेप्स का एक जोड़ा
- ड्रेसिंग फोर्सेप्स का एक जोड़ा

19. आर्टरी फोर्सेप्स का एक जोड़ा
20. सर्जिकल कैंची
21. स्केल्पेल
22. स्टेथोस्कोप
23. रबर बैंडेज (प्रेशर बैंडेज)
24. ऑक्सीजन सिलेंडर / ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं आवश्यक सहायक उपकरण
25. रक्तचाप मापने का एक यंत्र
26. सामान्य सेलाइन बोतलें, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, 25% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन की उपयुक्त संख्या
27. ग्रीन (18ग्रा), पिंक (20ग्रा) एवं ब्लू (22ग्रा) इंटरवेनस (IV) कैनुला तथा उपयुक्त फिक्सेटर
28. डिस्पोजेबल इंटरवेनस इन्फ्यूजन सेट
29. इंटरवेनस इन्फ्यूजन स्टैंड
30. ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग किट
31. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बिन्स
32. उपयुक्त आकार के लकड़ी के स्प्लिंट्स या अन्य उपयुक्त स्प्लिंट्स की पर्याप्त संख्या
33. व्हीलचेयर
34. स्कूप स्ट्रेचर
35. छोटे, मध्यम एवं बड़े आकार के निष्फल ड्रेसिंग की पर्याप्त संख्या
36. स्टेरेलाइज्ड बर्न ड्रेसिंग की पर्याप्त संख्या
37. स्टेरेलाइज्ड रूई के पैकेटों की पर्याप्त संख्या
38. एंटीसेप्टिक घोल जैसे सेत्रिमाइड (1%–3%) या पोविडोन आयोडीन (10%) घोल
39. विभिन्न आकारों की चिपकने वाली बैंडेज और टेप का रोल
40. विभिन्न आकारों की इलास्टिक क्रेप बैंडेज और
41. निष्फल आई पैड के पर्याप्त टुकड़े
42. विभिन्न आकारों की रोलर बैंडेज की पर्याप्त संख्या
43. टूर्निकेट
44. डिस्पोजेबल दस्ताने
45. चिमटी
46. पल्स ऑक्सीमीटर
47. उपयुक्त सक्शन यूनिट एवं उपकरण
48. पुनर्जीवन उपकरण जैसे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एवं एम्बू बैग
49. किसी भी अन्य उपकरण जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेष आवश्यकता के अनुसार अनुशंसित किए जाएँ

उपाबंध-7

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (केंद्रीय) नियम, 2026 के अधीन विहित प्ररूपों की सूची-

क्र.सं.	प्ररूप संख्या	विषय
1	प्ररूप-I	विद्यमान स्थापना/नए स्थापना/रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में संशोधन के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन
2	प्ररूप-II	स्थापना के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र को रद्द करने के लिए आवेदन
3	प्ररूप-III	स्थापना के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र
4	प्ररूप-IV	स्थापना रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रमाण-पत्र
5	प्ररूप-V	स्थापना रजिस्टर

6	प्ररूप-VI	संचालन के प्रारंभ और समाप्ति की सूचना
7	प्ररूप-VII	खान के लिए प्रारंभ/पुनः खोलने/समाप्ति/बंद करने/त्यागने की सूचना
8	प्ररूप-VIII	स्वास्थ्य जांच (खान कर्मचारियों के सिवाय)
9	प्ररूप-IX	चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट (केवल खान कर्मचारियों के लिए)
10	प्ररूप-X	अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा पुनर्परीक्षा की रिपोर्ट
11	प्ररूप-XI	दुर्घटना या खतरनाक घटना की सूचना
12	प्ररूप-XII	कार्य अवधि की सूचना
13	प्ररूप-XIII	कर्मचारी रजिस्टर
14	प्ररूप-XIV	उपस्थिति रजिस्टर-सह-हाजिरी सूची
15	प्ररूप-XV	वेतन, ओवरटाइम और कटौतियों के लिए रजिस्ट्रेशन
16	प्ररूप-XVI	वेतन पर्ची
17	प्ररूप-XVII	वार्षिक प्रतिफल
18	प्ररूप-XVIII	ठेकेदार द्वारा उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को अर्धवार्षिक रिटर्न (जनवरी से जून / जुलाई से दिसंबर) प्रस्तुत किया जाना
19	प्ररूप-XIX	दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर
20	प्ररूप-XX	वेतन सहित अवकाश के लिए रजिस्ट्रेशन
21	प्ररूप-XXI	लाइसेंस के लिए आवेदन/लाइसेंस का नवीनीकरण/लाइसेंस में संशोधन (सामान्य/एकल लाइसेंस सहित)
22	प्ररूप-XXII	लाइसेंस का प्रोफार्मा
23	प्ररूप-XXIII	संविदा श्रमिक का अनुभव प्रमाण पत्र
24	प्ररूप-XXIV	निर्माता और ऑडियो-विजुअल कार्यकर्ता के बीच समझौता
25	प्ररूप-XXV	सुधार सूचना
26	प्ररूप-XXVI	अपराध के समझौते के लिए आवेदन
27	प्ररूप-XXVII	संहिता की धाराओं के अधीन पहली बार किए गए अपराध के लिए नियोक्ता को नोटिस, धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के समझौते हेतु।

प्ररूप-I

(नियम 3(1) देखें)

विद्यमान स्थापन/नए स्थापन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में संशोधन के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन

क. स्थापन के ब्यौरे:

1. एल आई एन द्वारा स्थापन के ब्यौरे प्राप्त करें:
2. स्थापन का नाम:
3. स्थापन का स्थान और पता:
3क. पीएनएन :
4. स्थापन से संबंधित अन्य ब्यौरे:

क. स्थापन में सीधे नियोजित कुल कर्मचारियों की संख्या:

ख. नियोजित संविदा कर्मचारियों की कुल संख्या:

ग. नियोजित अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या:

5 (क) कारखानों के लिए:

विनिर्माण प्रक्रिया के ब्यौरे	डाक का पूरा पता और कारखाने की स्थिति	अधिष्ठाता और प्रबंधक का नाम एवं पता	किसी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4

5 (ख) खान के लिए:

खनिज का नाम	खान का पट्टा क्षेत्रफल (एकड़ में)	नियोक्ता का नाम एवं पता	औसत मासिक उत्पादन (लक्षित) (टन में)	किसी दिन नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4	5

5 (ग) डॉक कार्य के लिए:

डॉक कार्य/मुख्य पत्तन का नाम	डॉक कार्यों के प्रकार	संभाले और भंडारित किए जाने वाले माल (कार्गो) का नाम और मात्रा सहित	संभालने और भंडारित किए जाने वाले रसायनों का नाम और मात्रा सहित	संभाले एवं भंडारित किए जाने वाले परिसंकटमय रसायनों का नाम और मात्रा सहित
1	2	3	4	5

5 (घ) भवन और अन्य निर्माण कार्य हेतु:

निर्माण कार्य का प्रकार	कार्य प्रारंभ होने की संभावित अवधि	कार्य पूर्ण होने की प्रत्याशंकित अवधि	स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन का ब्यौरे
1	2	3	4

5 (ङ) कोई अन्य स्थापन:

6 स्वामित्व का प्रकार / क्षेत्र:

7 राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार क्रियाकलाप:

8 चयनित एन आई सी कोड के ब्यौरे:

9 स्थापन की पहचान — नियोक्ता/प्रतिनिधि के ई-हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर:

ख. नियोक्ता के ब्यौरे:-

1. नियोक्ता/अधिभोगी/नियोक्ता/अभिकर्ता/मुख्य कार्यकारी/पत्तन प्राधिकरण आदि का नाम और पता:
2. पदनाम:
3. नियोक्ता के पिता/पति का नाम:
4. ईमेल पता, टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर:

ग. प्रबंधक / उभिकर्ता के ब्यौरे: -

- 1) स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक/अभिकर्ता या व्यक्ति का पूरा नाम और पता:
- 2) प्रबंधक/अभिकर्ता का पता:
- 3) ईमेल पता, टेलीफोन और मोबाइल नंबर:

घ. ठेकेदार के ब्यौरे: -

ठेकेदार का नाम और पता	ईमेल पता और मोबाइल नंबर ठेकेदार की संख्या	काम का नाम	नियोजित संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या	कार्य प्रारंभ की तारीख/ कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5

ङ. अन्य ब्यौरे:-

नियोक्ता के हस्ताक्षर/ई हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

प्ररूप-II

[नियम 3(10) देखें]

स्थापना के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए आवेदन

1. रजिस्ट्रेशन संख्या:
2. स्थापन का नाम और पता:-
3. नियोक्ता का नाम और पदनाम :-
4. स्थापन से संबंधित पत्र जहां प्रेषित किया जाना है उसका पूरा पता :-
5. स्थापन के कार्य की प्रकृति :-

मैं/हम इस माध्यम से सूचित करते हैं कि स्थापन, जिसका पंजीकरण संख्या दिनांक है, को दिनांक से बंद कर दिया गया है।

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि रजिस्ट्रेशन संख्या _____ दिनांक _____ वाले स्थापन में कार्यरत कर्मकारों के सभी संदेयों का भुगतान कर दिया गया है।

मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि पंजीकरण संख्या _____ दिनांक _____ वाला प्रतिष्ठान खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है। [जो लागू न हो उसे हटा दें]

स्थान:

दिनांक:

नियोक्ता के हस्ताक्षर / ई-हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर

सेवा में,

पंजीकरण अधिकारी
निरीक्षक-सह-सुकारक

प्रपत्र-III

(नियम 3(2) देखें)

स्थापन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रेशन संख्या :

तारीख :

यह प्रमाण-पत्र उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 3(2) के अधीन
 (स्थापन का नाम) को निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ प्रदान किया जाता है।

1. स्थापन में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति (कृपया सही विकल्प पर टिक करें):

(क) कारखाना

(ख) खनन

(ग) डॉक कार्य

(घ) संविदा कार्य

(ङ) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य

(च) कोई अन्य कार्य उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है।

2. स्थापन का ब्यौरे:

क. स्थापन में सीधे नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या:

ख. ठेकेदार के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या:

ग. ठेकेदारों की कुल संख्या और उनका ब्यौरे:

घ. नियोजित अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की संख्या:

3 (क) कारखानों के लिए

निर्माण प्रक्रिया का ब्यौरे	पूर्ण डाक पता और कारखाने की स्थिति	अधिष्ठाता और प्रबंधक का नाम और पता	किसी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4

3 (ख) खान के लिए

खनिज का नाम	खान का पट्टा क्षेत्रफल (एकड़ में)	नियोक्ता का नाम और पता	औसत मासिक उत्पादन, लक्षित (टन में)	किसी दिन नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4	5

3 (ग) डॉक कार्य के लिए

डॉक कार्य/प्रमुख पत्तन का नाम	डॉक कार्यों के प्रकार	संभाले एवं भंडारित किए जाने वाले माल (कार्गो) का नाम और मात्रा सहित	संभाले एवं भंडारित किए जाने वाले रसायनों का नाम और मात्रा सहित	संभाले एवं भंडारित किए जाने वाले परिसंकटमय रसायनों का नाम और मात्रा सहित
1	2	3	4	5

3 (घ) भवन और अन्य निर्माण कार्य हेतु:

निर्माण कार्य का प्रकार	कार्य प्रारंभ होने की संभावित अवधि	कार्य पूर्ण होने की प्रत्याशंकित अवधि	स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदन का ब्यौरे
1	2	3	4

4. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की टिप्पणियाँ:

स्थान:

तारीख :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर / ई-हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी), पदनाम सहित

रजिस्ट्रेशन की शर्तें

(1) नियम 3 के अधीन जारी प्रत्येक रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा, अर्थात्—

(क) रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र अनंतरणीय होगा;

(ख) किसी स्थापन में नियोजित कर्मचारियों की संख्या, प्रत्यक्ष रूप से हों या संविदा के माध्यम से, किसी दिन रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अनधिक होगी; तथा

(ग) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु संदत्त की गई फीस अप्रतिदेय होगी।

(2) नियोक्ता कर्मचारियों की संख्या या कार्य-स्थितियों में किसी भी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 30 दिन के भीतर देगा।

(3) नियोक्ता, किसी भी कार्य के प्रारंभ या पूर्ण होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुकारक को, जहाँ प्रस्तावित स्थापना स्थित है या कार्य निष्पादित किया जा रहा है, ऐसे कार्य के वास्तविक प्रारंभ या पूर्ण होने की तारीख की सूचना, इन नियमों से संलग्न प्ररूप-4 में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा।

(4) रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की एक प्रति उस स्थान पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी, जहाँ कार्य किया जा रहा है।

प्ररूप-IV

(नियम 3(11) देखें)

स्थापना के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण का प्रमाण-पत्र

संख्या:

तारीख :

रजिस्ट्रेशन संख्या _____ तारीख _____ के (स्थापन का नाम), जो कि कारखाना/खान/डॉक कार्य/संविदा कार्य/भवन या अन्य निर्माण कार्य/अन्य कोई कार्य (स्थापन में संचालित कार्य) है, का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (5) के अधीन तारीख _____ से निरस्त किया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर / ई-हस्ताक्षर/
डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी), पदनाम सहित

स्थान:

तारीख :

प्ररूप-V
(नियम 3(9) देखें)
स्थापना रजिस्टर

क्रम संख्या	कार्य की प्रकृति	रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा तारीख	रजिस्ट्रीकरण स्थापन का नाम, पता और स्थान	नियोक्ता का नाम, पता और संपर्क व्यौरे	कुल श्रमिकों की संख्या तथा कुल हॉर्सपावर (यदि कोई हो)	कुल संविदा श्रमिकों की संख्या	टिप्पणियाँ
1	2	2	3	4	5	6	
	(क) कारखाने (ख) खान (ग) डॉक कार्य (घ) भवन और अन्य निर्माण कार्य (ङ) संविदा कार्य (च) अंतर-राज्य प्रवासी कार्य (छ) कोई अन्य कार्य (उपरोक्त में सम्मिलित नहीं)						

प्ररूप-VI

[नियम 4(1) देखें]

कार्य प्रारंभ / समाप्ति की सूचना

1. रजिस्ट्रेशन संख्या:
2. स्थापन का नाम और पता:
3. नियोक्ता का नाम एवं पद:
4. वह पूर्ण पता जहाँ स्थापन से संबंधित पत्राचार भेजा जाए:
5. स्थापन के कार्य का प्रकार:

क. कार्य प्रारंभ / समाप्ति की सूचना

मैं/हम इसके द्वारा सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रेशन संख्या _____ दिनांक _____ वाले स्थापन का संचालन दिनांक _____ से प्रारंभ हो गया है और संचालन की अनुमानित अवधि _____ वर्ष _____ माह है।

अथवा

मैं/हम इसके द्वारा सूचित करते हैं कि पंजीकरण संख्या _____ दिनांक _____ वाले स्थापन का संचालन दिनांक _____ से बंद कर दिया गया है। [जो लागू न हो उसे काट दें]

ख. संचालन बंद होने की स्थिति में नियोक्ता का प्रमाण पत्र

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि रजिस्ट्रेशन संख्या _____ दिनांक _____ वाले स्थापन में कार्यरत कर्मकारों के सभी संदेयों का भुगतान कर दिया गया है।

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि रजिस्ट्रेशन संख्या _____ दिनांक _____ वाला स्थापन खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है। [जो लागू न हो उसे हटा दें]

नियोक्ता के हस्ताक्षर

सेवा में ,

रजिस्ट्रेशन अधिकारी

निरीक्षक-सह-सुकारक

प्ररूप-VII (खान हेतु)

(नियम 4(2) देखें)

(प्रारंभ/पुनः खोलने/समाप्ति/बंद करने/परित्याग की सूचना)

I. प्रारंभ की सूचना की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे दिए जाएंगे

नियोक्ता/अभिकर्ता/प्रबंधक का विशिष्टियां:

1. श्रम पहचान संख्या (एलआईएन), यदि कोई हो
2. खान कोड, यदि कोई हो

3. नियोक्ता, अभिकर्ता, प्रबंधक का ब्यौरे					
क्र. सं.	विशिष्टियां	नियोक्ता	नामनिर्दिष्ट नियोक्ता	अभिकर्ता	प्रबंधक
i.	नाम				
ii.	पिता का नाम				
iii.	पता गांव/क्षेत्र/सड़क- डाकघर- पुलिस स्टेशन- उप-मंडल (तालुक)/तहसील- रेलवे स्टेशन (निकटतम)- राज्य- पिन-				
iv.	मोबाइल नंबर				
v.	दूरभाष संख्या (एसटीडी कोड के साथ लैंडलाइन)				
vi.	फैक्स संख्या				
vii.	ईमेल आईडी				

4. जिस तारीख को खान खोलने का आशय है (दिन/माह/वर्ष)
5. संलग्न विनियमों के अधीन अपेक्षा अनुसार संलग्न की जाने वाली योजनाएं: हां? नहीं;
5.1 यदि हाँ, तो तारीख के साथ योजना संख्या निर्दिष्ट करें:
6. सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) संलग्न-हां/नहीं;
6.1 यदि हाँ, तो तारीख के साथ संदर्भ संख्या निर्दिष्ट करें:
7. खुलने की वास्तविक तारीख (दिन/माह/वर्ष)

II. खान को पुनः खोलने की स्थिति में: निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे दिए जाएंगे

1. खान को पुनः खोलने की प्रस्तावित तारीख (दिन/माह/वर्ष)
2. विनियमों के अधीन योजना है: हाँ/नहीं;
2.1 यदि हाँ, तो योजना संख्या और तारीख निर्दिष्ट करें:
3. सुरक्षा प्रबंधन योजना संलग्न है: हाँ/नहीं
3.1 यदि हाँ, तो संदर्भ संख्या और तारीख निर्दिष्ट करें:

4. पुनः खुलने की वास्तविक तारीख (दिन/माह/वर्ष)

III. कार्य समाप्ति/परित्याग की स्थिति में: निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे दिए जाएंगे

1. खान को बंद करने/परित्याग करने की प्रस्तावित तारीख (दिन/माह/वर्ष)
2. बंद होने/परित्याग की वास्तविक तारीख (दिन/माह/वर्ष)
3. प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या
4. बंद करने/परित्याग करने के कारण *

IV. कार्य बंद होने की स्थिति में: निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे दिए जाएंगे

1. खान के कार्य को बंद करने की प्रस्तावित तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई)
2. कार्य बंद होने की वास्तविक तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई)
3. प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या
4. कार्य बंद होने के कारण
5. विनियम के अधीन अपेक्षित अद्यतन योजनाएं संलग्न हैं: - हाँ/नहीं
5.1 यदि हाँ, तो योजना संदर्भ संख्या (संख्याएं) निर्दिष्ट करें:

V. खान को बंद करने की स्थिति में: निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे दिए जाएंगे

1. खान बंद करने की योजना:
2. संविधि के अनुसार किए जाने वाले सुरक्षात्मक कार्यों के ब्यौरे

[जो लागू न हो उसे हटा दें]

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

खानों के बंद/परित्याग/संचालन समाप्ति की स्थिति में:

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि स्थापन में कार्यरत कर्मकारों के सभी संदेयों का भुगतान कर दिया गया है तथा परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है।

भवदीय,

हस्ताक्षर:

पदनाम: नियोक्ता/अभिकर्ता/प्रबंधक

दिनांक:

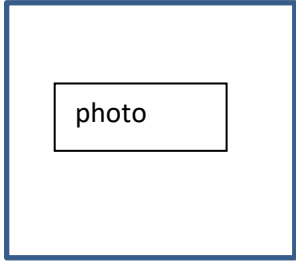
सेवा में,
रजिस्ट्रेशन अधिकारी
निरीक्षक-सह-सुविधादाता

निर्देश

*जो लागू न हो उसे हटा दें।

प्ररूप-VIII

(नियम-5(2) देखें)
स्वास्थ्य परीक्षण
(खान कर्मचारियों के सिवाय)



photo

भाग-क (क्रम संख्या 1-11): कर्मचारी द्वारा भरा जाना है:

1. कर्मचारी का नाम..... 2. लिंग 3. आयु (जन्म तारीख के साथ).....
4. कंपनी 5. पदनाम 5क. यूएएन :..... 5(ख)
आधार संख्या (सहमति प्राप्त करने के पश्चात्)
6. प्रभारी नियोक्ता/कार्यकारी संपर्क.....
7. पूरा व्यक्तिगत/संयंत्र का पता
8. मोबाइल/फोन 9. ईमेल.....
10. बीमारी (वर्तमान) उपचार और दवा, यदि कोई हो.....

11. रोजगार की प्रकृति (अधिक ब्यौरे प्रस्तुत करें, यदि परिसंकटमय और कार्य से संबंधित हैं जैसे भौतिक, रासायनिक, जैविक, श्रम-दक्षता आदि)

तारीख: कर्मचारी के हस्ताक्षर -----

भाग-ख:

12. चिकित्सा परीक्षण और रिपोर्ट उपाबंध के रूप में संलग्न की जाएगी। नीचे दिए गए परीक्षणों की चिकित्सा अधिकारी की व्याख्या/राय (संलग्न परीक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में केवल असामान्य होने पर इंगित करने के लिए):-

- क. ऊंचाई (सेमी. में)
- ख. वजन (किलोग्राम में)
- ग. सीने की माप:
- (i) सांस अंदर लेते समय सेमी

(ii) सांस बाहर छोड़ते समय सेमी

(घ) कमर की गोलाई

(ङ) बाँड़ी मास इंडेक्स:

(च) दृष्टि (आँखों के डॉक्टर द्वारा जांच):

i. दृष्टि की तीक्ष्णता - दाईं और बाईं दोनों आँखें

ii. रंगों की पहचान

(छ) रक्तचाप

(ज) संपूर्ण रक्त गणना (सीबीसी): (एचबी, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट्स)

(झ) खाली पेट रक्त शर्करा

(ञ) भोजन के पश्चात् रक्त शर्करा

(ट) एसपीओ₂

(ठ) रक्त यूरिया

(ड) एस. क्रिएटिन

(ढ) एस. बिलिरुबिन (कुल + प्रत्यक्ष)

(ण) एसजीओटी

(त) एसजीपीटी

(थ) लिपिड प्रोफाइल (एस. कोलेस्ट्रॉल / ट्राइग्लिसराइड / एस.एचडीएल)

(द) एस. टीएसएच

(ध) छाती का एक्स-रे (पीए दृश्य)

(न) ईसीजी

(प) अन्य, यदि कोई हो

13. अंतिम निदान / राय / उपचार यदि कोई हो, अर्हक चिकित्सक द्वारा सलाह

14. क्या व्यक्ति को दौरे से संबंधित विकार हैं या ऊंचाई पर काम करने में कठिनाइयां हैं? यदि हाँ, तो वर्जित कार्यों को विनिर्दिष्ट करें: हां/नहीं/एनए (लागू नहीं होता)

अर्हक चिकित्सक के हस्ताक्षर मोहर

तारीख

प्ररूप -IX**(केवल खान कर्मचारियों के लिए)**

[नियम 109, नियम 113(1), नियम 119(1) और नियम 142 देखें]

चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट**(तीन प्रतियों में जारी की जानी है)**

प्रमाण पत्र संख्या.....

प्रमाणित किया जाता है कि खान में के रूप में कार्यरत श्री/श्रीमती/सुश्री..... की, प्ररूप _____ रजिस्टर की क्रम संख्या..... (पीएमई के मामले में) के लिए किसी प्रारंभिक/आवधिक चिकित्सा परीक्षा के लिए परीक्षा की गई है। कर्मचारी उम्र वर्ष प्रतीत होती है। परीक्षा प्राधिकारी के निष्कर्ष संलग्न पत्र में दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....

(क) खानों में किसी रोजगार के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य है।

(ख) से पीड़ित है और

(i) खान में किसी रोजगार के लिए; या

(ii) भूमिगत किसी रोजगार के लिए; या

(iii) किसी रोजगार या कार्य के लिए..... चिकित्सकीय रूप से अयोग्य है।

(ग) कर्मचारी से पीड़ित है और इस बीमारी/ दिव्यांगता को ठीक/नियंत्रित करवाया जाना चाहिए और महीनों की अवधि के भीतर पुनः परीक्षण कराया जाना चाहिए। कर्मचारी के परीक्षण के परिणाम और विशेषज्ञ की राय के साथ पुनः परीक्षा में उपस्थित होगा/होगी। इस अवधि के दौरान कर्मचारी को अपने दायित्वों को निभाने की अनुमति दी जा सकती है/ नहीं दी जा सकती है।

अभ्यर्थी का पासपोर्ट**आकार का फोटो****चिपकाने के लिए स्थान।**

स्थान :

परीक्षा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

परीक्षा करने वाली प्राधिकारी की रिपोर्ट

(प्रत्येक चिकित्सा परीक्षण के लिए भरना आवश्यक है, चाहे वह प्रारंभिक हो, आवधिक हो या पुनः परीक्षण हो या दिव्यांगता के ठीक/नियंत्रण होने के पश्चात् हो)

तारीख..... के चिकित्सकीय परीक्षण के परिणामस्वरूप प्रमाणपत्र संख्या का उपाबंध,

पहचान चिन्ह

अभ्यर्थी की बाएं अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर

1. सामान्य विकास- अच्छा/ठीक/खराब
2. ऊँचाई से.मी.
3. वजन कि.ग्रा
4. आँखें:
- (i) दृश्य तीक्ष्णता- दूर की दृष्टि (चश्मे के साथ या बिना): दायीं आँख.....बाईं आँख.....
- (ii) आँखों की कोई भी जैविक बीमारी
- (iii) रतौंधी
- (iv) वर्णांधता (आईएमई में परीक्षण किया जाएगा)
- (v) भेंगापन
5. कान :

श्रवण: दायीं कान बायाँ कान

कोई भी जैविक बीमारी।

श्रवण परीक्षण निष्कर्ष:

कण्डक्शन प्रकार	बायाँ कान	दायाँ कान
कान का कण्डक्शन	सामान्य/असामान्य	सामान्य/असामान्य
हड्डी का कण्डक्शन	सामान्य/असामान्य	सामान्य/असामान्य

संलग्न श्रवण परीक्षण रिपोर्ट

6. श्वसन तंत्र

परिश्रवण संबंधी निष्कर्ष:

छाती का माप:

- (i) पूर्ण श्वास लेने के पश्चात से.मी.
- (ii) पूर्ण श्वास छोड़ने के पश्चात से.मी.

फेफड़ों के कार्य परीक्षण (स्पाइरोमेट्री) का परिणाम

पैरामीटर/मानक	अनुमानित मान	प्राप्त मान	अनुमानित का प्रतिशत
फोर्सड वाइटल कैपेसिटी (एफई वी)			
फोर्सड वाइटल कैपेसिटी 1 एफईवी 1			
एफईवी 1/एफवीसी			
पीक एक्सपायरेटरी फ्लो			

स्पाइरोमेट्री रिपोर्ट संलग्न करें

7. परिसंचरण तंत्र :

रक्तचाप

नाड़ी

हृदय संबंधी मूल्यांकन

परिश्रवण	एस1	
	एस2	
	अतिरिक्त ध्वनि	
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ (12 लीड) के निष्कर्ष:		सामान्य / असामान्य
इकोकार्डियोग्राफी के निष्कर्ष (आईएमई में परीक्षण हेतु)		सामान्य / असामान्य

ईसीजी संलग्न करें

इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट संलग्न करें

8. पेट :

टेनडरनेस (कोमलता)

यकृत

प्लीहा

ठ्यूमर

संपूर्ण पेट का अल्ट्रासोनोग्राफी (आईएमई में परीक्षण हेतु)

(अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट संलग्न करें)

9. तंत्रिका तंत्र :

दौरे या मिर्गी का इतिहास

लकवा

मानसिक स्वास्थ्य

तंत्रिका संबंधी विकार का निर्धारण असेसमेंट

निष्कर्ष	सामान्य / असामान्य
सतही रेफ्लेएक्सेस	
गहरा रेफ्लेएक्सेस	
परीधीय सर्कुलेशन	
बाइब्रेशनल सिंड्रोम्स	

मैंगनीज एक्सपोजर के लिए विशेष परीक्षण

व्यवहार संबंधी विकार		उपस्थित / अनुपस्थित
	स्पीच डेफेक्ट	उपस्थित / अनुपस्थित
तंत्रिका संबंधी गडबड़	ट्रेमर	उपस्थित / अनुपस्थित
	एडियाडोकोकिनीसिया	उपस्थित / अनुपस्थित
	इमोशनल चेंजेस	उपस्थित / अनुपस्थित

10. लोकोमोटर्स (चलन तंत्र)

11. त्वचा

12. हाइड्रोसील

13. हर्निया

14. दांत

15. स्पीच

16. पैथोलॉजिकल विकृतिजन्य अन्वेषण

क्र.सं.	परीक्षण	निष्कर्ष
1	रक्त – टीसी, डीसी, एचबी, ईएसआर, प्लेटलेट्स	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
2	रक्त शर्करा – उपवास और भोजन के बाद	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
3	एचबीए1सी (आईएमई में टेस्ट और पीएमई में मधुमेह व्यक्ति के लिए)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
4	लिपिड प्रोफाइल	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
5	ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
6	यूरिन (रिएक्शन, एल्बुमिन, शुगर)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
7	बलगम रूटीन	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
8	स्पटम टेस्ट फॉर एएफबी (भोजन हैंडल करने वाले कर्मचारी के लिए)	
9.	हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस सिकल सेल डिजीज/ट्रेट के लिए, (आईएमई में परीक्षण हेतु)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
10.	बिलिरुबिन	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
11.	एसजीओटी	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
12.	एसजीपीटी	डब्ल्यूएनएल / असामान्य
13.	डेल्टा एमीनोलेबुलिनिक एसिड यूरिन में (लेड इक्स्पोज़्ड व्यक्ति के लिए)	डब्ल्यूएनएल / असामान्य

सभी जांच रिपोर्ट संलग्न करें

17. स्कायाग्राम ऑफ चेस्ट

आईएलओ क्लासीफिकेशन ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफ:

प्रोफ्यूजन ऑफ न्यूमोकोनिओटिक ओपैसिटीज़	ग्रेड्स/श्रेणी	प्रकार
उपस्थित/अनुपस्थित		

चेस्ट रेडियोग्राफ संलग्न करें

18. कोई अन्य असामान्यता।

19. परीक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कोई अन्य परीक्षण।

20. विशेषज्ञ की कोई आवश्यक समझी गयी राय।

स्थान:

तथा मुहर

परीक्षा करने वाले प्राधिकारी का तारीख सहित हस्ताक्षर और नाम

खानों में नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय स्वस्थता का मानक (प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा)

1. व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जिनकी खानों में दक्षतापूर्ण नियोजन में बाधा पहुंचाने की संभावना हो।
2. बोलने में कोई गंभीर बाधा नहीं होनी चाहिए।
3. दाँत अच्छी स्थिति में होने चाहिए और जहाँ आवश्यक हो प्रभावी चबर्ण के लिए कृत्रिम दंतावली प्रदान की जानी चाहिए (अच्छी तरह से भरे हुए दाँत को स्वस्थ माना जाएगा)। मसूड़े स्वस्थ स्थिति में होने चाहिए।
4. त्वचा: - गहन और दीर्घकालिक त्वचा रोग या अल्सर का भी कोई साक्ष्य नहीं होना चाहिए। किसी अप्रभावी प्रकार की त्वचा रोग होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को उपचार के पश्चात स्वस्थ माना जा सकता है।
5. प्रत्येक कान में सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए और कान में किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई संकेत नहीं होना चाहिए। श्रवण परीक्षण सामान्य होना चाहिए और प्रत्येक कान में बहरापन नहीं होना चाहिए।
6. चश्मे के साथ या बिना चश्मे की, दूर की दृष्टि निम्नलिखित मानक से कम नहीं होनी चाहिए:

क) भूमिगत कर्मचारों के लिए

बेहतर दृष्टि 6/6

खराब दृष्टि 6/9

ख) सतही/ओपनकास्ट कर्मचारों के लिए

बेहतर दृष्टि 6/9

खराब दृष्टि 6/12

ग) आँख के भीतर लेंस प्रत्यारोपण: यदि किसी व्यक्ति ने आँख के भीतर लेंस प्रत्यारोपण किया है और आँख के भीतर लेंस के साथ दृष्टि की गतिविधियाँ निर्धारित मानकों के अनुसार हैं, तो संबंधित व्यक्ति को योग्य माना जा सकेगा।

घ) फंडस परीक्षा: मायोपिया -2 डायोप्टर या उससे अधिक में, फंडस परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम अभिलिखित किए जाने चाहिए। यदि किसी विकृतिजन्य स्थिति का पता चलता है, जिसकी आगे बढ़ने की और अभ्यर्थी की कार्यक्षमता प्रभावित होने की संभावना है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

ङ) वर्ण दृश्यता : - वर्ण दृश्यता का परीक्षण अनिवार्य है और परिणाम सामान्य होने चाहिए। वर्ण दृश्यता के परीक्षण के लिए इशियारा प्लेटों का उपयोग किया जाएगा।

च) भूमिगत कार्य में नियोजित लोगों और उन लोगों के लिए जो खुले खान में सुबह की शिफ्ट के अलावा अन्य शिफ्टों में काम करते हैं, रतोंधी नहीं होना चाहिए।

छ) किसी जैविक रोग या आगे बढ़ने वाले अपवर्तक दोष जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि तीव्रता कम होने की संभावना हो, उसे निरर्हता माना जाना चाहिए।

ज) स्क्रिन्ट (भेंगापन):- दोनों आँखों से देखने की क्षमता होना आवश्यक है, दृष्टि क्षमता निर्धारित मानक के अनुसार हो भी तो भी /स्क्रिन्ट को भेंगापन निरर्हता माना जाना चाहिए।

झ) एक आंख वाला व्यक्ति – द्विवेती दृष्टि का होना आवश्यक है, केवल एक कार्यशील आंख को निरर्हता माना जाना चाहिए।

ञ) निस्टैग्मस नहीं होना चाहिए।

7. श्वसन तंत्र: छाती का आकार अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए श्वसन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए और किसी भी दीर्घकालिक स्वरयंत्र, ब्रोंकियल या फेफड़े की बीमारी से मुक्त होना चाहिए। यदि फेफड़ों में क्षयरोग सक्रिय नहीं है, तो यह निरर्हता नहीं होनी चाहिए।

क) एक पूर्ण आकार की पोस्टेरो-एंटेरियर छाती की रेडियोग्राफ़ (11 इंच X 14 इंच से कम नहीं) जिसमें थोरासिक इनलेट और दोनों कॉस्टोफ्रेनिक कोण सम्मिलित हों, कम से कम 300 मिली-एम्पियर शक्ति वाली एक्स-रे मशीन (एनालॉग/डिजिटल) द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए ऐसे जिसे प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी इसे ऐसे मेडिकल ऑफिसर द्वारा आईएलओ अंतरराष्ट्रीय रेडियोग्राफ़ क्लासीफिकेशन ऑफ न्यूमोकोनियोसिस के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, जो इस आईएलओ वर्गीकरण में प्रशिक्षित हों। एक्स-रे को एलईएडी व्यू बॉक्स में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें कम से कम चार छाती के रेडियोग्राफ़ (14 इंच X 17 इंच आकार के) रखे जा सकते हों।

ख) फोर्स वाइटल कैपेसिटी (एफवीसी) और फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकंड (एफईवी1) फेफड़ों के कार्य परीक्षण (स्पाइरो मेट्रो) अभिलेखित करने के लिए किया जाएगा। स्पाइरोमेट्री के निष्कर्ष सामान्य सीमा में होने चाहिए।

8. परिसंचरण तंत्र: - ऐसा कोई साक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हृदय या रक्त वाहिकाओं की कोई ऐसी बीमारी है, जो उसकी खान में दक्षतापूर्ण नियोजन में बाधा डाल सकती है। रक्तचाप 130/80 एमएम Hg से अधिक नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों का विस्तृत हृदय और रक्तवाहिका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें 12-लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी और पूर्ण लिपिड प्रोफाइल शामिल होना चाहिए।

9. लोकोमोटर (चलन तंत्र) : हाथ-पैर, अंगुलियां और पैर की उंगलियां अच्छी तरह से विकसित और सही आकार की होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की विकृति के बिना होने चाहिए। कोई ऐसा विकार और सभी अंगों का कार्य सामान्य सीमा के भीतर होना चाहिए।

10. किसी भी पेट के अंगों की बीमारी के कोई साक्ष्य नहीं होने चाहिए, जो खान में अपने कर्तव्य के दक्षतापूर्ण उनमोचन की क्षमता को प्रभावित कर सकती हों। अल्ट्रासोनोग्राफी (पूरा पेट) की रिपोर्ट सामान्य होनी चाहिए।

11. यदि उम्मीदवार को हर्निया है, तो उसे सफलतापूर्वक ऑपरेशन कराने के बाद योग्य घोषित किया जा सकेगा।

12. हाइड्रोसील होने पर यह इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों में बाधा डाले। यदि यह काफी बड़ा है तो सफलतापूर्वक ऑपरेशन कराने के बाद उसे योग्य घोषित किया जा सकेगा।

13. तंत्रिका तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। मिर्गी या किसी अन्य प्रकार की जैविक या दौरे की पुरानी बीमारी की पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को खान में रोजगार के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया जाना चाहिए। सभी प्रमुख सतही और गहरे रिफ्लेक्सेस के परीक्षण सहित विस्तृत न्यूरोलॉजिकल परीक्षाएं की जानी चाहिए।

14. उपवास, भोजन के बाद रक्त शर्करा और ग्लाइसिलेटेड एचबी स्तर (एचबीए1सी) की जाँच की जाएगी। मधुमेह मेलिटस के कारण लक्षित अंगों को नुकसान पहुँचाने की संभावना होती है, इसलिए इसे किसी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण आवश्यक है। ग्लाइसिलेटेड एचबी स्तर (एचबीए1सी) 6.0 से अधिक नहीं होना चाहिए। केवल ऐसे मामलों में ही अच्छी तरह से नियंत्रित मधुमेह मेलिटस वाले और जिनमें कोई जुड़ी हुई जटिलताएँ न हों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा।

15. सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन सामान्य सीमा के भीतर होंगे।

16. बिलिरुबिन, एसजीओटी और एसजीपीटी सामान्य सीमा के भीतर होंगे।

17. रूटीन स्टूल सामान्य सीमा के भीतर होगा।

18. चिकित्सकीय जांच में यूरिन की जांच शामिल होनी चाहिए। यूरिन में केवल एल्बुमिन और शर्करा की उपस्थिति, बिना किसी स्पष्ट जैविक रोग के जिसके लक्षण और संकेत उत्पन्न हों, दिव्यंगता नहीं होनी चाहिए।

19. मरीज में सिकल सेल रोग/लक्षण नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस परीक्षण किया जाना चाहिए।

नियोजित कर्मचारियों के लिए स्वस्थता के चिकित्सीय मानक (आवधिक चिकित्सा परीक्षा)

1. व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसे किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो खान में उसके दक्षतापूर्ण नियोजन में बाधा डाल सकता हो।
2. बोलने में कोई गंभीर बाधा नहीं होनी चाहिए।
3. दांत अच्छी स्थिति में होने चाहिए और जहां आवश्यक हो तो प्रभावी चर्बर्ण के लिए उन्हें कृत्रिम दांतावली प्रदान की जाए (भरे हुए दांतों को सही माना जाएगा)। मसूड़े स्वस्थ स्थिति में होने चाहिए।
4. लोकोमोटर (चलन तंत्र): अंगों का अच्छी तरह से विकसित और क्रमशः निर्मित होना चाहिए, और सभी अंगों का कार्य सामान्य सीमा के भीतर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की विकृति को अभिलेखित किया जाना चाहिए। कोई ऐसी भी विकृति या लकवा नहीं होना चाहिए जो खान में उसके दक्षतापूर्ण नियोजन में बाधा डाल सके।
5. त्वचा: - किसी गहन और दीर्घकालिक त्वचा रोग या अल्सरेशन के साक्ष्य नहीं होने चाहिए। किसी अप्रभावी प्रकार के त्वचा रोग की स्थिति में, अभ्यर्थी को उपचार के बाद योग्य माना जा सकेगा। सभी उपजीविकाजन्य त्वचा रोगों को नोट किया जाना चाहिए।

दृष्टि :

6 (क) चश्मे के साथ या बिना दृष्टि निम्नलिखित मानक से कम नहीं होनी चाहिए:

- | | |
|-----------------|------|
| i. बेहतर दृष्टि | 6/9 |
| ii. खराब दृष्टि | 6/12 |

(ख) भूमिगत कार्य में लगे लोगों और उन लोगों के लिए जो खुले खान में सुबह की शिफ्ट के अलावा अन्य शिफ्टों में काम करते हैं, रात्रि अंधापन नहीं होना चाहिए।

(ग) ऐसे व्यक्ति जिसकी केवल एक आंख सामान्य रूप से काम करती हो, उसे भूमिगत काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सतह पर रोजगार के लिए ऐसे व्यक्ति की दूसरी आंख की दृष्टि चश्मा पहनने के साथ या बिना 6/9 होनी चाहिए।

7. सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, किसी भी प्रगतिशील बीमारी जो सुनने को प्रभावित करती हो या कोई उपजीविकाजन्य बहरापन हो, उसे अभिलेखित किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में श्रवण परीक्षा की जानी चाहिए।

8. श्वसन तंत्र: श्वसन तंत्र सामान्य और किसी भी जीवित लैरिजियल, ब्रॉन्कियल या फेफड़े की पुरानी बीमारी से मुक्त होना चाहिए। अगर फेफड़ों का क्षय रोग सक्रिय नहीं है तो यह निरर्हता का कारण नहीं होना चाहिए।

क) पूरा आकार वाला पोस्टेरो-एंटरियर छाती का रेडियोग्राफ (14 इंच x 11 इंच से कम नहीं) जो थोरासिक इनलेट और दोनों कॉस्टोफ्रेनिक कोणों को शामिल करने के लिए पर्याप्त हो, कम से कम 300 mA मिली-एम्पीयर शक्ति वाले एक्स-रे मशीन (एनालॉग/डिजिटल) द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसे ऐसे रेडियोलॉजिस्ट / चिकित्सा अधिकारी द्वारा आईएलओ अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार न्यूमोकोनियोसिस के रेडियोग्राफ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसे इस आईएलओ वर्गीकरण में प्रशिक्षित किया गया हो।

ख) फोर्ड वाइटल कैपेसिटी (एफवीसी) और एक सेकंड में फोर्ड एक्सपाइरेटरी वॉल्यूम (एफईवी1) अभिलेखित करने के लिए फेफड़ों की कार्य क्षमता की जाँच (स्पिरोमेट्री) की जाएगी। स्पिरोमेट्री के परिणाम सामान्य सीमा के भीतर होने चाहिए।

9. परिसंचरण तंत्र – किसी भी हृदय या रक्त वाहिका रोग के कोई साक्ष्य नहीं होने चाहिए जो उसके खान में दक्षता पूर्ण नियोजन में बाधा डाल सकते हैं। कर्मचारियों का विस्तृत हृदय संबंधी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें 12 लीड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और पूर्ण लिपिड प्रोफाइल शामिल होनी चाहिए। रक्तचाप 140/90 एएमएम Hg से अधिक नहीं होना चाहिए।
10. ऐसे किसी भी रोग के लक्षण नहीं होने चाहिए जो पेट के अंगों से संबंधित हों और जो खान में उसके कर्तव्यों के कुशल निर्वहन को प्रभावित कर सकें।
11. तंत्रिका तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। मिर्गी का इतिहास रखने वाले या किसी अन्य प्रकार की जैविक या ऐतिहासिक चक्करों वाले व्यक्तियों को योग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। सभी प्रमुख सतही और गहरे रिफ्लेक्स का परीक्षण सहित विस्तृत तंत्रिकातंत्र संबंधी परीक्षाएं की जानी चाहिए।
12. मैंगनीज के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में, बुनियादी तंत्रिकातंत्र संबंधी परीक्षा के अलावा, व्यवहार और तंत्रिकातंत्र संबंधी विकारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बोलने में बाधा, कंपन, संतुलन में कमी, अदियाडोकोकिनेसिया और भावनात्मक परिवर्तन।
13. लीड के संपर्क में आने वाले व्यक्ति; पीएमई में मूत्र में डेल्टा अमिनोलेवुलिनिक एसिड शामिल होना चाहिए।
14. भोजन हैंडलिंग और तैयारी करने तथा स्टेमिंग सामग्री को संभालने वाली गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को एसिड फास्ट बैसिलि (एएफबी) के लिए नियमित थूक परीक्षण कराना चाहिए।
15. उपवास और भोजन के बाद रक्त शर्करा का परीक्षण किया जाएगा। मधुमेह को नियंत्रित किया जाएगा। लक्षित अंग मधुमेह से प्रभावित नहीं होने चाहिए।
16. सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन सामान्य सीमा के भीतर होने चाहिए।
17. बिलिरुबिन, एसजीओटी और एसपीजीटी सामान्य सीमा के भीतर होने चाहिए।
18. रूटीन स्टूल सामान्य सीमा के भीतर होना चाहिए।
19. यदि उम्मीदवार को हर्निया है तो उसे उसी के सफल ऑपरेशन के बाद योग्य घोषित किया जा सकेगा।
20. यदि हाइड्रोसील मौजूद हो, तो यह इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि अभ्यर्थी की सामान्य गतिविधियों में बाधा पैदा करे। ऐसे मामलों में, सफल ऑपरेशन के बाद उसे योग्य घोषित किया जा सकेगा।

चिकित्सीय परीक्षा में और अन्य तंत्रों की बीमारी के साक्ष्य के लिए परीक्षा सम्मिलित होनी चाहिए। केवल यूरिन में एल्बुमिन और शर्करा की उपस्थिति, लक्षण और संकेत उत्पन्न करने वाले किसी गंभीर जैविक रोग के बिना, दिव्यांगता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

प्ररूप-X

[नियम 119(2) देखें]

अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा पुनः परीक्षा की रिपोर्ट

(तीन प्रतियों में जारी किया जाना है)

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी (नियोजन की प्रकृति.....,.....खान के प्ररूप ... रजिस्टर के क्रम संख्या (पीएमई के मामले में) खान की परीक्षा की है, जिसे:

1. खदान में किसी भी रोजगार के लिए।
2. भूमिगत किसी भी रोजगार के लिए।
3. कार्य में किसी भी रोजगार के लिए.....

(विस्तार से उल्लेख करें)

चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था:

नियम 98 के अधीन किए गए चिकित्सा परीक्षण के परिणामस्वरूप।

हमारा प्रमाण- पत्र अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

हमारा मानना है कि –

1. कर्मचारी खान में किसी रोजगार के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य है।
2. कर्मचारी से पीड़ित है और
 - (क) खान में कोई भी नियोजन।
 - (ख) ज़मीन के नीचे (भूमिगत) किसी भी रोजगार के लिए।
 - (ग) किसी विशेष कार्य में रोजगार के लिए.....

(विस्तार से उल्लेख करें)

चिकित्सीय रूप से अयोग्य है:

3. कर्मचारी से पीड़ित है और उसे इस दिव्यंगता/बीमारी का इलाज करवाना चाहिए या इसे नियंत्रित करना चाहिए, और महीनों की अवधि के भीतर उसकी दोबारा परीक्षा की जानी चाहिए। वह महीनों की अवधि के भीतर दोबारा परीक्षा के लिए उपस्थित होगा/होगी। वह के परीक्षण के परिणामों और के विशेषज्ञ की राय के साथ दोबारा परीक्षा के लिए उपस्थित होगा/होगी। इस अवधि के दौरान उसे अपने कर्तव्यों का पालन जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है/नहीं दी जा सकती है। अपीलीय मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के हस्ताक्षर और नाम, साथ में तारीख

1.....(संयोजक)

रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

2.....

जिसे प्रबंधक/एजेंट/मालिक द्वारा सत्यापित किया गया

3.....

अपीलीय चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट

प्रमाण पत्र संख्या का उपाबंध, जो को हुई चिकित्सा परीक्षा का परिणाम है।

पहचान चिह्न :

अभ्यर्थी के बाएँ अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर

1. सामान्य विकास- अच्छा/ठीक-ठाक/कमज़ोर
2. ऊँचाई.....सेमी.
3. वज़न.....किग्रा.
4. आँखें :
 - (i) दृष्टि तीक्ष्णता-दूर की दृष्टि (चश्मे के साथ या बिना चश्मे के): दाहिनी आँख..... बाईं आँख.....
 - (ii) आँखों का कोई शारीरिक रोग
 - (iii) रतौंधी (रात में कम दिखना)
 - (iv) वर्णांधता (रंगों में भेद न कर पाना)
 - (v) भेंगापन
5. कान :
 - (i) सुनने की क्षमता : दाहिना कान.....बायाँ कान
 - (ii) कोई शारीरिक रोग।

यदि आवश्यक हो, तो ऑडियोमेट्री के निष्कर्ष :

कंडक्शन का प्रकार	बायाँ कान	दाहिना कान
कान द्वारा कंडक्शन	सामान्य/असामान्य	सामान्य/असामान्य
हड्डी द्वारा कंडक्शन	सामान्य/असामान्य	सामान्य/असामान्य

ऑडियोमेट्री रिपोर्ट संलग्न है।

6. श्वसन तंत्र।

ऑस्किलेटरी निष्कर्ष:

छाती की माप :

- (i) पूरी सांस अंदर लेने के बाद सेमी.
- (ii) पूरी सांस बाहर निकालने के बाद.....सेमी.

फेफड़ों की कार्यक्षमता जांच (स्पाइरोमेट्री) का परिणाम (यदि आवश्यक हो)

पैरामीटर्स	अनुमानित मान	प्राप्त मान	अनुमानित का %
फोर्सड वाइटल कैपेसिटी (एफईवी)			
फोर्सड वाइटल कैपेसिटी 1 (एफईवी 1)			
एफईवी 1/ एफवीसी			
पीक एक्सपाइरेटरी फ्लो			

स्पाइरोमेट्री रिपोर्ट संलग्न है

7. परिसंचरण तंत्र:

रक्तचाप :-

नाड़ी (पल्स) :-

हृदय संबंधी मूल्यांकन

ऑस्कलेशन	S1	
	S2	
	अतिरिक्त ध्वनि	
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ (12 लीड्स) के निष्कर्ष :		सामान्य/असामान्य
इकोकार्डियोग्राफी के निष्कर्ष (यदि आवश्यक हो)		सामान्य/असामान्य

ईसीजी संलग्न है

इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट संलग्न है

8. पेट :

कोमलता

यकृत

प्लीहा

ठूमर.

9. तंत्रिका तंत्र :

दौरे या मिर्गी का इतिहास.

लकवा

मानसिक स्वास्थ्य.

तंत्रिका संबंधी विकार का निर्धारण

निष्कर्ष	सामान्य/असामान्य
सतही रिफ्लेक्स	
गहरे रिफ्लेक्स	
परिधीय रक्त-संचार	
वाइब्रेशनल सिंड्रोम	

10. लोकामोटर (चलन तंत्र)

11. त्वचा

12. हाइड्रोसील

13. हर्निया

14. कोई अन्य असामान्यता

15. यूरिन :

प्रतिक्रिया:

एल्ब्यूमिन:

शर्करा:

16. पैथोलॉजिकल विकृतिजन्य/अन्वेषण:

क्र. सं. जाँचें	निष्कर्ष	
1	रक्त-टीसी, डीसी, एचबी, ईएसआर, प्लेटलेट्स	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
2	रक्त शर्करा- खाली पेट और भोजन के बाद	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
3	एचबीए1सी (यदि आवश्यक हो)	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
4	लिपिड प्रोफाइल	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
5	रक्त यूरिया, क्रिएटिनिन	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
6	यूरिन की सामान्य जाँच	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य
7.	हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस (यदि आवश्यक हो)	सामान्य सीमा के भीतर (डब्लूएनअल)/असामान्य

सभी जाँच रिपोर्टें संलग्न हैं।

17. छाती का एक्स-रे।

18. छाती के रेडियोग्राफ का आईएलओ वर्गीकरण:

न्यूमोकोनियोटिक अपारदर्शिता की बहुलता	ग्रेड	प्रकार
उपस्थित/अनुपस्थित		

छाती का रेडियोग्राफ संलग्न है

19. कोई अन्य परीक्षण जिसे परीक्षा करने वाली प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा गया हो।

20. किसी विशेषज्ञ की कोई राय जिसे आवश्यक समझा गया हो।

अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों के हस्ताक्षर और नाम (तारीख सहित)

1.....(संयोजक)

2.....

3.....

प्ररूप -XI

(नियम-7(1) और नियम-7(2) देखें)
दुर्घटना या खतरनाक घटना की सूचना

ई.एस.आई.सी. नियोक्ता की कोड संख्या:

ई.एस.आई.सी. बीमा

घायल व्यक्ति की संख्या:

1. नियोक्ता का नाम:
2. कार्यस्थल /परिसर का पता
जहां दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है:
3. उद्योग की प्रकृति और प्रतिष्ठान का एलआईएन:
4. शाखा या विभाग और
सटीक स्थान जहां दुर्घटना या
खतरनाक घटना घटी है :
5. घायल व्यक्ति का नाम और पता :
6. (क) लिंग :
(ख) आयु (पिछले जन्मदिन पर) :
(ग) घायल व्यक्ति का व्यवसाय :
7. स्थानीय ई.एस.आई.सी. कार्यालय जिससे घायल व्यक्ति संबद्ध है:
8. दुर्घटना या खतरनाक घटना की तारीख, पाली, और घंटा:
9. (क) घायल व्यक्ति ने दुर्घटना
या खतरनाक घटना के दिन किस समय कार्य आरंभ किया था:
(ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के
दिन के लिए उसे पूर्ण या आंशिक मजदूरी संदेय हैं :
10. (क) दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण या प्रकृति:
(ख) यदि मशीनरी के कारण यह घटना हुई तो-:
(i) मशीन का नाम और उसके
पुर्जे का नाम बताएं जिससे दुर्घटना
या खतरनाक घटना हुई है:
(ii) उल्लेख करें कि क्या दुर्घटना या खतरनाक
घटना के समय मशीन को यांत्रिक शक्ति द्वारा

चलाया गया था:

(ग) उल्लेख करें कि दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय

घायल व्यक्ति क्या कर रहा था:

(घ) आपकी राय में, क्या घायल

व्यक्ति दुर्घटना या खतरनाक

घटना के समय-

(i) उन पर लागू किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रहा था; या

(ii) अपने नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन कर रहा था; या

(iii) अपने नियोक्ता के निर्देशों के बिना कार्य कर रहा था?

(ङ) यदि (घ) (i), (ii) या (iii) का उत्तर सकारात्मक या हाँ में है,

तो उल्लेख करें कि क्या यह कार्य नियोक्ता के

व्यापार या कारबार के प्रयोजनार्थ और उसके संबंध में था।

11. यदि यह दुर्घटना या खतरनाक घटना

नियोक्ता के वाहन में यात्रा करने

के दौरान हुई थी, तो उल्लेख करें कि क्या-

(क) घायल व्यक्ति अपने कार्यस्थल से या कार्यस्थल के लिए
यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था:

(ख) घायल व्यक्ति अपने नियोक्ता
की व्यक्त या निहित अनुज्ञा से यात्रा कर रहा था:

(ग) नियोक्ता या उसकी ओर से किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य द्वारा वाहन का परिचालन किया जा रहा है
जो नियोक्ता के साथ की गई व्यवस्थाओं के अनुसरण में
वाहन उपलब्ध कराता है; और :

(घ) वाहन सार्वजनिक परिवहन सेवा की
सामान्य कार्य प्रणाली में परिचालन किया/ नहीं किया जा रहा है:

12. यदि आपातकालीन घटना के कारण दुर्घटना

या खतरनाक घटना घटित हुई, तो उल्लेख करें-

(क) इसकी प्रकृति; और

(ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के
समय घायल व्यक्ति जहाँ दुर्घटना या खतरनाक
घटना घटी है उस परिसर में या आस-पास अपने
नियोक्ता के व्यापार या कारबार के प्रयोजनार्थ नियोजित था। :

13. संक्षेप में वर्णन करें कि

दुर्घटना या खतरनाक घटना कैसे घटी:

14. साक्षियों का नाम और पता : (1)
(2)
15. (क) चोट की प्रकृति और उसकी गंभीरता
(जैसे घातक, उंगली खोना,
पैर का फ्रैक्चर, स्कॉल्ड, स्ट्रेच के बाद सेप्सिस आदि) :
- (ख) चोट की जगह (जैसे दायाँ पैर, बायाँ हाथ, बायीं आँख आदि)
16. (क) यदि दुर्घटना या खतरनाक घटना
घातक नहीं थी तो उल्लेख करें कि क्या
घायल व्यक्ति 48 घंटों से अधिक समय तक काम करने लायक नहीं था:
- (ख) घायल व्यक्ति की कार्य को वापसी की तारीख और समय :
17. (क) चिकित्सक, औषधालय या अस्पताल जहाँ से
घायल व्यक्ति ने उपचार प्राप्त किया या प्राप्त कर रहा है:
- (ख) घायल व्यक्ति द्वारा चयनित औषधालय /पैनल चिकित्सक का नाम :
18. (क) क्या घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई? :
- (ख) यदि हाँ, मृत्यु की तारीख :
- मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हर दृष्टि से सही है।

नियोक्ता / नियोक्ता/ प्रबंधक/ अभिकर्ता का हस्ताक्षर और नाम तथा पदनाम

रिपोर्ट को प्रेषित करने की तिथि:

स्थान:

प्ररूप -XII
[नियम-71 देखें]
कार्य की अवधि की सूचना

स्थापन का नाम.....स्थान.....जिला.....

कार्य समूह की अवधि, रिले	पुरुष												महिला												समूह का विवरण, कार्य की प्रकृति	टिप्पणी
	नियोजित पुरुषों की कुल संख्या												नियोजित महिलाओं की कुल संख्या													
	क			ख			ग			घ			ङ			च			छ			ज				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

कार्य दिवसों में

से..

तक ..

से ..

तक ..

से ..

तक ..

आंशिक कार्य दिवसों में

से ..

तक ..

से ..

तक ..

तारीख, जब यह सूचना पहली बार प्रदर्शित की गई है :

नियोक्ता का हस्ताक्षर:

तारीख :

प्ररूप-XIII

[नियम 72(1)(i) देखें]

कर्मचारी रजिस्टर

(रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी अनुरक्षित किया जा सकेगा जिस में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होंगे)

स्थापन का नाम:		
नियोक्ता/ नियोक्ता का नाम:		
नियोक्ता का पैन/टैन नंबर		
स्थापन का पंजीकरण संख्या [श्रम पहचान संख्या (एलआईएन)] स्थापन का पंजीकरण संख्या होगा		
स्थापनों के सभी कर्मचारियों हेतु अनुरक्षित किया जाएगा।		
1.	कर्मचारी कोड	
2.	नाम	
	मध्यनाम	
3.	उपनाम	
4.	लिंग	
5.	पिता/माता/पति/पत्नी का नाम	
6.	जन्म की तारीख	
7.	जन्म स्थान	
8.	राष्ट्रियता	
9.	शैक्षणिक स्तर	
10.	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	
11.	पदनाम	
12.	श्रेणी (अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल या अतिकुशल)	
13.	नियोजन का प्रकार (पी/टी/एफटी/टी/बी)	
14.	मोबाइल नंबर	
15.	सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन)	
16.	पैन (पीएएन)	
17.	नाम निर्देशिती (नाम निर्देशन प्ररूप के आधार पर भरा जाए)	
18.	ईपीएस/एनपीएस	
19.	परिवार का विवरण	
20.	तैनाती का विवरण	
21.	वेतनमान	
22.	पदोन्नति	
23.	ईएसआईसी बीमा संख्या	

24.	आधार संख्या	
25.	बैंक खाता संख्या	
26.	बैंक	
27.	शाखा (आईएफएससी)	
28.	वर्तमान पता	
29.	स्थायी पता	
30.	सेवा पुस्तिका संख्या	
31.	निकासी की तिथि	
32.	निकासी का कारण	
33.	पहचान-चिह्न	
34.	फोटो	
35.	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	
36.	टिप्पणियां	

कर्मचारी के हस्ताक्षर

** (स्थायी/अस्थायी/नियत कालिक/प्रशिक्षु/बदली)
नियोक्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप-XIV

[[नियम 72(1)(ii)]]

उपस्थिति रजिस्टर-सह-मस्टर रोल

(उपस्थिति रजिस्टर-सह-मस्टर रोल का अनुरक्षण इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होंगे)

																	वर्ष 20.....के मास के लिए									
स्थापन का नाम:																										
नियोक्ता/नियोक्ता का नाम:																										
स्थापन का पंजीकरण संख्या श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) स्थापन का पंजीकरण संख्या होगा																										
1.	क्र. सं.																									
2.	कर्मचारी कोड																									
3.	नाम																									
4.	पदनाम																									
5.	पाली																									
6.	कार्य स्थल/ अनुभाग/ विभाग																									
7.	प्रवेश और निकास की तिथि और समय																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
8.	कार्य किए गए कुल दिनों की संख्या																									
9.	कार्य किए गए समयोपरि घंटों की संख्या																									
10.	कार्य-स्थल के बाहर यात्रा या कार्य, यदि कोई हो तो उसका संक्षेप में ब्यौरा																									
11.	रजिस्टर-प्रबंधक का हस्ताक्षर																									

*टिप्पण: अपेक्षित, यदि फाइल का अनुरक्षण भौतिक रूप से किया जाता है

प्ररूप –XV

[नियम 72(1)(iii) देखें]

वेतन, ओवरटाइम और कटौतियों के लिए रजिस्टर

(रजिस्टर का अनुरक्षण इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होंगे)

स्थापन का नाम:		
नियोक्ता/नियोक्ता का नाम:		
नियोक्ता का पैन /टैन		
स्थापन की पंजीकरण संख्या (स्थापन की पंजीकरण संख्या ही श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) होगी)		
दिन/मास/वर्ष से दिन/मास/वर्ष तक (मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/दैनिक/कार्य की दर से मजदूरी) अवधि		
1.	क्रम संख्या	
2.	कर्मचारी कोड संख्या	
3.	कर्मचारी का नाम	
4.	पदनाम	
5.	विभाग	
6.	मजदूरी के संदाय की अवधि (मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/पीस-दर पर)	
7.	मजदूरी की अवधि (से - तक)	
8.	मजदूरी की अवधि के दौरान कुल कार्य दिवसों की संख्या	
9.	कुल ओवर टाइम घंटे (ओवरटाइम)। अतिरिक्त कार्य के घंटे अथवा कार्य-दर से कर्मचारों की स्थिति में अतिरिक्त उत्पादन।	
वेतन की दर		
10.	क) मूल वेतन	
11.	ख) महंगाई भत्ता	
12.	ग) अन्य भत्ते	
अर्जित मजदूरी की रकम		
13.	मूल वेतन	
14.	महंगाई भत्ता	
15.	भत्ते	
16.	ओवर टाइम	
17.	कुल अर्जित मजदूरी	
कटौतियां		
18.	ईपीएफ	
19.	ईएसआईसी	
20.	सोसायटी	
21.	आयकर	
22.	बीमा	

23.	अग्रिम	
24.	जुर्माने की वसूली	
25.	क्षति/हानि की राशि की वसूली	
26.	कुल कटौतियां	
27.	अन्य	
28.	शुद्ध संदाय	
29.	भुगतान की तिथि	
30.	कर्मचारी द्वारा प्राप्ति/बैंक संव्यवहार आईडी	
31.	उन कृत्यों और लोप की प्रकृति जिनके लिए तारीख सहित जुर्माना अधिरोपित किया गया	
32.	अधिरोपित किए गए जुर्माने की रकम	
33.	कर्मचारी की उपेक्षा या चूक के कारण नियोक्ता को हुई क्षति या हानि	
34.	नियोक्ता/नियोक्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर*	

*टिप्पण: अपेक्षित, यदि रजिस्टर (पंजी) भौतिक रूप से अनुरक्षित किया जाता है।

प्ररूप-XVI
[(नियम 72(2) देखें)]
मजदूरी पर्ची

जारी करने की तारीख				
स्थापन का नाम				
पता:			अवधि:	
1.	कर्मचारी का नाम:			
2.	पिता/ माता/ पति/ पत्नी का नाम:			
3.	पदनाम:			
4	यूएनः			
5	बैंक खाता संख्या:			
6	वेतन अवधि:			
7	संदेय वेतन की दर	(क) मूल वेतन	(ख) महंगाई भत्ता	(ग) अन्य भत्ते
8	कुल उपस्थिति/ किए गए कार्य की ईकाई			
9	समयोपरि वेतन			
10.	संदेय सकल वेतन			
11.	कुल कटौती	(क) भविष्य निधि	(ख) ईएसआई	(ग) अन्य
12.	भुगतान किया गया निवल वेतन			
नियोक्ता/वेतन प्रभारी के हस्ताक्षर*				

*टिप्पण : अपेक्षित, यदि रजिस्टर (पंजी) का अनुरक्षण भौतिक रूप से किया जाता है।

प्ररूप -XVII

(नियम 74 के साथ पठित नियम 72(5) देखें)

वार्षिक विवरणी

31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु

वार्षिक विवरणी भरे जाने हेतु अनुदेश

1. इस विवरणी को प्रत्येक वर्ष 28 या 29 फरवरी को या उससे पहले भरा और प्रस्तुत किया जाएगा।
2. विवरणी के दो भाग हैं अर्थात् भाग-I जिसे सभी स्थापनों द्वारा भरा जाएगा।
3. भाग-I के अतिरिक्त, भाग-II, उन स्थापनों द्वारा भरा जाएगा, जो खान हैं।
4. 'स्थापन' और 'खान' पद का वही अर्थ होगा जो उपजिविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 में उनका है।
5. यह विवरणी, ठेकेदार या श्रम-बल आपूर्तिकर्ता के मामले में, जिसने 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित किया हो और खान के मामले में भले ही संबंधित अवधि में एक दो कर्मकार नियोजित हो, भरी जाएगी।

सभी स्थापनों के लिय लागू- भाग-I**क. सामान्य सूचना:**

क्र. सं.			स्तंभ को भरने के लिए अनुदेश
1.	श्रमिक पहचान संख्या		ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमसीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एलआईएन)
2.	विवरणी की अवधि	से – तक-	अवधि कलेंडर वर्ष होना चाहिए
3.	स्थापन का नाम		
4.	ई-मेल आईडी (नियोक्ता)		
5.	दूरभाष संख्या (नियोक्ता)		
6.	मोबाईल नंबर (नियोक्ता)		
7.	परिसर का नाम		
8.	उप-मोहल्ला		
9.	जिला		
10.	राज्य		
11.	पिन-कोड		
12.	भू-निर्देशांक		
ख(क).	दिवस में कार्य घंटे		
ख(ख).	पालियों की संख्या किसी पाली में घंटों की संख्या		

ग. तैनात श्रमबल का ब्यौरा

ब्यौरा	सीधे नियोजित	ठेकेदार के माध्यम से नियोजित	कुल योग
--------	--------------	------------------------------	---------

कुशलता श्रेणी	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	
1. वर्ष के दौरान किसी भी दिन स्थापन में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	पुरुष/ महिला/ उभयलिंगी (पु/म/अ)	पु/म/ अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
2. वर्ष के दौरान स्थापन में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या	संख्या दर्शायी जानी है	पु/म/ अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
3. प्रवासी कर्मचारों की अधिकतम संख्या (उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020)	पु/म/अ	पु/म/ अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/ अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
4. कार्यरत निश्चित अवधि के कर्मचारी की संख्या	पु/म/उ	पु/म/ उ	पु/म/ उ	पु/म/ उ					

घ. प्रतिष्ठान में कार्यरत ठेकेदारों का विवरण

क्र. सं.	एलआईएन सहित ठेकेदार का नाम	नियोजित ठेका श्रमिक की संख्या

ङ. प्रदान की गई विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति	सांविधिक (विधान निर्दिष्ट करें)	भरने हेतु अनुदेश
1.	क्या कैन्टीन की सुविधा दी गई है (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 24(v) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां ठेका श्रमिक सहित सौ या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया गया था
2.	शिशु गृह (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 67 और उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 24 के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ पचास या अधिक कामगार कार्यरत हैं
2 क	यदि उपरोक्त 2 नहीं उपलब्ध कराया गया है तो क्या सामाजिक सुरक्षा संहिता के नियम के तहत शिशुगृह भत्ता दिया जाता है।	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	सामाजिक सुरक्षा संबंधी संदर्भ नियम
3.	एम्बुलेंस कक्ष (उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 की धारा 24(2)(i) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	खान, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य जिनमें पांच सौ से अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है, पर लागू।
4.	सुरक्षा समिति (उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 22 (1) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	500 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों और बीओसीडब्ल्यू जिसमें 250 या उससे अधिक कामगार कार्यरत

			हैं और 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली खदानों के लिए लागू।
5.	सुरक्षा अधिकारी (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं सहिता 2020 की धारा 22 (2) के अनुसार)	नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों की संख्या	खान के मामले में 100 या अधिक कामगारों, बीओसीडब्ल्यू के मामले में 250 या अधिक कामगारों और गोदी कार्य के मामले में 500 या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है।
6.	योग्यता प्राप्त चिकित्सक (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं सहिता 2020 की धारा 12 (2) के अनुसार)	नियुक्त अर्हता प्राप्त चिकित्सक व्यवसायी की संख्या	प्रतिष्ठान में नियोजित अर्हता प्राप्त चिकित्सक व्यवसायी की न्यूनतम संख्या के लिए कोई विनिर्देश नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक स्वास्थ्य पर डेटा होने के लिए इस विवरण की आवश्यकता होती है।

च. औद्योगिक संबंध:					भरने हेतु अनुदेश
1.	क्या कार्यसमिति कार्य कर रही है। (औद्योगिक सम्बन्ध सहिता, 2020 की धारा 3)			हां/ नहीं और लागू नहीं	औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें 100 या अधिक कामगार नियोजित हैं
(क)	उसके गठन की तारीख				
2.	क्या सुरक्षा निवारण समिति का गठन किया गया है (औद्योगिक सम्बन्ध सहिता, 2020 की धारा 4)			हां/ नहीं और लागू नहीं	20 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान
3.	प्रतिष्ठानों में पंजीकृत यूनियनों की संख्या				
4.	क्या कोई समझौता संघ मौजूद है (औद्योगिक सम्बन्ध सहिता, 2020 की धारा 14)			हां/ नहीं	
5.	क्या किसी भी समझौता परिषद का गठन किया गया है (औद्योगिक सम्बन्ध सहिता, 2020 की धारा 14)			हां/ नहीं	
6.	वर्ष के दौरान बर्खास्त किए गए, पदच्युत किए गए, छंटनी किए गए या जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, उन कामगारों की संख्या:				
	बर्खास्त किए गए	पदच्युत किए गए	बर्खास्त किए गए / सेवा समाप्त किए गए या हटाए गए	कुल योग	
7.	निम्नलिखित के कारण वर्ष के दौरान व्यर्थ गए श्रम दिवस				
क्र. सं.	कारण	अवधि/ तारीख	व्यर्थ गए श्रमदिवसों की संख्या		
(क)	हड़ताल				
(ख)	तालाबंदी				
8.	छंटनी/ कामबंदी का व्यौरा				
क्र. सं.	अवधि के दौरान छंटनी किए गए	छंटनी किए गए कर्मचारियों को किए गए	अवधि के दौरान कामबंदी से प्रभावित	कामबंदी के कारण व्यर्थ गए श्रमदिवसों की संख्या	300 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है

	व्यक्तियों की संख्या	भुगतान का ब्यौरा	होने वाले कामगारों की संख्या		
1.					
2.					

छ. प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित ब्यौरा:

क्र. सं.	महिला कर्मचारियों की संख्या	मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाले महिला कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा बोनस दिया गया	महिला कर्मचारियों की मजदूरी में कटौती, यदि कोई हो, की संख्या
1.				
2.				

ज. बोनस के भुगतान का विवरण:

क्र. सं.	बोनस प्रावधान के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	वास्तविक रूप से भुगतान किए गए बोनस की गई कुल राशि	बोनस भुगतान की तिथि

झ. दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और सूचनीय बीमारियों का ब्यौरा:

क्र. सं.	दुर्घटनाओं की कुल संख्या जिसके कारण घायल व्यक्ति को उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका जाता है।	उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्या और मृतकों के नाम।	उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 11 के अंतर्गत यथा परिभाषित खतरनाक घटनाओं की कुल संख्या।	प्रभावित व्यक्तियों के विवरण के साथ उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सूचनीय बीमारियों के मामलों की कुल संख्या

ञ- दुर्घटनाओं/ खतरनाक घटनाओं के कारण व्यर्थ गए श्रम दिवस और उत्पादन

क्र.सं.	दुर्घटना/ खतरनाक घटना	व्यर्थ गए श्रम दिवस	खोया हुआ उत्पादन

(नियम 74 के साथ पठित नियम 72 देखें)

भाग-2 (खदानों के लिए)

क. सामान्य सूचना		
1.	प्रतिष्ठान का नाम	
2.	कंपनी का नाम/ नियोक्ता का नाम	
3.	संगठन का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	पीएसयू केन्द्रीय/ पीएसयू राज्य/ निजी/
4.	स्वामित्व का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	फर्म/ संघ/ वैयक्तिक/ भागीदारी / कंपनी
5.	खनिज का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	कोयला/ धातु/ तेल
6.	खनिज का नाम	

7.	खान का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	भूमिगत/ ओपेनकास्ट/ जमीन के ऊपर/ मिश्रित/ अपतटीय/ तटीय
8.	खुलने की तारीख	प्रथम बार भरा जाना
9.	खान कोड	प्रथम बार भरा जाना
10.	समापन की तारीख (यदि कोई हो)	लागू नहीं/ कैलंडर दिया जाना है
11.	फिर से खोलने की तारीख (यदि कोई हो)	लागू नहीं/ कैलंडर दिया जाना है
12.	गहराई में , मीटर में	अधिकतम गहराई: न्यूनतम गहराई:

ख. खान में नियोजित सांविधिक कार्मिक (31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	कोड के अनुसार पदनाम	अपेक्षित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या	नियोजित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या
1.			

ग. सुरक्षा मानकों की तुलना में कार्य करने का तरीका

1.	पद्धति का नाम (नाम स्पष्ट करें) (ड्रॉप डाउन मेन्यू के अनुसार)		
2.	क्यू.मी./ टन में उत्पादित खनिज की मात्रा		
3.	क्यू.मी./ टन में हटाए गए अपशिष्ट/ उपरिभार की मात्रा		
4.	कार्य के स्तर (ड्रॉप डाउन मेन्यू के अनुसार)	विकास/ निष्कर्षण/ मिश्रित	
5.	सी यू. एम में अनुमेय रिक्तता		निष्कर्षण स्तर हेतु
6.	सी यू. एम में वास्तविक रिक्तता		निष्कर्षण स्तर हेतु
7.	ओवरहैंग का क्षेत्रफल		निष्कर्षण स्तर हेतु
8.	उत्पादित कोयले के प्रति टन सी यू. मीटर में जारी की गई अधिकतम ज्वलनशील गैस		विकास स्तर हेतु
9.	समस्त पिट ढलान		ओपेनकास्ट खान हेतु
	प्रत्येक पिट के लिए अलग प्रवेश		
10.	समस्त डम्प ढलान		ओपेनकास्ट खान हेतु
	प्रत्येक डम्प के लिए अलग प्रवेश		
11.	अग्नि का क्षेत्रफल वर्ग मी. में		
12.	जल निकाय के समक्ष उपलब्ध कराए जाने वाले तटबंध की लंबाई		
13.	जल निकाय के समक्ष उपलब्ध कराए गए तटबंध की लंबाई		
14.	संविधि के अनुसार अपेक्षित/ उपलब्ध कराई गई घेरेबंदी की लंबाई		
15.	परित्यक्त खानों के मामले में अपेक्षित सील किए जाने वाले अपेक्षित मुहानों की संख्या		
16.	परित्यक्त खानों के मामले में सील किए गए मुहानों की संख्या		

17.	आयोजित किए गए मॉक ड्रिल की संख्या और कर्मचारियों के कवरेज के साथ मॉक ड्रिल आयोजन की तारीख		
18.	तेल/ गैस कुओं की संख्या: ड्रिलिंग के अधीन/ उत्पादन के अधीन/ कार्याधीन (ड्रॉप डाउन मेनू के अनुसार)		तेल और गैस खानों के लिए
19.	कुओं की संख्या जहां उत्पादन बंद कर दिया गया है		तेल और गैस खानों के लिए
20.	यदि उपरोक्त बिन्दु 19 के दृष्टिगत हैं, तो की गई कार्रवाई		
21.	जहां उत्पादन बंद कर दिया गया है उन कुओं के संबंध में की गई कार्रवाई		तेल और गैस खानों के लिए
22.	किसी भी दिन में प्रयुक्त विस्फोटक की अधिकतम मात्रा (कि.ग्रा. में)		सभी प्रकार के खानों के लिए
23.	क्या भवन या संरचना जिसका कोई नियोक्ता नहीं है, खतरे के क्षेत्र में है?	हां/ नहीं/ लागू नहीं	कोयला और लौह अयस्क धातु के लिए
24.	वर्ष हेतु खान में स्थापित/ तैनात मशीनरी की कुल एचपी/किलोवाट		सभी प्रकारों के खानों के लिए

घ. चिकित्सा जांच- आरंभिक/ आवधिक (आईएमई/ पीएमई)

वर्ष के दौरान, ठेकागत कामगारों सहित व्यक्तियों की कुल संख्या:

विवरण	व्यक्तियों की कुल संख्या
की गई आईएमई जांच	
की गई पीएमई जांच	
चिकित्सकीय रूप से अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित	
चिकित्सा अयोग्यता के कारण वैकल्पिक रोजगार दिया गया	
चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होने के कारण नियोजन समाप्त किया गया	

ङ. प्रदान किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान, ठेकागत कामगारों सहित व्यक्तियों की संख्या

विवरण	व्यक्तियों की कुल संख्या
प्रदान किया गया बुनियादी व्यावसायिक प्रशिक्षण	
पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया	
विशेष प्रशिक्षण दिया गया	

च. दुर्घटना, जोखिमकारी घटना और उपजीविकाजन्य रोगों का ब्यौरा:

(1) दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का ब्यौरा:

क्र.सं.	दुर्घटनाओं/ जोखिमकारी घटनाओं की तारीख	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर शारीरिक चोट पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या (गंभीर शारीरिक चोट को छोड़कर) और जिस कारण 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका गया	घटना की प्रकृति	व्यर्थ गए श्रम दिवस

(2) उपजीविका जन्य बीमारियों का ब्यौरा

क्र.सं.	अधिसूचित बीमारी	मामलों की संख्या
1.		

छ. सुरक्षा प्रबंधन योजना का ब्यौरा:

- (क) तैयार की गई सुरक्षा प्रबंधन योजना: (हां/ नहीं/ लागू नहीं)
 (ख) जमा करने की तारीख
 (ग) सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा की अंतिम तारीख
 (घ) पहचान किए गए प्रमुख खतरे:

क्र.सं.	पहचान किए गए प्रमुख खतरों की सूची	प्रमुख जोखिम शमन तारीख	31 दिसंबर तक शमन न किए गए प्रमुख खतरे	इनका शमन न किए जाने के कारण
1.				

ज. खान बचाव केंद्र: (केवल भूमिगत खानों के लिए)**(क) खानों के लिए: (खान नियोक्ता द्वारा भरा जाना)**

- (i) खानों की सेवा करने वाले बचाव केंद्र का भू-निर्देशांक के साथ पता;
 (ii) खान मुहाने से बचाव केंद्र की दूरी; -----(किमी में)
 (iii) क्या खान द्वारा खान बचाव केंद्र स्थापित किया गया है या नहीं? (हाँ/ नहीं)

खान बचाव केंद्र: (केवल भूमिगत खानों के लिए)**(बचाव केंद्र के लिए)**

खान बचाव केंद्र के लिए (अधीक्षक, बचाव केंद्र द्वारा भरा जाना है)

- (i) खान के नियोक्ता का नाम जहां एमआरएस केंद्रित है:
 (ii) एमआरएस का पता:
 (iii) अधीक्षक का नाम:
 (iv) बचाव केंद्र द्वारा देखभाल किए जाने वाले खानों का ब्यौरा:

क्र.सं.	खानों के नाम	एमआरएस से खान की दूरी (कि.मी. में)

(v) बचाव केंद्र में तैनात कार्मिक का विवरण

क्र.सं.	कोड के अनुसार पदनाम	अपेक्षित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या	नियोजित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या

(vi) उपकरण/ उपस्कर का विवरण:

क्र.सं.	अपेक्षित उपकरण/ उपस्कर के प्रकार	उपलब्ध उपकरण/ उपस्कर की संख्या

(vii) आपातकालीन स्थिति में उपस्थित होने का विवरण:

क्र.सं.	खान का नाम	आपातकालीन स्थिति की प्रकृति	प्रतिक्रिया समय (आपातकालीन स्थिति में भाग लेने के लिए बचाव सेवाओं द्वारा लिया गया समय)	बचाव और बहाल करने में लिया गया समय	की गई कार्रवाई

(viii) अतिरिक्त सूचना:

- क. बचाव कक्षों की संख्या:
- ख. अपेक्षित बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या:
- ग. उपलब्ध बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या:
- घ. क्या कैटीन की सुविधा मौजूद है या नहीं? (हाँ/ नहीं)

प्रमाणित किया जाता है कि सारणियों को विधिवत भरा गया है और सभी सारणियों में दी गई सूचना और आँकड़े मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं।

नियोक्ता/ अधिभोगी/ नियोक्ता/ एजेंट/ प्रबंधक का हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

भाग 3

[नियम 98(9) देखें]

31 दिसम्बर को समाप्त अवधि की वार्षिक विवरणी
(प्रधान नियोजक द्वारा श्रम सुविधा पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाए)

1. प्रधान नियोजक का नाम:
2. प्रतिष्ठान का नाम:
3. प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या (एलआईएन):
4. ठेकेदारों, भुगतान की गई मजदूरी का ब्यौरा, आदि:

क्र. सं.	माह	ठेकेदारों का नाम और पता	ठेकेदार का एलआईएन	कार्य का नाम	नियोजित ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के अनुसार ठेकेदार को भुगतान की गई राशि (ईपीएफ, ईएसआईसी, बोनस आदि सहित)	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के भुगतान की तारीख	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी की राशि (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी के भुगतान की तारीख (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	टिप्पणियां

तारीख:

प्रधान नियोजक के हस्ताक्षर

02/20..												
03/20..												

- सभी सदस्यों के योगदान विवरण वाली वेतन-पत्रक का प्रपत्र –8 ख (मजदूरी, ओवरटाइम और कटौतियों का रजिस्टर) के अनुसार अपलोड करें।

उन कर्मचारियों का विवरण जो नामांकित नहीं हैं, किंतु सदस्य बनने के पात्र हैं:								
क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	लिंग	आधार संख्या	पिता का नाम	जन्म तारीख	कार्यकार करने की तारीख	निकासी की तारीख (यदि पहले ही निकासी कर ली गई)	संदाय मजदूरी

ठेकेदारों का विवरण:						
क्र. सं.	ठेकेदार का नाम और पता	ईपीएफ कोड संख्या	ईएसआई कोड संख्या	कार्य की प्रकृति	किसी भी दिन नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया कुल भुगतान

<* यदि सीएलसी अनुज्ञप्ति डेटा उपलब्ध है, तो ठेकेदार का विवरण उससे पहले से भरा जा सकता है, साथ ही, अन्य ठेकेदारों को जोड़ने का विकल्प भी उपलब्ध है।

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(iv) के तहत, नियोक्ता द्वारा किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधि-वार्षिकी निधि में योगदान के रूप में दावा किए गए कर लाभ का विवरण:

वित्तीय वर्ष	योगदान	कर लाभ

दस्तावेज़ अपलोड करें:

क्र. सं.	दस्तावेज़ का नाम	<पोर्टल में अपलोड फ़ील्ड>
1.	बैलेंस शीट*	वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट के लिए अपलोड फ़ील्ड
2.	प्ररूप 26AS*	वित्तीय वर्ष के फ़ॉर्म 26कत के लिए अपलोड फ़ील्ड
3.	प्ररूप 26Q*	वित्तीय वर्ष के फ़ॉर्म 26थ के लिए अपलोड फ़ील्ड

*अनिवार्य क्षेत्र

(नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(iv):

"किसी निर्धारिती द्वारा एक नियोक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अंशदान के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि; जो भविष्य निधि को मान्यता देने या अधिवर्षिता निधि को अनुमोदित करने के उद्देश्य से निर्धारित सीमाओं के अधीन होगी, जैसा भी मामला हो; और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो बोर्ड उन मामलों में निर्दिष्ट करना उचित समझे जहाँ अंशदान वार्षिक नियत राशि के रूप में नहीं हैं, या "वेतन" मद के अधीन प्रभार्य आय, या अंशदान, या निधि के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में किसी निश्चित आधार पर तय वार्षिक अंशदान के रूप में नहीं हैं।"

प्ररूप-XVIII

[नियम 72(5) और 98(7) देखें]

(अर्धवार्षिक विवरणी (जनवरी से जून / जुलाई से दिसंबर) जो ठेकेदार द्वारा संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को प्रस्तुत की जानी है)

1. ठेकेदार का नाम और पता:
2. प्रधान नियोक्ता का नाम और पता तथा एलआईएन:
3. ठेकेदार का एलआईएन:
4. ठेकेदार की अनुज्ञप्ति की संख्या (यदि लागू हो):
5. स्थान/स्टेशन के साथ ठेका कार्य का नाम:
6. ठेका कामगारों की संख्या, भुगतान की गई मजदूरी आदि का विवरण:

क्रम सं.	माह	नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या	एक माह में भुगतान की गई मजदूरी की कुल राशि	समयोपरि	बोनस	प्रधान नियोक्ता से ठेकेदारा द्वारा प्राप्त मजदूरी बिल की तारीख और राशि	ईएसआईसी की ईसीआर संख्या	ईपीएफ की ईसीआर संख्या	यथा स्वीकार्य रूप में माह की 7 तारीख या देय तिथि तक भुगतान की गई मजदूरी हां/नहीं	नोट
	जनवरी									
	फरवरी									
	मार्च									
	अप्रैल									
	मई									
	जून									

ठेकेदार का हस्ताक्षर

तारीख:

प्ररूप-XIX
(नियम 75 देखें)
दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर

घायल/मृत व्यक्ति का नाम (यदि कोई हो)	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की तारीख	निरीक्षक-सह-सुकारक को रिपोर्ट किए जाने की तारीख	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की प्रकृति	घायल व्यक्ति की कार्य वापसी की तारीख	घायल व्यक्ति के कार्य पर अनुपस्थित होने के दिनों की संख्या	नियोक्ता/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप-XX
(नियम-76 देखें)
मजदूरी के साथ छुट्टी के लिए रजिस्टर

भाग I -वयस्क

भाग-2 -किशोरियां

प्रतिष्ठान:

कामगार का नाम :

विभाग :

पिता का नाम :

क्र.स.	रजिस्टर में कामगारों की क्र.सं.	सेवा में प्रविष्टि की तारीख	व्यवधान					प्रभाव से अवकाश	क्या अगले 12 महीनों के दौरान वांछित छुट्टी नहीं दी गई है	वह तारीख जिससे कामगार को छुट्टी दी जाती है	दी गई छुट्टी की मजदूरी	डिस्चार्ज किए गए कर्मचारी		छुट्टी	नोट
			बीमारी और दुर्घटनाएं	प्राधिकृत छुट्टी	तालाबंदी या कानूनी हड़ताल	अनैच्छिक बेरोजगारी	अन्य					डिस्चार्ज की तिथि	देय छुट्टी के बदले भुगतान की तिथि और राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

नोट:-प्रत्येक कामगार को अलग पेज आवंटित किया जाएगा

नियुक्ता/रजिस्टर-रक्षक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्ररूप-XXI

(नियम 87,88(1) और 96(1) देखें)

अनुज्ञप्ति का नवीकरण/ अनुज्ञप्ति में संशोधन (सामान्य/एकल अनुज्ञप्ति सहित)के लिए ऑनलाइन आवेदन						
भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय						
प्रतिष्ठान की रूपरेखा:						
श्रम पहचान संख्या.....					दिनांक	
पावती सं. आवेदन की तारीख :						
I. प्रतिष्ठान का विवरण जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है:						
1. प्रतिष्ठान का नाम:						
2. प्रतिष्ठान का पता						
(क) ईमेल आईडी सहित मुख्य कार्यालय का पता:						
(ख) ईमेल आईडी सहित निगमित कार्यालय का पता:						
3. दूरभाष संख्या:						
4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप: (दिए गए सभी लागू कार्यकलापों को चुनें)						
5. चयनित एनआईसी संहिता का ब्यौरा:						
6. मुख्य प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति:						
7. प्रतिष्ठान का पहचानकर्ता: (चुनें) : ई- हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर						
II. नियोक्ता का ब्यौरा:						
1. नियोक्ता का पूरा नाम: प्रतिष्ठान के साथ संबंध.						
2. नियोक्ता का पूरा पता:						
3. नियोक्ता की ईमेल आईडी:						
4. नियोक्ता का मोबाइल नंबर:						
III. नियोजित होने वाले/नियोजित ठेका श्रमिकों का विवरण (यदि अनुज्ञप्ति कार्यवार अपेक्षित है)						
कार्यक्षेत्रों का स्थान	कार्य का नाम	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप	कार्य आरंभ की तिथि	पूरा होने की तिथि	प्रतिष्ठान का नाम जिसमें ठेका श्रमिक नियोजित हैं/होने के लिए प्रस्तावित हैं	साइट प्रभारी का नाम, पता, ईमेल आईडी
1	2		3	4	5	6
5. किसी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कामगारों की अधिकतम संख्या:						
6. अनुज्ञप्ति फीस की राशि: आईएनआर (लेनदेन आईडी :)						
7. सुरक्षा जमा राशि: आईएनआर (लेन-देन आईडी :)						

IV प्रतिष्ठानों का ब्यौरा जिनके लिए सामान्य अनुज्ञप्ति अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे हैं)

प्रतिष्ठान का प्रकार	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप	कार्य आरंभ होने की तिथि	स्थायी प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख	नियोजित/नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	
1	2	3	4	5	6	

V. प्रतिष्ठान का ब्यौरा जिसके लिए एकल अनुज्ञप्ति अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे हैं)

राज्य का नाम जहां प्रतिष्ठान स्थित है	प्रत्येक कार्य का नाम	श्रमिकों की अधिकतम संख्या जिन्हें नियोजित किया जाएगा/नियोजित हैं	आरंभ की तिथि	स्थायी प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख	पंजीकरण संख्या यदि प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका ब्यौरा
1	2	3	4	5	6

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(ई-हस्ताक्षर/डीएससी)

टिप्पण : यह श्रम सुविधा पोर्टल या नामोद्विष्ट पोर्टल पर किए गए आवेदन का ऑनलाइन आवेदन का सारांश है।

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

1. लाइसेंस संख्या:	तारीख :
2. एलआईएन और पैन:	
3. प्रतिष्ठान का नाम और पता:	
4. पूर्व अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख :	
5. क्या नियोक्ता/ठेकेदार का लाइसेंस स्थगित की गयी थी:	
6. भुगतान की गयी फीस का ब्यौरा: (ई भुगतान की रसीद संलग्न करें): राशि.....भुगतान की तारीख :	
नियोक्ता/ठेकेदार का ई हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर	तारीख :

अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए आवेदन:	
1. अनुज्ञप्ति संख्या	तारीख :
2. एलआईएन और पैन	
3. प्रतिष्ठान का नाम और पता:	
4. विवरण जिसके लिए संशोधन मांगा गया है:	
(क). वर्तमान में नियोजित ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या : (नियोजित होने वाले ठेका कामगारों की अधिक संख्या में बढ़ोतरी है तो विधि के अनुसार अतिरिक्त फीस /सुरक्षा जमा भरने की आवश्यकता होगी):	
(ख). ई भुगतान के माध्यम से किए गए फीस के भुगतान का तारीख सहित ब्यौरा :	
(ग). जारी की गई अनुज्ञप्ति में संशोधन की अपेक्षा करने का अन्य विवरण (अपेक्षित संशोधन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाएं)	

नियोक्ता ठेकेदार का ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर
आवेदन की तारीख

तारीख
स्थान

प्ररूप-XXII
(नियम 89(1) देखें और नियम 90(2) देखें)

अनुज्ञप्ति प्रपत्र

अनुज्ञप्ति संख्या. ----- पंजीकरण संख्या ----- पंजीकरण की तारीख. -----

-----को अनुज्ञप्ति दी जाती है

जिसे -----परिसर के रूप में जाना जाता है

जो -----में स्थित है।

कार्य की प्रकृति -----

उपजीविकाजन्य व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, इसके पश्चात बताई गई सीमाओं के भीतर एक प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग हेतु।

----- 20.. जारी करने वाला प्राधिकारी

क्रम संख्या	जारी करने की अवधि	के लिए वैध	फीस	भुगतान की तारीख	विलंब से भुगतान के लिए अतिरिक्ति फीस	भुगतान की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
		किसी एक दिन में ठेका श्रमिक/कामगारों की अधिकतम संख्या					

संशोधन:

संशोधित किए जाने का वर्ष	किसी एक दिन में ठेका श्रमिक/कामगारों की अधिकतम संख्या	संशोधन फीस के भुगतान की तारीख	भुगतान की तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नामोद्दिष्ट प्राधिकारी के ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

प्ररूप -XXIII

(नियम-100 देखें)

ठेका कर्मचारी का अनुभव प्रमाणपत्र

जिससे भी संबंधित हो

1. ठेकेदार/नियोक्ता का नाम*:
2. ठेकेदार/नियोक्ता की एलआईएन/पेन की संख्या*:
3. ठेकेदार/नियोक्ता की ई-मेल आईडी *:
4. ठेका/नियोक्ता की मोबाइल संख्या *:
5. कार्य की प्रकृति और स्थान:
6. मुख्य नियोक्ता का नाम*:
7. मुख्य नियोक्ता की एलआईएन/पेन की संख्या:*
8. मुख्य नियोक्ता की ई-मेल आईडी: *
9. मुख्य नियोक्ता की मोबाइल संख्या:*
10. कामगार का नाम*:
11. यूएएन /आधार संख्या.:
12. मोबाइल संख्या. :
13. कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या :
14. बोर्ड की पंजीकरण संख्या, दिनांक और नाम यदि भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है:
15. रोजगार की अवधि:
16. पद:
17. निष्पादित कार्य
ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर
*जो भी लागू न हो वो काट दें।

प्ररूप -XXIV
(नियम-105 देखें)

निर्माता और श्रव्य-दृश्य कामगार के मध्य समझौता

प्रथम पक्ष में मैसर्स के मध्य.....कार्यालय में इस दिन.....माह.....वर्ष(जिसे इसमें इसके पश्चात 'निर्माता' कहा गया है) समझौता किया जाता है और दूसरे पक्ष में ? श्री/श्रीमति/कुमारी.....के पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(जिसे इसमें इसके पश्चात 'श्रव्य-दृश्य कामगार' कहा गया है) निवास.....में रहते हैं। 'निर्माता' और 'श्रव्य-दृश्य कामगार' में उनके उत्तराधिकारी, वंशज, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

अतः अब यह समझौता इस प्रकार है:

1. यह दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौते की अवधि श्रव्य-दृश्य कार्य के पूरा होने तक की तारीख से होगी और यह महीनों से अधिक नहीं होगी।
2. यह श्रव्य-दृश्य कामगार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल में, निर्माता द्वारा लिखित सूचना या लिखित रूप में उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जैसा मामला हो, उनकी पिछली कार्य की आवश्यकता के अधीन और उनकी सहमति पर, उनके संबंधित कार्य पर यथासमय जब उनकी आवश्यकता होगी उपस्थित होने के लिए सहमत होता है।
3. यह श्रव्य-दृश्य सेवाओं की विसंगति के रूप में, पूर्वोक्त रूप में, इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर अग्रिम के रूप में देय.....रूपये (रुपये) की राशि का निर्माता भुगतान करने और श्रव्य-दृश्य कामगार प्राप्त करने और समान किशतों में देय रुपये का शेष प्राप्त करने के लिए सहमत है।
4. यह कि श्रव्य-दृश्य उत्पादन यदि निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होता है और निर्माता को श्रव्य-दृश्य उत्पादन को पूरा करने के लिए अभी भी श्रव्य-दृश्य कामगार की सेवाओं की जरूरत है, तो निर्माता भुगतान करने तथा श्रव्य-दृश्य कामगार आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, जो उत्पादन के पूरा होने तक, ऊपर दिए गए खंड 3 की तरह से देय होगा।
5. यदि किसी प्रकार उपर्युक्त खंड 1 और 4 में निर्धारित अवधि की तुलना में श्रव्य-दृश्य कामगार का कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाता है तो निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार का पूर्ण भुगतान करेगा तथा पुनः-रिकॉर्डिंग कार्य / सेंसर के शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, शेष राशि का पूरा भुगतान करेगा।
6. यदि आवश्यक हो तो श्रव्य-दृश्य कामगार
 - (क) तैयारी के कार्य के लिए, शिफ्ट के निर्धारित समय से पूर्व, स्टूडियो, स्थान या कार्यस्थल पर, जैसा भी मामला हो, उपस्थित होना, और उस स्थिति में, निर्माता द्वारा दृश्य-श्रव्य कर्मों को ऐसी पूर्व उपस्थिति के लिए रुपये प्रति घंटा या उसके किसी भाग की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
 - (ख) कार्य दिवस की समाप्ति के पश्चात एक घंटे के विश्राम के साथ कार्य जारी रखना, और उस स्थिति में, दृश्य-श्रव्य कर्मों को विस्तारित घंटों के दौरान कार्य के लिए रुपये की दर से अतिरिक्त मजदूरी तथा जलपान और परिवहन सुविधाएं निर्माता द्वारा प्रदान की जाएंगी।

7. यह कि निर्माता और श्रव्य-दृश्य कामगार के प्रतिनिधि संगठनों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रथागत या निर्धारित किए अनुसार झूटी पर रहते समय वाहन और भोजन उपलब्ध कराएगा या झूटी पर रिपोर्ट करने के लिए आने-जाने के यात्रा भत्ते और भोजन भत्ते का भुगतान करेगा।

8. यह कि निर्माता सभी यात्रा और आवास खर्चों, किरायों, भोजन की लागत और ऐसे अन्य प्रथागत भत्तों का भी भुगतान करेगा जब श्रव्य-दृश्य कामगारों को बाहरी स्थल पर काम करना आवश्यक होता है।

9. यह कि निर्माता, दृश्य-श्रव्य कर्मी का उनके नियोजन के फलस्वरूप या उसके दौरान और/या इस अनुबंध के तहत उनके कार्य की अवधि के दौरान दुर्घटना से हुई किसी भी चोट या क्षति, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, के लिए बीमा कराएगा।

10. जहां आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उनके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से निर्माता को श्रव्य-दृश्य के उत्पादन का काम आगे बढ़ने से रोका जाता है: -तो

(क) वह उत्पादन निलंबित होने की स्थिति में उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान वह इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की तामील की तारीख तक अपने सभी देयों का भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन अवधि को छोड़कर खंड I में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा; या

(ख) वह पूरी तरह से उत्पादन बंद होने की स्थिति में, उत्पादन की समाप्ति से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य-दृश्य कामगार को देय सभी राशि का भुगतान करेगा।

11. यदि निर्माता इस समझौते के तहत आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य-दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उनकी अनिच्छा के संबंध में कदाचार के अलावा अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा। श्रव्य-दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को उनके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य-दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।

12. यह कि निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह श्रव्य-दृश्य कामगार के कर्तव्यों के पालन या समझौते के तहत आवश्यक सेवा करने के लिए उनकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य-दृश्य कामगार के ऑडियो-विज़ुअल में कुल काम और इस समझौते के समापन की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना करके, सेवा-समाप्ति के समय देय राशि का श्रव्य-दृश्य कामगार को भुगतान करने पर श्रव्य-दृश्य कामगार की ओर से कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त कर दे। इस खंड के तहत समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच के समक्ष साबित नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन और श्रव्य-दृश्य कामगार संगठन जिनमें निर्माता और श्रव्य-दृश्य कामगार क्रमशः शामिल हों, के प्रतिनिधि समान संख्या में हों। मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। फोरम द्वारा इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय देने और श्रव्य-दृश्य कामगार को उनके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस समझौते के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य-दृश्य कामगार को कार्यबद्ध कर सकता है।

13. इस समझौते की समयपूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य-दृश्य कामगार के काम को श्रव्य-दृश्य में बनाए रखे या नहीं, तथा इसी के साथ ही श्रव्य-दृश्य कामगार को यह विकल्प होगा फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

14. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य-दृश्य कामगार के व्यक्तित्व, उनके कपड़े, मेकअप और हेयर-स्टाइल का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, और श्रव्य-दृश्य कामगार इस संबंध में निर्माता की दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से और स्वेच्छा से

पालन करेंगे, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की अपेक्षाओं से श्रव्य-दृश्य कामगार को सूचित किया गया हो और उनके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

15. यह कि दृश्य-श्रव्य कर्मी इस बात पर सहमत है कि वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार अपनी सेवाएँ उस रीति से प्रदान करेगा जैसा कि निर्माता या उनके कहने पर दृश्य-श्रव्य निर्देशक निर्देशित करेंगे और वह उन सभी उचित निर्देशों का पालन करेगा जो फिल्म के निर्माण हेतु दिए जा सकते हैं।

16. यह कि श्रव्य-दृश्य कामगार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल, जैसा भी मामला हो, के सभी नियमों का पालन करेगा।

17. यह कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार के लिखित रूप में सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को इस समझौते के लाभ को असाइन या ट्रांसफर नहीं करेगा।

18. यह कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) का अध्याय-III के उपबंध इस समझौते पर लागू होंगे।

19. यह कि निर्माता श्रव्य-दृश्य कामगार की पूर्व अनुमति के बिना, इस समझौते के तहत श्रव्य-दृश्य के अलावा किसी भी फिल्म में श्रव्य-दृश्य कामगार के काम का उपयोग नहीं करेगा।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की उपस्थिति में और गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त तारीख, माह और वर्ष पर इस समझौते को स्वीकार किया है।

1. साक्षी	निर्माता	नाम और पता
2. साक्षी	श्रव्य-दृश्य कामगार	नाम और पता

प्ररूप-XXV
सुधार सूचना
(नियम 78 देखिए)

सेवा में,

प्रतिष्ठान का नाम

(नियोक्ता / मुख्य नियोक्ता / ठेकेदार)

पता

विषय: (प्रतिष्ठान का नाम) के संबंध में उपजीविका जन्य , सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, उपजीविका जन्य , सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2026, और उसके अधीन बनाए गए विनियमों, मानकों और आदेशों के अंतर्गत पाए गए उल्लंघनों के संबंध में नोटिस।

महोदय / महोदया,

(1) सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने (स्थान) पर स्थित (कार्य का नाम) के कार्य में लगे हुए (प्रतिष्ठान का नाम) का तारीख (तारीख) को निरीक्षण किया।

(2) निरीक्षण किए गए प्रतिष्ठान का विवरण और निरीक्षण के दौरान पाए गए उपजीविका जन्य , सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2026 विनियमों, मानकों, अधिसूचना और उसके अधीन दिए गए आदेशों के उपबंधों के उल्लंघन इसके साथ संलग्न हैं।

(3) आपको एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों / अनियमितताओं को सुधारें और इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट (स्पीड पोस्ट / इलेक्ट्रॉनिक माध्यम / निर्धारित पोर्टल के माध्यम से) प्रस्तुत करें, अन्यथा इस संबंध में आगे कोई पत्राचार किए बिना विधि के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

भवदीय,

निरीक्षक-सह-सुकारक

संलग्नक: यथोक्त

प्ररूप -XXVI

[नियम 182(1) देखें]

अपराध के शमन के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम:
2. पिता / पति/पत्नी का नाम:
3. आवेदक का पता:
4. स्थापन का नाम
5. अपराध का विवरण:
.....
.....
6. संहिता की वह धारा जिसके अंतर्गत अपराध किया गया है:
7. संहिता के अंतर्गत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जुर्माना:
.....
8. क्या आवेदक के विरुद्ध अभियोजन लंबित है या नहीं
.....
9. क्या यह अपराध पहला अपराध है, अथवा आवेदक ने इस अपराध से पूर्व कोई अन्य अपराध किया था? यदि हाँ, तो उस पूर्व अपराध का पूर्ण विवरण।
.....
.....
.....
10. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक देना चाहता है
.....
.....
.....

आवेदन
(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

प्ररूप-XXVII

[नियम 182(1) देखें]

अपराधों के शमन के लिए संहिता के नियमों के अधीन पहली बार किए गए अपराध के लिए नियोक्ता को नोटिस नोटिस नंबर..... तारीख:

मेरे सामने पेश किए गए रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर, नीचे हस्ताक्षर करने वाले के पास यह मानने के कारण हैं कि आपने, प्रतिष्ठान (रजिस्ट्रेशन नंबर.....) के नियोक्ता होने के नाते, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संहिता या स्कीम या मानकों या नियमों या उसके अधीन बनाए गए नियमितो के नियमों का उल्लंघन करने का अपराध किया है:-

भाग - I

1.	व्यक्ति का नाम:	
2.	प्रतिष्ठान का नाम और पता:	
3.	प्रतिष्ठान का पंजीकरण संख्या:	
4.	अपराध का विवरण:	
5.	संहिता/योजना/नियमों/विनियमों के वे उपबंध जिनके अधीन अपराध किया गया है:	
6.	अपराध के शमन के लिए भुगतान की जाने वाली शमन राशि:	
7.	क्रम संख्या 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करने के लिए खाते का नाम और विवरण:	

भाग - 2

उपर्युक्त के आलोक में, आपके पास यह विकल्प है कि आप इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, भाग-I की क्रम संख्या 6 में उल्लिखित पूरी राशि का भुगतान कर दें और इस नोटिस के भाग-3 में दिए गए आवेदन को विधिवत भरकर वापस भेज दें।

यदि उक्त राशि निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो इस संबंध में कोई और अवसर दिए बिना, अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख :

स्थान:

प्रति:

..... (नियोक्ता/स्थापन)

..... (नाम और पंजीकरण संख्या)

..... (पता)

भाग - 3
[नियम 182(2) देखें]

अपराध के शमन के लिए धारा 114 के अधीन आवेदन

संदर्भ: सूचना संख्या.....

तारीख :

अधोहस्ताक्षरी ने भाग-I की क्रम संख्या 6 में निर्दिष्ट पूरी राशि जमा कर दी है और भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है; साथ ही, भाग-I में उल्लिखित अपराधों के शमन का अनुरोध किया जाता है।

8. जमा की गई शमन राशि का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार की गई रसीद की प्रति संलग्न की जानी है):

9. यदि उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए कोई अभियोजन (मुकदमा) दायर किया गया है, तो उसका विवरण दिया जा सकता है:

10. क्या यह अपराध पहला अपराध है, या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था? यदि किया था, तो उस अपराध का पूरा विवरण दें:

11. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक देना चाहता है:

(हस्ताक्षर)
(अधिकारी का नाम एवं पदनाम)

तारीख :

स्थान:

प्रति:

.....(शमन अधिकारी)

.....(कार्यालय का नाम)

.....(पता)

भाग-4

[नियम 182(3) देखें]

शमन प्रमाण-पत्र

संदर्भ: सूचना संख्या.....

तारीख :

यह प्रमाणित किया जाता है कि धारा 114 के अधीन किया गया अपराध, जिसके संबंध में सूचना संख्या तारीख: _____ श्री.....
(आवेदक), जो (प्रतिष्ठान का नाम और पंजीकरण संख्या) के नियोक्ता हैं, को जारी की गई थी; उस अपराध का समझौता,
उक्त सूचना की संतुष्टि हेतु, अपराधों के समझौते की दिशा में (रुपये _____) की पूरी राशि की छूट के
कारण कर लिया गया है।

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख :

स्थान:

प्रति:

.....(नियोक्ता/ प्रतिष्ठान)

.....(नाम और पंजीकरण संख्या)

.....(पता)

[फा. सं. एस-65025/01/2021-आईएसएच.II]

आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 345(E).—Whereas the draft of the rules, as required under sections 133 and 134 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) was published in the Official Gazette *vide* G.S.R 934 (E), dated the 30th December 2025 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the Gazette notification were made available to the public on the 30th December, 2025;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, in exercise of the powers conferred by sections 133 and 134 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) and in supersession of the-

1. Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Rules, 1990;
2. Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) (Central) Rules, 1998;
3. Mines Rules, 1955;
4. Mines Rescue Rules, 1985;
5. Mines Vocational Training Rules, 1966;
6. Pithead Bath Rules, 1959;
7. Mines Crèche Rules, 1966;
8. Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971;
9. Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1979.
10. Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Rules, 1957;
11. Cine-Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Rules, 1984;
12. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Rules, 1976;
13. Ease of Compliance to Maintain Register under various Labour Laws Rules, 2017 to the extent these rules are made in exercise of the powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996); section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970); section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979); section 58 read with section 59 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952); section 12 of the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act,

1976 (11 of 1976); section 20 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) and applicable accordingly;

14. Working Journalist (Fixation of Rates of Wages) Rules, 1958; and

15. Working Journalists and Other Newspaper Employees Tribunal Rules, 1979,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Central Government hereby makes the following, rules, namely:-

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the **Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.**

(2) They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Code” means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020);

(b) “FORM” means FORMS annexed in Annexure VII to these rules;

(c) “Officer in charge of canteen” means the person (other than manager) appointed by the employer for securing compliance with the provision in respect of canteen under the code.

(d) “Annexure” means list annexed to these rules;

(2) The words and expressions used in these rules and are not defined therein, but are defined in the Code, shall have meanings respectively assigned to them in the Code.

CHAPTER II

REGISTRATION

3. Application for registration.- (1) An employer seeking registration for an establishment shall apply electronically in **FORM-I** containing the particulars of the establishment, accompanied by documents relating to registration of the establishment, proof of identity and address on the Shram Suvidha Portal or Portal as may be designated by the Central Government by giving details about the establishment.

(2) Where an application under sub-rule (1) is complete in all respects, the certificate of registration shall be issued in **FORM-III** electronically forthwith, but in any case not later than seven days from the date of submission of complete application:

Provided that if the certificate of registration is not issued within the period specified, the establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto-generated in **FORM-III**.

(3) The late fee for registration after expiry of sixty days from the date of notification of these rules, shall be specified through general or special order by the Central Government issued from time to time.

(4) The certificate of registration shall be non-transferable and shall be displayed at conspicuous places within the premises of the establishment.

(5) Where an employer fails to comply with the requirements of sub-rule (1), the Registering Officer under the Code may, by order, direct such employer to comply with such requirements within the time specified in such order.

(6) An employer of an establishment already registered under any other Central labour laws for the time being in force shall within six months from the date on which rules come into force, update the registration particulars in **FORM-I**:

Provided that no such cancellation shall be made unless the establishment has been given an opportunity to show cause, within a period of thirty days, either electronically or by speed post, as to why the certificate of registration should not be cancelled.

(7) The employer shall quote the registration number on all documents prepared or completed by the employer in connection with the rules or the schemes, made thereunder and in all correspondence with the office concerned.

(8) Any change in the particulars furnished in **FORM-I** shall be updated on the portal by the employer within thirty days of such change and where the application for amendment is complete in all respects, the amended certificate of registration shall be issued electronically in **FORM-III** not later than seven days from the date of submission of complete application,

failing which amended certificate of registration shall be auto generated.

- (9) The registering officer shall maintain in **FORM-V** showing the particulars of establishment in relation to which certificates of registration have been issued.
- (10) The employer shall within thirty days of the closing of the establishment other than mines, intimate to the Registering Officer and also to Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction in the area where the establishment is situated intimating the actual date of closing of establishment in **FORM-II** along with certificate of payment of all dues and statutory returns to the workers employed in such establishments and such information shall be auto-shared to Employees' Provident Fund Organisation and Employees' State Insurance Corporation.
- (11) On receipt of **FORM-II** complete in all respects, the registering officer shall cancel the certificate of registration and issue cancellation of certificate of registration in **FORM-IV** electronically within sixty days from the receipt of **FORM-II**. If registering officer fails to cancel the registration certificate of the establishment within sixty days then the cancellation of registration certificate shall be auto generated in **FORM-IV**.

4. Notice of commencement and cessation of operation.- (1) The employer of establishment relating to contract labour or building or other construction work shall within thirty days of the commencement or cessation of operation of the establishment, submit a notice in **FORM-VI** to the registering officer and also to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction in the area where the establishment is situated.

(2) The notice of cessation of operation under sub-rule (1) shall be accompanied by a certificate stating that the payment of all dues to the workers employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Provided that in the case of mines, the employer of every mine shall give not less than thirty days' prior notice of the commencement, reopening, cessation, discontinuation or abandonment of operations or closing of mines in **FORM- VII**.

CHAPTER III

DUTIES OF EMPLOYER AND EMPLOYEE

5. Annual health examination of employees.- (1) Every employer of dock work, building or other construction work shall arrange to conduct free of cost, **medical examination for employee**, who has **completed forty years of age**.

(2) The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner and a certificate shall be provided **FORM-VIII** to both the employer and employee:

Provided that an employer may avail the facility for medical examination of the employees through the Employees' State Insurance Corporation:

Provided further that in case of mines, additional tests and conditions of annual medical examinations of employees shall be governed under Rule 109.

6. Letter of appointment to employee.- No employee shall be employed in any establishment unless an appointment letter has been issued to such employee in the format given below:

Format

- (i) Name of employee:
- (ii) Date of birth:
- (iii) Father's / Mother's name:
- (iv) Aadhaar number (after obtaining consent):
- (v) Labour Identification Number of the establishment:
- (vi) Universal Account Number and / or Insurance Number (if available):
- (vii) Designation:
- (viii) Type of Employment (Regular/Fixed-term employment/Contractual):
- (ix) Category of skill:
- (x) Date of joining:
- (xi) Wages/Basic/Pay and Dearness Allowance:
- (xii) Other allowance including accommodation whichever is/are applicable:
- (xiii) Applicability of social security [Employees' Provident Fund Organisation and Employees' State Insurance Corporation] benefits:
- (xiv) Broad Nature of duties to be performed:
- (xv) Benefits available under Chapter VI (Maternity Benefit) of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) (in case of women employee):
- (xvi) Any other information:

Signature / Digital Signature
of Employer

7. Notice of accidents and dangerous occurrences.- (1) Where at any place in an establishment, an accident occurs resulting to death, the employer of the establishment shall inform to the Inspector-cum-Facilitator forthwith in a notice in **FORM-XI** and inform electronically and by telephone to the Chief Inspector-cum-Facilitator(s), Inspector-cum Facilitator(s), District Magistrate or Sub-divisional Officer and the officer-in-charge of the jurisdictional police station and the family members or kin of the victim.

(2) Where at any place in an establishment, an accident occurs which results in bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of forty eight hours or more immediately following the accident, the employer of the establishment shall inform in

FORM-XI within twelve hours after the completion of forty-eight hours, electronically to the Inspector-cum-Facilitator(s).

(3) Where in any establishment, dangerous occurrence as specified in sub-rule (4), whether causing any bodily injury or disability or not, the employer shall within twelve hours send an intimation to-

- (i) the Inspector-cum-Facilitator; and
- (ii) the District Magistrate or Sub-divisional Officer:

Provided that if in case of an accident or dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or dangerous occurrence after the notices referred to in the foregoing sub-rules have been sent, the employer of the establishment shall forthwith send a notice thereof by telephone and electronically to the authorities and persons mentioned in sub-rules (1) and (2) and also have this information confirmed in writing within twelve hours of the death:

Provided further that, if the period of disability from working for forty-eight hours or more referred to in sub-rule (2) does not occur immediately following the accident, or the dangerous occurrence, but later on occurs in more than one spell, the report there of shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator and District Magistrate or Sub-divisional Officer; in the **FORM-XI** within twenty-four hours following the hours when the actual total period of disability from working resulting from the accident or the dangerous occurrence becomes forty-eight hours.

(4) The following classes of dangerous occurrences, whether or not they result in bodily injury or disablement:

- (i) bursting, of any plant or pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air or other substance at a pressure greater than the atmospheric pressure;
- (ii) collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist or other appliances used in raising or lowering persons or goods, or any part thereof, or the overturning of a crane;
- (iii) explosion, fire, leakage or release of harmful toxic gases, bursting out, leakage or escape of any molten metal or hot liquid or gas causing bodily injury to any person or damage to any room or place in which persons are employed;
- (iv) explosion of a receiver or container used for the storage at pressure greater than atmospheric pressure of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas;
- (v) collapse or failure of lifting appliances or hoists or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears; overturning of cranes used in building or other construction work;
- (vi) a spontaneous heating or outbreak of fire or appearance of smoke or other indication of heating or outbreak of fire in belowground mines;
- (vii) collapse or subsidence of floor, gallery, roof bridge, tunnel, chimney, wall, building or

- subsidence of soil or any other structure, platform, staging, scaffolding or any means of access including formwork; contact work, excavation and collapse of transmission;
- (viii) spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container;
 - (ix) an eruption or inrush of water or other liquid matter in mines;
 - (x) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment within the establishment;
 - (xi) fall from a height of any excavation, loading or transport machinery, falling of objects from a height;
 - (xii) an instantaneous failure of a pillar, part of a pillar or several pillars in working below ground;
 - (xiii) a rock-burst in working below ground; a premature collapse of any part of the working;
 - (xiv) a breakage, fracture or failure of a part of any machinery or apparatus including any derrick, draw-works, casing line or failure of emergency brake, whereby the safety of persons may be endangered;
 - (xv) a slide causing injury to any person, damage to any machinery or interruption of normal mining operations;
 - (xvi) failure of dump or side in opencast working;
 - (xvii) a failure of any structure or installation whereby the safety of persons may be endangered;
 - (xviii) an uncontrolled chemical spillage;
 - (xix) a blowout in case of oil mines;
 - (xx) spark generated due to electrical flash-over causing burn injury to any person;
 - (xxi) an explosion or ignition in mines;
 - (xxii) an influx of inflammable or noxious gases in belowground or oil mines;
 - (xxiii) any accident due to explosives in mines;
 - (xxiv) a breakage or fracture of rope, chain, headgear, pulley or axle or bearing thereof or other gear by which persons or materials are lowered or raised in a below ground mine;
 - (xxv) an overwinding or hard landing of cages or other means of conveyance while persons or materials are being lowered or raised in a below ground mine;
 - (xxvi) a breakage or fracture of any part of the winding engine, crankshaft, coupling, bearing, gearing, clutch, drum or drum shaft or failure of emergency brake in a below ground mine;
or
 - (xxvii) any other occurrence as specified through general or special order by the Central Government issued from time to time.

8. Notice of disease.- (1) Where in any establishment, a worker contracts any disease specified in the Third Schedule to the Code, the employer of the establishment shall send a notice

forthwith either electronically or by speed post, to the Inspector-cum Facilitator or Chief Inspector-cum-Facilitator in the following format namely:-

NOTICE OF DISEASE

- (1) Name and address of the employer:
 - (2) Name and address of establishment:
 - (3) Nature of establishment:
 - (4) In case of mines, the name of the mineral:
 - (5) Details of Patient:
 - (a) Name of Patient:
 - (b) Worker number of Patient:
 - (c) Address of patient:
 - (d) Precise occupation of patient:
 - (6) Nature of disease from which patient is suffering:
 - (7) Date of detection of disease:
 - (8) Details of qualified medical practitioner:
 - (9) Has the case been reported to the Medical Officer:
- Date:

Signature of employer

(2) Where qualified medical practitioner attends to a person who is or has been employed in an establishment and who is or is believed by the qualified medical practitioner to be suffering from any disease specified in the Third Schedule to the Code, the medical practitioner shall forthwith send the report in writing to the Chief Inspector-cum-Facilitator stating-

- (a) the name and full postal address of the patient;
- (b) the disease from which qualified medical practitioner believes the patient to be suffering;
- and
- (c) the name and address of the establishment in which the patient is or was last employed.

9. Duties of employee.- (1) Where any employee becomes aware of an unsafe or unhealthy condition in the establishment, such employee shall as soon as practicable report the matter to the employer or health and safety representative or safety officer or official for their workplace or agent or manager in case of mine.

(2) The representative, safety officer, official, agent or manager, as the case may be, shall thereupon report the matter to the employer immediately.

10. Rights of employee.- On receipt of information from any employee regarding the existence of an imminent danger to safety and health of employees in the establishment, the employer shall take immediate remedial action and whether employee is satisfied with the remedial measures or not, shall send a report of actions taken, to the Inspector-cum-Facilitator electronically or by speed post.

CHAPTER IV

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

11. Provisions relating to National Occupational Safety and Health Advisory Board.-

- (1) The Members of the National Board as specified in clauses (g), (j), (k), (l) and (m) of sub-section(2) of section 16 shall be appointed by the Central Government through notification.
- (2) The National Board may meet to discharge the functions as under sub-section (1) of section 16 as and when required.
- (3) A Member of the National Board, not being an ex officio member, may resign from their office by a letter in writing addressed to the Chairperson of the National Board.
- (4) The seat of such a Member shall fall vacant from the date on which their resignation is accepted by the Central Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by the Central Government whichever is earlier.
- (5) If any Member of the National Board, not being an ex officio member, fails to attend three consecutive meetings of the National Board, without obtaining the leave sanctioned by the Chairperson of National Board for such absence, they shall cease to be a member of National Board:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such Member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such Member shall continue to be a Member of National Board.

(6) A person shall be disqualified for being a Member of the National Board-

- (a) if person is of unsound mind and stands so declared by a competent authority;
- (b) if person is an undischarged insolvent; or
- (c) if person has been convicted for an offence, having a penalty of imprisonment of three months or more;

(7) The Central Government may remove any Member of the National Board, if in its opinion such Member has ceased to represent the interest which such member purports to represent on such National Board:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to such member of making representation against the proposed action under this rule.

- (8) The travelling allowance of an official Member of the National Board shall be governed by the rules applicable to such members for journey performed on official duties and shall be paid by the authority paying for the salary of the members.
- (9) The non-official Members of the National Board shall be paid travelling allowance for attending the meeting of the National Board at such places in accordance with the instructions issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.

12. Technical Committees or Advisory Committees.-

- (1) The Central Government may constitute one or more Technical Committees or Advisory Committees for the purpose of assisting the National Board in discharge of its functions specified in sub section (1) of section 16 of the Code, for such period as in the order constituting Technical Committees or Advisory Committees.
- (2) The Technical Committees or Advisory Committees may be multi-members Committee and consist of members from a government, public, autonomous, private institutions or industries, research, academic institutions or occupational health.
- (3) The members of the committee shall have Bachelor's degree in engineering with Diploma or post-graduate diploma in industrial safety or Master's Degree in Physics or Chemistry or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Associate Fellow of Industrial Health, with an experience of not less than twenty years in regulatory body or industry or research or academic institutions or occupational health may be nominated to the technical committee or advisory committee.
- (4) In case of mines, a member having Bachelor's degree in Mining engineering with First Class Manager's Certificate of Competency to manage a coal or metalliferous mine or Master of Engineering or Master of Technology or Doctor of Philosophy in mining or mechanical or electrical engineering or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, with experience of not less than twenty years in regulatory body or industry or research or academic institutions or occupational health may be nominated to the technical committee or advisory committee.
- (5) The Chairperson of the Technical Committees or Advisory Committees shall be nominated by the Central Government.
- (6) The Technical Committee or Advisory Committees may constitute sub-committees to meet the specific requirements.
- (7) The Technical Committee or Advisory Committees shall follow such rules and procedure including its transaction of business as may be specified through general or special order by

the Central Government or National Board, issued from time to time.

- (8) Travelling allowance for non-official members of the Technical Committee or Advisory Committees shall be as per the instructions by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, issued from time to time.
- (9) A member of the Technical Committees or Advisory Committees, not being an ex officio member, may resign from their office by a letter in writing addressed to the Central Government through the Chairperson of the Technical Committees or Advisory Committees.
- (10) A Chairperson of the Technical Committees or Advisory Committees may resign from their office by a letter in writing addressed to the Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India.
- (11) The seat of such a member or Chairperson as the case may be, shall fall vacant from the date on which their resignation is accepted by the Central Government or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by Central Government whichever is earlier.
- (12) If any member of the Technical Committees or Advisory Committees, not being an ex officio member, fails to attend two consecutive meetings of such Committee, without obtaining the permission of the Chairperson of such Committee for such absence, such member shall cease to be a member of such Committee:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending two consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of such Committee.

- (13) (i) A person shall be disqualified for being a member of the Technical Committees or Advisory Committees —

- (a) if person is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

- (b) if person is an undischarged insolvent; or

- (c) if person has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude.

- (ii) Where a question arises as to whether a disqualification has been incurred under clause (i), the Central Government shall decide such question and such decisions should be treated as final.

- (14) The Central Government may remove any member or Chairperson of the Technical Committees or Advisory Committees, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which such member purports to represent on such Committee:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to such member of making a representation against the proposed action under this rule.

13. Collection of statistics and portal for inter-State migrant workers.—The employer shall furnish to the Central Government, the detail statistics of inter-State migrant workers and of their occupational safety and health, electronically on web portal designated for the purpose by the Central Government as may be specified through general or special order by the Central Government issued from time to time.

14. Safety Committee.— (1) Every establishment employing five hundred or more workers shall constitute a Safety Committee consisting of representatives of employers and workers. (2) The Central Government may by general or special order specify varying threshold of workers for different classes of establishments issued from time to time.

(3) The tenure of the Safety Committee shall be for three years and it shall meet at least once in every quarter.

Provided that in the case of mines, the Safety Committee shall meet at least once in a month.

(4) The Safety Committee shall be adequately and suitably informed of—

- a. potential safety and health hazards to which the workers may be exposed at workplace; and
- b. data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of employees of such establishments.

(5) The employer shall, within fifteen days from the date of receipt of the recommendations of the Safety Committee take action to implement such recommendations.

15. Composition of Safety Committee.— (1) The representatives of the management on Safety Committee, except in mine, shall consist of—

- (i) a senior official, who by their position in the organisation can contribute effectively to the functioning of the Committee, shall be the Chairman;
- (ii) a Safety Officer and qualified medical practitioner wherever available and the Safety Officer shall act as Secretary of the Committee; and
- (iii) One representative from the production, maintenance and purchase departments.

(2) The Safety Committee shall consist of an equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed twenty;

(3) the representatives of the employer in the Safety Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as possible, be officials directly associated with the working of the establishment, preferably the heads of major departments of the establishment;

(4) the representative of the workers in the Safety Committee shall be chosen in the following manner, namely: -

- (a) where there is a sole negotiating union or a negotiating council or negotiating union, shall nominate the worker's representatives on the Safety Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in negotiating council shall be represented in the Safety Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Unions;
- (b) where there is no sole negotiating union or negotiating union or negotiating council as referred in the clause (a), the workers of the establishment shall choose amongst themselves:

Provided that the employer may, deploy an electronic process for choosing representative of workers:

Provided further that there shall be adequate representation of women and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total number of workers employed:

Provided also that in case there is no recognized both negotiating union or negotiating council and where any dispute arises regarding choosing of the worker's representative to the Safety Committee, the matter may be referred to the concerned Regional Labour Commissioner (Central), who shall after hearing the parties decide the matter and the decision of Regional Labour Commissioner (Central) shall be final.

- (c) the tenure of the members of the Safety Committee shall be three years.

(5) The minutes of the meeting of the Safety Committee shall be recorded.

(6) The function and duties of the Safety Committee in an establishment shall include –

- (i) assisting and cooperating with the management in achieving the aims and objectives outlined in the 'Safety and Health Policy of the establishment;
- (ii) dealing with all matters concerning health, safety and environment and to arrive at practicable solutions to problems encountered;
- (iii) creating safety awareness amongst all workers;
- (iv) undertaking educational, training and promotional activities;
- (v) discussing reports on safety, environmental and occupational health surveys, safety audits, risk assessment, emergency and disaster management plans and implementation of the

- recommendations made in the reports;
- (vi) looking into the matters likely to cause danger to the safety and health of the workers and suggesting corrective measures; and
- (vii) reviewing the implementation of the recommendations made by it.

16. Composition of Safety Committee in mines. – (1) The Safety Committee shall consist of an equal

number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed twenty.

(2) The representative of the employer on safety committee, in the mine shall be nominated by the employer and shall, as far as possible, be officials in direct touch with or associated with the workings of the mine, preferably the heads of major departments of the mine and will consists of;

- (a) the manager referred to in section 67 of the Code shall be the Chairman;
- (b) five officials or competent persons of the mine nominated by the Chairman;
- (c) the Safety Officer, or where there is no safety officer, the senior most official next to the manager, who shall act as Secretary to the Committee;

(3) The representative of the workers in the Safety Committee shall be chosen in the following manner, namely: -

- (a) where there is a sole negotiating union or a negotiating council or negotiating union, shall nominate the worker's representatives on the Safety Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in negotiating council shall be represented in the Safety Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Unions.
- (b) where there is no sole negotiating union or negotiating union or negotiating council as referred to the clause (a), the workers of the establishment shall choose amongst themselves:

Provided that, the employer may, deploy an electronic process for choosing representative of workers:

Provided further that there shall be adequate representation of women workers on the Safety Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total number of workers employed.

Provided also that in case there is no recognised negotiating union or negotiating council and where any dispute arises regarding the choice of the representative to the Safety Committee, the matter may be referred to the concerned Regional Labour Commissioner (Central), who shall after hearing

the parties decide the matter and the decision of Regional Labour Commissioner (Central) shall be final.

Provided also that the workers representatives at least one each from mining, electrical and mechanical discipline shall be nominated or elected as the case may be:

(c) the tenure of the members of the Safety Committee shall be three years.

17. Functions of Safety Committee in case of Mines.— The functions of the Committee shall be-

- (a) to discuss remedial measures against the unsafe conditions and practices in the mine as pointed out in the reports of representative brought to the notice of the Committee and make appropriate recommendations;
- (b) to consider, before commencement of operations in any, new area of the mine or installations of oil mine or commissioning of new electrical or mechanical installation or introduction of new mining technique, the proposed safety and health measures;
- (c) to discuss the report of inquiry into accident, dangerous occurrences etc., and make appropriate recommendations;
- (d) to formulate and implement appropriate Safety Campaigns based on analysis of accidents and dangerous occurrences;
- (e) to serve as a forum for communication on Safety and occupational health matters; and
- (f) to discuss the standard operating procedures (SOP) prepared for different plant, equipment, installations and methods at the mine and make appropriate recommendations.
- (g) to review the Safety Management Plan.

18. Safety officer for Dock Work and Building or Other Construction Work.- (1) In every establishment of dock work wherein five hundred or more workers and building or other construction work wherein two-hundred and fifty or more workers are ordinarily employed, the employer shall employ safety officer as per the scale mentioned below:-

(a) For dock work-

- (i) up to 1000 workers - one safety officer;
- (ii) up to 2000 workers – two safety officers;
- (iii) up to 5000 workers – three safety officers;
- (iv) up to 10,000 workers – four safety officers;
- (v) for every additional 5000 workers or part thereof- one safety officer.

(b) For building or other construction work-

- (i) up to 500 workers- one safety officer;

- (ii) up to 1000 workers – two safety officers;
 - (iii) up to 2000 workers – three safety officers;
 - (iv) up to 5,000 workers –four safety officers ;
 - (v) for every additional 2000 workers or part thereof- one safety officer.
- (2) A person shall not be eligible for appointment as a safety officer relating to dock work or building or other construction work unless possesses –
- (a) a recognised degree in any branch of engineering or technology and has had practical experience of working in a supervisory capacity for a period of not less than two years; or
 - (b) a recognised degree in physics or chemistry and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than five years; or
 - (c) a recognised diploma in any branch of engineering or technology and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than five years;
 - (d) possesses a degree or diploma in industrial safety recognised by the Central or State Government; or post-graduate diploma in industrial safety from Central Labour Institute or Regional Labour Institutes under Directorate General of Occupational Safety and Health.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), any person who –
- (a) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than five years in a department of the Central Government or the State Government which deals with the administration of legislations pertaining to the factories or building or other construction works or dock works;
 - (b) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than five years in training, education, consultancy, or research in the field of accident prevention in industry or in any institution; shall be eligible for appointment as a Safety Officer.

19. Duties of Safety Officers in case of dock work and building or other construction work.-The

duties of a Safety Officer shall be to advise and assist in the fulfilment of statutory obligations, concerning prevention of personal injuries and maintenance of a safe working environment and shall include the following, namely:-

- (a) advising the concerned departments in planning and organising measures necessary for the effective control of personal injuries;
- (b) advising on safety aspects in all job studies and to carry out detailed job safety studies of selected jobs;
- (c) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;
- (d) to provide advice on matters related to carrying out safety inspections;
- (e) to carry out plant safety inspections observe the physical conditions of work and the work practices and procedures followed by workers and to render advice on measures to be

adopted for removing the unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by workers;

- (f) to render advice on matters related to reporting and investigation of accidents, dangerous occurrences and diseases;
- (g) to investigate selected accidents and dangerous occurrences ;
- (h) to investigate the cases of notifiable diseases listed in the Third Schedule to the Code;
- (i) to organise in association with the concerned departments, campaigns, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the workers in establishing and maintaining safe conditions of work and procedures;
- (j) to design and conduct either independently or in collaboration with the training department, suitable training and educational programme for the prevention of personal injuries; and
- (k) the safety officer shall maintain in a bound paged book or in retrievable and non-editable electronic form a detailed record of the work performed by safety officer.

20. Safety officer in case of mines.- (1) At every mine, wherein one hundred or more workers are ordinarily employed, the employer shall appoint safety officer on a scale of one up to five hundred workers and an additional one for every additional five hundred workers or part thereof.

(2) The Safety Officers shall possess the qualifications, namely:-

(a) in case of coal mine-

- (i) for belowground mines, person holding First Class Manager's Certificate of Competency (Coal), granted by Directorate General of Mines Safety;
- (ii) for opencast mines, person holding First Class Manager's Certificate of Competency (Coal) or First Class Manager's Certificate of Competency (Coal) restricted to mines having opencast workings only, granted by Directorate General of Mines Safety;

(b) in case of metalliferous mines-

- (i) for belowground mines, person holding First Class Manager's Certificate of Competency (Metal), granted by Directorate General of Mines Safety;
- (ii) for opencast mines, a person holding a Manager's Certificate of Competency (Metal) or a Manager's Certificate of Competency (Metal) restricted to mines having opencast workings only, granted by the Directorate General of Mines Safety;

(c) in coal and metalliferous mines wherein more than one safety officer is appointed under sub-rule (1), a safety officer with degree in mechanical engineering may also be appointed, who shall report to the safety officer from mining engineering.

(d) In case of oil mines, a safety officer shall have a degree in engineering or in industrial safety from an educational institution recognised by the Central or State Government or post-graduate diploma in industrial safety from the Central Labour Institute or the Regional Labour Institutes under Directorate General of Occupational Safety and Health and having experience in the management or supervision of operations in oil mines for a period of not less than five years.

21. Duties of Safety Officer in case of mines.- (1) It shall be the duty of the safety officer in a mine to assist the manager in matter relating to safety in the mine.

- (2) The Safety Officer shall ensure that an appropriate emergency plan is in place and the requirements of the same are implemented.
- (3) Except in an emergency, no duties other than those specified in sub-rule (1) and sub-rule (5) shall be assigned to the safety officer.
- (4) The safety officer shall maintain in a bound paged book or in retrievable and non-editable electronic mode a detailed record of the work performed by safety officer.
- (5) The duties of the safety officer shall be-
 - (a) to visit the surface, aboveground and underground parts of the mine, installations of the oil mine, with a view meeting the employees on the spot, to talk to them on matters of safety and invite suggestions thereon;
 - (b) to take charge of the newly recruited staff and show them around the mine pointing out the safe and unsafe acts during the course of their work in the mine;
 - (c) to investigate all types of accidents, dangerous occurrences and incidents in the mine including minor accidents and to analyze the same with a view to pinpointing the nature and common causes of accidents and dangerous occurrences in the mine;
 - (d) to maintain detailed statistics about mine accidents and to analyse the same with a view to pinpointing the nature and common causes of the accidents in the mine;
 - (e) to study and apprise the manager referred to in section 67 of the Code, of all possible sources of danger such as inundation, fire, coal dust, blowout in oil mines and others;
 - (f) to hold safety classes and give safety talks and lectures to the members of the supervisory staff;
 - (g) to organise safety weeks and other safety education programmes in mines;
 - (h) to see that all concerned mine employees are fully conversant with various standing orders, code of practice, support plan, and like other matters;
 - (i) assist in the formulating of programme for training at the mine level, including vocational training, training in gas testing, fire-fighting and first aid, and like other matters;
 - (j) to report to the manager referred to in section 67 of the Code as a result of visits to the various parts of mine, as to whether the provisions of the Code, and the rules and regulations made thereunder are being complied with in the mine; and
 - (k) to promote safe practices generally and to lend active support to all measures intended for furthering the cause of safety in the mine and follow up measures for compliance.

CHAPTER V
HEALTH, SAFETY AND WORKING CONDITIONS
A. FACTORIES

22. Cleanliness and hygiene.- Employer of every factory shall ensure that: -

- (i) all workplaces, workrooms, passageways, staircases, storerooms and service rooms are kept in sanitary and hygienic condition;
- (ii) surfaces of walls and ceilings, including windows and skylights, are always kept clean and maintained in a hygienic condition;
- (iii) the floor of every workroom is maintained in a clean and so far as is reasonably practicable, dry and non-slippery condition;
- (iv) where wet work processes are carried out—
 - (a) effective drainage is maintained;
 - (b) false floors, platforms, mats or other dry standing places are provided; and
 - (c) anti-skid footwear and other suitable safety and protective gears for use while at work in such place are provided without expense to the employees;
- (v) workrooms are cleaned as often as required by the nature of the work carried on;
- (vi) as far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - (a) during intervals between work; and
 - (b) in such a manner as to prevent the raising of dust;
- (vii) where, for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination of the air with dust or other obnoxious substances;
- (viii) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of every type of waste are made under the effective supervision.

23. Ventilation, temperature and humidity.- Employer of every factory shall ensure that:-

- (i) suitable atmospheric conditions are maintained in workplaces, by natural or artificial means, to avoid insufficient air supply, stagnant or vitiated air, harmful draughts, excessive heat or cold, sudden variations in temperature, and where practicable, having regard to the nature of the processes carried on, to avoid excessive humidity or dryness, and objectionable odours;

- (ii) steps are taken as are necessary to provide at all workplaces of the factory, adequate ventilation to clear away smoke and fume, steam and dust, to dilute gases that are inflammable or noxious so as to render them harmless;
- (iii) adequate and sufficient measures are taken to protect the employees from exposing to extreme weather conditions by suitably changing the working hours, providing protective clothes or other suitable provisions, as necessary free of charge;
- (iv) where an adequate supply of fresh air cannot be obtained by natural ventilation or where it is difficult to get the desired amount of air to the workroom without creating uncomfortable draughts near the inlets, mechanical ventilation is provided;
- (v) where local heating apparatus, as may be necessary owing to the nature of work, are installed in workrooms, the layout of the apparatus in the room shall be such that combustion gases are prevented from entering the atmosphere of the room;
- (vi) temperature suitable for the type of work performed is maintained in workrooms and the degree of humidity be maintained for comfort of the workers;
- (vii) where owing to the nature of work, excessive high temperatures are generated, all employees shall be protected, either by heat insulation of the equipment or by other suitable means, against heat radiation and excessive temperature generated due to steam or hot-water pipes or other hot surfaces.

24. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities. - Employer of every factory shall ensure that:-

- (i) wherever exhaust systems for removal of flammable fumes, gases, mists, vapors or residues are required to be installed, they are not to be connected to any other ventilating system or discharged into a chimney or flue used for conveying gases of combustion;
- (ii) when fumes, gases, mists, vapors, dust and other refuse discharged from exhaust systems is likely to have adverse effect on the health or noxious for the employees or the neighborhood, the exhaustion shall be effected through a system that neutralizes toxic substances, sterilize infectious substances and deodorize fumes, gases, mists or vapors;
- (iii) no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until practicable measures have been taken to bring the levels of noxious gas, fume, vapour or dust, which may be present, within the permissible limits.

25. Artificial humidification.— Employer of every factory in which humidity of the air is artificially increased shall ensure that:-

- (i) if employees are exposed in all or some of their tasks to extreme heat and high humidity, and the hazard cannot be eliminated, then the risks to safety and health shall be assessed and the controls necessary to reduce the hazard or risks shall be effected;

- (ii) the above risk assessment takes into account including the use of appropriate protective clothing against hazardous substances that can increase the risk of heat stress and also that respiratory protectors are uncomfortable and less likely to be used in extremely hot working environments;
- (iii) where part of the risk arises from the metabolic heat produced during work or from direct exposure to sunlight and high outdoor air temperatures and when other methods of eliminating the risk are impracticable, a work-rest cycle for exposed employees, preferably in a shaded, air-conditioned or cooler resting space shall be provided to allow the employee to recover;
- (iv) to maintain hydration, sufficient quantities of drinking water, with the proper electrolytes, where appropriate, are provided at easily accessible places;
- (v) where a residual risk of heat stress remains even after all the practical control measures have been taken, employees are to be adequately supervised so that they can be withdrawn from the hot and humid conditions if symptoms occur. Also, that first-aid facilities, and staff is trained in the use of such facilities, are available;
- (vi) employees exposed to extreme hot and humid conditions are instructed and trained:
 - (a) to recognise symptoms which may lead to heat stress, in themselves or others, and the steps to be taken to prevent onset and or emergencies; and
 - (b) in the action to be taken in the event of the increased risk of accidents because of high temperatures or humidity;
- (vii) tests for determining the relative humidity of the air are carried out and recorded and if humidity level of the air is found to be harmful to the health of employees, it is artificially regulated in such a manner that humidification and temperature do not cause discomfort to employees and the water used for the purpose is taken from public supply or other source of drinking water or is purified before it is so used;
- (viii) Instruments for measurement and recording of humidity and temperature at appropriate location are provided and maintained.

B. MINES

26. Cleanliness and hygiene.- The employer of every mine shall ensure that: -

- (i) all workplaces, workrooms, passageways, staircases, storerooms and service rooms are kept in sanitary and hygienic condition;
- (ii) surfaces of walls and ceilings, including windows and skylights, are always kept clean and

- maintained in a hygienic condition;
- (iii) the floor of every workroom is maintained in a clean and so far as possible, dry and non-slippery condition;
- (iv) where wet work processes are carried out—
 - (a) effective drainage is maintained;
 - (b) false floors, platforms, mats or other dry standing places are provided; and
 - (c) anti-skid footwear and other suitable safety and protective gears for use while at work in such place are provided without expense to the employees;
- (v) workplaces are cleaned as often as required by the nature of the work carried on;
- (vi) as far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - (a) during intervals between work; and
 - (b) in such a manner as to prevent the raising of dust;
- (vii) where, for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination of the air with dust or other obnoxious substances;
- (viii) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of every type of waste are made under the effective supervision.

27. Ventilation, temperature and humidity.- The employer of every belowground mine shall ensure that: -

- (i) suitable atmospheric conditions are maintained in workplaces, by natural or artificial means, to avoid insufficient air supply, stagnant or vitiated air, harmful draughts, excessive heat or cold, sudden variations in temperature and where practicable, having regard to the nature of the processes carried on, to avoid excessive humidity or dryness, and objectionable odours;
- (ii) steps are taken as are necessary to provide at all workplaces of the belowground mine, adequate ventilation to clear away smoke, fume, steam and dust, to dilute gases that are inflammable or noxious so as to render them harmless;
- (iii) adequate and sufficient measures are taken to protect the employees from exposing to extreme weather conditions by suitably changing the working hours, providing protective clothes or other suitable provisions, as necessary;
- (iv) where an adequate supply of fresh air cannot be obtained by natural ventilation or where it is difficult to get the desired amount of air to the workrooms without creating uncomfortable draughts near the inlets, mechanical ventilation is provided;

- (v) at every workplace at the surface of the mines, the temperature suitable for the type of work performed is maintained in workplaces and the degree of humidity varied in accordance with the kind of work and the outside temperature and humidity;
- (vi) measurements of air quantity, temperature and humidity are regularly taken and brought up- to-date the entries at each air measurement station.

28. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities.- The employer of every belowground mine shall ensure that:-

- (i) such steps as may be necessary are taken for minimising emissions of any gas, fume, vapor or dust which may enter the air at any workplace and for ensuring that the exposure of employees to respirable dust, gas, fume or vapor is limited to an extent that is reasonably practicable but, in any case, not exceeding the limits that are harmful to the health of employees.
- (ii) no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until all practicable measures have been taken to remove any noxious gas, fume, vapors or dust, which may be present so as to bring their levels within the permissible limits.

29. Artificial Humidification.- The employer of every belowground mine shall ensure that:-

- (i) in respect of any belowground mine or part thereof, tests for determining the relative humidity of the air is carried out and recorded and if humidity level of the air is found to be harmful to the health of employees, is artificially regulated in such a manner that humidification and temperature do not cause any discomfort to employees;
- (ii) the water used for the purpose is taken from public supply or other source of drinking water or is purified before it is so used;
- (iii) instruments for measurement and recording of humidity and temperature at appropriate locations are provided and maintained by the employer;
- (iv) employees are trained to recognize symptoms which may lead to heat stress.

C. BUILDING OR OTHER CONSTRUCTION WORK

30. Cleanliness and hygiene.- Every employer of a building or other construction work shall ensure that:-

- (i) every building or other construction work site including its premises and surroundings are kept clean and maintained in hygienic and sanitary condition;
- (ii) place is provided for proper storage of materials and equipment;
- (iii) scrap, waste and debris are removed at appropriate intervals;
- (iv) loose materials which are not required for use is not placed or allowed to accumulate on the site

- so as to obstruct means of access to and egress from workplaces and passageways;
- (v) workplaces and passageways that are slippery are cleaned up or strewn with sand, sawdust, ash or the like;
 - (vi) where a floor is liable to become wet in the course of building or other construction works, effective drainage is maintained, kept in dry and non-slippery state and suitable safety and protective gear free of charge be provided to employees;
 - (vii) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of every type of waste are made under the effective supervision.

31. Ventilation, temperature and humidity.—Every employer of a building or other construction work shall ensure that:-

- (i) where an employee is likely to be exposed to any chemical, physical or biological hazard to such an extent as is liable to be dangerous to health, appropriate preventive measures are taken against such exposure;
- (ii) the preventive measures referred under sub-rule (i) above shall comprise of-
 - (a) the replacement of hazardous substances by harmless or less hazardous substances wherever possible; or
 - (b) technical measures applied to the plant, machinery, equipment or process:

Provide that where it is not possible to comply with sub-rule (ii), other effective measures, including the use of appropriate personal protective equipment and protective clothing are provided free of charge.
- (iii) where employees are required to enter any area in which a toxic or harmful substance may be present or in which there may be an oxygen deficiency or a flammable atmosphere, adequate measures are taken to guard against danger;
- (iv) whenever heat stress, cold or wet conditions are such that they can lead to impairment of health or extreme discomfort, preventive measures are taken, such as-
 - (a) proper design of the workload and workstation, with special regard to employees in cabins, and command or driving operations;
 - (b) training, to enable detection of early signs of disorders;
 - (c) supply of appropriate protective equipment and clothing;
 - (d) routine medical surveillance;
 - (e) drinking water and electrolyte.

- (v) necessary steps are taken to constantly provide at all work places of the building or other construction work site, adequate ventilation to clear away smoke and fume, steam and dust, to dilute gases that are inflammable or noxious so as to render them harmless, to provide air containing sufficient oxygen and to prevent such excessive rise of temperature or humidity which may be harmful to the health of the persons employed therein;
- (vi) where the nature of the work carried out in the building or other construction work site involves or is likely to involve production of excessively high temperatures, adequate measures as are practicable are taken to protect the employees therefrom, by separating the process which produces such temperatures from the workplace, by insulating the hot parts or by other effective means;
- (vii) where part of the risk arises from the metabolic heat produced during work or from direct exposure to sunlight and high outdoor air temperatures, and when other methods of eliminating the risk are impracticable, a work-rest cycle for exposed employees, preferably in a shaded, cooler resting space shall be provided to allow the employee to recover;
- (viii) measurement of air quantity, temperature and humidity are regularly taken and brought up to date the entries at each air measurement station;
- (ix) ventilation in tunneling shall provide for -
 - (a) removal of the pollutants (exhaust gases of the vehicles, blasting fume, dust) and establishment and maintenance of a climatic state (temperature, humidity) in accordance with the required physical activities of the work force in the underground building or other construction work sites;
 - (b) choice of the ventilation system for a specific site depending on the complexity of the project (tunnel length and diameter, single or double bore, cooling requirements, intermediate multifunction stations, etc.);
 - (c) natural or artificial ventilation be so designed as to introduce a sufficient quantity of fresh or purified air per person and per hour into an area, considering the nature and conditions of the work;
 - (d) appropriate measures are taken to ensure that in enclosed premises a suitable hygrometric level in the air is maintained;
 - (e) the following instruments on the tunneling site-
 - (i) Oxygen level measuring instrument;
 - (ii) presence of flammable gases measuring instrument;
 - (iii) temperature measuring instrument;
 - (iv) dust concentration measuring instruments; and
 - (v) toxic gas measuring instrument.
 - (f) the air supply intake points for all air compressors located at places where such intake air does

not get contaminated with dust, fumes, vapor and exhaust gases or other contaminants.

32. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities.— Every employer of a building or other construction work shall ensure that:-

- (i) such steps as may be necessary for minimizing of emissions of any gas, fume, vapor or dust which may enter the air at any workplace and for ensuring that the exposure of employees to respirable dust, gas, fume or vapor is limited to an extent that is reasonably practicable but in any case, not exceeding the limits that are harmful to the health of employees;
- (ii) no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until all practicable measures have been taken to bring the levels of noxious gas, fume, vapour or dust, which may be present, within the permissible limits.

D. BEEDI AND CIGAR WORK

33. Cleanliness and hygiene.— The employer of every industrial premise for manufacture of beedi and cigar shall ensure that:-

- (i) every industry including its premises and surroundings are kept in sanitary and hygienic condition;
- (ii) surfaces of walls and ceilings, including windows and skylights, are always kept clean and maintained in a hygienic condition;
- (iii) the floor of every workroom is maintained in a clean and, so far as possible, dry and non-slippery condition;
- (iv) where wet work processes are carried out —
 - a. effective drainage is maintained;
 - b. false floors, platforms, mats or other dry standing places are provided; and
 - c. anti-skid footwear and other suitable safety and protective gears for use while at work in such place are provided without expense to the employees;
- (v) workrooms are cleaned as often as required by the nature of the work carried on;
- (vi) as far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - a. during intervals between work; and
 - b. in such a manner as to prevent the raising of dust;
- (vii) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of waste are made under the effective supervision.

34. Ventilation, temperature and humidity.- The employer of every industrial premise shall ensure that: -

- (i) suitable atmospheric conditions are maintained in workplaces, by natural or artificial means, to avoid insufficient air supply, stagnant or vitiated air, harmful draughts, excessive heat or cold, sudden variations in temperature and where practicable, having regard to the nature of the processes carried on, to avoid excessive humidity or dryness, and objectionable odours;
- (ii) adequate and sufficient measures are taken to protect the employees from exposing to extreme weather conditions by suitably changing the working hours, providing protective clothes or other suitable provisions, as necessary, free of charge;
- (iii) where an adequate supply of fresh air cannot be obtained by natural ventilation, or where it is difficult to get the desired amount of air to the workroom without creating uncomfortable draughts near the inlets, mechanical ventilation is provided.

35. Precaution against dust.- The employer of every industrial premise shall ensure that no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until practicable measures have been taken to bring the levels of dust particles, which may be present, within the permissible limits.

E. MOTOR TRANSPORT WORK

36. Cleanliness and hygiene.- The employer of every motor transport undertaking shall ensure that: -

- (i) all workplaces, workrooms, passageways, staircases, storerooms and service rooms are kept in sanitary and hygienic condition;
- (ii) surfaces of walls and ceilings, including windows and skylights, are always kept clean and maintained in a hygienic condition;
- (iii) the floor of every workroom is maintained in a clean and, so far as possible, dry and non-slippery condition;
- (iv) where wet work processes are carried out—
 - (a) effective drainage is maintained;
 - (b) false floors, platforms, mats or other dry standing places are provided; and
 - (c) anti-skid footwear and other suitable safety and protective gear for use while at work where ever required in such places without expense to employees;

- (v) workrooms are cleaned as often as required by the nature of the work carried on;
- (vi) as far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - (a) during intervals between work; and
 - (b) in such a manner as to prevent the raising of dust;
- (vii) where, for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination of the air with dust or other obnoxious substances;
- (viii) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of waste are made under the effective supervision.

37. Ventilation, temperature and humidity.— The employer of every motor transport undertaking shall ensure that: -

- (i) suitable atmospheric conditions are maintained in workplaces, by natural or artificial means, to avoid insufficient air supply, stagnant or vitiated air, harmful draughts, excessive heat or cold, sudden variations in temperature and where practicable, having regard to the nature of the processes carried on, to avoid excessive humidity or dryness, and objectionable odours;
- (ii) steps are taken as are necessary to provide at all workplaces of the motor transport undertaking, adequate ventilation to clear away smoke and fume, steam and dust, to dilute gases that are inflammable or noxious so as to render them harmless;
- (iii) adequate and sufficient measures are taken to protect the employees from exposing to extreme weather conditions by suitably changing the working hours, providing appropriate protective clothes or other suitable provisions, as necessary free of charge;
- (iv) where an adequate supply of fresh air cannot be obtained by natural ventilation, or where it is difficult to get the desired amount of air to the workroom without creating uncomfortable draughts near the inlets, mechanical ventilation is provided.

38. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities.— The employer of every motor transport undertaking shall ensure that: -

- (i) where exhaust systems for removal of flammable fumes, gases, mists, vapors or residues are not to be connected to any other ventilating system or discharged into a chimney or flue used for conveying gases of combustion;
- (ii) when fumes, gases, mists, vapours, dust and other refuse discharged from exhaust systems is likely to have adverse effect on the health or noxious for the employees or the neighborhood, the exhaustion shall be effected through a system that neutralizes toxic substances, sterilize infectious substances and deodorize fumes, gases, mists or vapours;

- (iii) no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until practicable measures have been taken to bring the levels of noxious gas, fume, vapour or dust, which may be present, within the permissible limits.

F. DOCK WORK

39. Cleanliness and hygiene. - The employer of every dock work shall ensure that: -

- (i) all locations in the ship or dock where dock works are carried and where dock workers are employed are kept clean and maintained in a hygienic condition;
- (ii) all access routes and working areas are kept free from objects and materials that are liable to cause a person to trip or slip;
- (iii) loose gear, tools and similar equipment are kept safely or removed from working areas when not in use;
- (iv) spillages of oil or other materials likely to be a hazard are cleaned up by trained personnel as soon as possible under the effective supervision;
- (v) suitable safety and protective gears for use while at work wherever required are provided without expense to employees;
- (vi) where a floor is liable to become wet, effective drainage be maintained, kept in dry and non-slippery state and suitable anti-skid footwear, free of charge, be provided to employees;
- (vii) all plant and equipment are parked in appropriate designated areas when not in use;
- (viii) for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination of the air with dust or other obnoxious substances;
- (ix) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of waste are made under the effective supervision.

40. Ventilation, temperature and humidity.- The employer of every dock work shall ensure that effective and suitable provisions are made in every dock for securing and maintaining in every building or an enclosure or a reefer hold or chamber or reefer container where dock workers are employed with adequate ventilation maintain such temperature and air movement so as to provide reasonable condition of comfort and to prevent any harm to the health of employees.

41. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities.- The employer of every dock work shall ensure that: -

- (i) whenever a dock worker is required to enter into a hold or intermediate deck or other confined space or any other working place where neither natural ventilation nor mechanical ventilation

system is adequate to keep the content of any gas, fume vapour or dust below the permissible limits, appropriate manhole of adequate size or other effective means of egress shall be provided to avoid exposure of docks workers to health hazards;

- (ii) no dock worker is allowed to enter any hold or tank of a vessel wherein there is given off any dust, fumes or other impurities of such a nature and to such an extent as is likely to be injurious or offensive to the dock workers or in which explosives, poisonous, noxious or gaseous cargoes have been carried or stored or in which dry ice has been used as a refrigerant or which has been fumigated, or in which there is possibility of oxygen deficiency, unless all practical steps have been taken to remove the dust, fumes or other impurities and dangers which may be present and to prevent any further ingress thereof and such holds or tanks are certified to be safe and fit for dock workers to enter the same by the competent person;
- (iii) when dock workers are exposed to any dust in substantial quantities as in handling bulk cargoes such as grains, fertilizers, cements and other similar cargoes, they are protected by appropriate Personal Protective Equipment, provided free of charge.

G. PLANTATION

42. Cleanliness and hygiene.- The employer of every plantation shall ensure that:-

- (i) all workplaces, passageways, storerooms and service rooms are kept in a hygienic condition;
- (ii) the floor and walls of every service room is maintained in a clean and, so far as possible, dry and non-slippery condition;
- (iii) service rooms are cleaned as often as required by the nature of the work carried on;
- (iv) as far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - (a) during intervals between work; and
 - (b) in such a manner as to prevent the raising of dust;
- (v) where, for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination in air with pesticides, insecticides, chemicals and toxic substances;
- (vi) suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of waste are made under the effective supervision.

43. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities.- The employer of every plantation shall ensure that:-

- (i) such steps are taken as may be necessary for minimizing the dust which may exist at plantation that are harmful to the employees;
- (ii) every employee who is engaged in handling, mixing, blending, spraying or applying pesticides, insecticides, chemicals and toxic substances is provided with appropriate protective clothing and Personal Protective Equipment free of charge;
- (iii) the appropriate protective clothing is made of materials which prevent or resist the penetration of any form of pesticides, insecticides, chemicals and toxic formulation. The materials are washable so that the harmful elements are removed after each use. Appropriate Protective clothing consists of the following namely: —
 - (a) protective outer garment with hat;
 - (b) rubber gloves or such other protective gloves extending up to the forearm, made of materials impenetrable to liquids;
 - (c) dust proof goggles;
 - (d) rubber boots;
 - (e) reusable cloth masks;
- (iv) no employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until all practicable measures have been taken to remove noxious smell from pesticides, insecticides, chemicals and toxic substances, which may be present so as to bring their levels within the permissible limits.

H. COMMON RULES FOR HEALTH, SAFETY AND WORKING CONDITIONS

44. Potable water.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) adequate supply of clean, wholesome and safe drinking water is provided for and be readily accessible to, all employees in all workplaces;
- (ii) any supply of drinking water other than the piped supply is contained in suitable vessels clearly marked or displayed in Hindi or English and in local language, to indicate that the water is safe for drinking and such supply is replenished daily and all necessary precautions are taken to preserve the water and vessels from contamination;
- (iii) except where the water is delivered by a rising jet, the use of common drinking tumblers or cups

is prohibited.

- (iv) where water is unsafe for drinking purposes or is provided for use in other purposes, it is to be so indicated in Hindi or English and in local language:

Provided in case of building or other construction work every employer shall ensure that-

- (a) drinking water for common use is stored only in closed containers from which the water is dispensed through taps;
- (b) if drinking water has to be transported to the worksite, the transport tanks, storage tanks and dispensing container are cleaned and disinfected at regular intervals;
- (c) a supply of drinking water is never connected to a supply of water that is unfit to drink.

45.Overcrowding.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking and dock work shall ensure that:-

- (i) the floor space in any building or any dock area, wharf, jetty in case of dock work is not crowded with machinery in a manner dangerous to employees or be overcrowded with materials or products so as to constitute a menace to them;
- (ii) sufficient space is provided around the individual machines or process units to allow for normal operation, adjustments, ordinary repairs, for materials supplied, in process, or completed;
- (iii) adequate provisions are made to prevent overcrowding at any place where employees are required to work or assemble for any reason in the premises, including:-
 - (a) design and use of signs or symbols (in English or Hindi and in local language) that indicate and illustrate overcrowding related hazards in all working areas specifying the number of employees allowed to work at such places at any one time;
 - (b) vehicle and pedestrian pathways are kept separated using barriers indicated by distinctive colours; and
 - (c) deployment of vehicles are managed effectively and overcrowding is avoided:

Provided that the sub-rule (i) and (ii) shall not be applicable in case of building or other construction work, beedi and cigar work and sub-rule (ii) shall not be applicable to motor transport undertaking.

46.Lighting (Illumination).- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) all places in the establishment including all amenities for utility services where employees work

or pass, or may have to work or pass in emergencies, are provided during time of use with adequate natural or artificial lighting or both, suitable for the operations and the special type of work performed. Natural lighting is arranged wherever possible;

- (ii) artificial lighting is provided or arranged when daylight fails or for areas where the daylight illumination is insufficient wherever possible;
- (iii) at every work place where employees are exposed to risks in the event of failure of artificial lighting, are provided with automatic emergency lighting of sufficient intensity that has energy sources independent of the installations for the general lighting systems are in working condition:

Provided that in case of plantation workers, sub-rule (i) shall not be applicable:

Provided further that in case of Building or other construction work, sub-rule (iii) and the following rules shall apply:-

- (a) close to every workplace of building or other construction work site including all amenities for utility services, adequate and suitable lighting, including portable lighting where appropriate, is provided at every workplace and any other place on the construction site where an employee may have to pass.
- (b) where natural lighting is not adequate to ensure safe working conditions, adequate and suitable lighting, including portable lighting where appropriate, is provided at every workplace and any other place on the construction site where an employee may have to pass.
- (c) artificial lighting, as far as practicable does not produce glare or disturbing shadows.
- (d) where necessary to prevent danger, lamps are protected by suitable guards against accidental breakage.
- (e) the cables of portable electrical lighting equipment are of adequate size and characteristics for the power requirements and of adequate mechanical strength to withstand severe conditions in construction operations.

47.Latrine and urinal accommodation.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (1)(i) in every work place, sufficient latrine and urinal accommodation are provided at conveniently accessible places separately for the use of male, female, transgender and person with disabilities employees;

(ii) such accommodation is sufficiently lighted and ventilated and maintained in a clean and sanitary condition at all times;

(2) (i) floor of the latrine, urinal and the sanitary blocks are maintained in non-slippery condition;

(ii) the internal walls of the latrines, urinals and the sanitary blocks are laid in glazed tiles. Alternatively, internal walls of the latrines and urinals are finished in such a manner to provide a smooth, polished and impervious surface to facilitate cleanliness and hygiene;

(iii) sanitary pans of latrines and urinals are kept washed and cleaned at all times;

(3) at least one separate latrine accommodation, for every 25 male and 15 female employees, and at least one separate latrine accommodation each for person with disabilities employees and for transgender employees is provided and at least one urinal for every 15 males employed at the same time. Sufficient water supply is provided in every latrine and urinal accommodation;

(4) while cleaning of latrine and urinal accommodation, adequate signage of cleaning in progress, in English or Hindi and in local language are kept outside such accommodation;

(5) washbasin facility with tap water is made available;

(6) sanitary napkins in sufficient quantity are provided free of charge and maintained in the women's toilets for their use and the same are to be replenished on a daily basis;

(7) disposable bins with lids are provided within the women's toilets for the collection of the used sanitary napkins. The used napkins are safely disposed of. Disposable bins with lids shall also be provided within the toilets for men, transgender and person with disabilities;

(8) every latrine is kept under cover and so partitioned off as to secure privacy, and to have a proper door, fastenings and exhaust;

(9) where male, female, transgender and person with disabilities are employed, outside each latrine block a notice "For men only" or "For women only" or "For transgender persons only" or "For persons with disabilities only", as the case may be, in Hindi or English and in local language, are displayed;

(10) waste or sullage water from latrines and urinals is treated and safely disposed of;

(11) water taps in latrines-

(i) where piped water supply is available, water taps are to be provided in or near such latrine accommodation; and

(ii) if piped water supply is not available, water is provided by the means of tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrine and urinals:

Provided in case of building or other construction work, plantation and dock works facilities of mobile toilets are provided wherever required.

48. Treatment of waste and effluents. -Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) proper arrangements for discharging liquid effluents and gaseous emission and disposal of solid waste generated in the factory are made;
- (ii) effective arrangements are made for the treatment of wastes and effluents by ensuring compliance with the safety and health requirements;
- (iii) hazards and risks with the handling, storage and processing of wastes and effluents are identified and appropriate preventive and control measures are implemented;
- (iv) appropriate personal protective equipment based on risk assessment of handling the waste and effluents are provided, free of charge; and
- (v) employees handling the wastes and effluents are trained on the identified hazards and risks:

Provided that sub-rule (i) and (ii) shall not apply to beedi and cigar work:

Provided further that in case of plantations, sub-rules (i) and (ii) shall not apply, subject to the condition that—effective arrangements are made for disposal of used packages of pesticides, insecticides, chemicals and toxic substances to prevent their re-use and to prevent environmental, water or air pollution.

CHAPTER VI

WELFARE PROVISIONS

A. COMMON RULES

49. Washing facility.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) suitable and sufficient washing facilities at easily accessible places are provided with regular and adequate supply of water including soap, towels separately for male, female, transgender and person with disabilities employees, which are-
 - (a) separated from the workplaces (and within plantation premises in case of plantation workers);
 - (b) well ventilated;
 - (c) with proper drainage system;
 - (d) maintained in a sanitary and hygienic condition;

- (e) capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
- (f) appropriately demarcated with "For men only" or "For women only" or "for transgender persons only" or "For persons with disabilities only", as the case may be, in Hindi or English and in local language, are displayed outside;

(ii) The use of common towels is prohibited:

Provided in case of building or other construction work additional provisions as follows:-

- (a) where employees are exposed to skin contamination by poisonous, infectious, or irritating substances or oil, grease or dust, sufficient number of appropriate washing facilities or shower-baths supplied with hot and cold water;
- (b) washing facilities are not used for any other purpose.

50. Provisions of bathing places and locker rooms.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

(i) suitable, separate and sufficient bathing places and locker facility, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places with regular and adequate supply of water including soap and towels for male, female, transgender and persons with disabilities separately, are provided which are -

- (a) separated from the workplaces (and within plantation premises in case of plantation workers);
- (b) well ventilated;
- (c) with proper drainage system;
- (d) maintained in a sanitary and hygienic condition;
- (e) capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
- (f) properly demarcated with "For men only" or "For women only" or "For transgender persons only" or "For person with disabilities only", as the case may be, in Hindi or English and in local language, are displayed outside;

(ii) suitable, separate locker facilities, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places for storing clothing that are worn during working hours and for special clothing which is worn by any employee at work but is not taken home, for male, female, transgender and persons with disabilities.

51. Keeping of cloth not worn during working hour.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) suitable, separate and sufficient installations, as may be necessary owing to the nature of work, for male female, transgender and person with disabilities employees for keeping clothes not worn during working hours and drying them are available;
- (ii) these installations are placed in rooms separate from the workrooms;
- (iii) a separate changing room is provided with suitable facilities for all male female, transgender and person with disabilities employees, as may be necessary owing to the nature of work, for drying wet clothes and for hanging clothing including, where necessary to avoid contamination with poisonous, infectious, irritating or radioactive substances and are also provided suitable lockers for separating working clothes from street clothes;
- (iv) when employees are engaged in processes of such a nature that their working clothes are liable to become wet or have to be washed between shifts, suitable arrangements are made to ensure that dry clothes are always available to each employee on their return to work;
- (v) these facilities are to be provided with—
 - (a) individual lockers of adequate size and with adequate ventilation;
 - (b) benches or other suitable seating arrangements.

52. Sitting arrangement.- Employer of every factory, mine and dock work shall ensure that reasonable arrangements for sitting without detriment to their work are provided to employees obliged to work in standing position. Adequate and comfortable seating facilities are provided for this purpose.

53. Provision of Canteen.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) at every establishment mentioned above where in One-hundred or more workers including contract labourers are ordinarily employed, a canteen in or adjacent to the precincts of the above establishments, is provided and maintained to provide nutritious, wholesome and healthy food for the employees;
- (ii) the employer of every establishment mentioned above can also provide facility of canteen through common canteen in or adjacent to the above establishment's premises;
- (iii) the canteen is situated at appropriate distance from any latrine, urinal and process area to avoid dust, smoke or obnoxious fumes;
- (iv) the canteen is constructed to accommodate at least a dining hall, kitchen, store room, pantry and washing places separately for employees and for utensils;
- (v) canteen has separate doors for entry and exit;

- (vi) the dining hall is separated from any place where a hazardous substance may contaminate food, dishes or utensils;
- (vii) the dining hall is furnished with a sitting arrangement to accommodate sufficient number of employees normally using at any one time;
- (viii) a portion of the dining hall and service counter is reserved for women employees and person with disabilities employees; and
- (ix) washing places for male, female, transgender and person with disabilities employees are separate and screened to secure privacy;
- (x) Equipment-
 - (a) All equipment and utensils that come into contact with food are cleaned and maintained in hygienic condition;
 - (b) Furniture and other equipment are maintained in a clean and hygienic condition;
- (xi) **Storage, Preparation and Handling of food-**
 - (a) Each food handler is trained and instructed in food handling practices that prevent the contamination of food; and
 - (b) No person who is suffering from a communicable disease is allowed to work as a food handler;
- (xii) food waste and garbage are removed from the food preparation area or dining hall, stored in covered containers and disposed of periodically;
- (xiii) food, drink and other items are sold on a no profit no loss basis wherein the rates are fixed by canteen management committee; and
- (xiv) the charges per portion of food items, beverages and any other items served in the canteen are displayed in the canteen;
- (xv) Canteen Management Committee-
 - (a) a **Canteen Managing Committee** is constituted to carry out the following functions namely
 - (i) the quality and the quantity of food stuffs to be served in the canteen;
 - (ii) the arrangements of the menu;
 - (iii) the timings of meals in the canteen; and
 - (iv) any other relevant matter:

Provided that where the canteen is managed by a co-operative society registered under the Multi State Co-operative Societies Act, 2002 it shall not be necessary to appoint a Canteen Managing Committee:

- (b) the Canteen Managing Committee shall consist of an equal number of representatives of worker and employer;
- (c) the representatives of employer are nominated by the employer;
- (d) the representatives of worker are nominated by negotiating union or negotiating council as the case may be and where there is no negotiating union or negotiating council the worker will choose amongst themselves the worker representatives of the canteen committee;
- (e) the tenure of the committee shall be determined mutually. One-third of the committee members of worker and employer shall be rotated every two years;
- (f) the canteen managing committee decides on the running of the canteen in consultation with the canteen manager.

54. First Aid and Medical Appliances. - Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that:-

- (i) in every establishment mentioned above or part thereof where employees are at **work, first aid boxes or cup-boards** in adequate numbers with necessary items are provided and maintained so as to be readily accessible during working hours. A Notice containing details of first-aid facilities, along with the name, contact detail of the person in-charge and the nearest hospitals, shall be displayed at a conspicuous place in English or Hindi and in local language;
- (ii) in each shift, every first-aid box or cupboard is kept in the charge of a worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who is always be readily available during the working hours of the above establishments or part thereof. At least one fully equipped first-aid box or cupboard in every department or section is available and maintained properly all the time during working hours. The number of first aid boxes has to increase if the number of employees is more than 200 employees in department or section. The illustrative list of contents of every first-aid box or cupboard is at **Annexure- I** and employer may add more items as per requirement;
- (iii) in case of mines, the illustrative list of contents of every first-aid box or cupboard is at **Annexure- III** and employer may add more items as per requirement.
- (iv) at least **thirty-three percent of the workers** in every establishment mentioned above are **trained in first-aid procedures and refreshers** training to be imparted in every three years and wherever woman workers are employed, at least one-woman worker is trained. First Aid training is conducted by the trainer having medical qualification included in the Schedule- I or Schedule- II or Part- II of the Schedule- III of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). The person possessing qualifications included in Part II of Schedule- III of the Indian Medical Council Act,

1956 (102 of 1956), should also fulfil the condition specified in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 or as per the Chapter- VI of National Medical Commission Act 2019 or diploma or degree in Industrial Health or Public Health or Emergency Medicine, or Associate Fellow in Industrial Health (AFIH) or equivalent;

- (v) every case of injury or illness during the course of work is reported to the supervisor in the above establishments for injury and illness surveillance and adequate and suitable arrangements are made available for speedy evacuation or referral of persons employed in every establishment mentioned above who while on duty suffers from serious bodily injury or illness of a serious nature or as the nature of injury and illness as decided by the first aider, from every establishment mentioned above or part thereof to the nearest dispensary or hospital;
- (vi) every employee receiving an injury during the course of work shall report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who shall make arrangements for rendering first-aid to the injured as may be required. Where the employee receiving an injury is not in a position to report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment, it shall be the duty of the person who first comes to know of it to report the same to the worker or supervisor;
- (vii) if in the opinion of the supervisor or worker who holds a certificate in first-aid treatment, the injury is of such a nature so as to require immediate medical attention by the qualified medical practitioner, such person shall arrange for the qualified medical practitioner to be called or bring it to the notice of the occupier or their representative in every establishment mentioned above;
- (viii) it is the duty of the employer or their representative to ensure that adequate and suitable arrangements are made available for speedy transportation of that employee to nearest dispensary or hospitals preferably by means of a proper ambulance van;
- (ix) additionally, following provisions shall be followed in case of mines:
 - (A) adequate and suitable arrangements are made for the training of the workers and supervisors in first-aid procedures;

(B) at every mine there shall be provided and maintained first aid station equipped with first-aid equipment as prescribed in the **Annexure-V**, at conveniently accessible places where injured persons may receive first-aid treatment as follows-

- (a) above ground, a first- aid station –
 - (i) at the top of every shaft or incline where men or material are normally wound or hauled;
 - (ii) in every workshop;
 - (iii) at every screening plant and loading place; and
 - (iv) at every other place where more than 50 persons are employed at any one time.
- (b) in every opencast working, a first-aid station-
 - (i) at every shovel or dragline loading point;

- (ii) at rest shelter and portable rest shelter, if any;
- (iii) at pumping station;
- (iv) at re-fueling station;
- (v) at dump yard;
- (vi) at every other place where more than 50 persons are employed at any one time.
- (c) below ground, one first-aid station –
 - (i) at the bottom of every shaft where men or material are normally wound and at or near every plant;
 - (ii) near the drive end of every haulage;
 - (iii) in or at the entrance to every district or section of the mine:

Provided that nothing in this sub-rule shall be construed to require the provision of a first-aid station within 300 metres of another first-aid station;

(iv) it shall be the duty of the persons appointed to be in charge of a first-aid station to see that the equipment provided at the first-aid station is kept in good order and that it is replenished whenever necessary;

(v) every first-aid station shall be kept under the charge of a worker or supervisor holding a first-aid certificate from institutes recognized by Central or State Government;

(vi) an up-to-date list of all first-aid stations provided in the mine shall be kept in the office of the mine;

(vii) every supervisor or official possesses a valid first-aid certificate shall carry, while on duty, a first-aid outfit consisting of one large sterilised dressing, one small sterilised dressing, adhesive bandage, skin closure strips, cotton balls, antiseptic solution, and scissor with rounded tips, such outfit shall be securely packed to protect it against dirt and water.

55. Ambulance Room.— Employer of every factory, mine and building or other construction work shall ensure that:-

- (i) at every establishment mentioned above ordinarily employing more than 500 workers, a suitable ambulance room or dispensary round the clock or during working hours as the case may be and is maintained in good order. The employer of every establishment mentioned above may also tie up with hospitals for emergency services;
- (ii) the ambulance room would mean a place conveniently located in or nearby premises and have adequate space and arrangements to cope up with medical emergency and contains at least the

equipment as mentioned in illustrative list given in **Annexure- II**. The employer may add more items as per requirement;

- (iii) in case of mines, the ambulance room contains at least the equipment as mentioned in illustrative list given in **Annexure- IV**. The employer may add more items as per requirement;
- (iv) ambulance room is under the charge of a full time qualified medical practitioner appointed directly by the employer and is assisted by adequate number of paramedical staffs (at least one nurse and one General Duty Assistant-Healthcare or Nursing Assistant);
- (v) the medical practitioner required to be appointed under sub-rule (iii) has a medical qualification included in the I or II schedule or part II of the Third schedule of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Persons possessing qualifications included in part II of Third schedule should also fulfil the condition specified in sub-section (3) of section 13 of the Act or as per the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019) or Diploma or Degree in Industrial or Occupational Health, Associate Fellow in Industrial Health or equivalent. The Qualified Medical Practitioner shall acquire a Diploma or Degree in Industrial or Occupational Health or the Associate Fellow in Industrial Health, within one year from the date of appointment;
- (vi) qualified nurse required to be appointed under sub-rule (iv) shall have qualification registered under State Nursing Council and completed training in Basic Life Support (BLS) along with experience in emergency of not less than six months duration from a multispecialty hospital;
- (vii) ambulance Room is having adequate space for privacy and examination of the patient;
- (viii) ambulance Room is provided with Emergency Lighting Supply and a suitable communication medium preferably handheld device;
- (ix) ambulance Room is provided with drenching shower points, as may be necessary owing to the nature of work, with drainage sloping away from the showers. Water supply to drenching shower should be secured to ensure the continuous water supply.

56.Shelter and Rest Room.- Employer of every factory, mine and motor transport undertaking shall ensure that:-

- (i) in every factory and mine wherein more than fifty workers are ordinarily employed and in motor transport undertaking wherein employee is required to halt at night, sufficient and a suitable lunchroom, with provision for drinking water and washing facilities, where employees can eat their meals is provided;
- (ii) these facilities are provided separately and maintained for male, female, and transgender employees:

Provided that any canteen maintained in accordance with the provisions under rule 53 shall be regarded as compliance of this rule.

(iii) the shelters or rest rooms and lunch rooms conform to the following:

- (a) such rooms are sufficiently lighted and ventilated and maintained in a clean and hygienic condition at all times;
- (b) all the walls and roof are of suitable heat resisting materials;
- (c) the roof of such room is at suitable height from the floor level and there is sufficient floor area for employee employed at any given time;
- (d) every room is sufficiently furnished with suitable seating and eating arrangement:

Provided that in case of motor transport undertaking the employer shall ensure that the motor transport workers employed in the undertaking are provided with uniforms, raincoats and other like amenities, free of charge.

57. Welfare Officer.— Employer of every factory, mine and plantation shall ensure that:-

- (i) welfare officers are appointed as prescribed below-
 - (a) the employer of every establishment mentioned above ordinarily employing between two hundred and fifty and upto five hundred workers appoints at least one welfare officer, and where the number of workers exceeds five hundred, an additional welfare officer for every additional five hundred workers or fraction thereof over five hundred is appointed;
 - (b) in every establishment mentioned above where both male and female workers are employed, the number of women welfare officers to be appointed shall be in proportion to the women workers employed and where the number of women employed is more than one hundred and the total number of women workers does not exceed one thousand, an additional woman welfare officer is appointed;
 - (c) where there is more than one welfare officer appointed, one of them is designated as the Chief Welfare Officer and the others as welfare officers;
- (ii) person appointed as Welfare Officer has obtained a post graduate degree or diploma in social work or human resources management or labour welfare from any institution recognised by the Central or State Government in this behalf; and has knowledge of the language spoken by the majority of the workers in every establishment mentioned above.
- (iii) the appointment is intimated by the employer electronically or otherwise to Inspector-cum-Facilitator, giving the details of qualifications, etc. of the officer appointed and the conditions of their service.
- (iv)(a) a Welfare Officer is given appropriate status corresponding to that of the other executives of every establishment mentioned above and appointed on an executive or officer pay scale;

(b) the conditions of service of a Welfare Officer are the same as that of other members of the executives or officer of corresponding status in every establishment mentioned above :

Provided that, in the case of discharge or dismissal, the Welfare Officer will have a right of appeal to the Chief Inspector-cum-Facilitator, whose decision thereon is final and binding upon the employer.

(v) Duties of a Welfare Officer:

(a) to establish contacts and hold consultations with a view to maintaining harmonious relations between the management and workers;

(b) to bring to the notice of the management the grievances of workers with a view to securing expeditious redressal and to act as a liaison officer between the management and workers;

(c) to study and understand the point of view of workers in order to help the management to shape and formulate labour policies and to interpret these policies to the workers in a language they can understand;

(d) to advise on compliances, obligations, statutory or otherwise, concerning regulation of working hours, maternity benefit, medical care, compensation for injuries and sickness and other welfare measures and social Security benefits;

(e) to advise on provision of welfare facilities, such as housing facilities, foodstuffs, social and recreational facilities, sanitation, individual personnel problems and education of children; and

(f) to advise the management on training of new recruits, apprentices, workers on transfer and promotion, instructors and supervisors, supervision and control of notice board and information bulletins to further education of workers and to encourage their attendance at technical institutes;

(vi) welfare officers shall not deal with disciplinary cases or appear on behalf of the management against workers or appear before a conciliation officer or tribunal on behalf of every establishment mentioned above management.

58. Crèche Facility.—Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, dock work and plantation shall ensure that-

(i) wherein more than fifty workers are ordinarily employed, a crèche facility is provided and maintained for the use of children under the age of six years of employees;

- (ii) mobile crèche will be provided, wherever required;
- (iii) each Crèche facility is free and accessible to all employees;
- (iv) the Crèche is located within the workplace as much as possible, or in a nearby accessible location;
- (v) the Crèche is not situated in close proximity to any part of the building or construction worksite where obnoxious fumes, dust or odours are given off or in which excessively noisy processes are carried on;
- (vi) there is in or adjoining the crèche a suitable washroom for the washing of the children and their clothing;
- (vii) the Crèche is maintained in a clean, hygienic and sanitary condition;
- (viii) personal cleanliness of the child is maintained;
- (ix) the Crèche is under the charge preferably woman for the care of children and infants;
- (x) police verification of in charge of creche, support staff and guard are mandatory;
- (xi) the person in charge of the crèche should have and maintain information about the child's identity, residential address etc;
- (xii) details of the person who is picking up and dropping the child to the creche should be available with the caretaker and the child should be handed over to that person only. In case any other person picks up or drops the child, then such person's identity with the authorization from parents would be necessary;
- (xiii) attendance of all children is taken in the morning on the child's arrival as well as at the time when child is picked up;
- (xiv) sufficient supply of clean clothes, soaps and clean towels is available for each child while the child is in the Crèche;
- (xv) the Crèche is furnished with a suitable number of resting arrangements;
- (xvi) sufficient supply of nutritious, wholesome and healthy food to all children as per their dietary requirements is provided;
- (xvii) all sharp objects like scissors, knives, blades, pins etc. are always kept away from the children;
- (xviii) chemicals such as detergents, cleaning agents, phenyl etc. are kept out of the child's reach;
- (xix) the Crèche is provided with non-combustible covered receptacles for the disposal of waste food or other waste material;
- (xx) all electrical switches or plugs are out of children's reach;
- (xxi) planning of evacuation plan and display of the same at the crèche;
- (xxii) no child is left alone at any point in the crèche, even during breaks;
- (xxiii) any kind of verbal or physical abuse is strictly prohibited;
- (xxiv) any kind of sexual abuse and sexual exploitation to be strictly dealt under Protection of Children

- from Sexual Offences Act, 2012;
- (xxv) through the supervisor, that no persons, known or unknown be allowed inside the crèche at any point of time, during the functioning hours of the crèche. For example, civil work should preferably be done during weekend or holidays only;
 - (xxvi) the Crèche has Closed Circuit Television monitoring during the working hours;
 - (xxvii) important and emergency contact numbers (helplines like 112, 1098, fire services, child protection officer, nearest police station etc.) are displayed within the creche premises for easy access and reference;
 - (xxviii) required medical support system or staff is made available on call;
 - (xxix) feeding room to be provided in the Crèche:

Provided that an establishment can avail common crèche facility of the Central Government, State Government, municipality or private entity or provided by non-governmental organisation or by any other organisation or group of establishments may pool their resources for setting up of common crèche in the manner as they may agree for such purpose.

59. Mock Drills.- Employer of every factory, mine, building or other construction work, industrial premise for manufacture of beedi and cigar, motor transport undertaking, and dock work shall ensure quarterly conduct of Mock drills to check emergency preparedness to deal with various emergencies.

Provided that the employer of every plantation shall ensure annually conduct of mock drills to check emergency preparedness to deal with various emergencies.

B. MINES

60. Medical Examination.- The employer of every mine shall ensure that: -

- (i) medical examination of every employee employed or to be employed in a mine including contract labour is done before commencement of their employment and subsequently every year;
- (ii) the contract labour is provided with the medical facilities at par with regular employees;
- (iii) in the event of any dispute under the provisions of sub-rule (i), the matter may be referred to the appellate medical board constituted under these rules.

61. Residential facilities for workers including contract labours.- Residential facility, if any, provided by mine employer, shall be at a safe distance from the active working area of opencast workings, pits, shafts, dump yards, stock piles, unstable workings, wells and other installations in oil mines for workers including contract labour.

C. BUILDING OR OTHER CONSTRUCTION WORK

62. Living accommodation.- Every employer of a building or other construction work shall ensure that suitable temporary living accommodation, free of charge are made available for the workers at construction sites remote from their homes, where adequate transportation between the site and their homes or other suitable living accommodation is not available. Further, the principal employer will pay the expenses incurred on providing accommodation to the contractor where the building or other construction work is done through the contractor.

D. MOTOR TRANSPORT UNDERTAKING

63. Medical facilities.- The employer of every motor transport undertaking shall ensure that: -

- (i) at every operating centre and halting station (which, in the case of city service, shall include only depots and other offices), a suitable medical facilities room or dispensary is available round the clock or during working hours as the case may be and is maintained in good order;
- (ii) the medical facilities room or dispensary is situated at a convenient place in the operating centre and halting station and have adequate space and arrangements to cope up with medical emergency and contains at least the equipment as mentioned in illustrative list given in **Annexure- VI**. The employer may add more items as per requirement;
- (iii) medical facilities room or dispensary is under the charge of a full time qualified medical practitioner appointed directly by the employer and is assisted by adequate number of paramedical staffs (at least one nurse and one General Duty Assistant-Healthcare or Nursing Assistant);
- (iv) the medical practitioner required to be appointed under sub-rule (iii) has a medical qualification included in the I or II schedule or part II of the Third schedule of the Indian Medical Council Act of 1956. Persons possessing qualifications included in part II of Third schedule should also fulfil the condition specified in section 13(3) of the Act or as per the National Medical Commission, Act 2019 or Diploma or Degree in Industrial or Occupational Health, or Associate Fellow in Industrial Health or equivalent. The Qualified Medical Practitioner shall acquire a Diploma or Degree in Industrial or Occupational Health or the Associate Fellow in Industrial Health within one year from the date of appointment;
- (v) qualified nurse required to be appointed under sub-rule (iii) shall have qualification registered under State Nursing Council and completed training in Basic Life Support along with experience

in emergency of not less than six months duration from a multispecialty hospital;

- (vi) medical facilities room or dispensary is having a minimum of two rooms. One of the rooms is used for sitting of staff and storage of medicines. The other room is used as emergency cum dressing room or observation room for sick;
- (vii) medical facilities room or dispensary is provided with Emergency Lighting Supply and a suitable communication medium preferably handheld device.

CHAPTER VII

HOURS OF WORK AND ANNUAL LEAVE WITH WAGES

64. Working Hours.— (1) No worker shall be required or allowed to work in an establishment for more than forty eight hours in a week.

(2) In case of transport vehicle, a maximum of fifteen minutes interruption shall be allowed any time during which the running of the transport vehicle is interrupted.

65. Working hours of working journalist.— (1) The provisions under this rule shall apply to working journalist but not apply to editors or to correspondents, reporters or news photographers.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the following provisions shall apply to every correspondent, reporter or news photographer stationed at the place at which the newspaper establishment in relation to which any such person is employed is situated, namely—

- (a) subject to such agreement as may be arrived at either collectively or individually between the parties concerned, every such correspondent, reporter or news photographer shall, once enters upon duty on any day, be deemed to be on duty throughout that day till finishes all the work assigned during that day:

Provided that if such correspondent, reporter or news photographer has had at their disposal for rest any interval or intervals for a total period of two hours or less between any two or more assignments of work, they shall not be deemed to be on duty during such period:

Provided further that where the total period of such interval or intervals exceeds two hours, they shall be deemed to be on duty during the period which is in excess of the said period of two hours;

- (b) period of working in excess of thirty-six hours during any week, which shall be considered as a unit of work for the purposes of this sub-rule, shall be compensated by rest during the succeeding week and shall be given in one or more spells of not less than three hours each:

Provided that where the aggregate of the excess hours worked falls short of three hours, the duration of rest shall be limited only to such excess.

- (3) The number of hours which shall constitute a normal working day for a working journalist exclusive of the time for meals shall not exceed six hours per day in the case of a day shift and five and a half hours per day in the case of a night shift and no working journalist shall ordinarily be required or allowed to work for longer than the number of hours constituting a normal working day.
- (4) Subject to such agreement as may be arrived at between a newspaper establishment and working journalists employed in that establishment, the periods of work for working journalist shall be so fixed that no working journalist shall work for more than four hours in the case of a day shift and three hours in the case of a night shift before they had an interval of rest, in the case of the day shift for one hour, and in the case of the night shift for half an hour.
- (5) When a working journalist work for more than six hours on any day in the case of a day shift and more than five and a half-hours in the case of a night shift, they shall, in respect of that overtime work, be compensated in the form of hours of rest equal in number to the hours for which they have worked overtime or compensated by wages, which shall be twice the rate of wages.
- (6) No working journalist shall be employed on a night shift continuously for more than one week at a time or for more than one week in any period of fourteen days.
- (7) In the case of change of shift from night to day shift or vice versa, there shall be an interval of not less than twenty-four consecutive hours between the two shifts and in the case of a change from one day shift to another day shift or from one night shift to another night shift there shall be interval of not less than twelve consecutive hours:

Provided that no such interval may be allowed if such interval either coincides with or falls within, the interval enjoyed by a working journalist under sub-section (2) of section 25.

66. Holidays and leaves for sales promotion employees and working journalist.-

- (1) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled to ten holidays in a calendar year.
- (2) Where a working journalist or sales promotion employee is required to attend on a holiday, a compensatory holiday shall be given to them , within thirty days immediately following the holiday, on a day mutually agreed upon by them and their employer.
- (3) The working journalist or sales promotion employee shall be entitled to wages on all holidays as if such employee was on duty.
- (4) The working journalist or sales promotion employee shall be entitled to wages for the weekly day of rest as if such employee was on duty.
- (5) The working journalist or sales promotion employee may designate one or more officers in that establishment as competent officers for the purposes of these rules.

- (6) The working journalist or sales promotion employee who desire to obtain leave shall apply in writing to the competent officer of the establishment.
- (7) On an application for leave under sub-rule (6), other than casual leave, leave on medical certificate and quarantine leave, shall be made not less than one month before the date of commencement of leave, except in urgent or unforeseen circumstances.
- (8) When leave is refused or postponed, the competent officer of the establishment shall record the reasons for such refusal or postponement, as the case may be and send a copy of the order to the working journalist or sales promotion employee as the case may be.
- (9) Holidays, other than weekly days of rest, shall not be prefixed or suffixed to any leave without the prior sanction of the competent officer of the establishment.
- (10) A holiday including a weekly rest day, intervening during any leave granted under this rule shall form part of the period of leave.
- (11) (i) An establishment may recall an working journalist or sales promotion employee on leave, if that establishment considers it necessary to do so and in the event of such recall, such working journalist or sales promotion employee shall be entitled to traveling allowance, if at the time of recall such working journalist or sales promotion employee is spending their leave at a place other than headquarters;
- (ii) The traveling allowance, which shall be paid under clause (i) shall be determined in accordance with the rules of the establishment governing traveling allowance for journeys.
- (12) A working journalist or sales promotion employee who has availed themselves of leave for reasons of health may, before they resume duty, be required by their employer to produce a medical certificate of fitness from the designated qualified medical practitioner who issued the medical certificate.
- (13) Every establishment employing working journalist or sales promotion employee may designate one or more qualified medical practitioners.
- (14) (i) An working journalist or sales promotion employee shall be entitled to earned leave on full wages for a period not less than one month for every eleven months spent on duty:
- Provided that such working journalist or sales promotion employee shall cease to earn further such leave when the earned leave due amounts to one hundred twenty days;
- (ii) The period spent on duty shall include the weekly holiday, holidays, casual leave and quarantine leave.
- (15) The working journalist or sales promotion employee on earned leave shall draw wages equal to their average monthly wages earned during the period of twelve complete months spent on duty or if the period is less than twelve complete months, during the entire such period, immediately preceding the month in which the leave commences.

(16) (i) When a working journalist or sales promotion employee voluntarily relinquishes their post or retires from service on reaching the age of superannuation, they shall be entitled to cash compensation for earned leave not availed of up to a maximum of one hundred and twenty days:

Provided that working journalist or sales promotion employee who has been refused earned leave due to such employee shall be entitled to get cash compensation for the earned leave so refused:

Provided further that working journalist or sales promotion employee who dies while in service and who has not availed earned leave due to them immediately preceding the date of their death, their heirs shall be entitled to cash compensation for the leave not so availed of.

(ii) Where the services of a working journalist or sales promotion employee is terminated for any reason whatsoever, other than as punishment inflicted by way of disciplinary action, shall be entitled to cash compensation for earned leave not availed of up to a maximum of one hundred and twenty days.

(iii) Such cash compensation shall not be less than the amount of wages due to an employee for the period of leave not availed of, the relevant wage being that which would have been payable to such employee had they actually proceeded on leave on the day immediately preceding the occurrence of any of the events specified in clause (i) or clause (ii), as the case may be.

(17)(i) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled to leave on medical certificate on one-half of the wages at the rate of not less than one month for every eighteen months of service:

Provided that such employee shall cease to earn such leave when the leave on medical certificate amounts to ninety days.

(ii) Such medical certificate shall be from a qualified medical practitioner:

Provided that when a working journalist has proceeded to a place other than their headquarters with the permission of employer and falls ill, they may produce a medical certificate from any qualified medical practitioner:

Provided further that the employer may, when the registered medical practitioner whose certificate is produced is not in the service of the Government, arrange at their own expense for the medical examination of the working journalist or sales promotion employee concerned by any Government Medical Officer not below the rank of a Civil Assistant Surgeon or by any other Medical Officer in charge of a hospital run by a leave authority or a public organisation at that place.

(iii) Leave on medical certificate may be taken in continuation with earned leave but the total duration of earned leave and leave on medical certificate taken together shall not exceed a hundred and twenty days at any one time:

Provided that Medical Board may recommend for leave beyond one hundred twenty days.

- (iv) A working journalist or sales promotion employee shall be entitled at their option to convert leave on medical certificate on one-half of the wages to half the amount of leave of full wages.
 - (v) The ceiling laid down in the provision to clause (i) and (iii) on the accumulation and total duration of leave may be relaxed by the competent officer in the cases of working journalists or sales promotion employees suffering from lingering illness such as tuberculosis;
 - (vi) Leave on medical certificate or converted leave on medical certificate referred to in clause (i) and (iv) respectively may be granted to a working journalist or sales promotion employees at their request notwithstanding that earned leave is due to them.
- (18)(i) Quarantine leave on full wages shall be granted on medical certificate of the designated qualified medical practitioner as under sub-rule (13) or where there is no such designated qualified medical practitioner, by a district public health officer or other Municipal Health Officer of similar status, for a period not exceeding twenty-one days or, in exceptional circumstances, thirty days.
- (ii) Any leave necessary for quarantine purposes in excess of that period shall be adjusted against any other leave that may be due to the working journalist or sales promotion employee.
- (19) A working journalist or sales promotion employee who has no leave to their credit may be granted extraordinary leave without wages at the discretion of the establishment in which such working journalist or sales promotion employee is employed.
- (20) A working journalist or sales promotion employee who has no leave to their credit may be granted leave at the discretion of the establishment in which such working journalist or sales promotion employee is employed.
- (21) A working journalist or sales promotion employee may be granted study leave with or without wages at the discretion of the establishment in which such working journalist or sales promotion employee is employed.
- (22) (i) A working journalist or sales promotion employee shall be eligible for casual leave at the discretion of the establishment for fifteen days in a calendar year:
- Provided that not more than five days shall be taken at any one time and such leaves shall not be combined with any other leave.
- (ii) Casual leave not availed of during a calendar year will not be carried forward to the following year.

67. Weekly holiday .- (1) The employer shall post a notice at conspicuous places of workplace of every establishment, showing the weekly holiday including digital means like electronic notice boards.

(2) Where the weekly holiday is not the same day for all persons employed in the establishment, the notice shall show the holiday allowed to each relay or set of persons or individual in Hindi or English and in local language.

68. Compensatory holidays.- (1) Except in the case of worker engaged in any work which for technical reasons must be carried on continuously throughout the day, the compensatory holidays to be allowed and shall be so spaced that not more than two compensatory holidays are given in one week.

(2) The employer of the establishment shall display on or before the end of the month in which holidays are lost, a notice in respect of workers allowed compensatory holidays during the following month and of the dates thereof, at the place at which the notice of periods of works is displayed.

(3) Any subsequent change in the notice in respect of any compensatory holiday shall be made not less than three days in advance of the date of that holiday.

(4) Any compensatory holiday to which a worker is entitled shall be given to them before discharged or dismissed and shall not be reckoned as part of any period of notice required.

69. Wages for overtime.- (1) Where in an establishment-

(a) a worker works for more than eight hours in any day as daily wager or

(b) a worker, other than daily wager, for more than forty-eight hours in any week

Worker shall in respect of such overtime work be entitled to wages at the rate of twice the rate of their wages and shall be paid at the end of each wage period.

(2) In calculating overtime on any day, a fraction of an hour between 15 to 30 minutes shall be counted as thirty minutes and in case of more than thirty minutes it shall be rounded and shall be counted as an hour on actual basis.

(3) In calculating the wages or earnings in the case of a worker paid by the month, the daily wages shall be 1/26th of their monthly wages and in the case of any other worker it shall be the daily wages or earnings as the case may be.

(4) The hours of work mentioned in Rule 64 may exceed under the followings works and circumstances in respect of dock, mine and building or other construction work, namely:-

(a) urgent repairs;

(b) work in the nature of preparatory or complimentary work;

- (c) work which is necessarily so intermittent that the intervals during which they do not work while on duty ordinarily amount to more than the intervals for rest;
- (d) work which for technical reasons must be carried on continuously;
- (e) engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied every day;
- (f) engaged in a process which cannot be carried on except during fixed seasons;
- (g) engaged in a process which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;
- (h) engaged in an engine-rooms or boiler-houses or in attending to power-plant or transmission machinery;
- (i) engaged in process on account of the break-down of machinery;
- (j) engaged in the loading or unloading of railway wagons or lorries or trucks or ships;
- (k) exceptional press of work; and
- (l) engaged in any work, which is notified by the Central Government in the Official Gazette as a work of national importance:

Provided that no worker shall be allowed to work overtime exceeding one hundred forty-four hours in any quarter of a year:

Provided further that for overtime, a worker shall be paid wages as per section 27 of the Code at the end of each wage period.

70. Restriction on double employment in mines.- Circumstances for exemption from restriction on double employment in mines shall be specified by general or special order issued by the Central Government issued from time to time

71. Notice of periods of work.- The notice referred to in sub-section (2) of section 31 of the Code shall be displayed at conspicuous places on a notice board or electronic board of the establishment and maintained in **FORM-XII** and a copy of such notice shall be sent to Inspector-cum-Facilitator electronically or by speed post.

CHAPTER VIII

MAINTENANCE OF REGISTER, RECORDS AND RETURNS

72. Maintenance and production of reports, registers and other records.-(1) Every employer of establishment shall maintain: -

- (i) **employee register in FORM XIII;**
- (ii) **attendance register-cum-muster roll in FORM XIV;**
- (iii) **register for wages, over time and deduction in FORM XV;**
- (iv) registers under this rule shall be maintained electronically or otherwise;
- (v) entries in the registers shall be made in English or Hindi and in local language;

- (vi) every employer shall produce records and registers, on demand before the Inspector-cum-Facilitator or any person authorised by the Central Government;
 - (vii) all the registers and other records shall be preserved in original for a period of five calendar years from the date of last entry made therein.
- (2) Every employer shall issue wage slips, electronically to the employees in **FORM XVI** on or before the day of payment of wages to the employee.
- (3) In respect of establishment which are required to maintain register under the rules framed under the Code on Wages 2019, the above registers and wage slips required to be maintained by the employer of the establishment under Code on Wages, 2019 and rules made thereunder shall be deemed to be maintained by the employer under these rules.
- (4) All registers and other records required to be maintained under the Code shall be maintained complete and up-to-date and unless otherwise provided for, shall be kept at an office or the nearest convenient building within the precincts of the work place or at a place within a radius of three kilometers.
- (5) The employer to which the provisions of this Code applies, on or before the 28th or 29th day of February following the end of each Calendar year, upload a return in **FORM-XVII** and **XVIII** on the designated portal and provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form.

Explanation – For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

- (6) Where the employer to which the provisions of this Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then such employer shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance as the case may be, upload online, on the designated portal, a further return in **FORM-XVII** and **XVIII** referred to in sub-rule (5) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.
- (7) In case of manual registers and other records,
- (i) be legibly entered in ink in English, or Hindi and in local language and signed by employer;
 - (ii) be preserved in original for a period of five years after the date of the last report or entry:
 Provided that when the original record is lost or destroyed before the expiry of five years period, true copies thereof, if available, shall be preserved for a specified period;
 - (iii) be produced, electronically or by speed post, on demand before the Chief Inspector-cum-Facilitator or an Inspector-cum-Facilitator or any person authorised in that behalf of the Central Government.

(8) Every establishment to which Chapter III (Employees' Provident Fund) and Chapter IV (Employees' State Insurance Corporation) of the Code on Social Security, 2020 applies shall submit a self-declaration in PART-IV of **FORM- XVII** electronically.

73. Display on notice board .- Every employer shall display or caused to be display at conspicuous places of the workplace of the establishment under their control, notices owing the name and address of the establishment, hours of work, wage period, date of payment of such wages, details of accident and dangerous occurrence in the establishment for the last five years, name and address of the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction to such establishment and date of payment of unpaid wages to such workers in English or Hindi and in the local language.

74. Annual Return.- Every employer of an establishment shall send an annual return relating to such establishment in **FORM-XVII** related to category of employees, health and welfare facilities, retrenchment or layoffs, bonus, maternity benefits etc. to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction so as to reach on or before the last day of February following the end of each Calendar year electronically.

75. Register of accident and dangerous occurrences.- The registers of accident and dangerous occurrences required by sub-clause (v) of clause (a) of section 33 of the Code shall be maintained in **FORM-XIX**.

76. Register of leave with wages.- (1) The employer of every establishment shall maintain in respect of every employee thereof a record of leave with wages electronically or otherwise in **FORM-XX** and shall share the leave records of the respective employee, once in a Calendar year, on demand.

(2) The register mentioned in sub-rule (1) shall be preserved for a period of five years after the last entry in them has been made and shall not be destroyed even after the expiry of that period unless it has been properly transferred to the new register.

CHAPTER-IX

INSPECTOR-CUM-FACILITATOR AND OTHER AUTHORITY

77. Power to take samples of any articles or substances.- (1) An Inspector-cum-Facilitator shall take samples or substances in an establishment as per the inspection scheme under the Code after informing the employer of the establishment, taken in the manner herein after provided a sufficient sample of any substance used or intended to be used in the establishment, such use being—

- (a) in the belief of the Inspector-cum-Facilitator in contravention of any of the provisions of the code or the rules made there under; or

- (b) in the opinion of the Inspector-cum-Facilitator likely to cause bodily injury to, or injury to the health of employee in the establishment.

(2) Where the Inspector-cum-Facilitator takes a sample under sub-rule (1), the Inspector-cum-Facilitator shall, in the presence of the person informed under that sub-rule (1) unless such person willfully absents themselves, divide the sample into three portions and effectively seal and suitably mark them and shall permit such person to add their own seal and mark thereto.

(3) The person informed as aforesaid shall, if the Inspector-cum-Facilitator requires, provide the appliance for dividing, sealing and marking the sample taken under this rule.

(4) The Inspector-cum-Facilitator shall-

- (a) forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-rule (1);
- (b) forthwith send the second portion of the sample to a Government Analyst or to a Laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories for analysis and report thereon;
- (c) retain the third portion of the sample for production to the Court before which proceedings are instituted in respect of the substance.

(5) Any document purporting to be a report under the hand of any Government Analyst or to a Laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories upon any substance submitted for analysis and report under this rule, may be used as evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.

78. Powers and duties of Inspector-cum-Facilitator.- (1) Inspector-cum-Facilitator shall, after every inspection, as may be deemed necessary, issue improvement notice in the FORM- XXV pointing out the non-compliance of provisions of safety, health and working conditions under the Code or rules or regulations or standards made there under, to the employer or occupier or manager or owner or master or officer-in-charge of the ship or their agent.

(2) An Inspector-cum-Facilitator shall at each inspection, ascertain to what extent any shortcomings notified at a previous inspection have been rectified and the notices previously issued have been complied with and their findings and any shortcomings which may come to light during the inspection, together with any order passed by them under the Code or rule or the regulations or standards made thereunder shall be recorded and maintained.

79. Powers and Duties of District Magistrate.- Powers and duties of District Magistrate in respect of mines, will be specified by general or special order by the Central Government issued from time to time.

80. Qualifications and experiences, duties and responsibilities of experts.—The scheme will be notified for empaneling experts for third party audit and certification. The qualifications and experiences, duties and responsibilities of experts to be empaneled will be notified through general or special order by the Central Government issued from time to time.

81. Appointment of Medical officer.— (1) The Medical Officer shall be a medical practitioner who possesses any recognised medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), enrolled on a State medical register defined in National Medical Commission Act, 2019.

(2) The Medical Officer shall be trained in Occupational Health course including International Labour Organisation classification of chest radiograph duly recognised by the Central Government.

82. Duties of medical officer.— (1) On receipt of a reference under clause (c) sub section (2) of section 42 of the Code, the medical officer shall, after giving prior notice regarding date, time and place for medical examination and upon examining the worker sent for such examination, prepare the age and fitness certificate and deliver the same to the manager of the establishment and the worker concerned after retaining a copy thereof.

(2) The medical officer may seek opinion of specialists like radiologist, dentist and orthopedic surgeon as the case may be, for the purpose of determination of age.

(3) Medical Officer shall carry out such examination and furnish such report as Central Government may direct—

- (a) for examination and certification of workers in an establishment in such hazardous processes as specified in the First Schedule to the Code;
- (b) for medical supervision of any establishment or class of establishment where cases of chronic occupational illness have occurred due to hazardous nature of any process carried on or hazardous condition of work;
- (c) in respect of any establishment or class of establishment or description of establishment in which operations involve any risk of injury to the health of any person or class of persons employed therein;
- (d) to undertake occupational health survey for any or class of an establishment, where cases of illness have occurred or there is prevalence of diseases as specified in the Third Schedule to the Code;
- (e) to assess the age and issue fitness of adolescent for employment in an establishment or class of establishment.

CHAPTER X

SPECIAL PROVISION RELATING TO EMPLOYMENT OF WOMEN

83. Employment of Women in establishment.—The following conditions shall be met for employment of women during night or before 6.00 a.m. and beyond 7.00 p.m in any day, namely:—

- (a) the consent of woman employee shall be taken in writing;
- (b) no women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
- (c) adequate transportation facilities shall be provided to women employee to pick-up and drop such employee at her residence;
- (d) the workplace including passage towards conveniences or facilities concerning toilet, washrooms, drinking water, entry and exit of women employee should be well-lit; the toilet, washroom and drinking facilities should be near the workplace where such women employee are employed and suitable provisions of closed-circuit television surveillance on the way to these facilities shall be provided;
- (e) provide safe, secure and healthy working condition is provided so that no women employee is disadvantaged in connection with her employment;
- (f) dedicated telephone numbers of the establishment shall be displayed at conspicuous places both at the establishment as well as inside the vehicles, so that any women employee can utilise them, in case of any exigency or emergency;
- (g) in case of below ground mine not less than three women employees shall be on duty at any place; and
- (h) the provisions of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), as applicable to the establishments, shall be complied with.

84. Adequate safety of employment of women in dangerous operations.— The Central Government may declare from time to time by notification, the class of establishments and the standard for safeguarding of women employed in hazardous processes as specified in the First Schedule to the Code.

CHAPTER XI
PART I
CONTRACT LABOUR

85. Qualification and criteria of the contractor.- For the purposes of obtaining license, the contractor as an entity or as an individual shall not be an un-discharged insolvent or be convicted at any time during the last two years, of an offence which is liable for punishment for more than three months of imprisonment.

86. Conditions of License.- (1) The contractor shall ensure that:-

- (i) the hours of work shall conform to rules relating to section 25 of the Code;
- (ii) the wages shall be paid in accordance with the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);
- (iii) if the contract labour of the contractor is working at the premises of the principal employer, then it shall be the responsibility of the principal employer to provide the facilities or amenities such as toilet, washroom, drinking water, bathing facilities if required, changing room, first aid box, canteen and crèche; and
- (iv) all other facilities and entitlements shall be provided by the contractor.

(2) In case the contractor fails to make payment of minimum wages to the contract labour, then, the Chief Labour Commissioner (Central) or their representative, shall cause such payment to be made to the contract labours who have not been paid, out of the security deposit referred to in rule 90 including by invoking the bank guarantee.

(3) The contractor shall intimate within fifteen days of the receipt of a contract work order about the details of the contract work order in the manner as specified in rule 94.

87. Form and manner of application for contractor license.- Every application by a contractor within a state for the grant of a license shall be made on-line electronically through Shram Suvidha Portal in **FORM-XXI**.

88. Single Licence for Contractor in more than one States or for whole of India.- (1) If a contractor desirous of obtaining licence for-

- (i) supplying or engaging contract labour;
 - (ii) undertaking or executing the contract works under sub-section (1) or sub-section (2) of section 47 then, contractor shall apply electronically on Shram Suvidha Portal or Portal designated by the Central Government in **FORM-XXI** to the licensing authority for more than one States or for the whole of India.
- (2) Application for single licence under this rule shall be submitted electronically to the authority.
- (3) The concerned State Government shall be consulted by the authority electronically and if no

response is received within thirty days from the date of issue of such communication the consultation process is deemed to have been complied with.

(4) All applications under this rule shall be either approved or disapproved within a period of forty-five days, from the date of application by the contractor, beyond which it shall be deemed that there are no objections and the license shall be auto-generated on the Portal referred to in sub-rule (1).

(5) Copy of the licence so issued shall be sent to the State Government in whose jurisdiction, the contract work or works for which licence is issued.

(6) Licence issued under this rule shall be valid for five years.

89. Forms, terms and conditions of licence.—(1) Every licence granted shall be in **FORM-XXII**.

(2) Every licence granted or renewed is subject to the following conditions, namely:—

- (i) the licence shall be non-transferable;
- (ii) the number of contract labour employed by the contractor shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the licence;
- (iii) the fees paid for the grant or renewal of the licence shall be non-refundable;
- (iv) the rates of wages payable to the contract labours by the contractor shall not be less than the rates fixed under the Code on Wages, 2019 and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, shall not be less than the rates so fixed.

90. Procedure for issue of licence.— (1) Before a licence is issued, bank guarantee for an amount of security calculated at the rate of Rs. 1000/- for each of the contract labours to be employed, in respect of which the application for licence has been made, shall be deposited by the contractor with the authority for performance of the conditions of the license and compliance with the provisions of the Code.

(2) If contractor proposes to engage one lakh or more but less than one lakh fifty thousand contract labours an amount of security shall be Rs. 10 Crore and engages one lakh fifty thousand but less than two lakhs contract labour an amount of security shall be Rs. 15 Crores and engages two lakh or more contract labour an amount of security shall be Rs. 20 Crores.

(3) Wherein the issued contract license had expired, based on the request of the applicant in **FORM-XXII**, the authority may adjust the security deposit under sub-rule (1) in respect of their application for new license.

(4) The fees to be paid for the grant of a license shall be as specified in the Table:

(a)	No license is required up to 49 contract labour	Nil.
(b)	50 and above but not exceeding 100 contract labour	Rs. 1000
(c)	101 and above but not exceeding 300 contract labour	Rs. 2000
(d)	301 and above but not exceeding 500 contract labour	Rs. 3000
(e)	501 and above but not exceeding 1000 contract labour	Rs. 5000
(f)	1001 and above but not exceeding 5000 contract labour	Rs. 10000
(g)	5001 and above but not exceeding 10000 contract labour	Rs. 20000
(h)	10001 and above but not exceeding 20000 contract labour	Rs. 30000
(i)	exceeding 20001 contract labour	Rs. 40000

91. Renewal of licence of Contractor.- (1) Every contractor shall apply electronically on Shram Suvidha Portal to the licensing authority for renewal of the licence.

(2) Every such application shall be submitted on the Portal referred to in sub-rule (1) at least thirty days prior to expiry of licence period but not before ninety days of such expiry of licence.

(3) The fee chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant of licence under rule 90:

Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule (2), an additional fee of twenty five per cent shall be payable for such renewal.

(4) It shall be the responsibility of the authority concerned to renew licence within seven days electronically failing which the licence shall be deemed to be issued and auto generated.

92. Refund of security deposit.-(1) On expiry of the period of licence the contractor may, if not intends to have their licence renewed further, make an application electronically to the licensing authority for the refund of the security deposited by them along with copy of licence so expired and notice of completion of work and bank details in which amount is required to be refunded.

(2) Where the authority is satisfied that there is no breach of the conditions of licence or there is no order for the forfeiture of security deposit or any portion thereof, authority shall direct the return of the security deposit to the contractor.

(3) If there is any order directing the forfeiture of any portion of security deposit, the amount to be forfeited shall be deducted from the security deposited and balance, if any, shall be refunded to the contractor within thirty days from the making of application.

(4) Any application for refund shall, be disposed of within thirty days of the making of such application.

93. Responsibility of contractor.-(1) The rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates fixed under the Code on Wages, 2019 and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed.

(2) In case where the contract labour employed by the contractor performs the same or similar kind of work as the worker directly employed by the principal employer of the establishment, the holidays, hours of work and other conditions of service of the contract labour of the contractor shall be the same as applicable to the workers directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work.

(3) In case of any dispute whether the work is of similar kind, the matter be referred to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) whose decision shall be final.

(4) All contract labour shall be made member of Employees' Provident Fund Organisation and Employees' State Insurance Corporation subject to applicability as under respective provisions of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).

(5) The contractor shall notify any change in the number of contract labours or conditions of work on the Shram Suvidha Portal.

94. Intimation of work order and time limit for intimation.-(1) Every contractor shall within fifteen days of the receipt of a contract work order shall intimate about the contract work order containing the details such as the name of the principal employer, address of the premises where work is being undertaken, date of commencement of the contract work, the number of contract labour employed under that work order, duration of work orders through Shram Suvidha Portal.

(2) The details of work order shall be sent under sub-rule (1) by the contractor or their authorised representative.

(3) The intimation under sub-rule (1) shall be sent electronically on Shram Suvidha portal.

95. Revocation and suspension of license.-(1) If the authority is satisfied that the licence has been obtained by mis-representation or suppression of any material fact or if the contractor has failed to comply with the conditions subject to which licence was granted or the contractor has contravened any provision of Part-I of Chapter-XI of the Code or rules made there under, the Authority shall issue a show cause notice of fifteen days to the contractor electronically.

(2) Upon receipt of the reply from the contractor within 15 days of the receipt of the notice, the Licensing Authority shall examine the same and in case the licensing authority is of the opinion that the continuation of contract business by the contractor is going to lead to grave harm to the contract labours, the authority may pass a speaking order recording the reasons for revocation or suspension or otherwise and communicate the order to the contractor electronically or by speed post.

(3) A copy of the order shall also be endorsed to the Chief Labour Commissioner (Central) , concerned

Labour Enforcement Officer (Central) and concerned State Authorities.

(4) If the contractor has complied with the concerned provisions of the Code and rules made there under within the stipulated time period, the Licensing Authority shall revoke the suspension giving a speaking order or else the suspension may be continued.

(5) If the contractor fails to comply with the order in sub-rule (1), the authority may forthwith pass an order of revocation of license, recording the reasons thereof and communicate to the contractor electronically or by speed post and the copy of the order shall be endorsed electronically to Chief Labour Commissioner (Central), concerned Labour Enforcement Officer (Central) and the concerned State Authority.

96. Amendemnt of Licence.- (1) The contractor seeking amendment in licence shall apply electronically in **FORM-XXI** on Shram Suvidha Portal by giving details about the amendment and uploading documents related to license issued, proof of Identity and address of the employer as specified in the said Form.

(2) The Form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal.

(3) The applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application.

(4) The fees to be paid for the amendment of Licence as specified in sub rule (4) of Rule 90.

(5) The amended licence shall be issued electronically immediately, if the application is complete in all respect but not later than seven days from the date of submission of complete application, failing which such licence shall be deemed to have been amended and the amended licence shall be auto generated.

(6) After issuance of amended licence, proportionate security deposit will be returned if number of contract labour decreases and an additional amount of security deposit, shall be deposited, if number of contract labour increases.

97. Appeal. – (1) The appellate authority under sub-section (1) of section 52 of the Code shall be notified by the Central Government, issued from time to time.

(2) The form and the fees for this purpose will be specified by general or special order by Central Government issued from time to time.

98. Responsibility of payment of wages.- (1) The contractor shall fix the wage periods in respect of which wages shall be payable and no wage period shall exceed one month.

(2) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor shall be paid before the expiry of seventh day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

(3) The principal employer shall settle the bills of contractor related to dues of contract worker within timeline as per the terms and conditions agreed between principal employer and contractor.

(4) The wages shall be disbursed through bank transfer or electronically.

Provided that where it is not practicable to disburse wages through bank transfer or electronically, the wages shall be disbursed in current coins or currency.

(5) The wages of contract labours shall be paid without any deductions of any kind, except those specified by the Central Government.

(6) A notice showing wage period and date and time of disbursement of wages of contract labour shall be displayed at the place of work and a copy sent by the contractor to the principal employer electronically.

(7) Every contractor shall send half-yearly return in **FORM-XVIII** electronically to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) concerned not later than thirty days from the close of the half year, that is to say January to June, July to December.

(8) In case contractor fails to make payment of wages to the contract labour within seven days of completion of wage period, then the principal employer shall take necessary action and make payment of wages in full or the unpaid balance dues, as the case may be, to the concerned contract labour employed by the contractor within fifteen days and recover the amount so paid from the contractor either by deduction from any amount payable to the contractor under any contract or as debt payable by the contractor or from the security deposit lying with the principal employer.

(9) Every principal employer of an establishment shall submit annual return in **FORM-XVII (Part-III)** electronically to the authority and concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) so as to reach on or before last day of February following the end of each Calendar year electronically, except in cases of contract which undertakes to produce given result.

99. Making payment of wages from the security deposit amount.- (1) If the contractor or principal employer does not pay the wages to the contract labour employed by them, the concerned Chief Labour Commissioner (Central) shall conduct or cause to conduct, an inquiry and after giving an opportunity to be heard to the contractor shall pass an order to make payment if any, of such wages from the amount deposited by the contractor as security deposit.

(2) The contractor shall re-furnish the security deposit within a period of fifteen days or else license will be liable to be suspended.

100. Experience Certificate.- Every concerned contractor shall issue on demand, experience certificate in **FORM-XXIII** to the contract labour giving details of the period, work performed, experience gained in various fields performed by such contract labour.

101. Prohibition of employment of contract labour.- If a question arises as to whether any activity of an establishment is a core activity or otherwise, the aggrieved party may make an application to the Central Government, which may refer such application to the designated authority, notified by the

Central Government. The form of application, manner and time period shall be as per general or special order by the Central Government issued from time to time:

Provided that no adverse action will be taken during the pendency of proceedings so that the operation of the activity is not affected.

PART II

INTER-STATE MIGRANT WORKER

102. Journey allowance to inter-State migrant worker.- (1) The employer shall pay a lump sum amount on account of fare for to and fro journey to inter-state migrant worker by train not less than II Class sleeper or by bus or any other mode of passenger transport from the place of employment to the place of residence in the home-state in the event, if such worker has worked for a period of not less than one hundred and eighty days in the concerned establishments in preceding twelve months:

Provided that the journey allowance shall be given to an inter-state migrant worker once in twelve months.

(2) In the event of change of employer by the inter-State migrant worker during the middle of the employment period and such worker has not availed the journey allowance from their previous employer, then on the basis of a certificate to be given by inter-State migrant worker, the employer where the inter-State migrant worker is presently working and such worker has completed one hundred and eighty days in preceding twelve months including the period spent with the previous employer, then the present employer shall pay journey allowance.

103. Setting up of a Toll Free helpline number to the inter-state migrant worker.- A Toll-Free help-line number shall be provided through general or special order by Director General Labour Welfare Organisation of the Ministry of Labour and Employment, to address queries and safety of the inter-State migrant workers.

104. Study of inter-State migrant workers.- The Central Government may identify the studies to be carried out to promote safety, health and welfare of inter-State migrant workers as specified by general or special order by the Central Government issued from time to time. Wherever required the Central Government may also consult the State Government or expert organizations involved in the safety, health and welfare of inter-State migrant workers.

PART III

AUDIO- VISUAL WORKER

105. Agreement for audio-visual worker.- The agreement for the audio-visual worker with the producer shall be registered in **FORM-XXIV**.

106. Procedure for reference of disputes to a Conciliation Officer or a Tribunal.- The procedure for reference of dispute to a conciliation officer or a tribunal shall be as per the procedure prescribed in the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) and rules made thereunder.

PART IV

MINES

107. Qualification and appointment of manager in mines.- No mine shall be opened, re-opened or worked unless it has a duly appointed manager, who has the following qualifications specified in the Table below, namely:-

Type of mine	Average material handled or average output of the mine	Essential Qualification for the manager
(1)	(2)	(3)
Belowground coal mines	(a) Average output in excess of 2,500 tonnes	A First Class Manager's Certificate of Competency (Coal).
	(b) average output not exceeding 2,500 tonnes	A First Class Manager's Certificate (Coal) or Second Class Manager's Certificate of Competency (Coal).
Open cast Coal Mines:	(a) average material handled in excess of 20,000 cubic metre	A First Class Manager's Certificate of Competency (Coal) or a First Class Manager's Certificate of Competency restricted to mines having open cast workings only (Coal) .

	(b) average material handled not exceeding 20,000 cubic metre	A First Class Manager's Certificate of Competency (Coal) or a First Class Manager's Certificate of Competency restricted to mines having open cast workings only (Coal) or Second Class Manager's Certificate of Competency (Coal) or Second Class Manager's Certificate of Competency restricted to mines having opencast in coal.
Below ground metalliferous mines	(a) average output in excess of 1,250 tonnes	A First Class Manager's Certificate of competency (Metal).
	(b) average output not exceeding 1,250 tonnes	A First Class Manager's Certificate of Competency (Metal) or Second Class Manager's Certificate of Competency (Metal).
Opencast metalliferous mines	(a) average material handled in excess of 20,000 cubic meter	A First Class Manager's Certificate of Competency (Metal) or a First Class Manager's Certificate of Competency restricted to mines having open cast workings only (Metal).
	(b) average material handled not exceeding 20,000 cubic meter	A First Class Manager's Certificate of Competency (Metal) or a First Class Manager's Certificate of competency restricted to mines having open cast workings only (Metal) or Second Class Manager's Certificate of Competency (Metal) or Second Class Manager's Certificate of Competency restricted to mines having open cast workings only (Metal).
Mine having both open cast and underground workings	all coal and metal mines	First Class Manager's Certificate of Competency (Coal or Metal as the case may be)

Oil mines	all oil mines	A degree or diploma in engineering or post-graduation in physics or geophysics or geology or chemistry of an educational institution recognised by the Central or State Government and has experience in the management and supervision of operations in oil mines for a period of not less than fifteen years in case of diploma in engineering and ten years in other cases.
-----------	---------------	--

Explanation: “Average output” of any mine, means the average output per month during the preceding calendar year of the total output from all workings within the specified mine boundaries;

“Average material handled” of any mine, means the average material (mineral and overburden material) handled per month during the preceding calendar year of the total material handled from all workings within the specified mine boundaries.

108. Code not to apply in certain mines.- (1).— The provision of the Code, except those contained in sections 35,38, 40,41 and 44 shall not apply to –

- (i) any mine or part thereof in which excavation is being made for prospecting purposes only and not for the purpose of obtaining minerals for use and sale:

Provided that –

- (a) not more than twenty persons are employed on any one day in connection with any such excavation;
 - (b) the depth of the excavation measured from its highest to its lowest point nowhere exceeds six meters or, in the cases of an excavation in coal, fifteen meters; and
 - (c) no part of such excavation extends below superjacent ground;
- (ii) any mine engaged in the extraction of kankar, murram, laterite, boulder, gravel, shingle, ordinary sand (excluding moulding sand, glasss and other mineral sands), ordinary clay (excluding kaolin, china clay, white clay or fire clay), building stone, slate, road metal, earth, fullers earth, marl, chalk and limestone:

Provided that-

- (a) the working do not extend below superjacent ground; or
- (b) where it is an opencast workings-

- i. the depth of the excavation measured from its highest to its lowest point not anywhere exceeds six meters;
- ii. the number of persons employed on any one day does not exceed fifty; and
- iii. explosives are not used in connection with the excavation.

(2) As soon as an establishment becomes a mine, the employer of the mine shall give notice electronically, to the Inspector-cum-Facilitator within seven days from the date it becomes a mine.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Central Government may declare by an order in writing require that all provisions of the Code shall be applicable, in such mine or part thereof subject to such conditions as may specify therein.

109. Initial and periodical medical examinations in mines.- (1) The employer of every mine shall make arrangements for –

- (i) initial medical examination of every person seeking employment in a mine;
- (ii) periodical medical examination of person employed in a mine annually;
- (iii) the medical examination shall be conducted as per **FORM-IX**.

(2) The periodical medical examination or the X- Ray examination or both, shall be conducted at frequent intervals, if the medical examining authority deems it necessary to confirm a suspected case of a dust related disease.

110. Examining authorities.- (1) The medical examination referred to in rule 109 shall be carried out by a qualified medical practitioner in the employment of the employer of the mine or duly assigned for this purpose by the employer of group of mines or by any Government Medical Officer.

(2) The examining authority shall be trained in occupational health course including the International Labour Organisation, Classification of Chest Radiograph duly recognised by the Central Government.

111. Notice of medical examination.- (1) In respect of initial medical examination, employer shall give at least seven days prior notice in writing to the person to be examined, in Form to be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator and a copy of every such notice issued shall be sent by employer to the examining authority.

(2) In respect of periodical medical examination the manager shall give at least twenty days prior notice in writing to the person to be examined, in Form to be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(3) A copy of every such notice issued shall be sent by the employer to the examining authority along with previous medical certificates issued, pertaining to the persons concerned.

(4) A person, who for any reasonable cause, fails to appear for the medical examination in accordance with the notice issued to such person, shall be given a second notice of a minimum period of ten days in Form to be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator, by the manager and a copy

of every such notice shall be sent by the manager to the examining authority.

(5) The examining authority shall inform the manager whether the person concerned has appeared for medical examination or not within one week from the date fixed for medical examination in the second notice.

112. Failure to undergo medical examination.— (1) A person who without reasonable cause, fails to appear for medical bel

Provided that a person who renders themselves so liable to be discharged for failure to appear for medical examination shall be required to show cause why such person could not comply with the notice within the time specified therein.

(2) If explanation is found satisfactory by the management, such person shall be given another chance to appear for medical examination.

(3) Where the explanation is not found satisfactory their service shall be terminated by the management.

113. Standard and report of medical examination.— (1) The examining authority holding initial and periodical medical examination shall examine a person according to the standards laid down in **FORM –IX**.

(2) After examinations, copy of the medical certificate in **FORM –IX**, shall be issued by the examining authority to the person concerned electronically or by speed post and copy be sent to the employer of the mine concerned electronically.

(3) The examining authority shall retain the third copy of the medical certificate.

(4) In the case of periodical medical examination, the examining authority shall send the copy of previous medical certificates of the person concerned, back to the manager of the mine concerned.

114. Retention and transfer of medical certificates.— (1) All medical examination records with medical history and job details to depict the occupational dust exposure profile of persons employed or to be employed in a mine shall be retained in the possession of the manager of the mine so long as the person is employed in the mine and for a period of five years thereafter:

Provided that the manager of a mine where such person is or was employed shall, if so requested by the manager of any other mine where the person is to be employed, send all medical certificates with respect to such person.

(2) If the examining authority who conducts medical examination of persons employed or to be employed in any mine is relieved of their duties regarding medical examination, such examining authority shall transfer all records of medical examination in their possession to the manager of the mine concerned.

115. Identity of candidates.- The examining authority, shall record the Aadhaar number, after obtaining consent and signature of every candidate appearing before it for medical examination on the copies of the medical certificate.

116. Medical Examination of women.- (1) A woman employee shall be examined by female qualified medical practitioner.

(2) In case a female medical practitioner is not available, the woman employee shall be medically examined by a male qualified medical practitioner in the presence of another woman.

117. Appeal for re-examination. (1) Where as a result of an initial medical examination or of periodical medical examination, a person has been declared unfit for employment in mines or in particular category of mines or in any specified operations in mine , such person may, within thirty days of the receipt of a copy of the certificate, file an appeal with the employer , against the declaration aforesaid and request for a medical re-examination by an appellate medical board.

(2)(i) the employer in case of initial medical examination and manager of the mine in case of periodical medical examination shall forward the appeal to the convener of the appellate medical board within fifteen days of the receipt of the appeal;

(ii) the convener of the appellate medical board shall give at least fifteen days prior notice to the owner, agent or manager and also the appellant, for re-examination;

(iii) a person, who for any reasonable cause, fails to appear for a medical re-examination shall be given another notice at least seven days in advance;

(3) In respect of every medical re-examination by the appellate medical board, the appellant shall pay such fees and the medical examination shall be conducted in such manner as may be determined by the appellate medical board.

(4) In case the appellate medical board finds such person fit for employment in mines, the fees shall be reimbursed in full to the appellant by the employer of the mine where such person is employed.

118. Constitution of appellate medical board.- For the purpose of medical re-examination on appeal, the appellate medical board shall be constituted by the Central Government in the following manner, namely;

- (i) an Inspector-cum-Facilitator who shall act as the convener of the board for coordination purpose;
- (ii) two qualified medical practitioners in allopathic system of medicine and in the employment of the State or Central Government as nominated by the Chief Inspector-cum-Facilitator:

Provided that, the convener can co-opt any specialist medical practitioner if the appellate medical board is of the opinion that such specialist is required to be consulted for specific issues.

119. Standard and report of medical re-examination by the appellate medical board.- (1) The appellate medical board shall medically examine the appellant in accordance with the standard laid down in the **FORM –IX** for initial and periodical medical examination.

(2) The certificate of medical re-examination in the **FORM –X**, shall be issued to the manager of the mine and to the appellant.

(3) A copy of the medical certificate shall be retained with the convenor.

120. Unfit persons not to be employed.- Where, as a result of an initial medical examination or periodical medical examination or after medical re-examination, a person has been declared unfit for employment in mines or in a particular category of mines or in any specified operations in mine, the person, shall not be employed or continue to be employed in mine or in the category of mines or on the operations specified, after the expiry of thirty days from the date of medical examination unless such person has filed an appeal against the declaration:

Provided that, if the qualified medical practitioner carrying out the initial medical examination, or the periodical medical examination or the appellate medical board carrying out the medical re-examination of persons already in employment is of the opinion that the disability of the person examined is of such a nature and degree that it will not seriously affect or interfere with the normal discharge of their duties, it may recommend their continuation in employment in the mine for a period not exceeding six months, during which such person may get their disability cured or controlled and appear for another medical examination after six months and be declared fit.

121. Cost of medical examination.-The cost of medical examination under these rules, shall be borne by the employer of the mine except in case the person is declared unfit for employment in mines after re-examination by appellate medical board.

122. Exemptions from hours and limitation of employment.- The following persons shall be exempted from the provisions of sub-section (1) of section 25, sub-section (1) of section 26, section 30 and sub-section (1) of section 31 in respect of the following, namely:-

- (i) person holding position of supervision or management or like other position, employed in a confidential capacity;
- (ii) manager, deputy manager, installation manager, fire officer, assistant manager, ventilation officer, safety officer, information technology, instrumentation and communication officials;
- (iii) mining, electrical and mechanical engineer;
- (iv) mining supervisor, assistant mining supervisor and supervisor in oil mines;

- (v) mechanical and electrical foreman and electrical and mechanical supervisor;
- (vi) surveyor and assistant surveyor;
- (vii) qualified medical practitioner, dresser, compounder, chemist, assayer, metallurgist and welfare or personnel officer; and
- (viii) any other person specified by Central Government through general or special order issued from time to time.

123. Establishment and location of rescue station.- (1) The Chief Inspector-cum-Facilitator may permit or require the employer of a below ground mine or a group of below ground mines to establish and maintain rescue stations with such designs and specifications and at such places as may be considered necessary in consultation with the employer:

Provided that where there are below ground mines belonging to more than one employer, the Chief Inspector-cum-Facilitator may permit or require two or more employers to jointly establish common rescue stations:

Provided further that all the existing rescue stations as on the date of coming into force of these rule, shall continue to function for a period of three years from that date.

- (2) At every rescue station, there shall be a superintendent and at least two instructors and there shall be maintained a rescue brigade of not less than eighteen rescue trained persons.
- (3) Where in absence of the superintendent at a rescue station exceeds sixty days, the employer shall appoint another superintendent.
- (4) The employer shall, on the same day of assumption or relinquishment of charge by the superintendent, inform the Chief Inspector-cum-Facilitator and the Inspector-cum-Facilitator of the region where the mine is situated.

124. Functions of rescue station.- The functions of rescue station shall include-

- (i) imparting initial training in rescue and recovery work;
- (ii) imparting refresher training to rescue trained persons;
- (iii) providing support by its own rescue teams and equipment in case of major accidents or long lasting rescue and recovery operations; and
- (iv) carrying out the functions of rescue room in respect of those below ground mines where there is no rescue room.

125. Establishment and location of rescue room.- (1) At every below ground mine where, more than 100 persons are ordinarily employed below ground and there is no rescue station within a radius of 35 kms, the employer, shall establish a rescue room on surface close to mine entrance:

Provided that it may be sufficient to provide one rescue room for a number of mines belonging to the same employer where-

(a) the total number of persons ordinarily employed in below ground workings of all such mines does not exceed 5000; and

(b) the mines are situated within radius of 35 kms from and connected by road with the rescue room :

Provided further that the Chief Inspector-cum-Facilitator may permit the employer of a group of mines having the total number of persons ordinarily employed below ground in excess of 5000 to use the rescue room as a rescue station excepting the functions of imparting initial training in rescue work, if such rescue room is .-

- (i) equipped with requisite additional rescue apparatus including at least 15 extra sets of two hour self- contained breathing apparatus; and
 - (ii) placed under the charge of a person holding the qualifications, experience and like other requirements of instructors and minimum of five rescue trained persons of whom at least one shall hold the qualifications, experience and like other requirements of rescue room in-charge are posted thereat.
- (2) At each rescue room, there shall be appointed such number of rescue trained persons as may be necessary and one of them possessing the qualifications, experience etc. of rescue room in-charge who shall be made in-charge of the rescue room.
- (3) At least one rescue trained person shall always be in attendance at the rescue room.

126. Functions of rescue room.- A rescue room shall provide facilities for the storage, assembly and testing of breathing apparatus and other rescue equipment and apparatus and for their speedy transport to mines.

127. Qualifications, experience etc. of superintendent.- No person shall be appointed as superintendent unless such person-

- (i) is a rescue trained person;
- (ii) has 5 years practical experience of below ground work in mines; and
- (iii) holds a First Class Manager's Certificate of a type not restricted to open cast workings.

128. Qualifications, experience etc. of instructor.- No person shall be appointed as instructor unless such person-

- (i) is a rescue trained person;
- (ii) has 3 years practical experience of below ground work in mines; and
- (iii) holds a Manager's certificate of a type not restricted to open cast workings.

129. Selection of rescue trained persons for posting at rescue station.- (1) The rescue trained persons for posting at a rescue station shall be selected, amongst the rescue trained persons employed in mines served by such rescue station, by the superintendent in consultation with the managers of such mine.

(2) A person selected under sub-rule(1) shall be posted for not less than one year and not more than five years at a rescue station at any one time.

130. Qualifications, experience etc. of rescue room in-charge.- No person shall be appointed as rescue room in-charge unless such person-

- (i) is a rescue trained person;
- (ii) has three years practical experience of below ground work in mines ; and
- (iii) holds a Manager's or Mining Supervisor's Certificate of a type not restricted to open cast workings.

131. Equipment.-(1) At every rescue station and rescue room, there shall be provided and maintained for immediate use, apparatus and equipment as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order.

(2) A below ground mine, where no rescue room is located, there shall be apparatus and equipment as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time and shall be maintained at the entrance of such mine.

(3) Self- contained breathing apparatus shall be provided at a rescue station and that at rescue rooms under it shall be of the same type and make.

(4) The following apparatus and equipments provided under of sub-rules (1),(2) and (3), shall be of a type or standard approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator, namely:-

- (a) breathing apparatus;
- (b) smoke helmets, tube apparatus and apparatus serving the same purpose;
- (c) reviving apparatus;
- (d) electric safety lamps and flame safety lamps;
- (e) gas detector; and
- (f) self-rescuers.

(5) All breathing apparatus and every flow meter shall be adjusted and tested and the purity of oxygen for use in breathing apparatus shall be tested in such manners as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

(6) In event of an accident in a below ground mine arising out of the use of any rescue apparatus, a written report thereof shall be sent, within 24 hours of such accident, by the manager of the mine to the Chief Inspector-cum-Facilitator and Inspector-cum-Facilitator in the form, as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

(7) In case of an accident in a rescue station or rescue room arising out of the use of any rescue apparatus

a written report thereof shall be sent electronically, within 24 hours of such accident, by the Superintendent to the Chief Inspector-cum-Facilitator and Inspector-cum-Facilitator in the form, as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

(8) No absorbent charges, chemicals, self-rescuer and gas detector tubes shall be kept at any rescue station, rescue room or below ground mine for use beyond the expiry date, which shall be legibly marked on the boxes thereof.

132. Duties and responsibilities of Superintendent.- (1) The Superintendent shall be overall in charge for control of the rescue station and the rescue rooms served by such rescue station.

(2) The Superintendent shall ensure that all the rescue equipment and apparatus kept at the rescue station, rescue rooms and at the entrance of the below ground mine under their control are-

- (i) maintained in proper working order;
- (ii) inspected by instructors at specified intervals; and
- (iii) tested and adjustments are made accordingly.

(3) The superintendent shall ensure that adequate stock of spare parts and supplies are kept for maintaining rescue equipment and apparatus in proper working order.

(4) The superintendent shall countersign the records maintained.

(5) The superintendent shall ensure that persons selected for initial training and those undergoing refresher training receive the course of instructions and practices as may be approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator and are issued the certificates for the same.

(6) The superintendent shall make periodical inspection of rescue rooms and the apparatus and equipment under their control.

(7) When an emergency at a below ground mine, superintendent shall perform such rescue and recovery work as may be assigned by the manager or in absence of manager, by the principal official present at the surface.

(8) The superintendent shall send a daily report and a complete report within twenty-four hours after completion of the rescue or recovery work to the Inspector-cum-Facilitator or the Chief Inspector-cum-Facilitator.

(9) The superintendent shall maintain in a bound paged book or in retrievable and non-editable electronic form and shall record therein the results of each of their inspections and the action taken by them to rectify the defects observed during inspection.

133. Duties of instructor.- (1) Under the direction of the superintendent, the instructor shall-

- (i) impart course of instructions and practices to persons selected for training in rescue and recovery work as well as to rescue trained persons and maintain a record thereof; and

- (ii) make inspection, test and adjustment of rescue equipment and apparatus and maintain a record thereof.
- (2) When an emergency at a below ground mine, instructor shall perform such rescue and recovery work as may be assigned by the manager or in absence of the manager, by the principal official present at the surface.
- (3) The instructor shall not leave the rescue station without prior permission of the superintendent.
- (4) In the absence of the superintendent, the instructor shall be in-charge of the rescue station.

134. Duties and responsibilities of rescue room in-charge.- Every rescue room in-charge shall-

- (i) display prominently a list of mines served by their rescue room;
- (ii) maintain the equipment and apparatus kept at the rescue room in proper working order;
- (iii) maintain a proper record of all rescue equipment and apparatus kept at the rescue room and inspection thereof; and
- (iv) not allow any unauthorised person to enter into or permit any unauthorised person to take out any apparatus or equipment from the rescue room.

135. Duties of rescue trained persons posted at rescue station.- The rescue trained person shall-

- (i) obey order of the superintendent and instructor and assist them in discharge of their functions;
- (ii) attend to messages, telephone calls and wireless and maintain record thereof;
- (iii) maintain the rescue station in neat and tidy condition;
- (iv) maintain the equipment and apparatus kept at the rescue station in proper working order;
- (v) perform rescue and recovery work in mine; and
- (vi) not leave rescue station without obtaining permission from the superintendent.

136. Duties of rescue room attendant .- Every rescue room attendant shall-

- (i) not leave the rescue room until relieved by a substitute;
- (ii) not allow any unauthorised person to enter in or to take out any apparatus or equipment from the rescue room;
- (iii) attend to telephone calls and maintain a record thereof;
- (iv) maintain the rescue room in neat and tidy condition; and
- (v) obey orders of the rescue room in charge and assist in discharging the functions of rescue room in-charge.

137. Telephone communication.- Every mine shall be connected preferably through wireless communication or telephonically with the rescue room and rescue station serving such mine:

Provided that where there is no communication system, the Chief Inspector-cum-Facilitator may by an order in writing and subject to such conditions as may specify therein, approve other means of communication.

138. Rescue tracings.- (1) There shall be kept at a below ground mine, more than three legible tracings of the working of the mine upto a date not before three preceding months.

(2) The tracing shall show the system of ventilation in the mine and in particular, the general direction of air-current, every point where the quantity of air is measured, every air-crossing, ventilation-door, stopping, booster fan and any other principal device for regulation and distribution of air, fire-dams, preparatory stoppings, every fire-fighting equipment, every water-dam with dimensions and other particulars of construction, every pumping, telephone and ambulance station, every room used for storing inflammable material, reserve stations and every haulage and travelling roadway.

139. Appointment of rescue trained persons in mines, their disposition and accommodation.

- (1) The manager of a below ground mine, where more than 100 persons are ordinarily employed, shall ensure that at least 5 rescue trained persons are readily available at surface at any time.
- (2) The manager of a below ground mine, where more than 500 persons are ordinarily employed, shall ensure that persons on a scale of one man for every 100 persons or part thereof are rescue trained persons.
- (3) It shall be the responsibility of the employer to provide suitable accommodation-
- (i) close to the rescue station to the superintendent, instructors and members of rescue brigade;
 - (ii) close to rescue room to rescue room in-charge rescue trained persons and attendants attached to it; and
 - (iii) close to below ground mine entrance to rescue trained persons other than those specified in clauses (i) and (ii).
- (4) There shall be provided at a below ground mine effective bell or other arrangements, as may be approved by the Inspector-cum-Facilitator for immediate summoning of rescue trained persons.

140. Selection of persons for training in rescue work.- No person shall be selected for training in rescue work, unless such person-

- (i) is between 21 and 40 years of age and holds a valid First-aid certificate from the institutes recognised by the Central or State Government ;
- (ii) is certified by the manager that such person has sufficient underground experience for the purpose of rescue work;

- (iii) is certified by a qualified medical practitioner, as may be designated by the manager after examination in accordance with the standard as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order, to be free from any organic disease or weakness and to be fit for undertaking rescue work; and
- (iv) is considered by the Superintendent of rescue station, after such examination and interview as Superintendent considers necessary, to be suitable for rescue work with breathing apparatus.

141. Instructions and practices etc.- (1) Every person selected for training in rescue work shall undergo the course of instructions and practices as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time, until such person has passed and has been certified as efficient by the Superintendent .

(2) Rescue trained person shall undergo practices and receive instructions as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

(3) A record shall be kept at every rescue station of all persons undergoing practices and receiving instructions and such record shall contain-

- (i) the date and the character of each practice;
- (ii) the medical condition of each person after the practice and if anything abnormal was observed in their condition, whether it was due to a defect of the apparatus or due to that person ; and
- (iii) any other relevant information.

142. Medical examination etc. of rescue trained person.- Every rescue trained person shall be re-examined once at least in every twelve months by a qualified medical practitioner as may be designated by the manager in accordance with the standard as specified in **FORM IX** and in case such person is declared medically unfit, such person shall cease to be a rescue trained person with effect from the date such person has been so declared.

143. Suspension of rescue trained persons.- If in the opinion of the employer or an Inspector-cum-Facilitator, a rescue trained person is guilty of negligence or misconduct in the performance of their duties, may after giving such person an opportunity to provide a written explanation, suspend or debar such person from undertaking any rescue and recovery work.

144. Duties of manager etc. in emergency.- (1) On receiving information of any emergency likely to require the services of a rescue team, the manager or in absence of manager, the principal official present at the surface, shall immediately-

- (i) inform the rescue room or the rescue stations serving the mine for necessary assistance;
- (ii) summon rescue trained person employed in the mine;
- (iii) inform the owner, agent or manager of nearby mines to make available the services of rescue

- trained persons employed therein if so required;
- (iv) inform the rescue station about the nature of the occurrence; stating whether assistance would be needed from the rescue station;
- (v) summon medical assistance; and
- (vi) send information of the occurrence to the Inspector-cum-Facilitator.
- (2) All rescue and recovery work at a below ground mine shall be conducted under the control, direction and supervision of the manager of the mine or in absence of the manager, the principal official present at the surface:

Provided that in the event of a major emergency, such as ignition, explosion, underground fire or an accident involving a number of persons, the manager or the principal official shall, in taking decisions regarding rescue and recovery operations, take guidance from a group consisting of a senior official of the management, a representative each from the Director General of Mines Safety, concerned rescue station and the recognised Union of the Workers, so however manager or the principal official must take necessary decisions and direct the operations as the situation warrants, without waiting for the constitution or deliberations of the said group.

145. Accommodation at the below ground mine for persons engaged in rescue work.- (1)

Whenever rescue trained persons are engaged in rescue or recovery work at a below ground mine, there shall be provided at such mine suitable accommodation for storage and charging of apparatus required for that work.

(2) Such accommodation shall be situated at a convenient place near the entrance in use and shall be properly ventilated and lighted.

(3) Adequate quantity of cool and wholesome drinking water and food shall be provided for the rescue workers.

146. Entry into below ground mines for rescue or recovery work.- (1) No person shall be allowed to enter a below ground mine or part thereof which is unsafe for the purpose of engaging in rescue or recovery work, unless authorised by the manager or by the principal official of the mine present at the surface.

(2) Only rescue trained persons shall be permitted to enter the mine for the purpose of using self-contained breathing apparatus.

(3) During the course of rescue or recovery work, person shall be stationed at the entrance to the below ground mine and shall keep a written record of all persons entering and leaving such mine and the time thereof.

147. Fresh air bases.- (1) The base shall be established in fresh air, as near to the irrespirable zone or zones based on safety consideration, every such base shall, if possible be connected by telephone,-

- (i) if the base is below ground to the surface ; or
- (ii) if the base is on the surface, to the shaft bottom.

(2) Except in cases where the delay involved may result in danger to life, rescue trained persons shall not proceed beyond any place where a base is to be established until there have been provided at such base,-

- (i) two persons, of whom one shall be a qualified medical practitioner if practicable and other shall be a rescue trained person;
- (ii) a spare team with rescue apparatus, ready for immediate service;
- (iii) one or more reviving apparatus, oxygen revivers and like other apparatus,
- (iv) first aid box and stretcher;
- (v) apparatus for testing of carbon monoxide;
- (vi) a hygrometer; and
- (vii) two flame safety lamps.

(3) Whenever persons already at work beyond the fresh air base, there shall be provided at the base as soon as possible the persons, apparatus and equipment as specified in sub-rule (2).

148. Leader.- Every rescue team engaged in work with breathing apparatus in a mine shall be under a leader who shall be appointed by the superintendent.

149. Instructions to leader.- Prior to sending a rescue team underground, the superintendent or a person authorised shall give clear instructions to the leader of the team as to where it shall go and what it shall attempt.

150. Test of apparatus.- (1) Before proceeding below ground the leader shall test or witness the testing of self-contained breathing apparatus of the team for leakage.

(2) No such apparatus shall be used unless it is found safe.

(3) The leader shall check the equipment of team and immediately before entering irrespirable atmosphere shall make sure that all breathing apparatus are working properly.

151. Duties of leader below ground.- (1) The leader

- (i) shall not be engage in manual work.
- (ii) shall give attention solely to directing the team and to maintaining its safety.
- (iii) shall examine the roof and supports during the journey and if there is any likelihood of fall at any place along the roadway, then, the leader shall not proceed further until the team has made the place secure.

- (2) The leader shall keep the team together and shall not allow any member of the team to stray.
- (3) If the atmosphere is clear, the leader shall, when passing the junction of two or more roadways, clearly indicate the route by means of arrow marks in chalk.
- (4) If the atmosphere is obscure, the leader shall see that a lifeline is laid in from the fresh air base and shall not allow any member of the team to move out of reach of that lifeline or if that course is impracticable, the leader shall not proceed until every roadway branching off from the route is fenced across the whole opening.
- (5) When using rescue apparatus, the leader shall carry a watch, shall record the pressure of the compressed oxygen at every intervals of twenty minutes and shall commence the return journey in ample time.
- (6) During travelling the leader shall adopt the pace of slowest member and if any member of the team is in distress, shall immediately return to the fresh air base with the whole team.
- (7) The leader shall not permit any member of the team using breathing apparatus in a mine to remain at work at any one time for a period longer than one and half hours or such other period as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator in respect of the breathing apparatus being used.

152. Rescue team members and their duties.-(1) The number of persons in any rescue team using breathing apparatus in a mine shall not be less than five and not more than six, including the leader.

- (2) In event there is no provision in any of the breathing apparatus carried by the rescue team for extension for supply of oxygen to another person in an emergency the team shall carry a self-rescuer.
- (3) Members of rescue team shall in general, use the signals as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time, in communicating to one another.
- (4) In travelling with rescue apparatus on, every member of the team shall keep the place given to them when numbering off and the pace is too quick or if distress is felt, the member shall at once call attention to the fact.
- (5) Every member of a rescue team engaged in work with breathing apparatus in mine shall obey the order of the leader of the team.

153. Restriction of second spell of works.- No person shall commence a second or subsequent spell of work in irrespirable atmosphere without being examined and found fit by a qualified medical practitioner.

154. Obligation of employer in certain situations.- Whenever emergency arises at a below ground mine, whether served by a rescue room or rescue station or not, the employer may seek assistance from the nearest rescue room or rescue station and in such an event-

- (i) all possible assistance shall be promptly rendered by the rescue room or rescue station; and
- (ii) the employer of the mine shall pay to the owner of the rescue station or rescue room, rendering such assistance, the full cost of rescue services and facilities borrowed.

155. General management.- The employer shall establish, maintain and ensure proper functioning of rescue room or rescue station as required under these rules, to appoint such persons, and to provide necessary rescue equipment and apparatus.

156. Power to relax.- The Chief Inspector-cum-Facilitator based on the recommendation of the committee constituted by Chief Inspector-cum-Facilitator may relax the conditions pertaining to a mine or rescue station or rescue room in these rules, the Chief Inspector-cum-Facilitator may by an order in writing and subject to such conditions as may be specified therein to grant relaxation from the said provisions.

157. Training Scheme.- (1) The employer of every mine shall ensure that a training scheme, based on the guidelines on the scheme of training, wherever no authority, specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator for persons employed or to be employed in the mine:

Provided that the agent of the mine may submit the training scheme approved by the employer in writing.

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator may by an order in writing, require such modification in the training scheme as may be specified therein.

(3) The scheme referred to in sub-rule (1) shall include, but not limited to, the following provisions, namely:-

- (i) initial training for the persons to be employed in the mines;
- (ii) refresher training for the persons already employed;
- (iii) training in case of introduction of new technology, equipment or change in work procedure;
- (iv) assessing current competencies of a person employed in the mine and prior learning, in establishing the training needs;
- (v) assessing the training needs of persons working in mines for the safe performance of the mining operations;
- (vi) appointing persons who are competent to give training and assess workers' competencies;
- (vii) keeping and auditing records of assessment undertaken and training imparted;
- (viii) the relevant standards, modules or any other guidelines issued in this behalf by the Chief Inspector-cum-Facilitator; and

- (ix) course material on various topics for different categories of persons for delivering lectures in vocational training centre.

158. Scope and standard for vocational training.—The owner or agent of every mine shall ensure that every person to be employed in a mine shall, before such person is employed, be imparted training as per the training scheme under these rule for such employment:

Provided that in case of a person who is already in employment in other mine, the owner shall ensure that such person is imparted training covering such additional course of training as specified under these rules.

159. Scope and standard for Refresher Training.— Every person in employment in a mine shall undergo the refresher training at least once in four years, as per training scheme:

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may by order in writing and subject to such conditions as may be specified therein increase or decrease the interval of Refresher training at a mine.

160. Arrangement for refresher training.—The refresher training shall be so arranged that the persons shall undergo training during normal working hours on full day release system:

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may by general or special order in writing subject to conditions as may be specified may exempt any mine from the provisions the of this rule.

- 161. Special training.**— (1) In case new technology, equipment and system of work is introduced in the mine, the employer shall prepare and submit the training module, at least sixty days before such introduction, to the Chief Inspector-cum-Facilitator , who may at any time, by an order in writing, require such modification in the training module as may be specified therein.
- (2) Persons to be employed in aforesaid technology, equipment and system of work shall undergo training as per the training scheme specified under these rules, based on the training module.

162. Training of persons after long absence or after an accident or change of job.— Wherever a person returns to employment in a mine, after an absence from work for a period exceeding one year or returns to work after being involved in a serious accident or in a dangerous occurrence which could have resulted in threat to life and safety or is re-employed on a job which is different from what such person had been performing earlier shall undergo training before employment as per the training scheme specified under these rules.

163. Training Centre.—(1) The employer of every mine shall provide and maintain a training centre which shall be adequate for the purpose of imparting the training required to be undergone by the persons who are employed or to be employed in the mine:

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may, by an order and for the reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as may be specified therein, authorise that a common training centre may be provided and maintained in respect of two or more mines belonging to the same employer.

(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator may permit in writing, subject to such conditions as may specify therein, a common training centre owned and maintained by a group of employers for imparting training in more than one mine:

Provided that where a common training centre is established and maintained by a group of employers of those mines shall nominate one among them to assume the responsibility of employers of the common training centre for management, supervision, direction and control there at and the nominated owner shall submit notice in writing to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the Inspector-cum-Facilitator.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and sub-rule (2), the Chief Inspector-cum-Facilitator may approve in writing, subject to such conditions as may be specified therein, a training centre established under any other law for the time being in force subject to having such infrastructure and facilities as specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time, for imparting training under these rules.

(4) Every application for approval under sub rule (3) shall be made in a proforma and accompanied by a fee prescribed by the Chief Inspector-cum-Facilitator, based on recommendation of the committee constituted by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

164. Arrangements for the training centre.—Every training centre shall have such staff, equipment and other facilities as specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

165. Training Officer.— (1) Every training centre shall be placed under the charge of a training officer, possessing qualification and experience, as specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time.

(2) It shall be the responsibility of the owner or agent of the mine or the owner of common vocational training centre, as the case may be, to appoint the training officer specified under sub-rule(1):

Provided that in case of a training Centre, the person responsible for the management, control, supervision or direction of the training centre (hereinafter referred to as owner of approved training

centre), shall appoint the training officer.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where the training officer is unable to perform duties by reason of temporary absence, illness or other cause, the owner, agent or manager, as the case may be, shall authorise in writing any other person having similar qualifications to act in their place:

Provided that no such authorisation shall have effect for a period exceeding thirty days, except with the previous consent in writing of the Chief Inspector-cum-Facilitator and subject to such conditions as may be specified therein.

(4) Every appointment, discharge, dismissal, resignation or termination of service of a Training officer and of the date thereof shall be sent by the owner or agent to the Chief Inspector-cum-Facilitator and the Inspector-cum-Facilitator within seven days from the date of such appointment, authorisation, discharge, dismissal, resignation or termination of service as the case may be.

166. Duties of Training Officer.—(1) It shall be the duty of the training officer-

- (i) to organise and supervise the training of every person undergoing training in pursuance of these rules;
- (ii) to recognise current competency and prior learning in establishing for the training needs;
- (iii) to ensure training as per the modules or curriculum prepared under the concerned training scheme framed under these rules for different categories of persons and ensure that the instructors deliver lectures on standard course material;
- (iv) to maintain records of the training given to every person and to furnish monthly reports to the mine manager on the progress of the persons undergoing training;
- (v) to maintain records of the supervision in respect of the practical training on actual operations; and
- (vi) to discharge such other duties as may be necessary for the proper compliance of these rules.

(2) Every training officer shall keep a record of work and shall, at the end of every year, forward to the Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction over the training centre, through the employer or the owner of a common training centre as the case may be, a summary of the report of work during the year.

167. Instructors. — The employer of mine or owner of the approved training centre shall appoint sufficient number of instructors having qualification and experience to impart training in vocational training centre:

Provided that, in special circumstances, officials may be called for from the mines, to deliver lectures and for demonstrations at the training centre.

168. Trainers.—For the purpose of the practical training referred to in these rules, every person to be employed in a mine shall be placed under the direct supervision of an experienced person of an appropriate category, employed on operations and authorised by manager hereinafter referred to as trainer.

169. Qualification of instructors and trainers.— No person shall function as an instructor or trainer unless such person possesses qualification, training and experience as specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator, based on recommendation of the committee constituted by the Chief Inspector-cum-Facilitator, through general or special order issued from time to time

170. Duties of Instructor.— The instructor shall:-

- (a) assess employees competency and deliver lectures on standard course material; and
- (b) maintain records of training given to every person and to furnish weekly report to the training officer on the progress of the persons undergoing training.

171. Duties of trainer and persons undergoing training.— (1) The trainers shall be responsible for the safety of the persons undergoing training .

(2) The trainer shall monitor that the persons under their charge for training, pick up work, understand the dangers inherent in the job and develop habits, which would ensure safety in mines.

(3) The trainer shall monitor that the persons undergoing training move within the mine along with them.

(4) Every trainer shall monitor that the persons undergoing training under them, is aware of escape route from the sections where they are likely to work and other emergency response applicable to the trainee.

(5) Every person undergoing training shall, whilst under training, comply with the directions of the trainer under whom they are put in charge.

172. Training allowance.— (1) Every trainer shall, in addition to their normal wages, be paid by the owner, agent or manager of a mine, a training allowance for everyday a trainee has worked under their supervision as prescribed by the Chief Inspector-cum-Facilitator on recommendation of the committee constituted by the Chief Inspector-cum-Facilitator, through general or special order, issued from time to time .

(2) Every Instructor, other than the instructor under regular appointment at the training centre shall, in addition to their normal wages, be paid by the owner, agent or manager a training allowance for every day such trainer has imparted training in Vocational Training Centre, as specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator on recommendation of the committee constituted by the Chief Inspector-cum-Facilitator, through general or special order, issued from time to time.

173. Certificate of training.-(1) Every person who undergoes a course of training specified in these rules shall, on completion of the training be assessed and subject to acceptable performance of the trainee, shall be granted a certificate duly signed by the training officer, in a Form to be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time .

(2) Where the training officer is not satisfied with the progress or performance of any trainee, such person shall report the same to the manager of the mine, who may arrange to give them, further training.

(3) The manager of every mine shall counter sign and specify date on the certificate after being satisfied of the successful completion of training.

174. Certificate to be delivered to the management.-(1) Every person employed in a mine shall:-

(a) if has obtained training certificates prior to such employment; and

(b) obtained certificates during the course of employment, within such time as may be specified by the manager of the mine;

(c) deliver the certificate issued to them under these rules;

(2) the manager of the mine who shall keep the certificate in safe custody and issue a receipt for the same.

(3) On the termination of employment, certificate deposited under sub-rule (1) shall be returned to the employee.

175. Inspection of vocational training centre.-The Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator may enter, inspect and examine any training centre or any part thereof and make such examination or inquiry as thinks fit in order to ascertain whether the provisions of these rules and of any orders made thereunder are being complied with.

176. Notice of closure or discontinuance of vocational training centre.- When it is intended to close a training centre established under these rules or to discontinue the working thereof for a period exceeding sixty days, the employer of a mine or the owner of a common vocational training centre as the case may be, shall give a notice in the manner and form as may be specified by the Chief Inspector-cum-Facilitator through general or special order issued from time to time stating the reasons for such closure or discontinuance, not less than thirty days prior to such closure or discontinuance:

Provided that the employer of the mines shall give notice forthwith when on account of unforeseen circumstances a training centre is closed or discontinued before the said notice has been given or without previous intention the discontinuance extends a period of sixty days.

CHAPTER XII

OFFENCES AND PENALTY

177. Manner of holding enquiry.- (1) When a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 111 in respect of the offences referred to in said sub-section, by an Inspector-cum-Facilitator, the officer after considering such evidences as produced by the Inspector-cum-Facilitator, is satisfied that an offence has been committed, shall issue summons to the accused on the address specified in the complaint and fix a date for appearance.

(2) The authorisation to appear on behalf of either of the parties, shall be presented to the officer under sub-rule (1) during the hearing of the complaint and shall form part of the record.

(3) If the accused to whom the summons has been issued under sub-rule (1) appears or is produced before the officer, he shall explain the accused regarding the offence against which the enquiry has been initiated, and

(a) If the accused pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and

(b) If the accused does not plead guilty, the officer shall proceed with the enquiry, issue summons to any person acquainted with facts and circumstances of the case, and appoint a specified date for next hearing.

(4) On such appointed date, the officer shall record all evidences produced by the accused and the Inspector-cum-Facilitator, whether documentary or by the witnesses on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced.

(5) The officer shall after hearing the parties and considering the evidence so produced whether oral and documentary, shall decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

(6) The officer shall, while passing an order, record -

(a) the particulars of the complaint;

(b) the details of the parties;

(c) the nature of the offence with reference to relevant provisions of the Code;

(d) the pleadings of the parties;

(e) summary of evidence including cross-examination;

(f) findings and reasons; and

(g) penalty imposed, if any.

(7) In case, the accused or his representative fails to appear without any sufficient cause on two consecutive dates, the officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte:

Provided, in case where Inspector-cum-Facilitator fails to appear or through his representative without any sufficient cause, on the specified date, the officer may dismiss the complaint.

(8) Officer may allow for adjournment of the proceedings on receipt of application either from the Inspector-cum-Facilitator or the accused:

Provided that not more than three adjournments shall be allowed:

Provided further that the officer may at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing.

(9) The officer shall endorse or cause to be endorsed on each document, the date of its presentation or receipt, as the case may be, and if the documents are submitted electronically, endorsement shall be made electronically.

(10) The parties to the issue or their authorised representative under sub-rule (2) shall be entitled to inspect any complaint or any other document filed with the officer.

(11) The officer may refuse to entertain a complaint, if he is satisfied that the complaint is incomplete and may request the Inspector-cum-Facilitator to rectify such defects within the time specified by him for such purpose:

Provided that if the officer is of the opinion that it is not possible to rectify such defects in the complaint, he may return such complaint indicating the defects.

(12) Where the complaint is presented after rectification of the defects, the date of such re-presentation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 111 of the code.

(13) The officer may, after giving the Inspector-cum-Facilitator an opportunity of being heard, refuse to entertain a complaint, if he is satisfied for reasons to be recorded in writing, that-

(a) the complainant has filed the complaint beyond six months from the date on which the offence complained is committed;

(b) the complainant fails to comply with the directions given by the officer.

(14) (i) Any person aggrieved by an order made by the officer may prefer an appeal, in manner, form and with applicable fee as prescribed by Central Government through general or special order, to the appellate authority to be appointed under sub-section (3) of section 111, within sixty days from the date on which the copy of the order referred under sub-rule (6) made by the officer is received by the aggrieved person.

(ii) The appellate authority appointed under sub-section (3) of section 111, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against, within a period of sixty days from the date of receipt of appeal.

178. Onus as to age.- The medical authority referred to in sub-section (2) of section 117 shall be a medical practitioner as referred, who possesses any recognised medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019) and enrolled on a State Medical Register as defined in the National Medical Commission Act, 2019.

179. Procedure of inquiry and other related matters.- (1) Wherein any workplace an accident causing death or serious bodily injury takes place or there is an occurrence of any dangerous occurrence or cases of any occupational disease as specified in the Third Schedule to the Code has been reported or is suspected to have been contracted, the Central Government, as the case may be, appoint one or more persons possessing legal and special knowledge to act as assessors or competent persons in such inquiry in order to inquire into the causes of the accident or occupational disease.

(2) The competent person appointed under sub-rule (1) shall carry out the inquiry into the causes of the accident or dangerous occurrence along with identification of the hazardous condition for which competent person has reasonable evidence to conclude and to be recorded in writing in the inquiry report, has caused the accident or the dangerous occurrence and also identify the persons which the competent person believes, based on findings, to be responsible for such accident or occurrence, as the case may be.

(3) The inquiry report shall contain conclusive findings of the inquiry along with the recommendations for prevention of such accidents or dangerous occurrences of occupational diseases containing suggestions for implementation to prevent re-occurrence.

(4) In event of dock work, any competent person appointed by the Central Government for the purposes of inquiring into the causes of any accident, dangerous occurrence or occupational diseases connected with the dock work under the provision of section 121 of the Code shall make the inquiry in the following manner, namely-

- (i) date, time and place of holding the inquiry shall be fixed and may be varied, notice of which shall be given not less than thirty days in writing of such date, time and place to every person entitled to appear at the inquiry whose name and address are known to the competent person:

Provided that,—

- (a) with the consent of such persons, the competent person may give such lesser period of notice as shall be agreed to with those persons; and
- (b) where it becomes necessary or advisable to vary the time or place fixed for the inquiry, the competent person shall give such notice of the variation as may appear to it to be reasonable in the circumstances;
- (ii) the notice given under clause (i) shall state the name of the competent person and the names of assessors, if any, appointed to assist the competent person in the inquiry;
- (iii) without prejudice to the foregoing provisions of this sub-rule, the competent person shall also for the purpose of notifying to the persons who may in any way be concerned with the subject-matter of the inquiry, take one or more of the following steps, namely:-
 - (a) publish notice of the inquiry in one or more newspapers, including where appropriate, newspapers circulating in the locality or area in which the subject-matter of the inquiry arose; and
 - (b) give such other notice of the inquiry as appears to the competent person to be appropriate; and the requirements as to the period of notice contained in clause (a) of this rule shall not apply to any such notices.

180. Persons to appear at inquiry.- (1) The person entitled to appear at the inquiry shall be—

- (a) any enforcement authority concerned;
 - (b) any employers association or Trade Union of employees;
 - (c) any person who was injured or suffered damage as a result of the accident, occurrence, situation, disease or other matter which is the subject of the inquiry, or their representative;
 - (d) the employer of any premises in which the accident, occurrence, situation or other matter occurred or arose;
 - (e) any person carrying on work giving rise to the accident, occurrence, situation or other matter which is the subject of the inquiry; and
 - (f) any other person at the discretion of the appointed competent person making inquiry.
- (2) The following shall represent at the inquiry, namely:—
- (a) a corporate body may be represented by its secretary or by any other officer appointed for the purpose, or by counsel or solicitor;

- (b) a Government department, an employers association or a Trade Union may be represented by a counsel or a solicitor;
 - (c) where there are two or more persons having a similar interest in the matter under inquiry, the competent person may allow one or more persons to appear for the benefit of some or all persons so interested.
- (3) The competent person appointed by the Central Government under section 121 of the Code, may, either on their own motion or on the application of any person entitled or permitted to appear, cause to be served on any person appearing before competent person likely to be able to give material evidence or to produce any document likely to be material evidence, a notice requiring that person to attend at the inquiry at the time and place specified in the notice to give evidence or produce the document.
- (4) A person on whom a notice is served under sub-rule (3) may apply to the competent person either on or before the inquiry to vary or set aside the requirement and where that person does so before the inquiry, such person shall give application to the competent person.
- (5) Except as otherwise provided in these rules, the procedure at and in connection with an inquiry shall be at the discretion of the competent person and contrary to the principles of natural justice who shall state at the commencement of the hearing the procedure, which subject to consideration of any submission by the persons appearing at the inquiry, proposing to adopt and inform those persons what is proposed with regards to any site inspection arising out of the hearing.
- (6) In case of mines, the persons appointed to hold inquiry under section 121 shall hold the inquiry in public in such manner and under such conditions as the competent person thinks most effectual for ascertaining the causes and circumstances of the accident or other occurrences and for enabling the competent person to make the report.
- (7) Where on inquiry finds that the accident was due to any carelessness or negligence on the part of the management, the competent person may direct the recovery of the expenses of such competent person including any expenses incurred with the previous sanction of the competent person and any other expenses connected with the enquiry which the court may direct as recoverable from the owner of the mine concerned, in such manner and within such time as the competent person may specify.
- (8) The amount directed to be recovered under sub rule (7) may, on application by the Chief Inspector-cum-Facilitator or an Inspector-cum-Facilitator to the concerned authority, be recovered from the employer.
- (9) An Inspector-cum-Facilitator nominated in this behalf by the Central Government, shall act as the Secretary to the competent person.
- (10) The inquiry or the survey, as the case may be, shall be completed and submitted to the Central Government, within a period of three months from the date of the order through which it is constituted.

181. Procedure of survey and other related matters.- (1) The Central Government may direct Directorate General Occupational Safety and Health or Directorate General Mines Safety or any other institution under the control of the Central Government, to appoint a committee to undertake a survey on the situation relating to safety and health at work at any workplace or class of workplaces or into the effect of work activity on the health of the employees within and in the vicinity of the workplace.

(2) The committee shall carry out the survey with a view to finding out the status of safety and health at work the workplace and its effect on the workers.

(3) The report of the committee to be submitted to the Central government shall be of status of an inspection report and contain conclusive findings of the survey along with the recommendations for improving the status of occupational safety and health for prevention of accidents or dangerous occurrences or occupational diseases as the case may be and containing suggestions for implementation thereof for compliance which shall be ensured by the Inspector-cum-Facilitator.

182. Manner of compounding of offences by the authorised officer.- (1) The officer notified by the Central Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 114 shall on an application in **FORM- XXVI** by an accused person desirous of making composition of a compoundable offence, before or after holding the enquiry or as the case may be, of institution of prosecution, issue electronically a compounding notice in **Form-XXVII** to such person for the offence for which is compoundable under sub-section (1) of section 114 of the Code.

(2) The person so noticed under sub-rule (1) may apply to the officer in **Part-III of Form-XXVII**, electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The officer referred to in sub-rule (1) shall issue a composition certificate in **Part IV of FORM- XXVII** within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the time specified, the prosecution shall be instituted after one month from the last date of specified time before the court against such person for the offences in respect of which the compounding notice was issued.

(5) For compounding of an offence, where the prosecution has already been instituted in a court, the officer referred to in sub-rule (1) shall send a copy of such order for intimation to the concerned court for further action.

CHAPTER-XIII

SOCIAL SECURITY FUND

183. Social Security Fund. - Social Security Fund set up under section 141 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) shall be deemed to have been set up under section 115 of the Code, including other sources of fund and the manner of administering and expending the fund for welfare of the unorganised workers.

CHAPTER XIV

MISCELLANEOUS

184. Grievance redressal mechanism for contract labour.-

- (1) The contract labour may submit grievance relating to health, working conditions and wages, at the level of principal employer, who shall look into the matter and redress grievance.
- (2) A committee shall be constituted by the principal employer in whose establishment contract labour is employed and the committee shall comprise of a chairman, who shall be the authorised representative of the principal employer and shall have representative of principal employer and contractor.
- (3) The committee shall hear and dispose of the grievance of the contract labour within a period of thirty days.
- (4) In event the grievance is not redressed within thirty days, the principal employer shall forward the grievance to the concerned Inspector-cum-Facilitator electronically.
- (5) The Inspector-cum-Facilitator, upon receipt of the grievance forwarded under sub-rule (4), shall inquire into the matter and take appropriate action for its disposal, and shall ensure that the grievance is resolved within a period not exceeding sixty days from the date of its receipt.

185. Annual increment of regular worker of a contractor.- A worker who is regularly employed by the contractor for any activity and employment of such worker is governed by mutually accepted standards of the condition of employment shall be such that such worker gets an annual increment of not less than two percent of their wages.

186. Income from sources and quantity of hazardous substance.- Income from sources under *Explanation* to clause (x) of sub-section (1) of section 2 and substance or quantity of substance under clause (zb) of said sub-section shall be specified through general or special order by Central Government issued from time to time.

ANNEXURE- I

List of contents of First Aid Box as provided under rule 54(ii): -

1. Appropriate number of small, medium and large sized sterilized dressings pads
2. Appropriate number of large size sterilized burn dressings pads
3. Appropriate number of packets of sterilized cotton
4. Sufficient quantity of Cetrimide solution (1%-3%) or a suitable antiseptic solution (10% Povidone Iodine)
5. Pair of scissors, Tweezers, Tourniquet and disposable gloves
6. Adequate adhesive Tapes and adhesive Bandage Tape of different sizes.
7. Adequate Elastic crepe bandages of different sizes.
8. Sterilized eye pads.
9. Strips containing analgesic (Paracetamol-650 mg) and Antacid and adequate number of ORS Sachets.
10. Pain relief / analgesic spray
11. Polythene wash bottles (Normal Saline or Distilled Water)
12. Adequate Roller bandages of different sizes.
13. Adequate and suitable splints.
14. Resuscitation equipment such as ambu bag.
15. Tablets such as Asprin, Isosorbide Di-nitrate.
16. Anti-allergic medicine, eye drops
17. One copy of First-aid leaflet which includes emergency contact numbers of nearby hospitals.

ANNEXURE- II

List of equipment for ambulance room as provided under rule 55(ii):-

1. Glazed sink with hot and cold-water supply
2. Table with Chairs, Refrigerator
3. Suitable solution or Equipment for medical instruments sterilization
4. Patient Examination table or couch with pillow, Washable Rubber Sheets, Blankets, Towels
5. Appropriate number of Medium size sponge forceps
6. Kidney tray
7. Antiseptic soaps
8. Clinical thermometers
9. Hand torch

10. Adequate number of tetanus toxoid injection
11. Tablets – Antihistaminic, Antispasmodic, Antipyretic (Paracetamol), Antacid, Antiemetics
12. Tablets-Isosorbide Dinitrate (5 mg), Aspirin (75mg) + Atorvastatin (20mg) + Clopidogrel (75mg)
13. ORS Sachets
14. Injection: Atropine, Adrenalin, Hydrocortisone, Furosemide, local anaesthetics
15. Disposable Syringes with needles of different sizes and needle holder
16. Suturing needles and materials
17. Pair of dissecting forceps
18. Pair of dressing forceps
19. Pair of artery forceps
20. Surgical scissors
21. Scalpel
22. Stethoscope
23. Rubber bandage – pressure bandage
24. Oxygen cylinder/Oxygen Concentrator with necessary attachments
25. One Blood Pressure apparatus
26. Appropriate number of Normal Saline Bottle, Ringer Lactate Solution, 5% Dextrose Solution, 25% Dextrose Solution.
27. Green (18G), Pink (20G) and Blue (22G) Intravenous (IV) Cannula and suitable fixator
28. Disposable Intra venous Infusion Set
29. Intravenous Infusion Stand
30. Blood Glucose Monitoring Kit
31. Biomedical Waste Management Bins as per statutory requirement
32. Adequate number of Plain wooden splints of appropriate sizes or any other suitable splints
33. Wheelchair
34. Scoop stretcher
35. Adequate small, medium and large sterilized dressings
36. Adequate sterilized burn dressings
37. Adequate packets of sterilized cotton
38. Antiseptic solution like Cetrimide (1%-3%) or Povidone Iodine (10%) solution
39. Roll of adhesive bandages and adhesive Tapes of different sizes.
40. Elastic crepe bandages of different sizes.
41. Adequate Pieces of sterilized eye pad.
42. Adequate roller bandages of different sizes.
43. Tourniquet
44. Disposable gloves
45. Tweezers
46. Pulse Oximeter.

47. Suitable Suction unit with equipment
48. Resuscitation equipment such as Automated External Defibrillator and ambu bag.
49. Any other equipment recommended by the qualified medical practitioner according to the specific need.

ANNEXURE- III

List of contents of first aid box in case of mines as provided under rule 54(iii) :-

(i) Wound Care:

- (a) Sterile adhesive bandages in various sizes (e.g., small, medium, large)
- (b) Sterile gauze pads and dressings with advanced wound-healing properties
- (c) Transparent film dressings for covering and protecting wounds
- (d) Antiseptic wipes or solution for wound cleaning
- (e) Skin closure strips for small cuts and lacerations
- (f) Disposable gloves (latex-free or nitrile)
- (g) Scissors with rounded tips

(ii) Cardiopulmonary Resuscitation and Resuscitation:

- (a) Pocket mask or face shield with one-way valve for administering **Cardiopulmonary Resuscitation** safely
- (b) Disposable resuscitation bag-valve-mask device with **Positive End-Expiratory Pressure** valve (positive end-expiratory pressure)

(iii) Medications and Ointments:

- (a) Antiseptic ointment with broad-spectrum antimicrobial properties
- (b) Hydrocortisone cream for insect bites and skin irritations
- (c) Pain relievers (e.g., acetaminophen, ibuprofen) with appropriate dosages
- (d) Antihistamines for allergic reactions, available in various formulations (tablets, liquid, etc.)
- (e) Aspirin for suspected cardiac events
- (f) Sugar sachets

(iv) Bandages and Dressings:

- (a) Elastic bandages with self-adhesive properties and Ice pack box with ice bags for sprains and strains
- (b) Non-stick wound dressings or pads with enhanced absorbency
- (c) Burn Care:
- (d) Hydrogel burn dressings for immediate cooling and pain relief
- (e) Sterile burn sheets with hydrogel coating

- (f) Burn gel or spray with a soothing effect
- (v) **Equipment and Tools:**
 - (a) Digital thermometer for accurate temperature readings
 - (b) Suction apparatus, Stiff neck collar, Airway, Artificial manual breathing unit bag, Finger probe pulse oximeter
- (vi) **High-quality flashlight with adjustable brightness.**

ANNEXURE- IV

List of equipments for Ambulance Room in case of mines as provided under rule 55(iii) :-

(i) Advanced Medical Equipment:

- (a) Portable oxygen cylinder with a regulator and various oxygen delivery devices (nasal cannula, mask)
- (b) Nebulizer for administering respiratory medication efficiently
- (c) Suction device for airway management and clearing secretions
- (d) Automated External Defibrillator (AED) with the latest technology and features
- (e) Blood pressure monitor for accurate blood pressure readings
- (f) Glucometer with test strips for blood glucose level assessment

(ii) Sanitation and Hygiene:

- (a) Hand sanitizers with at least 60% alcohol content
- (b) No-touch waste disposal containers for biohazardous waste
- (c) Disposable wipes for cleaning surfaces and equipment

(iii) Patient Transport:

- (a) Electric or hydraulic adjustable examination table with padding and safety features for patient comfort and ease of assessment.
- (b) Portable patient transfer chair or stretcher with locking wheels for safe and efficient patient transport within the facility.
- (c) Plastic covers for any amputated parts with ice packs.

(iv) Hygiene and Wound Care:

- (a) Glazed sink with infrared sensor for hands-free operation, equipped with an integrated soap dispenser and paper towel dispenser.

- (b) Antimicrobial soap with moisturizing properties for effective handwashing
- (c) Disposable nail brushes with biodegradable bristles for personnel hand hygiene.

(v) Wound Dressings and Supplies:

- (a) Advanced wound dressings with hydrogel or silver-based technology for better wound healing and infection prevention.
- (b) Sterile silicone dressings with adhesive properties that do not damage the skin during removal.
- (c) Non-adhesive wound contact layers to minimize pain during dressing changes.
- (d) Transparent film dressings with enhanced breathability for covering and monitoring wounds.
- (e) Sterile foam dressings for exuding wounds with high absorption capacity.
- (f) Nasal suction bulb

(vi) Antiseptic Solutions:

- (a) Sterile saline solution or wound wash for gentle wound irrigation.
- (b) Sterile wound cleansing wipes with skin-friendly antiseptic properties.

(vii) Patient Comfort and Warmth:

- (a) Soft fleece blankets with moisture-wicking and thermal-regulating properties for patient comfort and warmth.
- (b) Reusable instant heat packs with advanced heat-retaining materials for on-demand warmth.

(viii) Splints and Support:

- (a) Malleable, vacuum-formed, or inflatable splints with adjustable properties for better immobilization and support.
- (b) Elastic cohesive bandages with self-adhesive properties for secure and comfortable support.
- (c) Triangular bandages

(ix) Emergency Equipment: Pressure bandage for controlling severe bleeding effectively.

(x) Temperature Assessment: Non-contact infrared thermometers for quick and hygienic temperature assessment.

(xi) Medications and Administration Equipment: Emergency medications and equipment as prescribed by a qualified medical practitioner,

(xii) Emergency Medications: Adequate supply of anti-tetanus serum and other emergency medications as prescribed by a qualified medical practitioner.

(xiii) Medical Appliances:

- (a) One Stethoscope and one Automated blood pressure monitor with digital display and adjustable cuffs for accurate readings.
- (b) One Electro Cardio Graph machine
- (c) One each of Suction apparatus, Stiff neck collar, Airway, Artificial manual breathing unit bag, Finger probe pulse oximeter.

ANNEXURE-V

List of equipment for first aid station in case of mines as provided under rule 54(ix)(B)

- (i) One stretcher with two blankets
- (ii) Inflatable splints
- (iii) Patient Examination table
- (iv) First aid box contains materials as prescribed in Annexure-I

ANNEXURE- VI

LIST OF EQUIPMENTS FOR MEDICAL FACILITIES ROOM OR DISPENSARY as provided under rule 63(ii) :-

1. Glazed sink with hot and cold-water supply
2. Table with Chairs, Refrigerator
3. Suitable solution or Equipment for medical instruments sterilization
4. Patient Examination table or couch with pillow, Washable Rubber Sheets, Blankets, Towels
5. Appropriate number of medium size sponge forceps
6. Kidney tray
7. Antiseptic soaps
8. Clinical thermometers
9. Hand torch
10. Adequate number of tetanus toxoid injection
11. Tablets – Antihistaminic, Antispasmodic, Antipyretic (Paracetamol), Antacid, Antiemetics
12. Tablets-Isosorbide Dinitrate (5 mg), Aspirin (75mg) + Atorvastatin (20mg) + Clopidogrel (75mg)
13. ORS Sachets
14. Injection: Atropine, Adrenalin, Hydrocortisone, Furosemide, local anaesthetics
15. Disposable Syringes with needles of different sizes and needle holder

16. Suturing needles and materials
17. Pair of dissecting forceps
18. Pair of dressing forceps
19. Pair of artery forceps
20. Surgical scissors
21. Scalpel
22. Stethoscope
23. Rubber bandage – pressure bandage
24. Oxygen cylinder/Oxygen Concentrator with necessary attachments
25. One Blood Pressure apparatus
26. Appropriate number of Normal Saline Bottle, Ringer Lactate Solution, 5% Dextrose Solution, 25% Dextrose Solution.
27. Green (18G), Pink (20G) and Blue (22G) Intravenous (IV) Cannula and suitable fixator
28. Disposable Intra venous Infusion Set
29. Intravenous Infusion Stand
30. Blood Glucose Monitoring Kit
31. Biomedical Waste Management Bins as per statutory requirement
32. Adequate number of Plain wooden splints of appropriate sizes or any other suitable splints
33. Wheelchair
34. Scoop stretcher
35. Adequate small, medium and large sterilized dressings
36. Adequate sterilized burn dressings
37. Adequate packets of sterilized cotton
38. Antiseptic solution like Cetrimide (1%-3%) or Povidone Iodine (10%) solution
39. Roll of adhesive bandages and adhesive Tapes of different sizes.
40. Elastic crepe bandages of different sizes.
41. Adequate Pieces of sterilized eye pad.
42. Adequate roller bandages of different sizes.
43. Tourniquet
44. Disposable gloves
45. Tweezers
46. Pulse Oximeter.
47. Suitable Suction unit with equipment
48. Resuscitation equipment such as Automated External Defibrillator and ambu bag.
49. Any other equipment recommended by the Medical Officer according to the specific need.

ANNEXURE- VII**List of Forms prescribed under Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026**

S.No.	Form Number	Subject
1	FORM-I	Application for registration of establishment/Amendment to certificate of registration/ Updation of registration particulars of establishments already registered under any other Central Labour Laws
2	FORM-II	Application for cancellation of Registration Certificate of establishment
3	FORM-III	Certificate of Registration of Establishment
4	FORM-IV	Certificate of cancellation of Registration Certificate of Establishment
5	FORM-V	Register of Establishment
6	FORM-VI	Notice of Commencement / cessation of operations
7	FORM-VII	Notice of Commencement/Re-opening/Cessation/ Discontinuance/ Abandonment of operations/Closing of mines
8	FORM-VIII	Health Examination (Except mine employees)
9	FORM- IX	Report of medical examination (For mine employees only)
10	FORM- X	Certificate of medical re-examination by Appellate Medical Board
11	FORM-XI	Notice of accident or dangerous occurrence
12	FORM-XII	Notice of periods of work
13	FORM-XIII	Employee register
14	FORM-XIV	Attendance register-cum-muster roll
15	FORM – XV	Register for wages, overtime and deductions
16	FORM – XVI	Wage slip
17	FORM-XVII	Annual return

18	FORM XVIII	Half Yearly Return (January to June / July to December) to be submitted by Contractor to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central)
19	FORM-XIX	Register of accidents and dangerous occurrences
20	FORM-XX	Register for leave with wages
21	FORM-XXI	Application for Licence/Renewal of Licence/ Amendment of Licence (including Common/single licence)
22	FORM-XXII	Proforma of license
23	FORM-XXIII	Experience certificate of contract labour
24	FORM-XXIV	Agreement between Producer and Audio-visual worker
25	FORM-XXV	Improvement notice
26	FORM- XXVI	Application for composition of offence
27	FORM-XXVII	Notice to the employer for an offence committed under the provisions of the Code for the first time for composition of offences under sub-section (1) of section 114

FORM-I**(See rule 3(1))****Application for registration of establishment/Amendment to certificate of registration/ Updation of registration particulars of establishments already registered under any other Central Labour Laws****A. Establishment Details.**

1. Retrieve details of Establishment through LIN:
2. Name of Establishment:
3. Location and Address of the Establishment:
- 3 a. PAN:
4. Others details of Establishment:
 - a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:
 - b. Total Number of the contract employees engaged:
 - c. Total Number of Inter-State Migrant workers employed:

5 (a) For factories:

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day
1	2	3	4

5 (b) For mines:

Name of Mineral(s)	Lease extent of the mine (in Acres)	Name and address of the owner	Average Monthly output, targeted (Tonne)	Maximum number of persons to be employed on any day
1	2	3	4	5

5 (c) For Dock work:

Name of dock Work/Major Port	Types of Dock Works	Name of the Cargo handled and stored along with quantity	Name of the chemicals handled and stored along with quantity	Name of the hazardous Chemicals handled and stored along with quantity
1	2	3	4	5

5 (d) For building or other construction work:

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

5 (e) Any Other establishment:

6. Ownership Type/Sector:

7. Activity as per National Industrial Classification:

8. Details of Selected NIC Code:

9. Identification of the establishment e-sign/ digital sign of employer/ representative:

B. Details of Employer:-

1. Name & Address of Employer / Occupier / Owner/Agent/ Chief Executive/ port authority etc. :
2. Designation :
3. Father's/ Husband's Name of the Employer :
4. Email Address, Telephone& Mobile No. :

C. Manager/ Agent Details:-

1. Full name & Address of Manager/ Agent or person responsible for supervision and control of the Establishment
2. Address of Manager/ Agent:
3. Email Address, Telephone& Mobile No. :

D. Contractor Details:-

Name and Address of Contractor	Email address & Mobile No. of Contractor	Name of Work	Maximum No. of Contract labour engaged	Date of Commencement /Probable date of Completion of work
1	2	3	4	5

E. Others Details:-

Dated:-

Place:-

Signature/ E-sign/digital sign of employer

FORM-II

[(See rule 3(10)]

Application for cancellation of Registration Certificate of establishment

1. Registration No:
2. Name and Address of Establishment:-
3. Name and Designation of employer :-
4. Full address to which communication relating to the establishment to be sent :-
5. Nature of work of the establishment :-

I/We here by intimate that the establishment having registration No. dated.....
is closed with effect from..... (Date).

Certificate from Employer

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment having registration no. ____ dated ____ has been made.

I/we hereby certify that the establishment having registration no. ____ dated ____ kept free from storage of hazardous chemicals and substances.
[Strikeout whichever if not applicable]

Signature of the Employer

To,

The Registering Officer

The Inspector-cum-Facilitator

Place:

Signature/ E-sign/digital sign of employer

Date:

FORM-III
[See rule 3(2)]

Certificate of Registration of Establishment

Registration No.

Date

A Certificate of registration containing the following particulars is hereby granted under sub section (2) of section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020(37.of 2020) to.....(Name of the establishment)

1. Nature of work carried on in the establishment (Please tick mark)

- | | |
|--|--|
| (a) Factory | (b) Mining |
| (c) Dock work | (d) Contract Work |
| (e) Building or Other Construction Works | (f) any other work (not covered above) |

2. Details of the establishment:

- a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:
- b. Total Number of the employees engaged through contractor:
- c. Total Number of Contractors and their details:
- d. Number of inter-state migrant workers engaged:

3 (a) For factories

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day
1	2	3	4

3 (b) For mines

Name of Mineral(s)	Lease extent of the mine (in Acres)	Name and address of the owner	Average Monthly output, targeted (Tonne)	Maximum number of persons to be employed on any day
1	2	3	4	5

3 (c) For Dock work

Name of Dock Work / Major Port	Types of Dock Works	Name of the Cargo handled and stored along with quantity	Name of the chemicals handled and stored along with quantity	Name of the hazardous Chemicals handled and stored along with quantity
1	2	3	4	5

3 (d) For building or other construction work

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

3 (e) Any Other establishment:

4. Remarks of registering officers:

Place:

Date:

/Signature E -Sign/DSC of registering officer
along with designation

Conditions of Registration

- (1) Every certificate of registration issued under rule 3 shall be subject to the following conditions, namely:
- (a) the certificate of registration shall be non-transferable;
 - (b) The number employees engaged in an establishment, whether directly or on contract, shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration; and
 - (c) Save as otherwise provided in these rules, the fees paid for the grant of certificate of registration shall be non-refundable.
- (2) The employer shall intimate the change, if any, in the number of employees or the conditions of work to the registering officer within 30 days.
- (3) The employer shall, within thirty days of the commencement or cessation of operation, intimate to the Registering Officer and Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment is situated or the work is executed, the actual date of such commencement or, as the case may be, closing of establishment electronically.
- (4) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous places at the premises where the work is being carried on.

FORM-IV**[(See rule 3(11))]****Certificate of cancellation of Registration Certificate of Establishment**

No.

Date:

The Registration No.....dated..... of (Name of the establishment), of Factory/ Mine/Dock Work/ Contract Work/ Building or Other Construction Work/ Any other work (work carried on in the establishment) is hereby cancelled with effect from under sub-section (5) of section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

Place:

Date:

Signature/ E-Sign/DSC of Registering Officer
along with designation

FORM-V
[See rule 3(9)]
Register of Establishment

SI.No.	Nature of work	Registration No. and Date	Name, address, and location of the establishment registered	Name, Address and Contact Details of Employer	Total number of Workers and Total Horsepower(if any)	Total number of Contract Workers	Remarks
1	2	2	3	4	5	6	
	(a) Factories (b) Mines (c) Dock Work (d) Building or other Construction work (e) Contract work (f) Inter-State Migrant Work (g) Any other work(not covered above)						

FORM-VI
[See rule 4(1)]

Notice of Commencement / cessation of operations

1. Registration No:
2. Name and Address of establishment:-
3. Name and Designation of employer :-
4. Full address to which communication relating to the establishment to be sent :-
5. Nature of work of the establishment :-

A. Notice of Commencement / cessation of operations

I/We hereby intimate that the operation of establishment having registration No. dated has commenced with effect from (Date) and approximate duration of operation is _____ year _____ month.

OR

I/We hereby intimate that the operations of the establishment having registration No. dated has ceased with effect from (Date).

[Strikeout whichever is not applicable]

B. Certificate from employer in case of cessation of operation

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment having registration no. ____ dated ____ has been made.

I/we hereby certify that the establishment having registration no. ____ dated ____ kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

[Strikeout whichever is not applicable]

Signature of the Employer

To,

The Registering Officer
The Inspector-cum-Facilitator

FORM-VII**(For Mines)****(See rule 4(2))****Notice of Commencement/Re-opening/Cessation/Discontinuance/ Abandonment of operations/Closing of mines****I. In case of Notice of commencement the following additional details to be given****Particulars of the Owner/Agent/Manager:**

1. Labour Identification Number (LIN), if any

2. Mine Code, if any

3. Details of Owner, Agent, Manager					
Sl. No.	Particulars	Owner	Nominate d Owner	Agent	Manager
i.	Name				
ii.	Father's name				
iii.	Address Village/area/road- Post Office- Police Station- Sub-Division (Taluq)/Tehsil- Railway station(nearest)- District- State- PIN-				
iv.	Mobile Number				
v.	Telephone number (Landline with STD Code)				
vi.	Fax number				
vii.	Email ID				

4. Date on which it is intended to open the mine (DD/MM/YYYY)

5. Plan(s) to be enclosed as required under Regulations enclosed: Yes/No;
5.1 If yes, specify plans Nos. with date.....
6. Safety Management Plan (SMP) enclosed- Yes/No;
6.1 If yes, specify reference number with date.....
7. Actual date of opening (DD/MM/YYYY)

II. In case of reopening: following additional details to be given

1. Date on which it is intended to reopen the mine (DD/MM/YYYY)
2. Plan(s) under Regulations enclosed: Yes/No;
2. 1 If yes, specify plan No. with date.....
3. Safety Management Plan (SMP) enclosed- Yes/ No
3.1 If yes, specify reference No. with date.....
4. Actual date of reopening (DD/MM/YYYY)

III. In case of cessation/abandonment: following additional details to be given

1. Date on which it is intended to close/abandon* the mine (DD/MM/YYYY)
2. Actual date of closure /abandonment* (DD/MM/YYYY)
3. Number of persons likely to be affected
4. Reasons for closure / abandonment *

IV. In case of discontinuance: following additional details to be given

1. Date on which it is intended to discontinue the mine (DD/MM/YYYY)
2. Actual date of discontinuance (DD/MM/YYYY)
3. Number of persons likely to be affected
4. Reasons for discontinuance
5. Updated plans enclosed as required under Regulation - Yes/No
 - 5.1 If Yes, Specify the Plan(s) reference number(s)

V. In case of closing of mines: following additional details to be given:

1. Mine closure plan:
2. Details of protective works to be carried out as per statute:

[Strikeout whichever is not applicable]

Certificate from the Employer

In case of discontinuation/abandonment/cessation/closing of Mines:

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment has been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Yours faithfully

Signature:

Designation: Owner / Agent / Manager

Date:

To
Registering Officer
Inspector-cum-Facilitator

INSTRUCTIONS

* Strikeout whichever is not applicable

FORM-VIII
(See rule 5(2))
HEALTH EXAMINATION
 (Except mine employees)

photo

PART –A (Sl.No.1-11) : To be filled by the Employee:

1. Name of employee.....2. Gender.... 3. Age (with DOB).....
4. Company..... 5.Designation.....5(a). UAN:..... 5(b) Aadhaar Number (after obtaining consent)
6. In-charge Employer / Executive Contacts.....
7. Complete personal /plant Address
8. Mobile /Phone 9.Email.....
10. Medical illness (Current) and under treatment & medication, If any.....
-
11. Nature of Job (furnish more details, if hazardous and work-related viz. Physical, Chemical, Biological, Ergonomic etc)

- Date: _____ Signature of Employee _____
-

PART-B:

12.Medical Test Carried out & Reports to be Attached as Annexure . Medical Officer's interpretation/ Opinion of the Tests below (To be indicated only if abnormal , with reference to the attached Test reports) :

- a. Ht. (in cm)
- b. Wt. (in Kg)
- c. Chest measurement:

- (i) On inspiration cm
- (ii) On expiration cm
- (d) Waist Circumference
- (e) Body Mass Index:
- (f) Vision (Ophthalmologist tests):
 - i. Visual Acuity both Right & left eyes
 - ii. Colour Vision.....
- (g) Blood Pressure (mm Hg).....
- (h) Complete Blood Count: (Hb, TLC, DLC, Platelets).....
- (i) Fasting Blood Sugar
- (j) Post Prandial Blood Sugar.....
- (k) SpO₂.....
- (l) Blood Urea
- (m) S. Creatinine
- (n) S. Bilirubin (Total + direct)
- (o) SGOT
- (p) SGPT.....
- (q) Lipid profile (S. Cholesterol / Triglyceride / S.HDL)
- (r) S. TSH
- (s) X-ray Chest (PA view)
- (t) ECG.....
- (u) Others if any.....

13.Final Diagnosis/ Opinion / Treatment if any, advise by qualified medical practitioner

14. Does the person have seizure (s) related disorders or difficulty in working at height ? If yes, specify the works to be avoided: Yes/No/ NA
(Not applicable)

Date:

Signature of the qualified medical practitioner

SEAL

FORM- IX**(For mine employees only)**

[See rule 109, rule 113(1) , rule 119(1) and rule 142]

Report of medical examination**(To be issued in triplicate)**

Certificate No.....

Certified that Shri/ Smt. /Miss..... employed as in mine, Employee number..... . has been examined for an Initial/Periodical Medical Examination. Employee appears to be..... years of age. The findings of the examining authority are given in the attached sheet. It is considered that Shri/Smt. /Miss.....

- (a) is medically fit for any employment in mines.
- (b) is suffering from..... and is medically unfit for
 - (i) any employment in mine; or
 - (ii) any employment below ground; or
 - (iii) any employment or work.....

(c) Employee is suffering from..... and should get the disease/disability cured/controlled and be re-examined within a period of months. Employee shall appear for re-examination with the result of the test of..... and the opinion of the Specialist from..... Employee may be permitted/not permitted to carry on their duties during this period.

Space for affixing Passport**Size Photograph of the****Candidate.**

Place :

Signature & name of the examining authority

With date and seal

Report of the examining authority

(to be filled in for every medical examination whether initial or periodical or re-examination or after cure/control of disability).

Annexure to Certificate No.....as result of medical examination on

Identification Mark.....

Left thumb impression and Signature of The candidate

1. General development- Good/Fair/Poor

2. Height.....Cms.

3. Weight.....kg.

4. Eyes :

(i) Visual acuity-Distant vision (with or without glasses): Right eye.....Left eye.....

(ii) any organic disease of eyes

(iii) night blindness

(iv) Color blindness (to be tested in IME)

(v) Squint

5. Ears :

(i) Hearing: right ear.....Left ear

(ii) Any organic diseases.

(iii) Audiometry Findings :

Conduction Type	Left Ear	Right Ear
Ear Conduction	Normal/Abnormal	Normal/Abnormal
Bone Conduction	Normal/Abnormal	Normal/Abnormal

Enclosed Audiometry Report.

6. Respiratory system.

Auscultatory Finding:

Chest measurement :

- (i) after full inspiration cms.
 (ii) after full expiration.....cms.

Result of Lung Function Test (Spirometry)

Parameters	Predicted Value	Performed Value	% of Predicted
Forced Vital Capacity (FVC)			
Forced Vital Capacity 1 FEV1			
FEV1/FVC			
Peak Expiratory Flow			

Enclose Spirometry Report

7. Circulatory system:

Blood Pressure
Pulse

Cardiological Assessment

Auscultation	S1	
	S2	
	Additional Sound	
Electrocardiograph (12 leads) findings :		Normal/Abnormal
Echocardiography finding (to be tested in IME)		Normal/Abnormal

Enclose ECG

Enclose Echocardiography report

8. Abdomen :

Tenderness.
Liver.
Spleen.
Tumour.
Ultrasonography of Whole Abdomen (to be tested in IME)

(Enclose Ultrasonography report)

9. Nervous system:

History of fits or epilepsy

Paralysis.

Mental health.

Neurological Assessment

Findings	Normal/Abnormal
Superficial Reflexes	
Deep Reflexes	
Peripheral Circulation	
Vibrational Syndromes	

Special Tests for Manganese exposure

Behavioral Disturbances		Present/Not Present
	Speech Defect	Present/Not Present
Neurological Disturbances	Tremor	Present/Not Present
	Adiadocokinesia	Present/Not Present
	Emotional Changes	Present/Not Present

10. Locomotory system

11. Skin.

12. Hydrocele.

13. Hernia.

14. Teeth

15. Speech

16. Pathological Investigations:

S.No.	Tests	Findings
1	Blood-Tc,Dc,Hb,ESR, Platelets	WNL/Abnormal
2	Blood Sugar- Fasting & PP	WNL/Abnormal

3	HbA1c(to be tested in IME and for diabetic person during PME)	WNL/Abnormal
4	Lipid profile	WNL/Abnormal
5	Blood Urea, Creatinine	WNL/Abnormal
6	Urine (Reaction, Albumin, Sugar)	WNL/Abnormal
7	Stool Routine	WNL/Abnormal
8	Sputum test for AFB(For Food handling employee)	
9.	Hemoglobin Electrophoresis for sickle cell disease /trait (to be tested in IME)	WNL/Abnormal
10.	Bilirubin	WNL/Abnormal
11.	SGOT	WNL/Abnormal
12.	SGPT	WNL/Abnormal
13.	delta aminolevulinic acid in urine (for person exposed to Lead)	WNL/Abnormal

Enclose all Investigation Reports.

17. Skiagram of chest.

ILO Classification of Chest Radiograph :

Profusion of Pneumoconiotic opacities	Grades	Types
Present/Absent		

Enclose Chest Radiograph

18. Any other abnormality.

19. Any other test considered necessary by the examining authority.

20. Any opinion of specialist considered necessary.

Place:

Signature & name of the examining authority
With date and seal

Medical Standard of Fitness for Persons to be employed in Mines (Initial Medical Examination).

1. The person shall be in good physical and mental health and free from any physical defect, likely to interfere with efficient employment in mines.
2. Speech must be without serious impediment.
3. Teeth shall be in good condition and where necessary, the employee shall be provided with dentures for effective mastication (well filled teeth shall be considered as sound). The gums shall be in healthy condition.
4. Skin: - There shall be no evidence of extensive and chronic skin disease or ulceration. In the case of an infective type of skin disease, the candidate may be declared fit after undergoing a treatment.
5. Hearing in each ear shall be good and there shall be no sign of disease of the ear. Audiometric examination shall be normal and the person shall be free from deafness in each ear.
6. Distant vision of eye with or without glass should not be less than following standard :
 - a) For underground workers

Better eye	6/6
Worse eye	6/9
 - b) For surface/opencast workers

Better eye	6/9
Worse eye	6/12
 - c) Intra-ocular lens implant: In the case of a person who has undergone intraocular lens implant, if the visual activity with intra-ocular lens is according to the standards laid down, the person concerned may be considered fit
 - d) Fundus examination: In myopia -2Diopter or more, Fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present, which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he shall be declared unfit.
 - e) Color vision: - The testing of color vision is compulsory and the results should be normal. The Ishihara's Plates shall be used for testing color vision.
 - f) There should be no night blindness for persons employed below ground and for persons employed in open cast working in shifts other than in morning's shifts.

- g) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.
 - h) Squint:-Presence of binocular vision is essential, squint even if the visual acuity is of prescribed standard, should be considered a disqualification.
 - i) One eyed person - Presence of binocular vision is essential, one functional eye should be considered a disqualification.
 - j) There shall be no Nystagmus.
7. Respiratory system: Chest must be well formed Respiratory system should be sound and free from any chronic laryngeal, bronchial pulmonary disease. Tuberculosis of lungs if not active should not be a disqualification.
- a) A full sized postero-anterior chest radiograph (not less than 11 inch. X 14 inch.) enough to include thoracic inlet and both costophrenic angles obtained by an X-ray machine (analog /digital) of atleast 300 Milli-Ampere strength shall be classified as per ILO international Classification of Radiographs of Pneumoconiosis by Medical Officer trained in such ILO classification. X-ray shall be classified using LED view box accommodating at least four chest radiographs of 14 inch. X 17inch size.
 - b) Lung function tests (spirometry) to record forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume in one second (FEVI) shall be made. Findings of spirometry shall be within normal limit.
8. Circulatory system: - There should be no evidence of cardiac or vascular disease which may interfere with their efficient employment in a mine. The Blood pressure shall not be more than 130/80 mm Hg. Detailed cardiovascular assessment of employees should be done. This should include 12 leads electrocardiogram, echocardiography and complete lipid profile.
9. Locomotor System: The limbs, hands, fingers, feet and toes should be well formed and developed & without any deformity any deformity and function of all limbs should be within normal limits.
10. There should not be any evidence of disease of abdominal organs which is likely to affect their efficient discharge of duty in a mine. Ultrasonography (whole abdomen) report shall be normal.
11. In case the candidate has hernia, he may be declared fit after he has been successfully operated for the same.

12. Hydrocele if present should not be large enough to impede the normal activities of the person. If it is large enough he may be declared fit after being successfully operated.
13. The nervous system should be sound. Persons with history of epilepsy or any other type of organic or historical fits should not be declared fit for employment in a mine. Detailed neurological examinations including testing of all major superficial and deep reflexes shall be done.
14. Fasting, Post- prandial Blood sugar and Glycoslated Hb level (HbA1c) shall be tested .GlycoslatedHb level (HbA1c) by a medical specialist as Diabetes Mellitus is known to damage of target organs. GlycoslatedHb level (HbA1c) shall not be more than 6.0. Only such cases of well controlled Diabetes Mellitus with no associated complications may be considered for appointment.
15. Serum Urea and Creatinine shall be within normal limit.
16. Bilirubin, SGOT and SGPT shall be within normal limit.
17. Routine Stool shall be within normal limit.
18. The medical examination should include examination of urine. Mere presence of albumin and sugar in the urine without any gross organic disease producing signs and symptoms should not be a disability.
19. There should not be sickle cell disease /trait. Hemoglobin Electrophoresis test shall be done.

Medical Standard of Fitness for Persons Employed (Periodical Medical Examination)

1. The person should be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with their efficient employment in a mine.
2. Speech must be without serious impediment.

3. Teeth shall be in good condition and where necessary, the employee shall be provided with dentures, where necessary, for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound). The Gums should be in healthy condition.
4. Locomotor System: The limbs should be well formed and developed, and the function of all the limbs should be within normal limits. Any deformity should be recorded. There should be no deformity or paralysis which may interfere with their efficient employment in a mine.
5. Skin: - There shall be no evidence of extensive and chronic skin disease or ulceration. In case of infective skin disease, the candidate may be declared fit after he has undergone a treatment. All occupational skin diseases should be noted.
6. Eye :
 - (a) Vision with or without glass should not be less than the following standard:

i. Better eye	6/9
ii. Worse eye	6/12
 - (b) There should be no night blindness for persons employed below ground and for persons employed in open cast working in shifts other than in morning's shifts.
 - (c) A person having only one eye which functions normally should not be employed below ground, For employment on surface the vision of such a person in the other eye should be 6/9 with or without glasses.
7. Hearing should be good, any progressive disease affecting hearing/or occupational deafness should be recorded. Audiometric examination shall be conducted in every case.
8. Respiratory System: Respiratory system should be sound and free from any chronic laryngeal, bronchial pulmonary disease. Tuberculosis of lungs if not active should not be a disqualification.
 - a) A full sized postero-anterior chest radiograph (not less than 14 inch. X11 inch.) enough to include thoracic inlet and both costophrenic angles obtained by an X-ray machine (analog /digital) of at least 300 mA Milli-Ampere strength shall be classified as per ILO international Classification of Radiographs of Pneumoconiosis by Radiologist / Medical Officer trained in such ILO classification.
 - b) Lung function tests (spirometry) to record forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume in one second (FEV1) shall be made. Findings of spirometry shall be within normal limit.

9. Circulatory system – There should be no evidence of any heart or vascular disease which may interfere with their efficient employment in a mine. Detailed cardiovascular assessment of employees should be done. This should include 12 leads electrocardiogram and complete lipid profile. The Blood pressure shall not be more than 140/90 mm Hg.
10. There should not be any evidence of disease of abdominal organs which is likely to affect their efficient discharge of duty in a mine.
11. The nervous system should be sound. Persons with history of epilepsy or any other type of organic or historical fits should not be declared fit detailed neurological examinations including testing of all major superficial and deep reflexes shall be done.
12. Persons exposed to manganese, In addition to the basic neurological examination, special emphasis should be given to behavioral and neurological disturbances such as speech defect, tremor, impairment of equilibrium, adiadochokinesia and emotional changes.
13. Persons exposed to lead; PME should include delta aminolevulinic acid in urine.
14. Persons engaged in food handling and preparation and handling of stemming material activities should undergo routine sputum for Acid Fast Bacilli (AFB).
15. Fasting & Post- prandial Blood sugar shall be tested. Diabetes shall be under controlled. Target organ shall not be affected by diabetes.
16. Serum Urea and Creatinine shall be within normal limit.
17. Bilirubin, SGOT and SGPT shall be within normal limit.
18. Routine Stool shall be within normal limit.
19. In case the candidate has hernia he may be declared fit after he has been successfully operated for the same.
20. Hydrocele if present should not be large enough to impede the normal activities off the candidate. In such cases he may be declared fit after being successfully operated.

The medical examination should include examination of urine and of other system for evidence of disease. Mere presence of albumin and sugar in the urine without any gross organic disease producing signs and symptoms should not be considered as a disability.

FORM- X

[See rule 119 (2)]

Certificate medical re-examination by Appellate Medical Board

(To be issued in triplicate)

We do hereby certify that we have examined Shri/ Smt. /Miss..... employed as in, Employee number....., who was declared medically unfit for.

1. any employment in mine.
2. any employment belowground.
3. any employment in work.....
(Specify in details)

After re-examination, we consider that –

1. Employee is medically fit for any employment in mine.
2. Employee is suffering from..... and is medically unfit for
 - (a) any employment in mine.
 - (b) any employment belowground.
 - (c) any employment in work.....
(Specify in details)
3. Employee is suffering from.....and should get this disability/cured/controlled and be re-examined within a period of months. Employee shall appear for re-examination within a period of.....months. Employee shall appear for re-examination with the result of the test

of and opinion of the specialist from..... . Employee may be permitted/may not be permitted to carry on their duties during this period.

Signature & Name of members of Appellate Medical Board with date

Paste colour passport size photograph

Attested by manager/agent/owner

1.....(Convenor)

2.....

3.....

Report of the Appellate Medical Board

Annexure to certificate No.....as result of Medical examination on.....

Identification mark :

Left thumb impression & Signature of the candidate

1. General development- Good/Fair/Poor

2. Height.....Cms.

3. Weight.....kg.

4. Eyes :

(i) Visual acuity-Distant vision (with or without glasses): Right eye..... Left eye.....

(ii) any organic disease of eyes

(iii) night blindness

(iv) Colour blindness

(v) Squint

5. Ears :

(i) Hearing : right ear.....Left ear

(ii) Any organic diseases.

Audiometry Findings if required :

Conduction Type	Left Ear	Right Ear
Ear Conduction	Normal/Abnormal	Normal/Abnormal
Bone Conduction	Normal/Abnormal	Normal/Abnormal

Enclosed Audiometry Report.

6. Respiratory system.

Auscultatory Finding:

Chest measurement :

(i)after full inspiration cms.

(ii)After full expiration.....cms.

Result of Lung Function Test (Spirometry) if required

Parameters	Predicted Value	Performed Value	% of Predicted
Forced Vital Capacity (FVC)			
Forced Vital Capacity 1 FEV1			
FEV1/FVC			
Peak Expiratory Flow			

Spirometry Report enclosed

7. Circulatory system:

Blood Pressure :-

Pulse :-

Cardiological Assessment

Auscultation	S1	
	S2	
	Additional Sound	
Electrocardiograph (12 leads) findings :		Normal/Abnormal
Echocardiography finding if required		Normal/Abnormal

Enclosed ECG

Enclosed Echocardiography report

8. Abdomen :

Tenderness.

Liver.

Spleen.

Tumour.

9. Nervous system:

History of fits or epilepsy

Paralysis.

Mental health.

Neurological Assessment

Findings	Normal/Abnormal
Superficial Reflexes	
Deep Reflexes	
Peripheral Circulation	
Vibrational Syndromes	

10. Locomotory system

11. Skin.

12. Hydrocele.

13. Hernia.

14. Any other abnormality

15. Urine :

Reaction:

Albumin:

Sugar:

16. Pathological Investigations:

S.No.	Tests	Findings
1	Blood-Tc,Dc,Hb,ESR, Platelets	WNL/Abnormal
2	Blood Sugar- Fasting & PP	WNL/Abnormal
3	HbA1c if required	WNL/Abnormal
4	Lipid profile	WNL/Abnormal
5	Blood Urea, Creatinine	WNL/Abnormal
6	Urine Routine	WNL/Abnormal
7.	Hemoglobin Electrophoresis (if required)	WNL/Abnormal

Enclosed all Investigation Reports.

17. Skiagram of chest.

18. ILO Classification of Chest Radiograph :

Profusion of Pneumoconiotic opacities	Grades	Types
Present/Absent		

Enclosed Chest Radiograph

19. Any other test considered necessary by the examining authority.

20. Any opinion of specialist considered necessary.

Signature & Name of members of Appellate Medical Board with date

1.....(Convenor)

2.....

3.....

FORM-XI
(See rule 7(1) and rule 7(2))
NOTICE OF ACCIDENT OR DANGEROUS OCCURRENCE

E.S.I.C. Employer's Code number:

E.S.I.C. Insurance

Number of the injured person :

1. Name of employer :

2. Address of

works / premises

where the accident

or dangerous

Occurrence took place :

3. Nature of

industry and

LIN of the

establishmen

t:

4. Branch or department and

Exact place where the accident

or dangerous occurrence took

place :

5. Name and address of the injured person :

6. (a) Gender :

(b) Age (at the last birthday) :

(c) Occupation of the injured person :

7. Local E.S.I.C. Office to which the injured person is attached :

8. Date, shift and hour of accident or dangerous occurrence :

9. (a) Hour at which the injured person started work on the day of accident or dangerous occurrence :

(b) Whether wages in full or part are payable to them for the day of the accident or dangerous occurrence :

10. (a) Cause or nature of accident or dangerous occurrence :

(b) If caused by machinery-

(i) Give the name of machine and the part causing the accident or dangerous occurrence :

(ii) State whether it was moved

by mechanical
power at the
time of
accident or
dangerous
occurrence :

(c) State exactly what the
injured person was doing at
the time of accident or
dangerous occurrence :

(d) In your opinion,
was the injured person at
the time of accident or
dangerous occurrence -

- (i) acting in
contravention of
provisions of any law
applicable to them; or
- (ii) acting in
contravention of any
orders given by or on
behalf of their
employer; or

(iii) acting without
instructions from their
employer?

(e) In case reply to (d)
(i), (ii) or (iii) is in the

affirmative, state
whether the act was
done for the purpose of
and in connection with
the employer's trade or
business.

:

11. In case the accident
or dangerous
occurrence took place
while travelling in the
employer's transport,
state whether-

(a) the

injured
person
was
travelling
as a
passenger
to or
from
their
place of
works;

:

(b) the injured person
was travelling with
the express or

implied permission
of their employer; :

(c) the transport is being operated
by or on behalf of the
employer or some
other person by whom
it is provided in
pursuance of
arrangements made
with
the employer; and :

(d) the vehicle is
being/not being
operated in the
ordinary course
of public transport service :

12. In case the accident
or dangerous occurrence
took place while
meeting emergency,
state-

(a) its nature; and

(b) whether the injured
person at the time of
accident or dangerous
occurrence was employed
for the purpose of their
employer's trade or
business in or about the

premises at which the
accident or dangerous
occurrence took place.

:

13. Describe briefly how the accident or
dangerous occurrence took place

:

14. Names and addresses of

witnesses : (1)

(2)

15. (a) Nature and
extent of injury(e.g.
fatal, loss of finger,
fracture of leg,
scald, scratch
followed by sepsis, etc.)

:

(b) Location of injury
(e.g. right leg, left hand,
left eye, etc.)

16. (a) If the accident or dangerous
occurrence was
not fatal, state
whether the
injured person

was disabled for
more than 48
hours :

(b) date and time when the injured person returned to work: :

17. (a) Physician, dispensary or
hospital from whom or which
the injured person
received or is receiving treatment :

(b) Name of dispensary/panel doctor
elected by the injured person :

18. (a) Has the injured person died ? :

(b) If so, date of death :

I certify that to the best of my knowledge and belief the above particulars are correct in every respect.

Signature and Name and Designation of owner/ employer /manager/agent

Date of
dispatch of
report :
Place:

FORM-XII
(See rule 71)
NOTICE OF PERIODS OF WORK

Name of the Establishment.....Place.....District.....

Periods of work Groups, Relays	Men												Women												Description of Groups, Nature of work	Remarks
	Total no. of men employed												Total no. of women employed													
	A			B			C			D			E			F			G			H				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

On working days

From ..

To ..

From ..

To ..

From ..

To ..

On partial

Working days

From ..

To ..

From ..

To ..

Date on which this notice is first exhibited :

Signature of employer :

Date :

FORM-XIII
(See rule 72(1)(i))
EMPLOYEE REGISTER

(The register may also be maintained ~~in~~ electronically capturing, inter-alia the following details)

Name of Establishment:		
Name of the Employer/owner:		
PAN/TAN of the Employer		
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment		
To be maintained for all employees of the establishments		
1.	Employee Code	
2.	Name	
	Middle Name	
3.	Surname	
4.	Gender	
5.	Father's/Mother's/ Spouse's Name	
6.	Date of Birth	
7.	Place of Birth	
8.	Nationality	
9.	Education level	
10.	Date of Joining	
11.	Designation	
12.	Category (unskilled, semi-skilled, skilled or highly skilled)	
13.	Type of employment (P/T/FT/T/B)**	
14.	Mobile Number	

15.	Universal Account Number (UAN)	
16.	PAN	
17.	Nominee (To be filled on the basis of Nomination form)	
18.	EPS/NPS	
19.	Details of Family	
20.	Details of Posting	
21.	Pay	
22.	Promotion	
23.	ESIC ~~IP~~ Insurance No.	
24.	Aadhaar number	
25.	Bank A/c No.	
26.	Bank	
27.	Branch(IFSC)	
28.	Present address	
29.	Permanent address	
30.	Service Book No.	
31.	Date of Exit	
32.	Reason for Exit	
33.	Mark of Identification	
34.	Photo	
35.	Specimen Signature/Thumb Impression	
36.	Remarks	

Signature of Employee

** (Permanent/Temporary/Fixed Term/Trainee/Badli)

Signature of Employer

FORM-XIV

(See rule 72(1)(ii))

ATTENDANCE REGISTER-CUM-MUSTER ROLL

(The attendance register-cum-muster roll may also be maintained in electronically capturing, inter-alia the following details)

																For the Month of, year 20.....										
Name of Establishment:																										
Name of the Employer/owner:																										
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)																										
1.	Serial Number																									
2.	Employee Code																									
3.	Name																									
4.	Designation																									
5.	Shift																									
6.	Place of work/department/section																									
7.	Date and timings of In and Out																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
8.	Total number of days worked																									
9.	Total number of overtime hours worked																									
10.	Brief details of tour or assignment outside the work place, if any.																									
11.	Signature of Register keeper*																									

*Note: Required in case register is maintained physically.

FORM – XV

(See Rule 72(1)(iii))

REGISTER FOR WAGES, OVERTIME AND DEDUCTIONS

(The register may also be maintained electronically capturing, inter-alia the following details)

Name of Establishment:		
Name of the Employer/owner:		
PAN/TAN of the Employer		
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)		
Wage Period from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy (Monthly/Fortnightly/Weekly/Daily/Piece Rated)		
1.	Serial Number	
2.	Employee Code Number	
3.	Name of the employee	
4.	Designation	
5	Department	
6	Duration of Payment of wages (Monthly/Fortnightly/Weekly/Piece rated)	
7	Wage Period from- to	
8	Total number of days worked during the wage period	
9	Total overtime hours worked or overtime production in case of piece workers	
	Rate of Wage	
10	a)Basic	
11	b)DA	
12	c)Other allowance	
	Amount of wages earned	

13	Basic	
14	DA	
15	Allowances	
16	Overtime	
17	Total wages earned	
	Deductions	
18	EPF	
19	ESIC	
20	Society	
21	Income Tax	
22	Insurance	
23	Advances	
24	Recovery of Fine	
25	Recovery on amount of damages/losses	
26	Total deductions	
27	Others	
28	Net Payment	
29	Date of Payment	
30	Receipt by employee/Bank Transaction ID	
31	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	
32	Amount of fine imposed	
33	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	
34	Signature of Employer/Employer Representative*	

*Note: Required in case register is maintained physically

FORM – XVI

(See rule 72(2))

Wage slip

Date of issue:				
Name of the Establishment				
Address:.....			Period:.....	
1.	Name of the Employee:			
2.	Father's/Mother's/Spouse's Name:			
3.	Designation:			
4.	UAN:			
5.	Bank Account Number:			
6.	Wage period:			
7.	Rate of wages payable	a) Basic	b) D.A.	c) other allowances
8.	Total attendance/unit of work done:			
9.	Overtime wages			
10.	Gross wages payable			
11.	Total deductions	a) PF	b) ESI	c) Others
12.	Net wages paid			
Employer/Pay-in-charge signature*				

***Note: Required in case register is maintained physically.**

FORM-XVII

[See rule 72(5) r/w rule 74]

ANNUAL RETURN**FOR THE YEAR ENDING 31st December.****Instructions for filling up the Annual Return**

- (1) This return shall be filled-up and furnished on or before the 28th or 29th day of February every year.
- (2) This return consists of two parts i.e. Part-I , which shall be filled up by all establishments.
- (3) Part-II shall be filled-up only by the establishments that are Mines in addition to Part-I.
- (4)The terms “establishment” and “mines” shall have the same meanings as assigned to them in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.
- (5)This return shall be filled-up in the case of contractor or manpower supplier who has engaged more than 50 workers and in the case of mines, even where one worker was employed during the relevant period.

Applicable to All Establishments - Part-I**A. General Information:**

Sl. No.			Instructions for filling the column
1.	Labour Identification Number		EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN)
2.	Period of the Return	From - To-	Period should be calendar year
3.	Name of the Establishment		
4.	Email ID (employer)		
5.	Telephone No. (employer)		
6.	Mobile number (employer)		
7.	Premise name		
8.	Sub-locality		
9.	District		
10.	State		

11.	Pin Code									
12.	Geo Co-ordinates									
B(a).	Hours of Work in a day									
B(b).	Number of Shifts Number of hours in a shift									
C. Details of Manpower Deployed										
Details		Directly employed				Employed through Contractor				Grand Total
Skill Category		Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled	
(i) Maximum No. of employees employed in the establishment in any day during the year		M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(ii) Average No. of employees employed in the establishment during the year		No. to be indicated	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(iii) Maximum number of Migrant Worker during the year (Section 59 of OSH&WC Code)		M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(iv) Number of fixed term employee engaged		M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T					
D. Details of contractors engaged in the Establishment:										
Sl. No.	Name with LIN of the Contractor				No. of Contract Labour Engaged					
E. Details of various Health and Welfare Amenities provided.										
Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided			Statutory (specify the statute)		Instructions for filling				

1.	Whether facility of Canteen provided (as per section 24(v) of OSH&WC Code, 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to all establishments wherein hundred or more worker including contract labour were ordinarily employed
2.	Crèches (as per section 67 of Code on Social Security Code, 2020 and section 24 of the OSH&WC Code 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to all establishments where fifty or more workers are employed
2a	If 2 above is not given then whether Crèches allowance under Rule.. of Social Security Code given.	Tick yes or no in the box and not applicable	Reference rule.. on Social Security
3.	Ambulance Room (as per section 24(2)(i) of OSH&WC Code, 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to mine, building or other construction work wherein more than five hundred workers are ordinarily employed
4.	Safety Committee (as per section 22(1) of OSH&WC Code, 2020.	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to establishments and factories employing 500 workers or more, factory carrying on hazardous process and BOCW employing 250 workers or more, and mines employing 100 or more workers.
5.	Safety Officer (as per section 22(2) of OSH&WC Code, 2020)	No. of safety officers appointed	In case of mine 100 or more workers, in case of BOCW 250 or more workers and in case of dock work 500 or more workers are ordinarily employed.
6.	Qualified Medical Practitioner (as per section 12(2) of OSH&WC Code 2020.	No. of Qualified Medical Practitioner appointed.	There is no specification for minimum number of Qualified Medical Practitioner employed in establishment. However, this detail is required to have data on occupational health.

F. The Industrial Relations:			Instructions for filling
1.	Is the Works Committee has been functioning. (Section 3 of IR Code, 2020)	Yes/No and not applicable	Industrial establishment in which 100 or more workers are employed
(a)	Date of its constitution.		
2.	Whether the Safety Redressal Committee constituted (Section 4 of IR Code, 2020)	Yes/No and not applicable	Industrial establishment employing 20 or more workers

3.	Number of registered Unions in the establishments.				
4.	Whether any negotiation union exist(Section14 of IR Code,2020)				Yes/No
5.	Whether any negotiating council is constituted (Section 14 of IR Code, 2020)				Yes/No
6.	Number of workers discharged/dismissed, retrenched or whose services were terminated during the year:				
		Dismissed	Retrenched	Discharged /Terminated or Removed	Grand Total
7.	Man-days lost during the year on account of				
Sl. No.	Reasons		Period /Date	No. of man-days lost	
(a)	Strike				
(b)	Lockout				
8.	Details of retrenchment / lay off				
Sl. No.	No. of persons retrenched during the period	Details of payment paid to retrenched employees	No. of workers laid off during the period	No. of man-days lost due to lay-off	Applies on industrial establishment employing 300 or more workers

G. Details pertaining to maternity benefit:				
No. of female employees	No. of female employees availed maternity leave	No. of female employees paid medical bonus	No. of deduction of wages, if any made from female employees	

H. Details of payment of bonus:			
Sl. No.	No. of employees covered under the Bonus provision	Total amount of bonus actually paid	Date on which the Bonus paid

I. Details of accidents, dangerous occurrence and notifiable diseases:				
Sl. No.	Total number of accidents by which a person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more as per section 10 of the OSH&WC Code, 2020.	Total number of fatal accidents and names of the deceased as per Section 10 of the OSH&WC Code, 2020.	Total number of Dangerous Occurrences as defined under Section 11 of the OSH&WC Code, 2020	Total number of cases of Notifiable Diseases specified in Third Schedule of the OSH&WC Code, 2020 along with the details of affected persons

J. Man days and production lost due to accidents / dangerous occurrences			
Sl. No.	Accident/Dangerous Occurrence	Man days lost	Production Lost

[See rule 72 r/w rule 74]

Part II (For Mines)

A. General information		
1.	Establishment Name	
2.	Name of Company/ Name of Owner	
3.	Type of organization (drop down)	PSU Central/ PSU State/ Private/
4.	Type of ownership (drop down)	Firm/Association/Individual/Partnership/Company
5.	Type of Mineral (drop down)	Coal/Metal/Oil
6.	Name of Mineral	
7.	Type of Mine (drop down)	Belowground/ Opencast/ Aboveground/Mixed/OffShore/OnShore
8.	Date of opening	To be filled for first time
9.	Mine Code	To be filled for first time
10.	Date of closing (if any)	NA/ Calendar to be given
11.	Date of reopening (if any)	NA/ Calendar to be given
12.	Depth of working in mts.	Maximum Depth: Minimum Depth:

B. Statutory personnel employed in the mine (as on 31st December)

Sl. No.	Designation as per Code	Number of Statutory Persons required	Number of Statutory Persons employed
1.			

C. Method of Working vis-a-vis Safety Parameters

1	Name of Method (Specify the name) (as per drop down menu)		
2	Quantity of mineral Produced in Cu.m./Tonne		
3	Quantity of Waste/overburden removed in Cu.m./Tonne		
4	Stage of Working (as per drop down menu)	Development/Extraction/Mixed	
5	Permissible Void in Cu.m.		For extraction stage
6	Actual Void in Cu.m.		For extraction stage
7	Area of overhang		For extraction stage
8	Maximum Inflammable gas released in Cu. Meter per ton of coal produced		For Development stage
9	Overall Pit slope		For Opencast mines
	Individual entry for each Pit		
10	Overall dump slope		For Opencast mines
	Individual entry for each Dump		
11	Area of fire in Sq. m.		
12	Length of embankment required to be provided against the water body		
13	Length of embankment provided against the water body		
14	Length of fencing required/provided as per statute		
15	No. of opening required to be sealed in case of abandoned mines:		
16	No. of Openings sealed in case of abandoned mines:		
17	Number of Mock drills conducted and date of same with coverage of employees		
18	No. of Oil/Gas wells: under drilling/ under production/ under work over (as per drop down menu)		For Oil and gas mines
19	No. of wells where production discontinued		For Oil and gas mines
20	If Yes to pt. 19 above, Action taken		
21	Action Taken in respect of Wells where production has been discontinued		For Oil and gas mines

22	Maximum Quantity of explosive used in any day (in Kgs.)		For all types of mine
23	Whether Building or Structures not belonging to owner lies within danger zone?	Yes/No/NA	For Coal & Metalliferous Mines
24	Aggregate HP/KW of machineries installed/deployed in the mine for the year		For all types of mine

D. Medical examinations - Initial/Periodical (IME/PME):

During the year, total number of persons including contractual workers:

Particulars	Total No. of Persons
Undergone IME	
Undergone PME	
Declared medically Temporary unfit	
Given alternate Employment due to Medical unfitness	
Terminated on account of being medically unfit	

E. Details of Vocational training imparted:

During the year, total number of persons including contractual workers:

Particulars	Total No. of Persons
Imparted Basic Vocational Training	
Imparted Refresher Training	
Imparted special Training	

F. Details of Accident, Dangerous Occurrence and Occupational Diseases :**(1) Details of Accidents and Dangerous Occurrences:**

Sl. No.	Date of Accidents/Dangerous Occurrences	No. of persons killed	No. of persons received Serious Bodily Injury	Number of persons injured (Excluding Serious Bodily Injury) and thereby prevented from working for a period of 48 hours or more	Nature of Occurrence	Mandays lost
1.						

(2) Details of Occupational diseases:

Sl. No	Notified Disease	No. of cases
1		

G. Details of Safety Management Plan:

- (a) Safety Management Plan Prepared: (Yes/No/NA)
 (b) Date of Submission : Date
 (c) Last date of review of Safety Management Plan: Date
 (d) Principal Hazards Identified:

Sl. no.	List of Principal hazards identified	Principal hazard Mitigation date	Principal hazard not mitigated till 31 st December	Reasons for failure to mitigate the same
1.				

H. Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)**A. For Mine: (To be filled by mine owner)**

- (i) Address of the Rescue Station with Geo-coordinates serving the mines;
 (ii) Distance of the Rescue Station from mine opening; -----(in KM)
 (iii) Whether a mine Rescue Station has been established by the mine ? (Yes/No)

Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)
(For Rescue Station)

For Mine Rescue Station (To be filled by the Superintendent of the Rescue Station)

- (i) Name of the owner of the mine at which the Mine Rescue Station is located:
- (ii) Address of MRS:
- (iii) Name of the Superintendent :
- (iv) Details of the mine served by the Rescue Station:

Sl. No.	Name of the Mines	Distance of the Mine from MRS (in Kms)

- (v) Details of Personnel Deployed at Rescue Station;

Sl. No.	Designation as per Code	Number of statutory persons required	Number of statutory persons employed

- (vi) Details of Equipment/Apparatus :

Sl. No.	Type of Equipment/Apparatus required	Numbers of Equipment/Apparatus available

(vii) Particulars of Emergency Attended:

Sl.No.	Name of the Mine	Nature of Emergency	Response Time (time taken by rescue services to attend the emergency)	Time taken for Rescue & Recovery	Action Taken

(viii) Additional Information :

- (a) Number of Rescue Rooms :
- (b) Number of Rescue Trained Persons Required :
- (c) Number of Rescue Trained Person available :
- (d) Whether Canteen facility exist or not? (Yes/No):

Certified that the tables are duly filled in and the information and figures furnished therein are correct to the best of my knowledge.

Signature of Employer/Occupier/Owner/Agent/Manager

Place:

Dated:

PART III**[See rule 98(9)]****ANNUAL RETURN** period ending 31st December

(to be submitted by the principal employer on Shram Suvidha Portal)

1. Name of the principal employer:
2. Name of the establishment:
3. Registration number (LIN) of the establishment:
4. Details of the Contractors, wages paid, etc.:

Sl.	Month	Name and address of the contractors	LIN of the contractor	Name of the work	Maximum number of contract labour employed	Amount paid against wage bill (if applicable) to the contractor (including EPF, ESIC, Bonus etc.)	Date of payment of wage bill (if applicable)	Amount of the wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contractor fails to pay)	Date of payment of wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contractor fails to pay)	Remarks

Signature of the principal employer**Date:**

Shram Shuvidha Portal
Ministry of Labour and Employment
Self-Declaration form for EPFO/ESIC Contribution

Year: _____

LIN:(Auto-Populated)

ESI Code No.(Auto-
Populated)(Editable):
Sub Code Nos. (Auto-
Populated) (Editable):

[illegible]

[illegible]

- [illegible]

Contractors details:						
S.No.	Name & Address of the contractor	EPF code No.	ESI code No.	Nature of work	Maximum Number of employees employed during any day	Total payment made during the FY

< *contractor details may be pre-filled from CLC Licence data if available with option to add other contractors >

Details of tax benefit claimed by employer by way of contribution towards a recognized provident fund or an approved superannuation fund u/s 36(1)(iv) of Income Tax Act:

Financial Year	Contribution	Tax benefit

UPLOAD DCOUMENTS:

S. No.	DOCUMENT Name	<upload field in portal>
1.	Balance Sheet*	• <upload field for Balance Sheet of the financial year>
2.	Form 26AS*	• <upload field for Form 26AS of the financial year>
3.	Form 26Q*	• <upload field for Form 26Q of the financial year>

**mandatory field*

(Signature of the Employer/authorized representative)

***Section 36(1)(iv) of Income Tax Act:**

any sum paid by the assessee as an employer by way of contribution towards a recognised provident fund or an approved superannuation fund, subject to such limits as may be prescribed for the purpose of recognising the provident fund or approving the superannuation fund, as the case may be; and subject to such conditions as the Board may think fit to specify in cases where the contributions are not in the nature of annual contributions of fixed amounts or annual contributions fixed on some definite basis by reference to the income chargeable under the head "Salaries" or to the contributions or to the number of members of the fund;

FORM XVIII**[See rule 72(5) and 98(7)]**

Half Yearly Return (January to June / July to December) to be submitted electronically by the contractor to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central)

1. Name and address of the contractor:
2. Name and address of the principal employer and LIN:
3. LIN of the contractor:
4. Licence number of the contractor (if applicable):
5. Name of the contract work with location/station:
6. Details of the number of Contract Labour, Wages Paid etc.:

Sl. No.	Months	Number of Contract Labour employed	Total amount of wages paid in a month	Overtime	Bonus	Date and amount of Wage bill received by contractor from Principal Employer	ECR number of ESIC	ECR number of EPF	Wages paid by 7 th of the month or due date as applicable Yes/No	Remarks
	January									
	February									
	March									
	April									
	May									
	June									

Signature of the contractor:

Date:

FORM-XIX**(See rule 75)****REGISTER OF ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES**

Name of injured/deceased person (if any)	Date of accident or dangerous occurrence	Date of report to Inspector-cum-Facilitator	Nature of accident or dangerous occurrence	Date of return of injured person to work	Number of days the injured person was absent from work	Signature of employer/representative
1	2	3	4	5	6	7

FORM-XX
(See rule 76)
REGISTER FOR LEAVE WITH WAGES

Part I - Adults

Part II - Adolescents

Establishment:

Name of worker :

Department :

Father's Name:

Sl. No	Sl.no. in the register of workers	Date of entry into service	Interruptions					Leave due with effect from	Whether leave not desired during the next 12 months	Date from which the worker is allowed leave	Wages for Leave Paid in	Discharged worker		Leave	Remarks
			Sickness and accidents	Authorised Leave	Lock Out or Legal Strike	Involuntary unemployment	Others					Date of Discharge	Date and amount of payment made in lieu of leave due	Accumulated carry forward leave	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Note: - Separate page shall be allotted to each worker

Signature of Employer/Register Keeper/Representative

FORM-XXI**[See rule 87, rule 88(1) and rule 96(1)]**

Application for Grant of Licence/ Renewal of Licence/Amendment of Licence (including common/single licence)	
Government of India, Ministry of Labour and Employment	
ESTABLISHMENT PROFILE:	
Labour Identification Number	Date
Acknowledgement Number: Date of Application:	
I. Particulars of Establishment for which licence required:	
1. Name of Establishment:	
2. Address of establishment	
(a) Head Office address along with email Id :	
(b) Corporate office address along with email Id:	
3. Telephone Number :	
4. Activity as per National Industrial Classification : (Select all applicable activities given)	
5. Details of selected NIC Code:	
6. Nature of work carried on in main establishment :	
7. Identifier of the Establishment : (Select) : e-sign/digital sign	
II. Details of Employer:	
1. Full Name of Employer: relationship with establishment.	
2. Full Address of Employer:	
3. Email Id of employer:	
4. Mobile No. of employer:	
III. Particulars of the Contract Labour to be employed / is employed (If licence is required work wise)	

Locations of worksites	Name of works	Activity as per national industrial classification	Date of commencement	Date of completion	Name of Establishments in which contract labour is/proposed to be employed	Name Address, email id of the Site Incharge
1	2		3	4	5	6

5. Maximum number of workmen proposed to be employed on the establishment on any date:

6. Amount of Licence Fee: **INR** (Transaction Id :)

7. Amount of Security Deposit: **INR** (Transaction Id :)

IV. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH COMMON LICENCE REQUIRED , (IF APPLYING FOR)

Type of Establishments	Name & Address of establishment	(i)Nature of work carried out in the establishment (ii) Activity as per National Ind'l classification	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of contract labour employed/ proposed to be employed	
1	2	3	4	5	6	

V. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH SINGLE LICENCE IS REQUIRED (IF APPLYING FOR)

Name of States in which the establishments are situated	Name of each work	Maximum number of labour will be/is employed	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Registration number, if obtained, then details thereof
1	2	3	4	5	6

Signature of Contractor	
(e-Sign/DSC)	
Note: This is an online application summary applied on Shram Suvidha Portal or designated Portal.	
<u>APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE</u>	
1. Licence No.	Date :
2. LIN & PAN	
3. Name and address of the establishment:	
4. Date of expiry of previous licence :	
5. Whether the licence of the employer/contractor was suspended or revoked:	
6. Details of fees paid : (Enclose e-payment receipt):	
Amount	Date of payment :
E-sign /digital sign of the employer/contractor date:	
<u>APPLICATION FOR AMENDMENT OF LICENCE :</u>	
1. Licence No	Date:
2. LIN & PAN	
3. Name and address of the establishment:	
4.Details for which amendment is sought :	
(a). Maximum number of contract labour presently employed : When there is an increase in the maximum number of contract labour to be employed, the additional fee/security deposit required under law shall be deposited:	
(b). Details of fees paid through e-payment date on which made :	
(c). Other details requiring amendment in the licence issued (Necessary documents may be uploaded in support of change required)	

E-sign /digital sign of the employer/contractor

Date of application.

Date:-

Place:-

FORM-XXII
(See rule 89(1) and rule 90(2))
PROFORMA OF LICENCE

Licence No. ----- Reg. No. ----- Date of Reg. -----

Licence is hereby granted to -----

for the premises known as -----

situated at -----

nature of work -----

for use as a establishment within the limits stated herein after, subject to provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and the rules made there under.

The ----- 20.. Issuing Authority

Sl.No.	Period of issue	Valid For	Fee	Date of Payment	Excess fee for late payment	Date of payment	Signature of the Issuing Authority
		Maximum number of Contract labour on any one day					

AMENDMENTS:

Year when Amended	Maximum number of Contract labour on any one day	Date of payment of amendment fee	Date of Payment	Signature of the Issuing Authority

E-sign /digital sign of the designated authority

FORM-XXIII
(See rule 100)
EXPERIENCE CERTIFICATE OF CONTRACT LABOUR

To whomsoever it may concern

1. Name of contractor/employer*:
2. LIN/PAN No. of the contractor/employer *:
3. Email Id of the contractor /employer *:
4. Mobile No. of the contractor/employer *:
5. Nature and location of work:
6. Name of principal employer*:
7. LIN/PAN No. of the principal employer :*
8. Email Id of the principal employer : *
9. Mobile No. of the principal employer :*
10. Name of the labourer*:
11. UAN / Aadhaar No.:
12. Mobile No. :
13. Serial Number in the employee register :
14. Registration number, date and name of the Board where the building or other construction work is registered as a beneficiary:
15. Period of employment:
16. Designation:
17. Work performed:
Seal and Signature of Contractor
*Strike off whichever is not applicable.

FORM-XXIV**(See rule 105)****Agreement between Producer and Audio-visual worker**

This agreement is made on this day month year..... between M/s having office at(hereinafter referred to as the “Producer”) on the first part and Shri/Smt/Kumari son/daughter/wife of Shri residing at (herein after referred to as the “audio-visual worker”) on the second part. The terms ‘Producer’ and ‘audio-visual worker’ shall include their heirs, successors, administrators and legal representatives:

Now, therefore this agreement is made as follows:

1. That both the parties agree that the duration of this agreement shall be from the date hereof till the completion of the audio-visual production and this period shall not exceed ____ consecutive months.
2. That the audio-visual worker agrees to attend studio, location or work place, as the case may be, subject to the requirement of his previous engagement and on their confirmation, to perform their respective job punctually as and when he shall be required by a written intimation by the Producer or the person duly authorised by them in writing.
3. That inconsideration of the audio-visual worker’s services, as aforesaid, the producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive a sum of Rs.(Rupees) payable as advance on signing of this agreement and the balance of Rs. payable in equal installments.
4. That in the event of the audio-visual production being not complete within the stipulated period and the Producer still needing the services of the audio-visual worker to complete the audio-visual production, the producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive additional remuneration on pro-rata basis, payable in the same manner as stated in Clause 3 above, till the completion of the production.
5. That in case the assignment of the audio-visual worker is completed earlier than the period stipulated in Clauses 1 and 4 above, the producer shall settle the account of the audio-visual worker and pay the remaining balance of the agreement amount in full before the commencement of re-recording work/censor of the production, whichever is earlier.
6. That the audio-visual worker shall, if so required,

(a) attend the studios, location or work-place, as the case may be, earlier than the scheduled time of the shift, for preparatory work, and in that case, audio-visual worker shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs. per hour or part thereof for such early attendance.

(b) continue to work beyond the working day, with one hour break and in that case, audio-visual worker shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs..... for the work during the extended hours and refreshments, and transport facilities.

7. That the Producer shall provide transport and food or pay traveling allowances to and fro to report to duty and food allowance while on duty as are customary or fixed by bilateral arrangements between the Producer's and audio-visual worker's representative organizations.

8. That the Producer shall also pay for all travelling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.

9. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to such person including death caused by accident arising out of or in the course of their employment and/or during the period of their assignment under this agreement.

10. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond their control :-

(a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audio-visual worker and shall pay all their dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension there from ; or

(b) he shall be entitled to terminate this agreement as from the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.

11. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker's duties or of their unwillingness to perform the services required under this agreement, the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall be entitled to employ another audio-visual worker in their place.

12. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of their duties or their unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual worker's total work in the audio-visual and the work has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall not be made unless the charges of the Producer against the audio-visual worker are proved before a forum comprising equal number of representatives of the Producers' Organisation and the audio-visual worker's Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favour of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.

13. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be the option of the audio-visual worker whether or not to allow their name to go on the credit titles of the film.

14. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker's personality on the screen, their clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by them.

15. That the audio-visual worker agrees to render their services to the best of their ability in such manner as the Producer or, at their instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.

16. That the audio-visual worker shall comply with all the regulations of the studio, location or work place as the case may be.

17. That the Producer shall not without the consent in writing of the audio-visual worker, assign or transfer the benefit of this agreement to any other person.

18. That the provisions of Chapter-III of Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) shall be applicable to this agreement.

19. That the Producer shall not utilise the work of the audio-visual worker in any film, other than the audio-visual under this agreement, without prior permission of the audio-visual worker.

The parties have put their hands to this agreement on the date, month and year said above in the presence of each other and in the presence of the witnesses.

1. Witness	Producer	Name Address
2. Witness	audio-visual worker	Name Address

FORM-XXV
[See Rule 78]
IMPROVEMENT NOTICE

To,

Name of the Establishment
(Employer / Principal Employer / Contractor)
Address

Sub-Notice regarding contraventions observed under the OSH & WC Code, 2020, OSH & WC (Central) Rules, 2026, Regulations, Standards and Orders made thereunder, in respect of (Name of the establishment)

Sir / Madam,

(1) It is to inform that the undersigned conducted inspection of (name of the establishment), engaged in the work of (name of work) located at on (date).

(2) The particulars of the establishment inspected and the contravention (s) of the provisions of the OSH&WC Code 2020, OSH & WC (Central) Rules, 2026, Regulations, Standards, Notifications and Orders made thereunder observed during inspections are annexed herewith.

(3) You are hereby directed to rectify the contraventions / irregularities observed during inspections and submit compliance report (through speed post / electronic mode / designated portal) within 30 days from the date of issue of this notice, failing which necessary action will be initiated as per the relevant provisions of the statute without making any further correspondence in this regard.

Yours faithfully,

Encl: As above.

Inspector-cum-Facilitator.

FORM- XXVI
[See rule 182(1)]
APPLICATION FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant :
2. Father's / Spouse name :
3. Address of the applicant :
4. Name of establishment:
5. Particulars of the offence:.....
.....
.....
6. Section of the Code under which the offence is committed :.....
7. Maximum fine provided for the offence under the Code :.....
8. Whether prosecution against the applicant is pending or not
9. Whether the offence is a first offence or whether the applicant has committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of such prior offence
.....
.....
10. Any other information which the applicant desires to provide
.....
.....

Dated:

Applicant
(Name and signature)

FORM-XXVII

[See rule 182(1)]

Notice to the employer for an offence committed under the provisions of the Code for the first time for composition of offences**Notice No.....****Date:**

On the basis of records and documents produced before me, the undersigned has reasons to believe that you, being the employer of the establishment.....
(Registration No.....), have committed an offence for the violation of provision of the Code or the Schemes or the Rules or the Regulations or the Standards framed thereunder as per the details given below:-

PART – I

1.	Name of the person:	
2.	Name and Address of the establishment :	
3.	Registration No. of the establishment:	
4.	Particulars of the offence:	
5.	Provisions of the Code/Scheme/Rules/Regulations under which the offence is committed:	
6.	Amount required to be paid for compounding of the offence:	
7.	Name and details of account for depositing the amount specified in serial no. 6:	

PART –II

In view of the above, you have an option to pay the entire amount mentioned at serial no. 6 in Part-I within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in Part – III of this notice.

In case the said amount is not paid within the specified time, necessary action for institution of prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard.

(Signature)
(Name and designation of Officer)

Date:
Place:
To:
.....(Employer/Establishment)
.....(Name and registration number)
.....(Address)

PART – III
[See rule 182(2)]**Application under section 114 for composition of offence**

Ref: Notice No.....

Date:

The undersigned has deposited the entire amount as specified at serial 6 of Part-I and the details of payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.

8. Details of the compounding amount deposited (Copy of the electronically generated receipt to be attached):

9. Details of the prosecution, if any filed in respect of the violation of the above-mentioned offences:

10. Whether the present offence is a first offence or whether the applicant has committed any other offence prior to this offence, if so, then, full details of such offence:

11. Any other information which the applicant desires to provide:

Signature of the applicant
(Name and Designation)

Date:
Place:
To:
.....(Compounding Officer)
.....(Name of the Office)
.....(Address)

PART – IV
[See rule 182(3)]

Composition Certificate

Ref: Notice No.....

Date:

This is to certify that the offence under sub-section of section 114 in respect of which Notice No. Dated: _____ was issued to Sh/Smt. (Applicant), the employer of (name and registration number of the establishment) has been compounded on upon receipt of the full amount of dRs (Rupees _____) towards compounding of the offence, to the satisfaction of the requirements of the said notice.

(Signature)
Name and Designation of the Officer

Date:

Place:

To:

.....(Employer/Establishment)

.....(Name and registration number)

.....(Address)

[F. No. S-65025/01/2021-ISH.II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor